Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक–11.] आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का बाइसवां दिवस. [संख्या–15

बृहस्पतिवार,

दिनांक 20 जुलाई, 1989

(विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। (व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

अंकित नहीं होगा।

(नारे)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : बोफोर्स का यहां क्या ताल्लुक है, मेरी समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : ×××

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : ×××

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, मैं निवेदन कर दूं। (व्यवधान) अब मेरी बात सुन लें। (व्यवधान) पहले मेरी सुनिये। मेरी सुनिये। कृपया विराजें। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा....(व्यवधान) पहले मेरी सुन लें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) नोट नहीं करेंगे। नोट नहीं हो रहा है। नोट नहीं हो रहा है। (व्यवधान) पहले मेरी एक मिनट सुन लें। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अब आप इस हाउस में क्या परम्परा डालना चाहते हैं? इसको क्या समझते हैं? क्या आप इसको अच्छा समझते हैं? क्या परम्परा डालना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मैं बता रहा हूं आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी ने कहा उसका जवाब दे रहा हूं।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शिवचरण माथुर : कभी ऐसी परम्परा नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप नहीं सुनना चाहते क्या ? मैं जवाब दे रहा हूं मुख्य मन्त्रीजी का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चेयर की सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक मिनट में कह दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले चेयर की।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा इसका क्या ताल्लुक है। मैं बोल रहा हूं, मुख्य मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : कोई दूसरा प्रश्न आज सामने है नहीं। ऐसी कौनसी बात है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं वही कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : जो आप कहना चाहते हैं उसका तरीका है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं वही कह रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिये। आप (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अगर कोई....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बोलने दीजिये, मैं कह रहा हूं.... (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा इससे हमारा क्या ताल्लुक है, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) आप सुनिये, आप बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी का नोट नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) कृपया मेरी सुनें पहले। कृपया बैठें। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11–18 बजे आधे घंटे के लिये स्थगित हुई)

पुनः समवेत होने पर

(पूर्वाह्न 11.48)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

अनुदानित शिक्षण संस्थाएं

434. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कितनी निजी शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं ? सूची, विद्यालय का नाम एवं जिला सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं को वर्ष 1985–1986 से 1988–89 तक प्रति वर्ष कितनी अनुदान राशि दी गई है ? संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्षों में किस-किस शिक्षण संस्था के अनुदान की राशि किस–किस वर्ष में किन कारणों से रोकी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No. 3

(3)

(श्री हीरासिंह चौहान)··

(4) राज्य सरकार इन निजी शिक्षण संस्थाओं पर किस प्रकार नियंत्रण करती है ? क्या इस संदर्भ में कोई नियम विद्यमान हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री खेमराज कटारा): (1) राज्य में अनुदान प्राप्त अराजकीय शिक्षण संस्थाएं स्तरवार निम्न प्रकार हैं:–

		स्तर	संख्या	परिशिष्ट
(1)	क.	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय	1101	अ
	ख.	महाविद्यालय	52	ब
	ग.	संस्कृत शिक्षा विद्यालय	69	स
		कुल संस्थाएं	1222	

(2) क्रम संख्या (1) में अंकित अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अनुदान राशि संस्थावार निम्न कारण से रोकी गई :–

क. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की संस्थाएं : परिशिष्ट अ में कारण एवं वर्ष दर्शा दिये हैं।

ख. महाविद्यालय स्तर : श्रीमती गोमतीदेवी कालेज, बड़ा गांव (झुंझुनू) द्वारा नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने के कारण फरवरी, 88 से अनुदान रोका गया।

ग. संस्कृत शिक्षा स्तर : (अ) श्री पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय, चूरू वर्ष 88–89 का अनुदान प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण।

(ब) श्री संस्कृत विद्यालय नेछवा (सीकर) वर्ष 86–87 का ऑडिट नहीं कराये जाने के कारण।

(स) अग्रवाल बाल संस्कृत विद्यालय, बयाना (भरतपुर) वर्ष 1985–86 का अनुदान फार्म देरी से प्रस्तुत करने के कारण।

(4) राज्य सरकार अनुदान नियम 1963 के नियमों के अनुसार नियंत्रण रखती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन निजी शिक्षण संस्थाओं की वित्तीय स्वीकृति देने के क्या मापदण्ड हैं ? क्या वित्तीय स्वीकृति सरकार की मनमर्जी से दिये जाने का प्रावधान है या कोई नियम बने हुए हैं ?

दूसरा, पिछले वर्ष राज्य में 133 गैर निजी शिक्षण संस्थाओं को 10 जमा 2 में सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया था। इस प्रकार की कितनी निजी

(श्री हीरासिंह चौहान)

शिक्षण संस्थाओं को जो, हायर सैकण्डरी स्तर पर चलती थीं, क्रमोन्नत नहीं किया गया है ?

तीसरा, डी. ए. वी. हायर सैकण्डरी स्कूल, अजमेर, मैं सोचता हूं, अजमेर में सबसे अच्छी शिक्षण संस्था है लेकिन उसको 10 जमा 2 में 6 महीने बाद जनवरी में क्रमोन्नत किया गया। इसे 6 महीने बाद जनवरी में क्रमोन्नत करने का क्या कारण है ?

मेरा अगला सवाल है, 1986 में निजी शिक्षण संस्था विधेयक इस विधान सभा में लाया गया। लाने के बाद ऐसे क्या कारण हैं कि चार साल बीतने जा रहे हैं लेकिन उस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा है जबकि हमारी सरकार की नीति है कि सामाजिक न्याय किया जाय ? निजी शिक्षण संस्थाओं से जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा मिलती नहीं है। क्या सरकार निजी शिक्षण संस्था विधेयक लाने का विचार रखती है ?

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षण संस्थाओं को जो अनुदान देते हैं, क्या यह सही है वित्त सत्र के आखिर में जितना पैसा बचता है उसको बिना मापदण्ड के एक तरह से बंदर बांट करके, पोलिटिकली मोटिवेटेड होकर उनको अनुदान देते हैं और आपके पास उसके कोई नियम नहीं है ?

दूसरा, क्या शिक्षण संस्थाओं में सुधार से सम्बन्धित कोई बिल सदन के पास पेंडिंग हैं, जो सलेक्ट कमेटी को दिया हुआ है जिसको आप पास नहीं कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मंत्री महोदय, यह पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय का प्रार्थना पत्र विलम्ब से आने की बात आपने कही है, क्या यह सही है कि वह तो समय पर आ गया था लेकिन आपके विभाग में ही पड़ा रहा और इस कारण से उस संस्था को अनुदान नहीं दिया गया ? ऑडिट हो गया था, ऑडिट की रिपोर्ट भी आपके विभाग में आ गई थी उसके बावजूद भी इन दोनों संस्कृत विद्यालयों को आपने अनुदान देने में कोताही बरती। इसके क्या कारण हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि गैर सरकारी शिक्षण संस्था विधेयक पर जो रिपोर्ट है वह इस बिल को इसी सत्र में राज्य सरकार लाना चाहती है या नहीं। कल भी ऐसा इंडिकेशन दिया गया था कि वह बिल इस सदन में आएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कल बी. ए. सी. की मीटिंग में आपकी उपस्थिति में तय हुआ था कि इस विधेयक के ऊपर अन्य विधेयकों के साथ चर्चा होगी लेकिन आज बी. ए. सी. की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं चीफ व्हिप इसको क्लेरिफाई करेंगे कि इसको किस तारीख को लिया जाना है।

श्री अध्यक्ष : इसे देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख नहीं लेंगे, साहब, बताइये पहले।

श्री शोपत सिंह : यह युनानिमस तय हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराना : जो कुछ तय हुआ है उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : थोड़े दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसी सदन में रखा जाएगा।

श्री प्यारसीलाल परिड़वाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी घोषणा तो बड़ी बड़ी करते हैं पर काम कुछ नहीं करते।

श्री नाथूसिंह : बी. ए. सी. में तय होने के बाद मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी की मौजूदगी में तय हुआ था। सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की है कि बी. ए. सी. की मीटिंग में तय हो जाय और वह लिखकर इस सदन में नहीं दिया जाय। इससे बड़ी कोई आपत्ति की चीज नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : पेश तो हो गया वह....

श्री नाथूसिंह : युनानिमस डिसीजन हो गया....

शिक्षा मंत्री (श्री दामोदर दास आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, हम सब चाहते हैं कि इस सदन में वह विधेयक आना चाहिये और मेरी खास तौर से यह गुजारिश भी थी कि इसको लिया जाय। इसमें दो टेक्निकल डिफिकल्टीज थीं, जो बाद में बताई गई। उसमें क्यों नहीं इन्क्लूड किया गया यह तो मुझे सुबह मालूम हुआ कि इसमें इन्क्लूड नहीं हुआ है। वास्तव में जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वह न तो प्रिन्ट हुई है जो असेम्बली से होनी चाहिए और वह सरकुलेट नहीं की गई है। दूसरा यह था कि केन्द्र सरकार से हमको मन्जूरी मिले इसके लिए हमने आदमी भेज रखा था, कल भी वहां से आदमी आया। बहुत जगह से क्लियर करवा लिया गया। आज भी मैंने टेलीफोन करवाया शिक्षा सचिव को कि इसको क्लियर करवा कर भेजा जाय। हम इसी सदन के इसी सत्र में इसको लाना चाहते थे और इसलिए मैं भी प्रेस कर रहा था। रिपोर्ट सदन में सर्कुलेट नहीं हुई, इसी वजह से शायद इसको लगाया नहीं गया है। यह आपके देखने का काम है। हम तो चाहते हैं कि इसी सदन में यह विधेयक निश्चित तौर से आना चाहिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति यह नहीं है, मेरी आपत्ति दूसरी है।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसके बाद तो रह ही क्या जाता है। जब सरकार चाहती है, विपक्ष चाहता है, बी. ए. सी. में तय हुआ है तो सदन में आ जाय, इसको लिस्ट किया जाय।

श्री शिवचरण माथुर : इसकी रिपोर्ट प्रिंट नहीं हो पाई है इसलिए सर्कुलेट नहीं हुआ है....

श्री मानिकचन्द सुराना : तो साइक्लोस्टाइल करवा लीजिए, उससे काम चल जाएगा।

श्री दामोदर दास आचार्य : इसी विधेयक के सिलसिले में केन्द्र सरकार भी बिल्कुल ऐसा ही एक्ट लाने का कर रही है इसीलिए वहां विचार होने की वजह से वहां से मन्जूरी नहीं मिली, जैसा मुझे मालूम हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब यह युनानिमसली तय कर लिया तो आज आया कैसे नहीं ?

श्री देवीसिंह भाटी : तीन सत्र निकाल दिये ये बातें कहकर।

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, यह पिछले सत्र में आने वाला था। कल्ला जी खड़े हो गये थे कि इसी सत्र में हम ले लेंगे। उसके बाद तीन महीने का पीरियड मिला। अध्यक्ष महोदय, अगर यह पास होता है तो इससे राजस्थान के हजारों शिक्षकों को प्रोविडेंट फण्ड मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मनचाहे जब मास्टर रखते हैं और मन चाहे तब निकाल देते हैं....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर–ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार लाएगी तो फिर दुबारा ले आएंगे लेकिन अभी तो लाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार की कहीं भी मंशा नहीं है कि विधेयक यहां पर नहीं आये और डिस्कस नहीं हो। सलेक्ट कमेटी में सभी दलों के माननीय सदस्य होते हैं उन्होंने खुद डिस्कस किया है। सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट यहां पर पेश हो गई है। लेकिन जिस प्रकार की दो दिक्कतें हैं, कल बैठक के वक्त में नहीं बताई गई। उस समय मालूम पड़ जाती तो उस पर आप ही निर्णय ले लेते। एक तो यह था कि प्रिंट नहीं हुई है। दूसरा, इसी तरह का एक विधेयक भारत सरकार लाने वाली है। उसकी स्वीकृति यहां पर नहीं आई है, यह अगर कल मालूम पड़ जाता तो यह स्थिति शायद आपको कल मालूम पड़ जाती। यह दो टेक्नीकल हेचेज हैं इनको बाहर ट्रेस आउट कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दोनों की व्यवस्था हो सकती है।

श्री दामोदरदास आचार्य : हम प्रेसिडेंशिल अप्रूवल के लिए केन्द्र सरकार से प्रयास कर रहे हैं और अगर आ जाती है तो निश्चित रूप से हम इसको लागू कराने की बात कर रहे हैं। इसीलिए बिजनस एडवाइजरी कमेटी में इसका किया था। अभी भी प्रयास कर रहे हैं। कल भी फोन लगवाया था। उसके बिना पास नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं भी इस प्रयत्न में लगा हूं कि वहां से स्वीकृति मिल जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप विधि के बहुत जानकार हैं। मुझे बता दें कि बिल में प्रेसीडेंट की सेंक्शन की आवश्यकता कहां पड़ती है ? जहां तक प्रिंट का सवाल है इसकी साइक्लोस्टाइल प्रतियां निकलवाई जा सकती हैं। सबसे बड़ी आपत्ति मेरी, मुख्य मन्त्री जी ने स्वीकार की है वह यह है कि बी. ए. सी. में तय हो जाय और हाउस से इसको छिपाया जाय। यह बहुत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही आपत्तिजनक चीज है। हम विश्वास के अन्दर काम करते हैं....

श्री शिवचरण माथुर : सरकार छिपा नहीं रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बी. ए. सी. में लिखकर भी विथड्रा कर सकते थे ?

श्री शिवचरण माथुर : कब बी. ए. सी. के सामने यह बात नहीं आई। कल वहां यह बात होती तो इसका निदान कल ही निकल जाता।

श्री शोपत सिंह : यह मालूम नहीं था क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : नहीं आयी थी। यह स्थिति है जो आपको बताई गई है।

श्री नाथूसिंह : यह सरकार इतनी ही जागरूक है क्या कि उसको पता ही नहीं रहता मन्त्री जी को कि उनके विभाग में क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कीजिये कोई। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : विधेयक को नहीं लाने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं अगर चाहे तो वह....

श्री हीरालाल आर्य : निजी शिक्षण संस्थाओं का दबाव है क्या ? अध्यक्ष महोदय, आखिर सरकार लायेगी कब इस विधेयक को ? (व्यवधान) हमें डेट तो बतायें कि कब लायेगी सरकार।

श्री अध्यक्ष : वह सप्लीमेण्टरी कर रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : 5-5 साल हो गये विधेयक को प्रस्तुत हुए मगर सरकार कुछ निर्णय पर पहुंचती ही नहीं है। निजी शिक्षण संस्थाओं के दबाव में आकर सरकार इस विधेयक को लाना नहीं चाहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का नहीं लिखेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : XXX

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इन निजी शिक्षण संस्थाओं की मोनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और क्या यह सही है कि इन निजी शिक्षण संस्थाओं के दबाव में आकर ही राज्य सरकार इस विधेयक को बार-बार डिले कर रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है....

श्री नाथूसिंह : इसलिए इसको दबाओ...

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शिवचरण माथुर : मोनीटरिंग की व्यवस्था की गई है।

श्री नाथूसिंह : हम यही चाहते हैं कि इन निजी शिक्षण संस्थाओं में....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसी विधान सभा के सत्र में क्यों नहीं लाया जा रहा है ? इसको क्यों टाला जा रहा है। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : कोई दबाव नहीं है, निजी शिक्षण संस्थाओं का कोई दबाव नहीं है। सरकार की मन्शा है इसे लाने की।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार की कई बार मन्शा होने पर भी ला नहीं रही है। केवल मन्शा ही करती है। यह मन्शा इनकी साफ नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, सरकार की मन्शा तो इस विधेयक को नहीं लाने की है।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा कौन सा दबाव है जिसके कारण से यह नहीं लाया जा रहा है ? स्पष्ट रूप से सरकार पर कोई दबाव है, बाहरी दबाव है।

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार को तो बोफोर्स कमीशन की भी इच्छा नहीं थी पर उसे जबर्दस्ती दिला दिया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मानिकचन्द सुराना : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : नो पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्न काल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष जी, इसमें यह कोई प्रेसीडेन्शियल सैंक्शन का सवाल नहीं है। प्रेसीडेन्शियल सैंक्शन....

श्री प्रभुदयाल मीणा : पहले मंत्री जी का जवाब तो सुन लो+++

श्री मानिकचन्द सुराना : विधेयक की सैंक्शन बाद में हो जायेगी, बिल को जब हम पास करेंगे इसके बाद में प्रेसीडेण्ट की सैंक्शन हो सकती है और जहां तक रिपोर्ट नहीं छपने का सवाल है आप साइक्लोस्टाइल करवा कर मैम्बर्स को सर्क्युलेट करवा दीजिये और इस तरह से इस बिल को इस विधान सभा में ले आइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप निश्चित आश्वासन दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराना : हम चाहते हैं कि यह इसमें आये और माननीय मंत्री जी आश्वासन दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, आप निश्चित आश्वासन दीजिये कि इसी सत्र में आप लायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय,

---

+++ अभिव्यक्ति-माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

शिक्षा के बारे में नियम बनाने में स्वतन्त्र हैं।

श्री दामोदरदास आचार्य : आप सुनेंगे जो जवाब....

श्री भंवरलाल शर्मा : निश्चित आश्वासन चाहिये इसी सत्र में लायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री दामोदरदास आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चूंकि शिक्षा जो है कान्कटेन्ट लिस्ट में है इसलिए हम हमेशा वहां से सैन्ट्रल गवर्नमेण्ट से एप्रूवल लेकर के इसको लाते हैं और उसमें यह भी नहीं कि जैसा माननीय मानिक चन्द जी ने कहा कि जिसकी एप्रूवल तो बाद में हो सकती है इससे मैं सहमत हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं हमने चूंकि इसके प्रिकाशन लिये थे। मैंने कहा वह आ जायेगी और हम प्रयत्न बराबर कर रहे हैं कि वहां से आ जावे। आप इसको सकुंलेट कर दीजिये, इसके अन्दर इसको ले आइये। हम तो इसको चाहते हैं कि इसको आप इसी सत्र में पास करें। अभी तो इसको सकूंलेट करवा दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब लायेंगे यह बतायें, निश्चित समय बताइये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : निश्चित समय चाहिये।

श्री हीरासिंह चौहान : हजारों शिक्षक तकलीफ पा रहे हैं, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, वे बार-बार धरना दे रहे हैं, उनका भविष्य बिल्कुल अन्धकार में पड़ा है। उनको निकाल दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सलेक्ट कमेटी ने कोई बिल निकाल कर विधान सभा के पटल पर रखा है। हमारी मन्शा लाने की है। (व्यवधान) हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी मन्शा होती तो आप पहले शिक्षा मंत्री थे आप ले आते, आपको किसने रोका।

श्री हीरासिंह चौहान : संस्थाओं को बचाना चाहते हो। क्यों नहीं लाना चाहते ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने सदन के पटल पर रखा है।

श्री हीरासिंह चौहान : आप शिक्षण संस्थाओं का पक्ष ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री माणक डाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बी. डी. कल्ला साहब पिछली बार यह बिल लाने के लिए तैयार थे....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब कल्ला साहब पिछली बार सदन में ला रहे थे तो अब फिर यह मामला सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट का कहां से आ गया ?

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में ला रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी सत्र में ला रहे हैं क्या ?

श्री दामोदरदास आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से भी मंगा रहा हूं और इसी सत्र में इसको लाया जायेगा

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बता दीजिये आप, एक जवाब तो दिलवा दीजिये, एक जवाब यह दिलवा दीजिये कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मन्शा तो इसी सत्र में लाने की है, इसी सत्र में लाया जायेगा यह कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो प्रश्न हैं। इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय हुआ उस निर्णय के अनुसार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में क्यों नहीं रखी गयी है ? यह आपको तय करना है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने गोलमोल बात कही। आप स्पष्ट कह दीजिये कि 24 तारीख को जो लेजिसलेटिव बिजनेस है उसमें शामिल किया जा रहा है। सर्कुलेट कब होंगे ? असेम्बली सेक्रेटरी सर्कुलेट की व्यवस्था करवायेंगे।

श्री दामोदरदास आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में शामिल कर निश्चित तौर से हम लाना चाहते हैं। इसको लिस्ट में शामिल करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट-1 देखिये।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिलाधीश कार्यालयों को समाप्त किया जाना

648. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया था जिसके अन्तर्गत कुछ सहायक जिलाधीश कार्यालयों को समाप्त किया गया था एवं कुछ नये खोले गये थे ? यदि हां, तो कौन कौन से बन्द किये व नये खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उनियारा सहायक जिलाधीश का कार्यालय यथावत रखने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार के समक्ष उनियारा क्षेत्र की जनता व स्थानीय प्रतिनिधि ने एक ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि इस कार्यालय को नहीं हटाया जावे और इसे स्थायी करने के आदेश दिये जावें ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

उत्तर

(1) गत वर्ष (1988) में मकराना में सहायक कलक्टर एवं कार्यालय दण्डनायक का नया कार्यालय स्थापित किया गया था।

Page No. 11

(11)

(राजस्व मंत्री)

उक्त वर्ष में चिड़ावा, बूंदी, अकलेरा धौलपुर, उनियारा एवं केकड़ी में स्थापित सहायक कलक्टर एवं कार्यालय दण्डनायक के कार्यालयों को बन्द करने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भवानीमण्डी (झालावाड़), बाड़ी (धौलपुर) एवं सूरतगढ (गंगानगर) में स्थापित सहायक जिला कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायकों के न्यायालयों को क्रमोन्नत कर उपखण्ड अधिकारियों के न्यायालयों में परिवर्तित कर दिया गया था ।

तदुपरान्त जन आवश्यकता एवं प्रशासनिक कारणों से उपरोक्तानुसार समाप्त किये गये सहायक कलक्टर एवं कार्यालय दण्डनायक के न्यायालयों में से उनियारा (टोंक) एवं धौलपुर के न्यायालयों को अग्रिम आदेशों तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया ।

(2) जी हां । चाही गई अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

(3) उपरोक्त निर्णयानुसार उनियारा में ए. सी. एम. का न्यायालय यथावत कार्य कर रहा है ।
(अधिसूचना के लिए परिशिष्ट–2 देखें ।)

झुन्झनू जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय में दोहरा प्रशासन

649. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :** क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या झुन्झनू जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभी तक दोहरा प्रशासन चल रहा है ? यदि हां, तो कब तक इन्हें पृथक पृथक कर दिया जावेगा ?

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विद्यालयों में कब से कितने अध्यापक-अध्यापिकाओं की कमी चल रही है ? अब कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ? विद्यालयवार सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विद्यालयों में अध्यापक/ अध्यापिकाओं के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । नियुक्ति पर से प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी । (सूची के लिए परिशिष्ट–3 देखें ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 650
(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र इटावा में लघु पन विद्युत योजना

651. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा ग्राम में लघु पन विद्युत योजना प्रारम्भ किये जाने का विचार है ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ? तथा इस पर कुल कितनी

Page No. 12

(12)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

विद्युत उत्पादन किये जाने का लक्ष्य है तथा इस पर कुल कितनी रकम खर्च की जानी है ?

(3) क्या उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार जनहित में उक्त योजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कोटा जिले में चम्बल प्रोजेक्ट की दायीं मुख्य नहर की इटावा ब्रांच नहर पर, गनेशगंज ग्राम के पास, लघु पन विद्युतगृह स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । यह योजना 500 किलोवाट क्षमता की एक विद्युत उत्पादन इकाई लगाये जाने के लिये स्वीकृत है। इसमें औसत 19.32 लाख यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन किये जाने का लक्ष्य है । योजना की स्वीकृति लागत 109.37 लाख रुपये है।

(3) योजना के मुख्य उत्पादन यन्त्र को क्रय करने का आदेश जनवरी, 1987 में दे दिया गया है तथा इसके कुछ भाग प्राप्त हो चुके हैं। योजना के लिये जमीन की अवाप्ति हेतु कार्यवाही चल रही है । भूमि अवाप्ति के लिए संशोधित प्रस्ताव भूमि की जरूरत कम से कम रखते हुए तैयार कर लिये गये हैं तथा आगे कार्यवाही की जा रही है । भूमि अवाप्ति के पश्चात् सिविल निर्माण कार्य संभव होगा । इस योजना के सिविल कार्य की डिजाइन कन्सलटेन्सी केन्द्रीय जल आयोग लेने को तैयार है लेकिन विद्युत कार्यों की डिजाइन कन्सलटेन्सी लेने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को आपत्ति है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इस कार्य की कन्सलटेन्सी देने के प्रयास जारी हैं।

(4) जी हां, कार्यवाही प्रक्रिया में है।

ढींगसरी (लाडनूं) के पूर्व सरपंच से वसूली

652. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ढींगसरी तहसील लाडनूं जिला नागौर के विरुद्ध पी.डी. आर. एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही तहसीलदार लाडनूं के पास है ? यदि हां, तो कब से कितनी राशि वसूली है ?

(2) अब तक वसूली की क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी राशि वसूल की गई ? यदि वसूल नहीं की तो क्यों और अब कब तक वसूल कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) श्री दयालराम भू.पू. सरपंच ग्राम पंचायत ढींगसरी तहसील लाडनूं में पी. डी.आर. एक्ट के तहत कोई मामला विचाराधीन नहीं है। बल्कि एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत रुपये 1426/- की

(राजस्व मन्त्री)

वसूली हेतु मामला दिनांक 8-11-88 से लम्बित है।

(2) बकाया राशि की वसूली हेतु तहसीलदार लाडनूं द्वारा बाकीदार के विरुद्ध एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 15-11-88 को जारी किया गया। लेकिन वसूली शून्य रही है क्योंकि राजस्व अपील अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक आर ए.ए. लिंग/ नागौर, 88 दिनांक 15–11–88 द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगन आदेश जारी किया गया है। अतः जब तक स्थगन आदेश निरस्त नहीं किया जाता है तब तक वसूली नहीं की जा सकती है।

महाधिवक्ता जयपुर के कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक

653. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) महाधिवक्ता राजस्थान जयपुर के कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यालय में उक्त पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो वहां पर कार्यरत वरिष्ठ अनुसूचित जाति के व्यक्ति को क्यों हटाया गया है ? अन्य वर्ग के उससे कनिष्ठ व्यक्ति को क्यों नहीं हटाया गया ?

उत्तर

(1) महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक का एक ही पद स्वीकृत था जो दिनांक 6–7–1989 को समाप्त किया जा चुका है।

(2) कार्यालय अधीक्षक का एक ही पद होने के कारण इस पर आरक्षण लागू नहीं होता। इसलिए अन्य प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

मंडी समिति अजमेर द्वारा कच्ची सड़क के निर्माण

654. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पीसांगन, ग्राम दांतड़ा से जेठाना तक मंडी समिति, अजमेर ने एक कच्ची सड़क का निर्माण करवाया है ?

(2) क्या यह सही है कि दांतड़ा और उसके आस-पास के ग्रामों की अधिकतर कृषि उपज इसी मार्ग से ब्यावर शहर को जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि दांतडा से जेठाना की कच्ची सड़क अपूर्ण होने के कारण बैलगाड़ियां नहीं चल पाती हैं ? यदि हां, तो क्या मंडी समिति, अजमेर कृषकों की इस समस्या के समाधान के लिए इस सड़क का शीघ्र निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। दांतड़ा ग्राम व उसके आस–पास के गांवों की कृषि उपज अजमेर मण्डी में विक्रय हेतु आती है।

(कृषि मन्त्री)

(3) कच्ची सड़क होने से यद्यपि बैल–गाड़ियों के आवागमन में असुविधा नहीं होती है, पर वर्तमान वित्तीय साधनों से मण्डी समिति, अजमेर द्वारा इस सड़क का निर्माण फिलहाल कराया जाना संभव नहीं है।

पाली जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत

655. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में शिक्षा विभाग की ओर से प्रथम वरीयता के अनुसार किस–किस तहसील में कौन–कौन से उच्च प्राथ–मिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में प्राथमिक विद्यालयों में से किस-किस पंचायत समिति में कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की श्रेणी में जा रहे हैं ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव निदेशक, प्राथ–मिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से अपेक्षित हैं।

(2) पाली जिले में प्राथमिक विद्या–लयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव राज्य के अन्य जिलों के प्रस्तावों के साथ विचाराधीन हैं।

ग्राम पंचायत नरवर के गांवों में घरेलू कनेक्शन

656. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नरवर के ग्राम भवानी खेड़ा, मानपुरा की ढाणी, कायमपुरा तथा ग्राम पंचायत देव–नगर के ग्राम नेवलिया एवं ग्राम पंचायत खोरी के ग्राम कंवलाई के ग्रामवासियों ने बड़े लम्बे समय से अपने घरों में कनेक्शन लेने हेतु विद्युत् विभाग में अपनी पत्रा–वलियां जमा करवाई हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने इनके डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब कब तक ग्रुप सिस्टम योजना बनाकर इनके डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) ग्राम भवानी खेड़ा, मानपुरा की ढाणी तथा कायमपुरा ग्राम नरवर के ही भाग हैं जिनके विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र ग्राम नरवर के नाम से ही लिए जाते हैं। ग्राम नरवर में 65 घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र सितम्बर, 86 से लम्बित हैं। ग्राम पंचायत देवनगर के ग्राम नेडलिया में वर्तमान में 2 घरेलू कनेक्शन्स के आवेदन पत्र जनवरी, 85 से लम्बित हैं। ग्राम पंचा-यत खोरी के ग्राम कंवलाई में एक घरेलू

(ऊर्जा मन्त्री)

कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र मार्च, 89 से लम्बित है।

(2) ग्राम नरवर के भाग कायमपुरा की 46 घरेलू कनेक्शन की पत्रावलियों की एक ग्रुप स्कीम तैयार की गई है जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है तथा शीघ्र ही डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिए जायेंगे।

ग्राम पंचायत देवनगर के ग्राम नेडलिया में घरेलू कनेक्शन की 24 पत्रावलियां लम्बित थीं, जिनमें 22 पत्रावलियां डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा नहीं कराने के कारण निरस्त कर दी गयीं। वर्तमान में 2 आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनके तखमीने बनाये गये हैं, डिमाण्ड नोटिस जारी किए जायेंगे।

ग्राम कंवलाई में एक पत्रावली मार्च, 89 को प्राप्त हुई है, जिसका तखमीना बनाकर डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिया जायेगा।

(3) ग्राम नरवर में कायमपुरा भाग के 46 आवेदकों के आवेदन पर ग्रुप स्कीम बनाई गई है जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है तथा शीघ्र ही डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिए जायेंगे।

अतारांकित प्रश्न संख्या 657
(स्थगित)

नये उद्यमी को उद्योग हेतु भू-खण्ड

658. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार जो नये उद्यमी शीघ्र उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें भू-खण्ड प्राथमिकता के आधार पर देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जयपुर नगर के पांचों औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि दे रही है तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नये उद्यमियों से भूखण्ड का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर भूखण्ड उपलब्ध होने की स्थिति में आवंटन तुरंत कर दिया जाता है। भूखण्ड का आवंटन "प्रथम आवत प्रथम पावत" के आधार पर किया जाता है। नये उद्यमी जो शीघ्र उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें भूखण्ड का आवंटन 100% विकास शुल्क की राशि जमा करवाने पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

सामान्यतः औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता वित्तीय संस्थाओं राजस्थान वित्त निगम, बैंकों द्वारा दी जाती है केवल वृहत् उद्योगों के आवश्यक मामलों में यथा प्रस्तावित इकाई एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर रीको द्वारा सहायता दी जाती है जिसके लिए कोई प्रस्ताव इन क्षेत्रों का रीको के पास विचाराधीन नहीं है।

(2) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पांचों औद्योगिक क्षेत्रों में 645 औद्योगिक इकाइयों को 21.64 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। औद्योगिक

(उद्योग मन्त्री)

क्षेत्रानुसार विवरण निम्न प्रकार है:–

औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	राशि
1. बाइस गोदाम औ. क्षेत्र	21	49.60
2. सुदर्शनपुरा औ. क्षेत्र	12	40.93
3. झोटवाड़ा औ. क्षेत्र	34	314.00
4. मालवीया औ. क्षेत्र	55	196.00
5. विश्वकर्मा औ. क्षेत्र	523	1563.00
योग	645	2163.53

पं.स. पीसांगन में उच्च प्राथमिक (कन्या) विद्यालय

659. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पं.स. पीसांगन के ग्राम तिलोरा में उ.प्रा.वि. (कन्या) चल रहा है ?

(2) क्या इस विद्यालय में 80 प्रतिशत छात्र और केवल 20 प्रतिशत छात्राएं अध्ययन करती हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह विद्यालय कन्या होने के कारण यहां की शिक्षक सभी स्त्री वर्ग से लगी हुई हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि अध्यापिका स्त्री होने के कारण बहुत बालक वर्ग को अनुशासन में रखना बहुत कठिन हो जाता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि अधिकतर अध्यापिका अजमेर शहर की रहने वाली हैं और अजमेर से रोजाना आती जाती हैं ? 30 कि.मी. लम्बी दूरी होने के कारण विद्यालय में समय पर नहीं आ पाती हैं जिसके कारण बालक बालिकाओं के अध्ययन में बाधा होती है ?

(6) क्या उपरोक्त सभी परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये सरकार इस रा. कन्या उ.प्रा. विद्यालय को उ.प्रा.वि. छात्र में बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस विद्यालय में 29 प्रतिशत छात्रायें और 71 प्रतिशत छात्र अध्ययनरत हैं।

(3) जी हां। कन्या विद्यालय होने के कारण सभी शिक्षक स्त्री वर्ग की लगी हुई हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। सभी अध्यापिकायें ग्राम तिलारा में निवास करती हैं अत: अध्ययन में बाधा का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) जी नहीं। तिलोरा से पुष्कर मात्र लगभग 3 कि.मी. दूर है जहां लड़कों के लिए सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर तक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। गांव तिलोरा पुष्कर मेड़ता के मुख्य मार्ग पर है जो पक्की

(शिक्षा राज्य मन्त्री)

सड़क से जुड़ा है एवं बस आदि के साधन सुलभ हैं।

राज्य के खर्चों के पुनरीक्षण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन

660. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने अपने सभी खर्चों के संबंध में पुनरीक्षण हेतु किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो कब तथा इसके सदस्य कौन–कौन हैं ?

(2) इस समिति द्वारा क्या–क्या सिफारिशें की गयीं तथा उनका किस सीमा तक पालन किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश सं. प. 5 (43) प्र. सु.–3/87 दिनांक 15.12.87 द्वारा एक उच्च स्तरीय पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जैन, आयुक्त एवं सचिव, इन्दिरा गांधी नहर विभाग हैं। अन्य सदस्य आयुक्त एवं विशिष्ट सचिव, आयोजना; विशिष्ठ सचिव, वित्त तथा संबंधित विभाग के सचिव हैं। विशेषाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग समिति के सदस्य सचिव हैं।

(2) पुनरीक्षण समिति द्वारा विभागों के परीक्षण हेतु 45 बैठकें आयोजित की गई जिनमें 28 विभागों का परीक्षण किया गया। समिति ने इन विभागों के लगभग 4 हजार पदों को समाप्त करने तथा 1987–88 में 45 करोड़ एवं 1988–89 में 25 करोड़ की बजट में कमी करने की सिफारिश की। साथ ही वाहनों एवं टेलीफोन की भी कटौती की सिफारिश की गई। जिनमें से अब तक 3 हजार से अधिक पद समाप्त किये जा चुके हैं।

इन्द्रगढ़ में तहसील

661. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ को कोटा से बूंदी जिले में मिलाते समय इन्द्रगढ़ में तहसील खोलने का आश्वासन दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो इन्द्रगढ़ में अभी तक तहसील न खोलने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन्द्रगढ़ में तहसील नहीं खोलने से वहां की जनता में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में शीघ्र इन्द्रगढ़ अतिरिक्त तहसील को पूरी तहसील का दर्जा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई आश्वासन रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

(2) उपरोक्त के मद्दे नजर प्रश्न नहीं उठता।

(3) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(राजस्व मन्त्री)

(4) इन्द्रगढ़ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का औचित्य नहीं है।

अतारांकित प्रश्न सं. 662
(स्थगित)

ग्रामीण विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती

663. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को भवन निर्माण, राज्य बीमा, पेन्शन व राज्य सेवाओं में जाने की सुविधाएं देती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब कब तक ये सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप भवन निर्माण ऋण, राज्य बीमा, पैंशन प्राप्त करने व राज्य सेवाओं में जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गठित स्वशासी संस्थान हैं। इनके कर्मचारी राजकीय कर्मचारियों की संज्ञा में नहीं आते। फिर भी अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को वेतन तथा अधिकांश भत्ते राज्य कर्मचारियों के समकक्ष दिये जा रहे हैं। भवन निर्माण ऋण, राज्य बीमा, पैंशन आदि की सुविधाओं से संबंधित मांग लम्बित है।

जयपुर की सरकारी शिक्षण संस्थाएं

664. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर नगर में कितनी सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं और क्या सभी संस्थाएं सरकारी भवनों में चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थाओं के सरकारी भवनों में मरम्मत व अन्य विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की है ? यदि हां, तो शिक्षण संस्थानुसार जो वहां अभाव है सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर की कई राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कराने के लिए अध्यापक व आवश्यक उपकरण अध्यापन कराने हेतु उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में 242 राजकीय शिक्षण संस्थाऐं हैं। सभी शिक्षण संस्थाऐं राजकीय भवनों में नहीं चल रही हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मरम्मत योग्य एवं अभाव वाली संस्थाओं का विवरण उपरोक्त सूची में उल्लेखित कर दिया गया है।

(शिक्षा राज्य मन्त्री)

(3) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

केशवरायपाटन जिला बूंदी के ग्रामों का विद्युतीकरण

665. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि केशवरायपाटन जिला बूंदी विधान सभा क्षेत्र के गरजनी (हिंगोनियां) एवं ढीमली नगरपालिका कापरेन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो कब इन गांवों के विद्युतीकरण पर कितना व्यय किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में किसी प्रकार की कोई विद्युत व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकार मात्र कागजी प्रगति दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

(4) अब राज्य सरकार इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक करेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केशवरायपाटन तहसील जिला बूंदी के ग्राम गरजनी कोड नं. 24/4/131 एवं ढीमली कोड नं. 24/4/153 (1971 सेनसस) को दिनांक 31.3.82 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में नॉन–पोटेन्शियल श्रेणी के स्वीकृत ग्राम होने के कारण विद्युतीकृत घोषित किया गया है। ग्राम हिंगूंन्या (कोड नं. 24/4/130) एक पृथक स्वीकृत ग्राम है। उक्त ग्राम का विद्युतिकरण अभी नहीं हुआ है।

(2) ग्राम गरजनी एवं ढीमली दोनों नॉन–पोटेन्शियल ग्राम हैं। इस श्रेणी के ग्राम के विद्युतीकरण के लिये योजना में व्यय का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। अतः इनके विद्युतीकरण पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(3) जी हां। नॉन–पोटेन्शियल श्रेणी के गांवों में लोड (मांग) नहीं होने के कारण उन्हें विद्युतीकृत घोषित कर दिया जाता है ताकि भविष्य में मांग होने पर ऐसे गांवों में कनेक्शन्स दिये जा सकें। अतः विद्युतीकृत घोषित करते समय इन गांवों में पृथक रूप से विद्युत लाइनों का विस्तार नहीं किया जाता। इस प्रकार के विद्युतिकृत घोषित उपरोक्त ग्रामों में कोई व्यय नहीं किया गया है, ना ही किसी सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है और न ही कोई इसके लिये दोषी है। ग्राम ढीमली वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार कापरेन टाउन कोड नं. 24/4/ में समायोजित किया गया है।

(4) ग्राम पहिले से ही विद्युतिकृत घोषित है। इन ग्रामों में विद्युत कनेक्शन की मांग के आधार पर विद्युत लाइन का विस्तार करके कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

Page No. 20

(20)

इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय

666. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि केसों की संख्या, जिले से दूरी, भौगोलिक परिस्थिति, बरसात में रास्ता अवरुद्ध हो जाने तथा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के गरीब व्यक्तियों की बहुलता की दृष्टि में एवं सुलभ न्याय दिलाने तथा भवन की उपलब्धता आदि कारणों से पीपल्दा तहसील की इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की मांग समय-समय पर होती रही है ?

(2) यदि हां, तो उक्त स्थान पर अभी तक सहायक जिलाधीश कार्यालय नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार जनहित में इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय शीघ्र खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र के विचाराधीन मुकद्मों की संख्या को देखते हुए इटावा में नया ए. सी. एम. का कार्यालय (न्यायालय) स्थापित करने का औचित्य नहीं है ।

(2) भाग एक में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

भरतपुर जिले में अवैध वाहन

667. **श्री सम्पतसिंह** (नगर), **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाईमाधोपुर) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण किसान** (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

राज्य सरकार की जानकारी में भरतपुर जिले में कुल कितने वाहन अवैध रूप से चल रहे हैं ? तहसीलवार मय किस्म–मोडल सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

ऐसे कुल वाहनों का अनुमान नहीं है अतः इन वाहनों की तहसीलवार मय किस्म–मोडल की सूची दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि कोई वाहन अवैध रूप से चलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

पाली जिले में शिक्षकों के रिक्त पद

668. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) व **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) पाली जिले में सीनियर हायर सैकण्डरी, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, लेब बॉय पी. टी. आई. चपरासी एवं चौकीदार के कितने-कितने पद किस किस तारीख से क्यों रिक्त पड़े हैं ? विद्यालय अनुसार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त प्रकार के रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिये विभाग क्या कार्यवाही

(श्री हीरासिंह चौहान)

कर रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में, रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नियुक्ति पर लगा प्रतिबन्ध हटाने के पश्चात पूर्ति की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

सहायक जिला कलक्टर द्वारा पारित अनियमित डिक्री

669. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहायक जिला कलक्टर नांवा द्वारा ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 622 की 3 बीघा भूमि के बजाय 30 बीघा भूमि करने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में गड़बड़ी व अनियमितता होना राज्य सरकार ने स्वीकार किया है ? यदि हां, तो उक्त सहायक जिला कलक्टर नांवा के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है तथा इस प्रकरण में 27 बीघा सरकारी भूमि सरकार अपने कब्जे में लेने की क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या ग्राम नांवा के खसरा नं 406/2 के राजस्व वाद संख्या 59/85 में बनवारीलाल पारीक का नाम गैर कानूनी रूप से शामिल करने से हुई अनियमितता बाबत जिला कलक्टर, नागौर ने अब तक आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही की है ? यदि हां, तो उसके निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें ; यदि नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं की व अब कब तक करने का इरादा है ?

(3) कुचामन सिटी खसरा नं. 79 रकबा 47 बीघा 8 बिस्वा भूमि का खतोनी में प्रतापसिंह खोले हरीसिंह का नाम अवैध रूप से दर्ज करना व राजा प्रतापसिंह द्वारा 28-4-1983 को इस सरकारी भूमि को इस्माइल पुत्र नजीर मणियार एवं श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाट के नाम बेचान करने के विरुद्ध अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? इस प्रकरण में क्या सरकार फौजदारी केस दर्ज करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उपरोक्त प्रकरणों से सम्बंधित भूमि के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही कर जिन लोगों के नाम अवैधानिक रूप से हो गई है उन्हें निरस्त करने में समय लगे तब तक राज्य सरकार इन जमीनों को तुरन्त कुर्क करा कर सरकारी कब्जे में लेकर यथा स्थिति बनाये रखने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तत्कालीन सहायक कलक्टर नावां द्वारा ग्राम नांवा के खसरा नं 622 की 3 बीघा भूमि के बजाय 30 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित डिक्री को निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार नावां ने रेफरेंस का

(राजस्व मंत्री)

प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर नागौर के न्यायालय में पेश किया जो प्रकरण संख्या 12/89 दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए हैं जिनकी आगामी पेशी दिनांक 1.9.89 निश्चित है। तथा इस प्रकार की गई कार्यवाही के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला सहायक कलक्टर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। रेफरेंस का निर्णय होने पर ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(2) कस्बा नांवा के ख.नं. 406/2 के राजस्व वाद सं. 59/85 में सहायक कलक्टर नांवा ने दिनांक 26.4.85 को डिक्री पारित की जो वैधानिक रूप से सही नहीं होने से उसे निरस्त कराने हेतु तहसीलदार नांवा ने काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत रेफरेंस का प्रकरण अति. कलक्टर के न्यायालय में पेश किया जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसकी आगामी पेशी दिनांक 18.8.89 को वास्ते जवाब व सबूत पेश करने निश्चित है। निर्णय निरस्त करने के लिए रेफरेंस का प्रकरण विचाराधीन है उसके निर्णय के पश्चात् ही निर्णय के अनुसार ही आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(3) ग्राम कुचामनसिटी के ख.नं. 79 रकबा 47 बीघा 6 बिस्वा भूमि का खतोनी में प्रतापसिंह खोले हरिसिंह का नाम अवैधरूप से दर्ज करने व राजा प्रतापसिंह द्वारा इस सरकारी भूमि को इस्माइल पुत्र नजीर एवं श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाट को विक्रय करने के फलस्वरूप नामान्तरकरण सं. 862 भरा गया। इस अवैध इन्द्राज को निरस्त कराने हेतु रेफरेंस का प्रकरण सरकार बनाम चांदमल वगैरह अतिरिक्त कलक्टर नागौर के न्यायालय में दिनांक 2.11.87 को दर्ज रजिस्टर मु.नं. 100/87 किया गया है जो अभी अप्रार्थीयान के नोटिस की तामील में चल रहा है। इस प्रकरण में तारीख पेशी 11.8.89 दी हुई है। रेफरेंस का निर्णय होने के पश्चात् ही इसमें निर्णय अनुसार आगे कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(4) उपरोक्त तीनों ही मामले न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया में चल रहे हैं, और जब तक इनका निर्णय गुणावगुण के आधार पर अन्तिम रूप से नहीं हो जाता, इससे पूर्व न्यायिक मामलों में दस्तन्दाजी किया जाना कानूनी तौर पर उचित नहीं है।

सुजानगढ़ में आई.आर.डी. स्कीम के तहत गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र

670. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने आई.आर.डी. स्कीम के तहत सुजानगढ़ में गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सुजानगढ़ से गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की स्वीकृति चाहने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से प्रार्थना-पत्र कितनी-

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

कितनी तारीख को प्राप्त हुए हैं ? अब तक उन प्रार्थना–पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) उक्त केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी ? प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, एक प्रार्थना पत्र डा. अम्बेडकर गलीचा उत्पादन केन्द्र मार्फत खोमाराम पुत्र श्री नानूराम मेघवाल दुलिया बास, सुजानगढ़ जिला चूरु से दिनांक 5.5.89 को वि.यो. एवं ए.ग्रा.वि. विभाग में प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू को बिना अभियुक्ति के इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था। इसलिए योजना सक्षम है या नहीं की जांच करने एवं अधियुक्ति हेतु जि.ग्रा.वि. अभिकरण चूरू को दिनांक 24.5.89 को लिखा गया। जि.ग्रा.वि. अभिकरण, चूरू ने उनके पत्र दिनांक 23.6.89 द्वारा सूचित किया है कि योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है जानकारी प्राप्त होते ही सूचना भिजवा दी जावेगी।

(3) अभी केन्द्र स्वीकृत ही नहीं हुआ है इसलिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार की तरफ से रोजगार प्राप्त करने हेतु आई.आर.डी. योजना के तहत ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

जयपुर जिले में शिक्षा विभाग में नियुक्तियां

671. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में शिक्षा विभाग में मार्च, 1988 से अप्रेल, 1988 तक किन किन संवर्गो में नियुक्तियां की गई हैं ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नियुक्तियां किये जाने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? प्रत्येक संवर्ग में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है एवं उनके विरुद्ध कितने आशार्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है ?

(3) यदि नियुक्ति विभाग की प्रक्रियानुसार नहीं की गई है तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली अपनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में मार्च, 88 से अप्रेल, 88 तक विभिन्न संवर्गो में की गई नियुक्तियों की आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नियोजन कार्यालय से प्रार्थना पत्र

(शिक्षा राज्य मंत्री)

मंगवाए जाकर नियुक्तियां की गई हैं। इस अवधि में प्रार्थना पत्र आमंत्रित नहीं किए गये। पूर्व में प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से इस अवधि में प्रत्येक संवर्ग में की गई नियुक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ग	नियुक्ति की गई
व.अ.	06
अध्यापक	50
प्रयोगशाला सहायक	2 मृत राज्य कर्मचारी
कनिष्ठ-लिपिक	3 मृत राज्य कर्म.
च.श्रे.क.	1 मृत राज्य कर्म.

(3) नियुक्तियां विभाग की प्रक्रियानुसार की गई हैं। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजलदेसर चूरू में सरस्वती प्रा. वि. को मान्यता

672. **श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़):** क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजलदेसर (चूरू) में सरस्वती प्राथमिक विद्यालय को जो एक गैर सरकारी विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय चलाने की अनुमति व मान्यता प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) यदि नहीं तो क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की भर्ती की जा रही है ? यदि हां, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सरस्वती उच्च प्राथमिक विद्यालय राजलदेसर को जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) चूरू द्वारा पूर्व प्रदत्त उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता के अन्तर्गत दो वर्ष के परिवीक्षण काल के लिए पुनः दिनांक 15.12.88 को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्रदान की गई है।

(2) उपरोक्त स्थिति वश कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 673
(स्थगित)

करौली महाविद्यालय में सेवारत व्याख्याता

674. **श्री शिवचरण सिंह (करौली) :** क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय करौली में कौन-कौन से व्याख्याता तीन वर्ष से अधिक समय से सेवारत हैं ?. सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ व्याख्याता लम्बे समय से वहां पदस्थापित हैं तथा वहां के प्रशासन में अनुशासनहीनता पैदा करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री शिवचरण सिंह)

(3) क्या लम्बे समय से पदस्थापित व्याख्याताओं को वहां से बदला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) लम्बे समय से पदस्थापित किसी भी व्याख्याता द्वारा प्रशासन में अनुशासन–हीनता पैदा करने की कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) यदि किसी व्याख्याता विशेष की शिकायत प्राप्त होगी तो उसे वहां से बदला जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 675
(स्थगित)

मिडिल स्कूलों में पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

676. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मिडिल स्कूलों में पार्ट टाइम व दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ–श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो नागौर जिले में कौन-कौन से मिडिल स्कूलों में ऐसे कर्मचारी कहां-कहां पर कब–कब से कार्यरत हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति जिला नियोजन कार्यालय से नाम मांगकर की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जगह खाली होने पर इनको प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि हां, तो गत चार वर्ष में इनमें से किन-किन को कब कब नियुक्त किया गया और अब कितने पद खाली हैं जिन पर इनको लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। नियुक्त कर्मचारियों की सूची संलग्न है तथा 18 पद रिक्त हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने की छूट

677. **श्री रघुवरदयाल गोयल** (रामगढ़) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य में स्वायत्त शासी संस्थाओं यथा नगरपालिका, पंचायतें आदि

(श्री रघुवर दयाल/गोयल)

में सेवारत कर्मचारियों को अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति प्रशासकीय सेवाओं की परीक्षा में बैठने की छूट है ? यदि हां, तो किन शर्तों और निबन्धनों के अधीन ?

(2) यदि अनुज्ञा नहीं है तो क्यों और राज्य सरकार इस दिशा में क्या सोच रही है ? चूंकि ऐसे कर्मचारियों की सेवायें अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन योग्य मानी जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। किसी भी स्वायत्त शासी संस्था का कर्मचारी या राज्य कर्मचारी जो प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियमों में उल्लिखित योग्यता पूर्ण करता हो, वह प्रशासकीय सेवाओं में सामान्य अभ्यर्थियों की भांति बैठ सकता है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतिस्पर्द्धा परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1962 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अराजपत्रित कर्मचारी ही अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों की भांति प्रशासनिक सेवाओं में उनके लिए निर्धारित 7% आरक्षित कोटा के अन्तर्गत 40 वर्ष की आयु तक परीक्षा में बैठ सकते हैं। 40 वर्ष की आयु तक परीक्षा में बैठने की छूट राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों को ही है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान किराये पर ली गई टैक्सियां

678. **श्री ग्यारसीलाल परिडवाल** (निवाई) : क्या यातायात (मोटर गैराज) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान मोटर गैरेज में दैनिक वेतन भोगी चालक होने के उपरान्त भी प्राइवेट टैक्सियां किराये पर ली गयीं ? यदि हां, तो उनका किराये के रूप में कुल कितना भुगतान करना पड़ा ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में दिनांक 10-5-1989 से 12-5-1989 तक टायरों की नीलामी की गयी ? यदि हां, तो कुल कितने टायरों की ? इससे कुल कितना रुपया मय सैल्स टैक्स के प्राप्त हुआ ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किराये की राशि 98,898/- रु. बनी है। इसमें कुल रु. 92058.00 राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(2) जी हां। कुल 6276 टायरों की नीलामी हुई। इन टायरों की नीलामी से कुल 6,00,320/- रु. मय सैलसटैक्स प्राप्त हुए।

नागौर में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत का कार्यालय

679. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर में विद्युत मण्डल द्वारा

Page No. 27

(27)

(श्री हरजीराम बुरडक)

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय कब खोला गया और वहां पर अधीक्षण अभियन्ता ने कब कार्यभार संभाला ?

(2) उक्त अधीक्षण अभियन्ता ने नागौर पद भार सम्भालने के बाद अब तक जिले में कहां-कहां का दौरा किया और उसमें किस–किस स्थान पर क्या-क्या कार्य किया और अपने कार्यालय में कब–कब रहे ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त यात्रायें किस–किस साधन से की गई और माहवार कितना–कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया ?

(4) उक्त अधिकारी ने अब तक कौन-कौन सी जिला स्तरीय बैठकों में भाग लिया ? तथा पंचायत समितियों की कौन–कौन सी बैठकों में भाग लिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय विद्युत मण्डल के आदेश संख्या 175 दिनांक 12–1–89 के तहत खोला गया था। अधीक्षण अभियन्ता नागौर ने दिनांक 14.1.89 को पद भार सम्भाला।

(2) अधीक्षण अभियन्ता नागौर ने पद भार सम्भालने के बाद जिन 2 स्थानों का दौरा किया और जिस-जिस स्थान पर गये तथा जो कार्य किया, उसका विवरण उनके माह जनवरी, 89 से जून, 89 तक के माहवार यात्रा कार्यक्रम में दर्शाया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। अधीक्षण अभियन्ता नागौर दिनांक 25 व 27 जनवरी, 89 एवं 26 व 27 मई, 89 को आकस्मिक अवकाश तथा 15 जून, 89 से 9 जुलाई, 89 तक उपार्जित अवकाश पर रहे। इनको छोड़कर लगभग सभी कार्यकारी दिवसों में वे नागौर वृत्त के कार्य पर ही रहे।

(3) उक्त यात्रायें जिस-जिस साधन से की गयीं उसका विवरण भी परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है। उन्हें अभी तक किसी यात्रा भत्ते का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

(4) अधीक्षण अभियन्ता नागौर ने दिनांक 15.1.89 से 14.6.89 तक विभिन्न जिला स्तरीय बैठकों में भाग लिया जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है। उन्होंने पंचायत समिति की किसी भी बैठक में उक्त कार्यकाल में भाग नहीं लिया।

क्र.सं.	मीटिंग का विवरण	दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	जिला परिषद मीटिंग	13.4.89	माननीय श्री रामनिवासजी मिर्धा, मन्त्री भारत सरकार की उपस्थिति में
2.	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	12.5.89	श्री राजेन्द्र चौधरी, ऊर्जा
3.	प्रशासन गांवों की ओर	,,	राज्य मंत्री राजस्थान

(ऊर्जा मन्त्री)

1	2	3	4
4.	जिला अभियोग	अभाव	12.5.89 द्वारा संचालित ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या 680
(स्थगित)

राज्य हाथकर्घा विकास निगम द्वारा बेचा गया माल

681. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा-महल) : एवं

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम ने वर्ष 1983, 84, 85, 86 में कितना माल स्वयं के माध्यम से व कितना एजेन्टों के माध्यम से बेचा ? वर्षवार एजेन्टों के नाम सहित बेचे गये माल का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कार्पोरेशन ने वर्ष 1984–85 तथा 1985–86 में स्वयं के माध्यम से तथा एजेन्टों के माध्यम से कपड़ा निम्न प्रकार बेचा गया:—

(लाख रुपये में)

वर्ष	स्वयं के माध्यम से	एजेन्टों के माध्यम से	कुल
84–85	196.84	91.98	288.52
85–86	262.56	66.14	328.70

वर्षवार एजेन्टों के माध्यम से बेचे गये माल के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

टोंक में एस. टी. सी. ट्रेनिंग सेण्टर

682. **श्री ग्यारसीलाल परिडवाल** (निवाई) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला टोंक में शिक्षा विभाग के तहत मात्र एक ही एस. टी. सी. ट्रेनिंग सेन्टर है ? यदि हां, तो जिला टोंक के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण का क्या कोटा आरक्षित है ?

(2) क्या अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिये भी कोटा रखा हुआ है ? यदि हां, तो कितना तथा क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । 45 सीटें टौंक जिले के लिए आवंटित हैं ।

(2) जी नहीं ।

राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव

683. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पिछले पन्द्रह वर्षों से कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव नहीं करवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मण्डी समितियों के चुनाव इस वर्ष करवाना चाहेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) राज्य में कुल कितनी मण्डी समितियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में स्वायतशासी संस्थाओं के चुनाव सम्भव नहीं होने के कारण मण्डी समितियों के चुनाव सम्भव नहीं हो सके। बाद में अधिनियम में कुछ संशोधन किये जाने की दृष्टि से चुनाव स्थगित रखे गये।

(2) कुछ नीतिगत प्रश्नों पर पुनर्विचार किये जाने के कारण संशोधन अपेक्षित है अतः उन पर निर्णय किया जाना है।

(3) राज्य की मण्डी समितियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बसवा जिला जयपुर की अध्यापिका का बकाया वेतन

684. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) एवं

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बार-बार उच्चाधिकारियों को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद श्रीमती कमला अवस्थी, सहायक अध्यापिका, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बसवा, जिला जयपुर को विगत ग्यारह माह से वेतन नहीं मिल रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? तथा किस अधिकारी/कर्मचारी की त्रुटि से ?

(3) अब कब तक इन्हें बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा ? तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अध्यापिका द्वारा उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण केवल 3 माह 18 दिन का वेतन बिल नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 4 माह 20 दिनों का वेतन आहरित किया हुआ है। परन्तु अध्यापिका ने भुगतान लेने से इन्कार कर दिया।

(2) स्वयं अध्यापिका की त्रुटि है।

(3) अवकाश के आवेदन पत्र एवं

(शिक्षा राज्य मंत्री)

प्रतिनियुक्ति की अवधि का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते ही भुगतान की कार्यवाही शीघ्र कर दी जायेगी।

महुवा (सवाईमाधोपुर) में मुंसिफ कोर्ट

685. **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुवा) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि महुवा (सवाई–माधोपुर) में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं ? यदि हां, तो सरकार मुंसिफ कोर्ट का कार्यालय खोले जाने की घोषणा कब तक कर देगी ?

उत्तर

जी नहीं, धनाभाव के कारण महुवा में मुंसिफ कोर्ट खोलना अभी सम्भव नहीं है।

अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान से प्राप्त राशि

686. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में कुल कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई तथा उसमें से कुल कितनी राशि खर्च की गई ? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि के समुचित उपयोग नहीं किये जाने से हजारों हरिजन बस्तियां अभी भी अन्धेरे में डूबी हुई हैं ?

(3) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार जनहित में उक्त राशि के समुचित उपयोग की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विद्युत मण्डल को अलग से कोई राशि प्राप्त नहीं होती है। वस्तुतः अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतिकरण के वार्षिक योजना मद में हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण एवं अनुसूचित जाति के कुओं के ऊर्जीकरण हेतु भौतिक लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। पिछले पांच वर्षों में राज्य में जो भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये एवं उसके सापेक्ष जो उपलब्धि की गई उसे परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि हर वर्ष प्रायः लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हुई है।

(2) जी नहीं, विद्युत मण्डल द्वारा कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वार्षिक उपलब्धि प्रायः हमेशा अधिक रही है।

(3) चूंकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं, अतः कोई दोषी नहीं है।

Page No. 31

(31)

(ऊर्जा मंत्री)

(4) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जाते रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--9 देखें)

बसवा हायर सैकण्डरी स्कूल के क्राफ्ट के विद्यार्थियों से एकत्रित चन्दा

687. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) एवं

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बसवा, जिला जयपुर के हैडमास्टर द्वारा क्राफ्ट के विद्यार्थियों से विगत दो वर्षों से उद्योग के लिए कोई चन्दा एकत्रित किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ऐसा किया जा रहा है ? विगत दो वर्षों में एकत्रित चन्दे की राशि व व्यय का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 688

(स्थगित)

तहसील नावां (नागौर) में भूमि के घोटाले का मामला

689. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले की नावां तहसील में भूमि के घोटालों के सम्बन्ध में एक शिकायत श्री भीमराज शर्मा ने दिनांक 7.12.1988 को राजस्व मन्त्री जी को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उस शिकायत-पत्र की जांच प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सम्भाग आयुक्त, अजमेर द्वारा दिनांक 15.5.1989 व 16.5.1989 को बमुकाम नावां में उपस्थित होकर जांच की थी तथा उस वक्त जांच अधिकारी को लिखित अभ्यावेदन व बयान श्री भीमराज शर्मा द्वारा दिये गये थे ?

(3) यदि हां, तो अब तक उस जांच रिपोर्ट पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और अब कब तक निर्णय कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,

(राजस्व मंत्री)

अजमेर के पास उक्त जांच अभी तक चल रही है।

(4) अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

पाली जिले में सेटलमेंट कार्य

690 हीरासिह चौहान (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में किस-किस तहसील का सैटलमेंट कार्य कब तक किया गया है ?

(2) जैतारण उप खण्ड की तहसील जैतारण व रायपुर तहसील का नया सैटलमेंट कार्य क्यों नहीं किया गया ?

(3) उक्त उप खण्ड जैतारण की दोनों तहसीलों का सैटलमेंट कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में निम्न तहसीलों का सैटलमेंट कार्य प्रत्येक तहसील के समक्ष अंकितानुसार अवधि तक के लिये किया गया :–

1. पाली 31 ग्राम सम्वत् 2015 से 2031
   115 ग्राम सम्वत् 2012 से 2031
2. सोजत सम्वत् 2033 से 2052
3. खारची सम्वत् 2029 से 2048
4. जैतारण सम्वत् 2011 से 2030
5. रायपुर 25 ग्राम सम्वत् 2029 से 2048
   65 ग्राम सम्वत् 2011 से 2030
6. बाली सम्वत् 2037 से 2056
7. देसूरी सम्वत् 2041 से 2060

(2) वित्तीय साधनों की कमी की वजह से पर्याप्त मात्रा में सैटलमेंट पार्टियों की अनुपलब्धि के कारण इन दोनों तहसीलों का नया सैटलमेंट अब तक नहीं कराया जा सका है।

(3) स्टॉफ के उपलब्ध होने पर ही इन तहसीलों में नया सैटलमेंट कराने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

कालेज पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी. टी. आई. को यू. जी. सी. ग्रेड

691. श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कालेज पुस्तकालय एवं पी. टी. आई. को यू. जी. सी. ग्रेड क्यों नहीं दिया जा रहा है ? राज्य सरकार केन्द्र से इस मद में कुल कितनी राशि ले चुकी है ?

(2) महाविद्यालय पुस्तकालयों में राज्य सरकार अनुसार कुल कितना स्टाफ होना चाहिए ? यह नार्म्स कब बनाये गये थे ? क्या ये नार्म्स लागू कर दिये गये

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

हैं ? यदि नहीं, तो, कब तक लागू किये जायेंगे ।

उत्तर

(1) जी नहीं । राज्य सरकार यू.जी.सी. द्वारा सिफारिश किये गये उच्च वेतनमान शिक्षक वर्ग के अलावा अन्यों के लिये उपयुक्त नहीं मानती रही है । केन्द्र सरकार से 5.58 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी ।

(2) महाविद्यालय पुस्तकालयों में स्टाफ की नियुक्ति के नार्म्स, सरकार द्वारा नहीं बनाये गये हैं । अतः यह कहना कठिन है कि पुस्तकालयों में कितना स्टाफ होना चाहिये ।

ब्यावर की कृष्णा मिल्स लि. को पुनः चलाने का प्रयास

692. श्री माणक डाणी (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ब्यावर की बंद पड़ी कृष्णा मिल्स लि. को चालू करने वास्ते कोई निर्णय ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) मिल्स को प्रारम्भ करने वास्ते गत एक वर्ष में क्या प्रयास किये गये ?

(3) मिल्स के बंद होने से श्रमिकों की खराब हो रही आर्थिक स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या मिल्स को चलाने वास्ते विचार–विमर्श करने हेतु श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उस समिति की बैठकें कब–कब हुई, उनमें क्या–क्या विचार–विमर्श हुए तथा समिति मिल चलाने हेतु क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ब्यावर की कृष्णा मिल्स लि., को बी. आई. एफ. आर. , जो भारत सरकार रुग्ण इकाइयों के लिये गठित शीर्ष न्यायाधिकरण है, द्वारा दिनांक 27.6.89 को नियत सुनवाई की तिथि पर सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् इसे अवसायन में ले जाने का अंतिम निर्णय ले लिया गया है ।

(2) मिल को प्रारम्भ करने वास्ते गत एक वर्ष में की गई कार्यवाही के विवरण की सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) मिल के संयंत्र/मशीनें पुरानी हो जाने, वस्त्र उद्योग में आम गिरावट, तैयार माल की कीमत में कच्चे माल की तुलना में वृद्धि न होना तथा विद्युत कटौती के फलस्वरूप लगातार भारी हानि के कारण इस मिल का चालन जुलाई, 1983 में बंद हो गया । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कृष्णा मिल्स लि. के पुर्नचालन हेतु पुनरुत्थान योजना नवम्बर, 1984 में तैयार की गई थी । इस योजना के लागू किये जाने के पूर्व यह शर्तें सर्वोपरि थी कि मिल का पुनः चालन किये जाने हेतु श्रमिक संगठनों से साथ समुचित समझौता किया जावें । किंतु लगभग दो वर्ष की अवधि तक श्रमिक संगठन समझौता करने हेतु सहमत

(उद्योग मंत्री)

नहीं हुये जिससे मिल की आर्थिक स्थिति शोचनीय होती गई। इस प्रकार मिल के बंद होने से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति खराब होने के लिये प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों ही पर उत्तरदायित्व आता है।

(4) जी हां। पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इस समिति की बैठकें दिनांक 28.7.88 व 9.3.89 को आयोजित की गई थीं। बैठकों में हुये विचार-विमर्श कर लिये गये निर्णयों की सूचना प्रश्न भाग 2 के उत्तर में दी गई है। सूची के क्रम संख्या 5 व 7 में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

जिला नागौर में सुरक्षाबल को भूमि का आवंटन

693. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नागौर की राजस्व सीमा में या आसपास की सीमा में सरकार ने कोई भूमि सुरक्षा बल को आबंटित की थी ? यदि हां, तो कौन–कौन सी भूमि कब–कब किस अधिकारी द्वारा और किन–किन शर्तों पर आबंटन की गयी ? आदेश की प्रति मय शर्तों के सदन की मेज पर रखें।

(2) इसके अतिरिक्त किस–किस सार्वजनिक उपयोग व राज्य उपयोग के लिये कौन–कौन सी भूमि कब–कब किस–किस को आबंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आबंटित भूमियों का कब्जा किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किस-किस को सौंपा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि सीमा सुरक्षा बल को जिला कलक्टर, नागौर के आदेश क्रमांक एफ. 12(74) राज/87/6037 दिनांक 3.12.88 के द्वारा कुल 228 बीघा 8 बिस्वा भूमि कस्बा नागौर की सरहद में आबंटित की गई थी जिसका विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म भूमि
1	2	3	4
1.	594	18—8	गैर मुमकिन अंगोर
2.	595	10—5	गैर मुमकिन आड़
3.	596	25—8	गैर मुमकिन अंगोर
4.	597	1—13	गैर मुमकिन रास्ता
5.	598	28—11	गैर मुमकिन अंगोर

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4
6.	599	2—18	गैर मुमकिन रास्ता
7.	594/907	47—00	गैर मुमकिन अंगोर
8.	601	94—5	गैर मुमकिन अंगोर
	(कुल आठ)	228—8	

आबंटन आदेश की प्रति जिसमें शर्तों का भी उल्लेख है, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपयोग व राज्य उपयोग के लिए आबंटित भूमि की सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त आबंटित भूमियों का कब्जा तहसीलदार नागौर द्वारा संबंधित सार्वजनिक संस्था/राज्य सरकार के विभाग को सौंपा गया जिसकी विवरण मय तिथि सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

सोजत क्षेत्र में कुओं पर विद्युत कनेक्शन

694. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले के राज. राज्य विद्युत मण्डल के खण्ड मुख्यालय सोजत एवं उसके अधीनस्थ उप खण्ड पिपलिया कलां, सोजत सिटी, मारवाड़ जंक्शन तथा जैतारण के पिछले 8 वर्षों सन् 1980 से कुओं के कनेक्शन बाबत कृषकों के कितने प्रार्थना-पत्र उचित फीस सहित जमा हैं? काश्तकारों के नाम, ग्राम तथा किस तिथि से पेंडिंग हैं, उसका सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1980 से रायपुर तहसील में कुओं के कितने कनेक्शन किस-किस काश्तकार को दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष रायपुर तहसील के कितने कुओं को कनेक्शन दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के खण्ड सोजत सिटी जिला पाली के अधीनस्थ उपखण्ड पिपलिया कलां में शून्य, सोजत सिटी में 1, मारवाड़ जंक्शन में 9 एवं जैतारण में 2 कृषि कनेक्शनों के आवेदन पत्र वर्ष 1980 के पूर्व के लम्बित हैं। वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.) पिपलिया कलां के अधीन तहसील रायपुर में 485 कृषि कनेक्शन वर्ष 1980 से 30.6.89 तक दिये गये। वांछित विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(ऊर्जा मन्त्री)

(3) वर्ष 1989-90 का कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारण अभी विचाराधीन है। अतः अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा, नागौर द्वारा चार्ट की खरीद

695. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा नागौर ने सन् 1985-86 व 1986-87 में जो सामान क्रय किया उसके संबंध में आडिट ने एतराज किया है ? यदि हां, तो आडिट एतराजों व उसके जवाब की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में चार लाख दस हजार रुपये के चार्ट खरीदे गये ? यदि हां, तो उनकी खरीद कब–कब की गई और उनका उपयोग कब-कब हुआ तथा इनको खरीदने की आवश्यकता कैसे हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस अवधि में चार लाख छप्पन हजार रुपये की पुस्तकें खरीदी गई जिसमें चवालीस से छियासठ प्रतिशत तक कमीशन प्राप्त की गई ? यदि हां, तो यह कमीशन किसके द्वारा तय किया गया ? क्या मूल्य सूची सरकार द्वारा अनुमोदित थी या टेण्डर मांगे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस संबंध में की गई अनियमितताओं पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा नागौर ने 1985-86 व 1986-87 में जो सामान क्रय किया गया उसके संबंध में महालेखाकार के आडिट पार्टी ने एतराज किया था। एतराज की प्रतियां संलग्न हैं, जवाब हेतु कार्यवाही चल रही है।

(2) जी हां। नागौर और मेड़ता दो परियोजनाओं के लिए दो वर्ष से ये चार्ट खरीदे गए और उनका उपयोग 86–87 व 87–88 में किया गया। खरीद का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। कमीशन टेण्डर के माध्यम से परियोजना अधिकारी, नागौर द्वारा तय किया। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) महालेखाकार के आडिट एतराजों पर निर्णय लिया जाना है। आवश्यक हुआ तो आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

लघु सिंचाई के तहत लाभान्वित परिवार

696. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) एवं

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

(1) मैसिव कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम के तहत सत्र 1987-88 व 1988–89 में सुजानगढ़ तहसील में कितने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था ?

(2) इस लक्ष्य की पूर्ति कहां तक की जा चुकी है ? लक्ष्य पूरा न होने का क्या कारण है ? लाभान्वित परिवारों की सूची आवश्यकतानुसार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुजानगढ़ तहसील (पंचायत समिति) में मैसिव योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यों के तहत वर्ष 1987–88 में 45 एवं वर्ष 1988-89 में 46 लघु व सीमान्त कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था।

(2) दोनों वर्षों में कुल 91 लक्ष्य के विरुद्ध 13 लघु/सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया गया। इन वर्षों में वर्षा की कमी के कारण पानी का स्तर अधिकांश गांवों में काफी नीचे चले जाने से पानी की किस्म खारी हो गई। अतः कृषकों ने लघु सिंचाई कार्यों में पर्याप्त रुचि नहीं ली। जिसके कारण लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पायी।

लाभान्वित कृषकों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1989)

ग्राम विजय महल जयपुर की सिवाय चक भूमि

137. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम विजयमहल, तहसील जयपुर जिला जयपुर की सिवाय चक भूमि, खसरा नम्बर 221, 223, 228, 229, 233, 234, 235, 247, 249, 253 264, 266, और 267 का अलग–अलग क्षेत्रफल क्या है और इन पर किसका कब्जा है ?

(2) उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर काबिज व्यक्तियों की निम्न विवरण के साथ सूची सदन की मेज पर रखें। खसरा नम्बर क्षेत्रफल, काबिज व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, आयु, किस तिथि से काबिज है ? कब्जे पर क्या निर्माण किया हुआ है ? कब्जा रिहायशी है अथवा व्यावसायिक ? व्यवसाय क्या है ? कितने समय से है ?

(3) क्या उक्त खसरे पर सभी कब्जों का नियमानुकूल नियमन कर दिया गया ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(4) क्या उक्त खसरा नम्बरान पर काबिज व्यक्तियों के पिता अथवा परिवार के अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी, रिहायशी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई भूमि ग्राम विजयमहल में ही है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त खसरा नम्बरान पर काबिज व्यक्तियों के नाम 21-8-1971 के

(श्री बहादुर सिंह)

निर्माण होने का सर्वे नम्बर है ? यदि हां, तो किसके नाम से है उसका नाम, पिता अथवा पति का नाम, आयु व्यवसाय आदि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम विजयमहल तहसील जयपुर स्थित सिवाय चक भूमि 221, 223, 228, 229, 233, 234, 235, 247, 249, 253, 264, 266 एवं 267 का अलग-अलग क्षेत्रफल एवं इन पर किसका कब्जा है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर काबिज व्यक्तियों के सम्बन्ध में चाहे गये विवरण के अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई नियमन किया जाना नहीं पाया जाता है।

(4) उक्त खसरा नम्बरान पर काबिज व्यक्तियों के नाम कोई कृषि भूमि ग्राम विजयमहल में नहीं है तथा रिहायशी एवं अन्य किसी भी प्रकार की भूमि की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(5) इस गांव का कोई सर्वे होना नहीं पाया जाता है अतः उक्त खसरा नम्बरान पर काबिज व्यक्तियों के नाम 21-8-71 के निर्माण होने का सर्वे नम्बर होने का प्रश्न ही नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें ।)

बस्सी तहसील में निजी वन भूमि का आवंटन

134. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले की बस्सी तहसील की किस-किस पंचायत परिधि में पिछले दो वर्षों के दौरान निजी वन के लिए किस-किस को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई ? जिन लोगों को आवंटन किया गया उनमें संबंधित पंचायत क्षेत्र के निवासी कितने हैं और बस्सी तहसील के अन्य क्षेत्रों के निवासी कितने और कौन हैं ?

(2) क्या इन पंचायत क्षेत्रों के निवासियों ने आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये थे ? क्या इन आवंटनों के विरुद्ध नागरिकों ने शासन को शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो इन मामलों में क्या–क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की बस्सी तहसील में पिछले दो वर्षों के दौरान (अर्थात 1-7-87 से 30-6-89 तक) अकृष्य भूमि का निजी वन विकास हेतु किये गये पंचायत वार, ग्रामवार, व्यक्तिवार आवंटन का विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "क" में अंकित है । सम्बन्धित ग्राम पंचायत, तहसील क्षेत्र एवं तहसील क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को किये गये आवंटन का पंचायत वार विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "ख" में अंकित है, जिसके अनुसार कुल 8 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में गत 2 वर्षों के दौरान

(राजस्व मंत्री)

कुल 1144 व्यक्तियों को निजी वन विकास हेतु भूमि आवंटन किया गया है जिनमें 469 आवंटित सम्बन्धित पंचायत क्षेत्र के हैं तहसील बस्सी क्षेत्र के 127 है एवं अन्य क्षेत्रों के 548 आवंटी हैं।

सूची परिशिष्ट 'क' के अतिरिक्त 183 व्यक्तियों ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे जिनका विवरण सूची परिशिष्ट 'ग' में अंकित है। इनके लिए स्थानीय सरपंच एवं आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त आवंटन कर्ताओं को पेड़ लगाने में सक्षम नहीं होने के कारण आवंटन का परामर्श नहीं दिया, फलस्वरूप ये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये थे।

(2) यह सही है कि इन आवंटनों के विरुद्ध नागरिकों ने शिकायत की है, जिस पर जांच की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीकानेर जिले में राजस्व अभियान

121. **श्री उम्मेद सिंह** (शिव) एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व अभियान प्रथम कैम्प व फालो अप कैम्प के लिये मुख्य सचिव व राजस्व सचिव ने जिलाधीश, बीकानेर को कब पत्र जारी किया गया है? पत्रों की प्रति जिलाधीश द्वारा बुलाई गई बैठक की तिथि, नोटिस की प्रति अधिकारियों को, प्रशिक्षण की तिथि सहित विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर में 16.5.1989 से फालो अप कैम्प के लिए जिलाधीश ने 13.5.1989 को बैठक बुलाई व जन प्रतिनिधियों को 19.5.1989 को शिविरों में भाग लेने के लिए पत्र व कार्यक्रम लिखा? कृपया पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि दोनों कैम्प का कार्यक्रम शिविर शुरू होने से दो दिन पूर्व छपवाया गया व समय पर पटवारियों को व गांवों में नहीं भेजा गया? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

(4) क्या यह सही है कि दोनों शिविरों के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी किसी भी शिविर में नहीं आये और जिलाधीश को इस बाबत शिकायत की व अखबारों में भी छपा था? यदि हां, तो जिलाधीश ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की व किन-किन उच्च अधिकारियों को जयपुर में लिखा गया? पत्रों की प्रति व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा शिविर में भाग लेने का स्थान, तिथि, अधिकारी का पद, विभाग द्वारा मौके पर सड़कों में आई कृषि भूमि का लगान माफ करने, तबादला देने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि शिविरों में सरकार के निर्देशानुसार सारे विभागों के अधिकारी भाग नहीं ले रहे थे व इसके बाबत अखबारों में छपता रहा? यदि हां,

(श्री उम्मेद सिंह)

तो जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ? क्या जिलाधीश की जिम्मेदारी नहीं थी ?

(6) क्या यह भी सही है कि जिले के जन प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव, सम्भागीय आयुक्त को उपरोक्त शिकायतों बाबत शिकायत भी की थी ? यदि हां, तो जिलाधीश के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या विभाग सरकार के कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कर दोषी को दण्डित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सर्व प्रथम मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक प. 2 (1) राज/ग्रुप-6/88 दिनांक 13.10.88 द्वारा दिनांक 16.12.88 से 31.1.89 तक राजस्व अभियान आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किये गये। परिशिष्ट 'अ' कलक्टर द्वारा इस पर वार्ता करने एवं कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने हेतु दिनांक 3.12.88 को सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक बुलवाये जाने के लिए जारी किए गए वितन्तु सन्देशों की चित्र प्रतियां संलग्न हैं। परिशिष्ट 'ब' एवं 'स'।

इसी प्रकार राज्य सरकार के पत्र दिनांक 24.4.89 के द्वारा दिनांक 15.5.89 से 30.6.89 तक राजस्व अभियान आयोजित करने के निर्देश जारी किये। परिशिष्ट 'द'

इस सम्बन्ध में दिनांक 9.5.89 को बैठक बुलाई गई थी, किन्तु किन्ही आवश्यक कारणों के कारण मिटिंग दिनांक 9.5.89 को न होकर दिनांक 13.5.89 को आयोजित की गई। जारी किये गये नोटिस की प्रतियां संलग्न हैं। परिशिष्ट 'क' एवं, 'ख'।

(2) हां। यह सही है कि बीकानेर में दिनांक 15.5.89 से राजस्व अभियान के लिए दिनांक 13.5.89 को बैठक बुलाई गई जिसका कारण प्रश्न संख्या 1 में अंकित किया जा चुका है। बैठक दिनांक 13.5.89 में उपस्थित जन प्रतिनिधियों को शिविरों में कार्यक्रम की प्रतियां बैठक में ही दे दी गई थी तथा सभी विकास अधिकारी व तहसीलदारों को भी प्रचार प्रसार हेतु अतिरिक्त प्रतियां दी गई थीं। तत्पश्चात दिनांक 15.5.89 को प्रिंटिंग प्रेस से शिविरों के कार्यक्रम छपवाकर 400 प्रतियां विशेष वाहकों के साथ प्रत्येक तहसीलदारों को इस निर्देश के साथ भिजवाई कि इस कार्यकम का प्रत्येक गांव में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करवाने की व्यवस्था करें जिसकी चित्र प्रति संलग्न है। परिशिष्ट 'ग'।

पत्र संख्या 297–306 दिनांक 18.5.89 के द्वारा समस्त जन प्रतिनिधियों को जिनमें दिनांक 13.5.89 की बैठक में भाग लेने वाले जन प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, को पुनः छपी हुई कार्यक्रम की प्रतियां भिजवाई गई थीं। प्रति संलग्न है। परिशिष्ट 'घ'।

(3) जी नहीं। कार्यक्रम यथा समय छपवाया जाकर प्रसारित कर दिया गया

(राजस्व मंत्री)

था व शिविर निर्धारित तिथि से प्रारम्भ हो गये थे।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारीगण को शिविर में उपस्थित होने हेतु लिखा गया था इस सम्बन्ध में उनकी अनुपस्थिति बाबत सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित सचिव को लिखा गया। प्रति संलग्न है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्राप्त सूचना के अनुसार जिन-जिन अधिकारियों ने शिविर में भाग लिया है। फोटो प्रति संलग्न है। परिशिष्ट 'च'।

शिविरों में सड़कों में आई कृषि भूमि का लगान माफ करने, तबादला करने, सम्बन्धित आवेदन पत्र की सूचना संकलित की जा रही है। शिविर दिनांक 30.6.89 को ही समाप्त हुए हैं एवं सूचना संकलित करने में कुछ समय लगेगा।

(5) राजस्व अभियान की अवधि में अनुपस्थित रहने वाले विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा राजस्व विभाग को सूचित करने हेतु जिला कलक्टर्स को सक्षम अधिकारी बनाया गया था। राजस्व विभाग ने सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों तथा शासन सचिवों को लिखा गया।

(6) जी हां। सम्भागीय आयुक्त से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया था जो अपेक्षित है।

(7) कार्यक्रम को सफल बनाने में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(दिनांक 6 जुलाई, 1989)

राजस्व अभियान के अन्तर्गत कैम्प

238. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्व अभियान के अन्तर्गत तहसीलदार मावली का कैम्प पलाना खुर्द मावली उदयपुर में किस दिनांक को लगा तथा कितने मामले निपटाये गये ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कैम्प में खसरा नं. 1255/1 में 1960 से बने मकान मालिक को पट्टा देने के नाम पर कुछ लिखवाया गया और तुरन्त पश्चात मकान हटवाने का कोई आदेश दिया गया था ? उक्त प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कैम्प में राजस्व विभाग के कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार उक्त गरीब के मकान का नियमन करने का विचार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" राजस्व अभियान के अन्तर्गत तहसीलदार, मावली का कैम्प पलानाखुर्द में दिनांक 7-6-89 को बाद दोपहर लगाया गया। किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. खातेदारी अधिकार	28
2. नामान्तरकरण	53
3. भूमि आवंटन	6
4. भूमि रूपान्तरण	1
5. पेंशन केसेज	3
6. अभाव अभियोग	15
7. मार्गों के अधिकार	2
8. स्वरोजगार के प्रार्थना पत्र तैयार कराये	7

(2) उक्त कैम्प में खसरा नम्बर 1255/1 में बना मकान मालिक को पट्टा देने के नाम पर किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिखवाया गया। अलबत्ता प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार कब्जा छोड़ना स्वीकार किया है साथ ही रहने के मकान हेतु पंचायत से निःशुल्क पट्टा देने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के क्रम में कैम्प में ही ग्राम पंचायत, पलानाखुर्द की आबादी भूमि से मकान बनाने के लिये पट्टा देने की आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।

(3) कैम्प में उपखण्डीय अधिकारी, वल्लभनगर, तहसीलदार मावली, भू-अभिलेख निरीक्षक, थामला, पटवारी हल्का पलानाखुर्द, पटवारी हल्का वारणी, श्री अनिल कुमार दक कनिष्ठ लिपिक, उपखण्डीय कार्यालय वल्लभनगर चौथमल छीपा, क. लि., श्री नाहर सिंह; श्री अमरा गाडरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तहसील कार्यालय मावली।

(4) राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 10-8-87 के अनुसार उक्त मकान का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एव तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत को लिखे गये पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

भू–जल विभाग में गाड़ियों की जनरल रिपेयरिंग

236. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या भू–जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भू–जल विभाग में गाड़ियों के रख-रखाव का कार्य व जनरल रिपेयरिंग का कार्य बाजार में कराया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) गत 12 साल से अब तक कौन-कौन सी पार्टियों का कितने बिलों का भुगतान कितनी–कितनी राशि का विभाग द्वारा नहीं किया गया है ? उनके रोके जाने के क्या कारण हैं ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) विभाग उनका भुगतान कब तक कर देगा ?

उत्तर

(1) जी हां। रिपेयर एवं रख रखाव से सम्बन्धित सुविधायें विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य बाजार में कराना आवश्यक हो जाता है।

(2) विभाग में 1.4.89 तक जिन-जिन पार्टियों के बिलों का भुगतान बकाया है उनकी सूची (वृतवार) सलंग्न है। कुल राशि रु. 29,72,352.67 का भुगतान बकाया है। इन बिलों को समय पर पारित नहीं किये जा सकने का कारण मुख्यतः सम्बन्धित मद में बजट राशि का अभाव होना है। साथ ही कुछ बिल कालातीत हो जाने के कारण वांछित स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

(3) कालातीत बिलों का भुगतान वांछित स्वीकृति प्राप्त होने पर शीघ्र कर दिया जावेगा। बाकी बिलों का भी शीघ्र परीक्षण कर भुगतान कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करता है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नेहरु युवा केन्द्र बांसवाड़ा, द्वारा जनजाति उद्धार हेतु मिले 2.50 लाख रुपये का बजट फर्जी बिलों द्वारा उठा लिये जाने के संबंध में।

(2) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से उप खण्ड नवलगढ़ की तहसील उदयपुरवाटी तथा झुंझुनूं उपखण्ड की चिड़ावा तहसील को राज्य सरकार द्वारा डार्क जोन घोषित करने के संबंध में।

(3) श्री लालचन्द डूडी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले की भादरा नगरपालिका क्षेत्र मे फैली गंदगी से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होने के संबंध में।

(4) श्री हीरासिंह चौहान, श्री हरलाल सिंह खर्रा, श्रीमती विद्या पाठक, श्रीमती वसुन्धरा राजे, श्री खंगारसिंह चौधरी, श्री जगन्नाथ एवं श्री रघुवर दयाल गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के परिणामानुसार नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरजीराम बुरड़क और श्री रामदेव चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिला अस्पताल में रोगियों की आपरेशन थियेटर में लगातार मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(6) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती उमा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर विधि विधान प्रयोगशाला द्वारा की गई

(श्री अध्यक्ष)

जांच के रेकार्ड में हेरा-फेरी किये जाने के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि 7.12.1988 को श्रीमती उमा शर्मा की मृत्यु हो जाने पर थाना जवाहर नगर में एफ.आई.आर. नं. 20/88 धारा 174 सी.आर.पी.सी. में पंजीबद्ध की गई और ए.सी.एम. द्वारा जांच प्रारम्भ की गई। इसी दौरान मृतका के पिता द्वारा जवाहर नगर थाना में एक अन्य रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिस पर सी.ओ. आदर्श नगर द्वारा अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् मृतका के पिता ने एक परिवाद गृह मन्त्रीजी को प्रस्तुत किया जिस पर उक्त प्रकरण अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी.) में लिया जाने का आदेश दिया गया।

इस केस से संबंधित विसरा दिनांक 23.2.89 को एस.पी., जयपुर ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा, जिसके अनुसार मृतका को जहर देने की पुष्टि नहीं होती। यह मामला अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचपदरा में अकाल की स्थिति होने के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार अकाल की स्थिति मानी गई है, किंतु ग्रामीणों की क्रय शक्ति दयनीय होना नहीं बताया गया है। गत वर्ष इस क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों पर मजदूरों का नियोजन एवं असहाय व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता पौष्टिक पोषाहार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क सत्तू वितरित करवाया जाकर सहायता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय बैंक, शीर्ष बैंक की ऋण नीति के अनुसार अकाल के कारण चालू ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में तथा मध्यकालीन ऋणों की किश्तों के चुकारे की मियाद बढ़ा दी गयी है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर वर्षा हो गयी है और जहां वर्षा नहीं हुई है, वहां टैंकरों द्वारा पचपदरा के 58 गांव एवं बाड़मेर के 21 स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गयी है।

यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री शंकरलाल अहारी, श्री मानिकचंद सुराना, श्री रमजान खां, श्री मोटाराम, श्री रामधन मीणा, श्री देवीसिंह भाटी, श्री भंवरलाल शर्मा (98), श्री हरिकुमार औदिच्य, श्री ऋषिकेश मीणा, श्री नत्थी सिंह, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हेमाराम चौधरी, श्री केशरदेव महरड़ा, श्री चंपालाल बांठिया, श्री जगन्नाथ वर्मा।

माननीय सदस्यों को उनको द्वारा दिये गये प्रस्ताव को केवल पढ़ने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारा प्रस्ताव था स्थगन के मामले में, उसका क्या हुआ ?

श्री नाथूसिंह : बोफोर्स पर मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज तीन बजे माननीय विपक्ष के नेता विनियोग विधेयक पर बोलेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज काम को हम जल्दी निबटा लें। इसलिये जल्दी जल्दी कर लें इस पर। पुष्पा जी।

श्री मानिकचन्द सुराना : जो स्थगन प्रस्ताव हमने आपको दिये थे बोफोर्स के बारे में, उनका क्या हुआ ? क्या व्यवस्था दी फिर ?

श्री माणक डाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोफोर्स की आम चर्चा नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है बोफोर्स की बात करते हैं आप ? क्या लेना देना है बोफोर्स का यहां ? बोफोर्स के लिये करना है तो वहां दिल्ली में जाइये, अपने नेताओं से बोफोर्स की सारी सुविधायें लीजिये....

श्री नत्थीसिंह : उस पर आपने क्या व्यवस्था दी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई जानकारी करनी हो तो मेरे कक्ष में कृपया आइये। पुष्पा जी.. (व्यवधान) नहीं लिखेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : पुष्पा जी का नोट करेंगे और किसी का नोट नहीं करें। प्रश्न कर रही हैं पुष्पा जी।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये। किसी को अनुमति नहीं दूंगा। नोट नहीं करेंगे, किसी का भी नोट नहीं करेंगे सिवाय पुष्पा जी के। कृपया सहयोग करें। यह सब बोलेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : × × ×

श्री अध्यक्ष : वहां देख लेंगे, पुष्पा जी।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप लोग चैम्बर में देख लें। जरूर आये हैं, आप ले लेना। पुष्पा जी, आप कृपया बोलें। और किसी का नोट नहीं होगा। आप बोलेंगी, वही नोट होगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष जी, जो राज्य सरकार ने उमा शर्मा की हत्या के बारे में बयान दिया, इस बयान को देखने के बाद ऐसा मैं समझती हूं कि मुल्जिमों ने तो हत्या पर पर्दा डाला ही है, लेकिन राज्य सरकार भी लीपापोती करके इस केस को खत्म करना चाहती है। मैं इस केस से संबंधित तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और किसी का नहीं लिखेंगे सिवाय पुष्पा जी के बीच में कोई भी बोले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस केस के संक्षिप्त तथ्य रखूं, उससे पहले मैं जो इस केस की विसरा रिपोर्ट राजकीय

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 46

(98)

(सुश्री पुष्पा जैन)

प्रयोगशाला से ग्रायी है, उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूंगी। इस केस में विसरा रिपोर्ट इस बात को जाहिर करती है कि किस तरह से ग्राम तौर से हत्याग्रों को एविडेन्स को खत्म कर दिया जाता है, हत्याग्रों को दबा दिया जाता है, लेकिन मुलजिम यहां तक ग्रप्रोच करने लगता है कि वह विसरा रिपोर्ट, जिस पर सारे केस का दारोमदार निर्भर करता है, को भी बदल दिया जाता है तो मैं ऐसा समझती हूं कि न तो दुनिया में कोई न्याय मिल सकेगा ग्रौर न ही मुलजिमान को कोई सजा मिल सकेगी। ग्राये दिन इस तरह से हत्याएं होती रहेंगी ग्रौर लोग यहां तक कर देंगे कि विसरा रिपोर्ट ग्रौर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को भी छिपा लेंगे। मैं इस विसरा रिपोर्ट पर विवेचन करने से पहले उस पत्रकार को भी हार्दिक ग्राभार देना चाहती हूं जिसने बड़ी निर्भीकता ग्रौर साहस के साथ इस विसरा रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट को प्रकाशित किया ग्रौर उसने इस समाज को इस बात के लिये मजबूर किया कि वह ग्रागे ग्राये ग्रौर ऐसी होने वाली हत्याग्रों को उजागर करे ग्रौर राज्य सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करे।

श्री ग्रध्यक्ष : पुष्पा जी, प्रश्न कर लें ग्राप। क्वेरी करनी हो, वह क्वेरी कर लें।

श्री कालीचरण सराफ : ××××

श्री ग्रध्यक्ष : जो सन्देह है, वह पढ़ लें। सराफ जी, ग्रापका नहीं लिखा जायेगा। ग्राप बैठिये।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, यह जो जांच के दौरान विसरा में मेलाथियोन नामक विषैला ग्रौर घातक रसायन पाया गया था, लेकिन प्रयोगशाला ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें इस तथ्य को छिपा दिया गया। इस सबूत में, उस विसरा रिपोर्ट पर मैं इस सदन में प्रकाश डालना चाहूंगी जिसकी रिपोर्ट पोजिटिव ग्राई थी कि उसमें मेलाथियोन नामक घातक ग्रौर विषैला पदार्थ पाया गया था उसके बावजूद उस रिपोर्ट को छिपाया ग्रौर दूसरी रिपोर्ट तैयार की गयी ग्रौर उस रिपोर्ट के ग्राधार पर रिपोर्ट को बिल्कुल निगेटिव बताया गया। यहां तक कह दिया गया कि उसमें किसी तरह का मेलाथियोन कुछ भी नहीं पाया गया। पहली रिपोर्ट में मेलाथियोन नामक कोई विषैला ग्रौर घातक रसायन पाया गया था लेकिन प्रयोगशाला ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें इस तथ्य को छिपा कर सारा निष्कर्ष निगेटिव बताया। ग्रपनी जांच शीट में केस नंबर 48 ग्रौर 89 की शुरुग्रात में यह लिखा है : ग्रो.पी.फेंट स्पार सीन क्लीयरली ग्राफ मेलाथियोन।" मेलाथियोन का हल्का धब्बा स्पष्ट देखा गया। मगर जो प्रयोगशाला के डाइरेक्टर्स ने रिपोर्ट जारी की, उसमें उन्होंने कहा मेलाथियोन का कोई उल्लेख नहीं किया गया ग्रौर उसी के ग्राधार पर ग्रापने, मंत्री महोदय, ग्रपना बयान जारी कर दिया। जो जवाब ग्रापने दिया है, उसी को दूसरी वाली रिपोर्ट को ग्राधार बना कर दिया है। मैं यह स्वयं नहीं कह रही हूं, इस पहली रिपोर्ट पर कुछ एक्सपर्ट्स की राय ली गई थी क्योंकि न तो मैं इस मामले में एक्सपर्ट हूं ग्रौर न ग्राप एक्सपर्ट हैं। राही

××××माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

तथ्य तक हम पहुंच सकें, उसके लिये डा. एफ.एफ.के. बरार, जो कि सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में फार्माकालोजी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं, के अनुसार मैलाथियोन एक प्रकार का अत्यन्त घातक जहर है, जिसका उपयोग कीट नाशकों, कृषि बागवानी और घरों में मक्खी, मच्छर और काकरोच आदि को मारने में भी किया जाता है। अगर इन्सान के पेट में मामूली मात्रा में भी यह चला जाये, तो उसकी मौत का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि शरीर में मैलाथियोन खतरनाक ढंग से काम करता है और महत्वपूर्ण एंजाइम्स, इंटेस्टाइन लिप्सटेट की गतिविधि को खत्म कर देता है, मानव शरीर में एसीटोक्लीन नाम का रसायन होता है, जिसका नियंत्रित मात्रा में होना जरूरी है, कोलिस्टेरेज का काम यह बखूबी करता है, लेकिन मेलाथियोन के प्रभाव से वह खत्म हो जाता है...

श्री अध्यक्ष : आप तो बहुत लंबा चली गयीं। प्रश्न स्पेसिफाइड होना चाहिये। प्रश्न कर दीजिये। बहुत डिटेल में कहेंगे, तो बहुत लंबा हो जायेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं अगर यह कोई साधारण केस होता तो ऐसा प्रश्न कर लेती।

श्री अध्यक्ष : नहीं, हरेक बहुत इंपार्टेंट है। जो प्रश्न आते हैं, हरेक वेरी इम्पार्टेन्ट हैं। वैसे आते ही नहीं हैं यहां।

सुश्री पुष्पा जैन : अगर इन वैज्ञानिकों के आधार पर, इस विसरा रिपोर्ट को सदन में नहीं कहूंगी तो मैं ऐसा समझती हूं कि न तो मैं अपने साथ न्याय करूंगी और न उस मृतका के साथ न्याय करूंगी।

श्री अध्यक्ष : विसरा रिपोर्ट मेरे सामने है और यह सी.आई.डी., सी.बी. से हुई थी, उसको एक्जामिन कर लेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे कहूंगी ? मैं इन विशेषज्ञों की राय के आधार पर कहना चाहती हूं कि अगर आप, और किसी को भी, नहीं मानते, तो ज्ञान प्रकाश शर्मा, जो 19 साल तक इस प्रयोगशाला के डाइरेक्टर रहे हैं और एक तरीके से फादर आफ दिस लेबोरेट्री हैं, और फाउण्डर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जांच में मेलाथियोन को स्पष्ट पाया गया है, तो ऐसी दशा में रिपोर्ट को निगेटिव नहीं किया जा सकता है। यह वह व्यक्ति कह रहा है, जिसने 19 साल तक इस लेबोरेट्री को अपनी सेवाएं दी हैं। वह आदमी कभी असत्य नहीं कह सकता, मंत्री महोदय। उन्होंने आज कहा, कि विसरा में मेलाथियोन अकारण नहीं आ सकता, अगर आता है, तो विश्लेषक इसकी कड़ी जांच करता है, अपनी जांच शीट में बाकायदा दर्ज करता है।

श्री अध्यक्ष : अब थोड़ा बंद करें, अब नहीं।

सुश्री पुष्पा जैन : सुनिये मेरी....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष जी, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा....

श्री माणक डाणी : श्रीमती उमा शर्मा के मामले में जो....

श्री अध्यक्ष : नो, नॉटउड अला। नोबॉडी इज अलाउड। पुष्पाजी।

श्री माणक डाणी : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोबॉडी इज अलाउड। किसी का नोट नहीं करने दूंगा।

श्री माणक डाणी : ×××

श्री मानिकचन्द सुराना : × × ×

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक क्वेश्चन्स रख रही हैं, पुष्पाजी।

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह एक का है, किसी का नहीं है। पुष्पा जी, She is competent.

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री अध्यक्ष : नहीं, नोट नहीं किया जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री अध्यक्ष : पुष्पाजी करेंगी।

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री अध्यक्ष : She is competent.

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री मानिकचन्द सुराना : × × ×

श्री अध्यक्ष : नो, नो। नो सप्लीमेंट।

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री मानिकचन्द सुराना : × × ×

श्री अध्यक्ष : नो एण्ड टू इट, नो एण्ड टू इट।

श्री मानिकचन्द सुराना : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री अध्यक्ष : सदन की प्रोपर्टी है, मैं जानता हूं। आइ नो इट। पुष्पाजी, और किसी को नोट नहीं करेंगे। पुष्पाजी।

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री मानिकचन्द सुराना : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : किसी का नोट नहीं करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : जिनका है उनको रोक रहे हैं। पुष्पाजी, आई विल नॉट अलाउ एनीबडी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : लैट हर फिनिश। पुष्पा जी, कृपया और क्वेश्चन्स कर लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : नो, नॉट इंट्रप्ट, किसी का नहीं लिखेंगे। जिन्होंने रखा है उनका

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

तो नहीं लिया, लेकर उठ जाते हैं, जिनका है, जिन्होंने रखा है She has every right to speak.

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञानुसार संक्षेप में राज्य सरकार को यह कहना चाहती हूं कि ये दोनों विसरा रिपोर्ट जो अखबारों में भी छपी हैं और आप चाहें तो उसकी फोटो कॉपी मैं आपको भी पेश कर सकती हूं, इन दोनों विसरा रिपोर्टों में आप स्वयं डॉक्टर पाठक जो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जूरिस्ट हैं, उनकी राय को देख लें, उनकी राय की जानकारी ले लें। डॉक्टर बरार, जिनको कि मैंने अभी पढ़ा, आप उनकी राय का भी इत्तफाक कर लें और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा, जो 19 साल तक इस विधि शाला के डाइरेक्टर रहे हैं, आप उनकी राय का भी इत्तफाक कर लें....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

सुश्री पुष्पा जैन : उसके बावजूद अगर आपको यह लगता है कि दूसरी वाली विसरा रिपोर्ट जो रिपोर्ट नेगेटिव दी है, वह अगर गलत है तो यह बहुत बड़ा संगीन जुर्म बनता है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये, बहुत टाइम हो गया आपको।

Don't take much time. I have given you sufficient time. माननीय मंत्री।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री मानिकचन्द सुराना : ×××

श्री अध्यक्ष : नो पहले रिप्लाई आयेगा। No, no. I am not guided by anyboby.

श्री माणक डाणी : ×××

श्री अध्यक्ष : No, no. I will not allow.

श्री माणक डाणी : ×××

श्री अध्यक्ष : किसी का नहीं लिखा जायेगा।

श्री मानिकचन्द सुराना : ×××

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठिये।

श्री मानिकचन्द सुराना : ×××

श्री अध्यक्ष : I have given more time.

सुश्री पुष्पा जैन : मैं संक्षेप में आपको तथ्य....

श्री अध्यक्ष : इतनी देर कर क्या रही थीं? दस मिनट हो गये, पन्द्रह मिनट हो गये आपको।

सुश्री पुष्पा जैन : अब अध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में तो डिस्टर्ब होते हैं, उनको आप रोकते नहीं....

श्री मानिकचन्द सुराना : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 50

(50)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। नो-नो, किसी का नहीं लिखा जायेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि यह रफ नोट बनाने की यहां आवश्यकता क्यों पड़ी और अगर रफ नोट बनाया भी था तो फिर यह इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज था कि पहले रफ नोट में पोजिटिव आई और दूसरे नोट में नेगेटिव आई....

श्री अध्यक्ष : हाऊ मच टाईम, मैं एक-एक को कितना टाइम दूं ?

सुश्री पुष्पा जैन : जबकि दूसरी रिपोर्ट में रिपीट शब्द यूज किया जाता है तो इस रिपोर्ट में मैं जानना चाहती हूं कि रिपीट शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया ? जबकि दोनों रिपोर्ट्स में अन्तर था, एक नेगेटिव थी, एक पोजिटिव थी। ऐसी सूरत में क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, समझ गये। माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्षजी, मैं, माननीय सदस्या, पुष्पाजी की जो भावनाएं हैं उनकी कद्र करता हूं क्योंकि वह काफी दिनों से आपको भी निवेदन कर रही थीं और समझ रहा हूं कि यह केस ऐसा है जिसके बारे में समाचार पत्रों में भी बहुत कुछ आ चुका है। मैंने इस केस को उसी गम्भीरता से लिया है जो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी का नहीं लिखेंगे। जिसको मैं नेम कर दूं उसी का लिखेंगे।

श्री अशोक गहलोत : जो जवाब मैंने भिजवाया है, जिसको स्पीकर साहब ने अभी बताया उसके अलावा जो भी तथ्य आपने रखे हैं....

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सुनेंगी पहले। यह गलत बात है।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : आप रिप्लाई नहीं सुनना चाहती हैं, मैं नैक्स्ट ले लूं ?

सुश्री पुष्पा जैन : X X X

श्री अध्यक्ष : May I take next ?

सुश्री पुष्पा जैन : X X X

श्री अध्यक्ष : May I take next ?

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाह रहीं।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सुनना चाह रही हैं कि नहीं सुनना चाह रहीं ? वे जवाब दे रहे है, सुनना चाह रही हैं कि नहीं सुनना चाह रहीं ?

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : I am taking next नैक्स्ट श्री चम्पालाल बांठिया।

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया, नेक्स्ट ।

You don't want to hear the reply.

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहती हैं । श्री चम्पालाल बांठिया । माननीय मंत्रीजी, आप बैठ जायें, आपको सुनने की जरूरत नहीं है ।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या सुनना नहीं चाहतीं, वे अपनी कहना चाहती हैं, नोट नहीं किया जाय । चम्पालाल बांठिया ।

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई सुनना ही नहीं चाहता, सब अपनी कहना ही कहना चाहते हैं । वाट इज दिस ? यानि मिनिस्टर जवाब दें, उसको आप सुनेंगे नहीं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री कालीचरण सराफ : XXX

श्री भैरोंसिंह शेखावत : XXX

श्री अध्यक्ष : बोलने तो दीजिए, सवाल यह है । माननीय मंत्रीजी ।

श्री कालीचरण सराफ : XXX

श्री अध्यक्ष : Nobody wants to hear the reply.

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ? माननीय मंत्रीजी, कृपया बोलें ।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्षजी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस केस के बारे में तथ्य आपके सामने रख दिये गये हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि एक ऐसी घटना जिसके लिए आज सबका चिन्तित होना वाजिब ही है इसलिए माननीय सदस्या जो बात कह रही हैं, जो नये तथ्य रख रही हैं, मैं उसकी बारीकी से जांच करवा लूंगा । दूसरी बात, जो माननीय सदस्य और भी बोलना चाहते हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी तथ्य वे देना चाहें वह लिखकर दे दें.... (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे, He is a senior member. (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल गलत बात है । नो, आई विल नॉट अलाऊ ।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक नहीं है । वे रिप्लाई कर रहे हैं, You don't want to hear him.

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No. 52

(52)

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहतीं। यानि वह जवाब नहीं दें। आप जवाब क्यों नहीं सुनना चाह रहीं? (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : It is very sad. You are a very senior member.

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री नत्थी सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : यानि, You don't want to hear.

श्री नत्थी सिंह : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं.... (व्यवधान) उनको सुनना चाहिए पहले।

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री अध्यक्ष : पहले सुन तो लीजिए उनको। मैं कह रहा हूं सुन लीजिए.... (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री कालीचरण सराफ : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं जानता हूं कि वे वैरी इन्टेलीजेंट हैं....(व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते, सरकार की।

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : किसी का नहीं लिखा जाय। मैं चाहता हूं कि पहले सरकार का जवाब सुनेंगे और फिर अपनी फीलिंग्स....

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इसकी जांच किसी भी स्तर पर करवाने में कोई एतराज नहीं है। मैं इस केस को बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि अभी हमारी सी. आई. डी. में इसकी जांच चल रही है, अभी एडीशनल एस. पी. स्तर का अधिकारी जांच कर रहा है। आप कहें तो मैं इसको एस. पी. स्तर पर करवा दूं, डी. आई. जी. स्तर पर करवा दूं। उसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्यों को कोई एतराज होगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि इसको सी. बी. आई. में भिजवाया जाय।

श्री रमजान खां : XXX

श्री मानिकचन्द सुराना : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 53

(53)

श्री अध्यक्ष - नेक्स्ट; श्री चम्पालाल बांठिया....(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया। किसी का नहीं लिखेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सुराना जी, He wants to make some clarification.

श्री माणक डाणी : XXX

श्री अध्यक्ष : नो–नो। सुराना जी। He has to give some clarification.

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री मानिकचन्द सुराना : मेरा आपके माध्यम से गृह मन्त्री को सुझाव यह है कि इस सारे मामले को आपने काफी गम्भीरता से देखा है, इसमें अभी जो ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वह बात बिल्कुल सही है कि लड़की के पिता ने इसकी सी. आई. डी. से जांच कराने का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, सी. आई. डी. से जो जांच हो रही है उसके विभिन्न स्तरों को हम लोगों ने बारीकी से देखा है। हमारा कोई विश्वास इस मामले में अब राजस्थान की पुलिस पर नहीं है। आप भारत सरकार की सी. बी. आई. से इसकी जांच करायें।

श्री अशोक गहलोत : मेरी जानकारी है उसके अनुसार उसके पिता ने-....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : उसके पिता आप से फिर मिल लेंगे। उसके पिता हम लोगों से बार-बार कह रहे हैं। आप सी. बी. आई. से जांच करा लें, भारत सरकार की सी. बी. आई. से जांच करा लें यह मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

यह लड़की 27 वर्ष की थी। आर. ए. एस. पास थी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम पास किया था। एक साधारण लड़की नहीं थी, ऐसी लड़की की हत्या, जिसमें कहा गया कि वह सुसाइड है इस मामले में जैसा आप भी चाहते हैं कि रहस्योद्घाटन हो। सी. बी. आई. से इस मामले की जांच करायें तो ही इस मामले में न्याय हो सकता है।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, मैं कह चुका हूं कि उस लड़की के फादर ने भी रिक्वेस्ट की थी कि सी. आई. डी. से जांच करायें, यह मेरी जानकारी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये। आप सुन लीजिये।

श्री अशोक गहलोत : मेरी जानकारी के अनुसार लड़की के फादर ने भी रिक्वेस्ट की, सी. आई. डी. को लिखकर, उसके बाद में मैं यह कह चुका हूं कि इसके बारे में सी. आई. डी. के आई. जी. स्तर से

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

इसकी जांच करा लूंगा अगर उसमें यह सच पाया गया और जरूरत समझी गई तो माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मुझे सी. बी. आई. से जांच कराने में एतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चम्पालाल बांठिया।

सुश्री पुष्पा जैन : आप उस लेबोरेटरी को सीज करिये। विनोद चौधरी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो, पुष्पाजी। अब इनका नोट नहीं करेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : यह बहुत गलत है। माननीय पुष्पाजी, बहुत क्लियर आ गया है। यह बहुत गलत है। यू हैव टेकन वेरी मच टाइम। पुष्पाजी।

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति के घर में ब्यावर की एक लड़की थी श्यामा नाम की उसकी भी हत्या हो चुकी है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : On a point of privilege कल भी प्रेस किया था, आज भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने श्री ललित भाटी, मंत्री के खिलाफ आपको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था उसमें सारे डाक्यूमेण्ट बनाकर दिये हैं। उन डाक्यूमेण्ट्स में उन्होंने 1947 की रजिस्ट्री बतायी थी, मैंने 1987 की रजिस्ट्री आपके पास पेश की है। मैंने यू. आई. टी. का खसरा नम्बर आपको पेश किया है, मैंने फोटो कापी पेश की है, मेरे कहने के हिसाब से उन्होंने जो कुछ सदन में कहा बिल्कुल असत्य है। उनको मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। सदन को गुमराह किया है। यह सारे कागजें मेरे पास हैं। आज इस पर बहस करायें।

श्री अध्यक्ष : मेरी सुनिये। मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूं और इस स्तर पर सरकार से भी और उनसे भी जवाब मांगा है। उस पर इसी सत्र में करूंगा। I am examining.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी सत्र में निर्णय ले लेंगे?

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल इसी सत्र में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 26 तारीख तक कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां। I am examining.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने सारे डाक्यूमेण्ट आपको दे दिये।

श्री चम्पालाल बांठिया : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने जो तथ्यात्मक विवरण दिया है, वह तथ्यों से बिल्कुल परे है। तथ्यों को छिपाया गया है।

श्री अध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप ?

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री चम्पालाल बांठिया : इसको थोड़ा सा आप देखें। अकाल के मामले के अन्दर भी वहां के जिलाधीश जो कुछ भी लिख कर दे दें उसको यहां बता दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें छिपाने की बात क्या है? जो नहीं कर पाये उसको छुपाने की जरूरत नहीं है और इसी पवित्र सदन में माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने, तत्कालीन मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि 100 प्रतिशत जहां पर खराबा है वहां अगले महीने से काम शुरू कर दिया जायेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं जुलाई, 1988 में यह काम बंद कर दिये गये और जुलाई, 89 तक आज तक कोई काम नहीं किया गया है। यह सरकार मान रही है कि इस वर्ष अकाल है, 100 प्रतिशत खराबा है। यह आश्वासन किस आधार पर मंत्री महोदय ने दिया है। मैं समझता हूं कि यह सदन की अवमानना है और उस गरीब जनता के साथ खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी की गयी है। किस तरह का उत्तर दिया गया है कि यहां सत्तू बांटा गया, यह काम किये हैं और इतने मजदूर लगाये गये। एक वर्ष में एक मजदूर कहीं पर नहीं लगाया गया। 100 प्रतिशत खराबा होने के बावजूद सरकार कहती है कि क्रय शक्ति खत्म नहीं हुई। कहां से क्रय शक्ति उत्पन्न हो गई। कहां से पैसा आ गया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे के सारे दूर दराज के स्थानों पर लोगों की स्थिति दयनीय है। लोग बीमार पड़े हैं। सारे रास्ते ठप्प हैं बालू रेत से और यह कह रहे हैं कि हमने रास्ते साफ करने के लिए कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सन्तरा के अन्दर 6 महीने से बसें नहीं जा रही हैं। खोक्सर, लापूतरा में बसें नहीं जा रही हैं। जहां बसें जाती हैं वहां बस मालिक स्वयं फावड़ा और तगारियां लेकर के धक्का देकर लोग बस को निकालते हैं। सारे रास्ते जाम पड़े है हम, वहां पर पीने का पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। यह कहते हैं कि दवाखाने खुल रहे हैं। दवाखाने लगभग सबके सब बंद हैं। मै यह कहना चाहता हूं कि मुझे जवाब दें मंत्री महोदय कि सन्तरा प्रयाग, कोपालिया के सब सेण्टर खुले हुए हैं क्या? कल्याणपुर जैसा बड़ा स्थान है, रोड के ऊपर है वहां के सब सेन्टर में कम्पाउण्डर आज चार महीने से छुट्टी पर है। कोई सम्भाल करने वाला उसमें नहीं है और वहां से चलकर बालोतरा जो बड़े स्थानों में आते हैं, इलाज कराने के लिए वहां पर डाक्टरों का यह जवाब मिलता है कि डाक्टर कैम्प के अन्दर हैं। आप बताइये ऐसी स्थिति में लोगों का क्या होगा? क्रय शक्ति खत्म हो गई, एक पैसे का काम नहीं दिया गया। कोई मजदूरी नहीं दी गई। पीने के पानी का भयंकर सकट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी से तत्काल उपाय नहीं किये गये तो लोग पीने के पानी की वजह से मरेंगे। इस प्रकार की स्थिति है। आज पूरे क्षेत्र के अन्दर बरसात की कमी है, बुवाई नहीं हो पाई है और जहां बरसात हुई है वहां पर जो पुराने कर्जे थे इसको नहीं चुकाने के कारण ग्राम सेवा सहकारी समितियों से काश्तकारों को लोन लेने में कठिनाई है। इस प्रकार की स्थिति है और यह सरकार सहज रूप में ले रही है। मुझे बड़ा क्षोभ है, दुख है, इस बात का कि इस तरह की

(श्री चम्पालाल बांठिया)

बात के ऊपर यह सरकार इस तरह की बात कर रही है, कोताही कर रही है, लीपा–पोती कर रही है। दो साल पहले जो काम किये गये उस काम को बता रही है। मुझे बतायें कि एक पैसे का भी काम दिया हो अकाल के मार्फत। अभी भी सारी जगह जहां भी मीटिंग हुई हैं वहां जिलाधीश खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं है। हम मजदूर नहीं लगा सकते हैं। आप सरकार से कहें। रास्ते बंद हैं, उन रास्तों के ऊपर हम मजदूर नहीं लगा सकते हैं। वहां के जिलाधीश यह कहते हैं सब जगह मीटिंगों के अन्दर। मंत्री जी उसका जवाब लिखकर देते हैं कि सब जगह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। उत्तर सुनें।

माननीय अकाल राहत मंत्री जी।

(विराम)

माननीय अकाल राहत मंत्री जी।

श्री चम्पालाल बांठिया : मैं चाहूंगा कि अकाल राहत मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायें। अभी मैंने तीन तारीख को जो प्रस्ताव दिया उसके बाद कहा कि मजदूर लगायेंगे और मजदूर कितने दिन रहेंगे ? इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्री जी।

श्री मानिकचन्द सुराना : सरकार अनुपस्थित है !

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत मंत्री जी। (व्यवधान)

आप सूरजपाल सिंह जी।

श्री मानिकचन्द सुराना : आपने पांच बार पुकार लिया, कोई नहीं आ रहा है। दे शुड बी सेन्सर्ड। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कोई सवाल है क्या, कक्षा है क्या ? ठहरो ठहरो कर रहे हैं। कहां है आपके मंत्री ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं।

श्री चम्पालाल बांठिया : आप अपनी पावर काम में लें, सरकार इस तरह ले रही है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मंत्री जी आयें तब तक मैं अपने विचार रख दूं। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : जो जवाब आया है वह गलत है।

श्री हरिमोहन शर्मा : बूंदी जिले में 55 गांव अकाल राहत में घोषित किये गये थे, एक भी गांव में काम शुरू नहीं हुआ।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : पांच बार आप पुकार चुके हैं और अकाल राहत मंत्री जी का कोई पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है। आपकी बात भी नहीं मानते। (व्यवधान)

श्री रमजान खां : उनको पता था इसलिए चले गये।

श्री ग्यारीलाल परिडवाल : बड़े शर्म की बात है।

श्री रमजान खां : एक तहसील के 50 गांव अकाल-राहत में घोषित किये पर एक नये पैसे का काम किया नहीं। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : आज विधान सभा में भी अकाल पड़ रहा है मंत्रियों का। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री जी आयें तब तक आप मुझे बोलने का मौका दें। मैं अपनी बात कह सकूं।

एक माननीय सदस्य : पशुपालन मन्त्री जी, आप ही खड़े हो जायं। आप बोल रहे हैं? तो खड़े हो जाओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अकाल राहत मन्त्री नहीं हैं, यातायात मन्त्री जी बैठे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक अकाल राहत मंत्री नहीं आते तब तक स्थगित कर दिया जाये हाउस को।

श्री गणेशलाल बैरागी : पूरे साल में एक भी गांव में काम नहीं हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं आयें तब तक आप स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अभी आने वाले हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या फायदा है? यह कोई तरीका नहीं है। क्या कार्यवाही करेंगे आगे?

श्री चम्पालाल बांठिया : सारे फर्जी आंकड़े हैं। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हां, ये सारे फर्जी आंकड़े हैं। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार जानती है, आप उसको सैंक्शन तो करिये।

श्री गणेशलाल बैरागी : जवाब आने में भी अकाल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य, ऐसा है अकाल राहत मन्त्री जी बैठे हुए हैं लेकिन जो धारा 50 है उसमें हम सूचना नहीं देते हैं, उसमें सूचना टाइम करके माननीय सदस्यों को देते हैं।

श्री चम्पालाल बांठिया : यह सूचना आती कहां से है? मेरे को उत्तर दिलवाओ आप।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना आई कहां से है? राज्य सरकार से यह सूचना आई है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, इसका स्पष्टीकरण मैं भिजवा दूंगा।

श्री गणेशलाल बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज करना चाहता हूं इस सरकार को पूरे तहसील के 50 गांवों में एक रुपये का काम नहीं कराया है अकाल राहत मंत्री ने, अगर कराया हो तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : सूचित नहीं किया गया था। माननीय बांठिया जी, मैंने आपसे कह दिया था। (व्यवधान) 295. श्री शंकर-लाल अहारी।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय मुझे तो बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल अहारी।

श्री हेमाराम चौधरी : 'अकाल का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको तो भुगतान आप करवा दें, कम से कम यह तो आश्वासन दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने का मैं टाइम दिला दूंगा।

श्री शंकर लाल।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राजस्थान सरकार एवं माननीय सिचाई मंत्रीजी का ध्यान डूंगरपुर जिले के सिचाई से सम्बन्धित 'निम्न समस्याओं' की ओर दिलाना चाहता हूं।

हम डूंगरपुर जिले के विधायक आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर में सिचाई विकास की गति को साकार स्वरूप प्रदान कराने हेतु निम्नानुसार बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत है :–

1. जिले में कुल 69 बांध हैं जिनका कमाण्ड एरिया 15,900 हैक्टेयर है और नहरों की लम्बाई 274 किलोमीटर है। अधिकांश बांध छोटे–छोटे व दूर-दूर हैं तथा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं। टुकड़ों–टुकड़ों में कमाण्ड एरिया होने से नहरों की लम्बाई और उन पर पुलिया इत्यादि ज्यादा है। उक्त कारणों से रख-रखाव की लागत सामान्य से ज्यादा आती है। अतः विशेष परिस्थिति को देखते हुए 150 रुपये प्रति हैक्टेयर के स्थान पर इस जिले के लिए 250 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से रख–रखाव मद में बजट दिया जाना चाहिए। ताकि इन बांधों व नहरों का समुचित रख-रखाव हो सकें। कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सकें।

2. डी.पी.ए.पी. मद में पांच योजनायें जोगीवाडा, मेथो का पाडाला, कोचरी-अम्बाडा, बोरखेड और भोईयों का नाका अभी बजट के अभाव में बन्द पड़ी है। इनकी कुल स्वीकृत लागत 115.23 लाख रुपये, संशोधित लागत 180.87 लाख रुपये व मार्च, 1989 तक का व्यय 140.48 लाख रुपये हैं तथा शेष लागत 40.39 लाख रुपये हैं। सिचाई क्षमता 464 हैक्टेयर है। पहली चार योजनाओं पर बांध के कार्य पूरे हो गये, लेकिन कुछ मुआवजे का भुग–तान तथा नहर कार्य बाकी है जबकि पांचवी योजना पर कार्य पूरे हो गए। बांध पर कुछ कार्य तथा मुआवजे का भुगतान बाकी है। 80 प्रतिशत व्यय हो जाने पर भी इन योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा है। अतः शीघ्र शेष राशि का आवंटन आवश्यक

(श्री शंकरलाल अहारी)

है ताकि शेष कार्य को पूर्ण कर सिचाई सुविधा का लाभ दिया जा सके।

3. यद्यपि यह क्षेत्र ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत आता है लेकिन वर्तमान में केवल एक लघु सिंचाई योजना झांकरी का नाका पर 1.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो नगण्य है। बांसवाड़ा जिले की लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 99 लाख रुपये व उदयपुर जिले की तीन ट्राइबल तहसीलों के लिए 77 लाख रुपये इस वर्ष रखे हुए हैं। अतः डूंगरपुर जिले के लिए ट्राइबल मद में समुचित राशि रखी जानी चाहिए। इसी प्रकार लघु सिंचाई मद के स्टेट प्लान में भी कोई प्रावधान डूंगरपुर जिले के लिए नहीं किया गया है।

(12.45 अपराह्न)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

4. जिले में 11 करोड़ 55 लाख रुपये लागत की 11 योजनायें ऐसी हैं जो प्रशासनिक रूप से स्वीकृत हैं तथा जिन पर एन. आर. ई. पी., आर.एल.ई.जी.पी. या फेमिन, आदि में लगभग 74 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। शेष लागत 10 करोड़ 81 लाख रुपये है तथा सिंचाई क्षमता 4086 हैक्टेयर है। इनमें वर्षों से अधूरी पड़ी योजनायें- अमरपुरा, मेवाडा, कांकरीसेल का नाका, शीथल, रामसोर, मनपुर आदि हैं, इनको शीघ्र पूरा करने के लिए तत्काल ट्राइबल या लघु सिंचाई मद स्टेट प्लान में लिया जाना चाहिए।

5. जिले में कुल 50 कार्य एन.आर.ई.पी. या आर.एल.ई.जी.पी. में लिये गये हैं जिनमें से 12 पूरे हुए हैं, एक अन्य मद में स्वीकृत हुआ है, ड्राप कर दिया गया है, और जवाहर रोजगार योजना में लिये गये हैं। इस प्रकार 24 कार्य शेष रहते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए 188.94 लाख रुपये चाहिए इनमें 4.5 लाख की देनदारियां भी हैं।

6. जिले में चार योजनाओं-गढ़ा जुमकी, आरा, डोलवारियों का ओडा व छोडा काठ का नाका का सर्वेक्षण कर प्रशासनिक तखमीने बनाए जा चुके हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है। कुल लागत 245 लाख रुपये व सिंचाई क्षमता 588 हैक्टेयर है। 9 योजनाओं पर सर्वेक्षण चल रहा है परन्तु वर्तमान में जिले में सर्वेक्षण विभाग नहीं होने से हमारे सर्वेक्षण में बड़ी दिक्कत आ रही है।

7. जिले में वर्ष 1987-88 की अतिवृष्टि में चार बांध टूट गये थे व नहरें क्षतिग्रस्त हुई थीं। अकाल राहत के अन्तर्गत इनमें से दो बांध ठाकरडा व जेठाना वापस निर्मित हुये लेकिन नहरों का कार्य बाकी है। दो बांधों तेजौर व डैयाना का पुनर्निर्माण बाकी है। इन कार्यों की शेष लागत 37.76 लाख रुपये है व सिंचाई क्षमता 101 हैक्टेयर है।

8. अकाल राहत के 104 कार्यों में से 21 कार्य अधूरे रह गए हैं जिनमें 8 एनिकट व 13 विभागीय बांधों व नहरों के सुधार कार्य हैं। शेष कार्यों की लागत 64.47 लाख रुपये हैं। इन्हें शीघ्र पूरा कराना आवश्यक है जिनसे 585 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

(श्री शंकरलाल अहारी)

9. पंचायत समितियों के अधीन कई तालाब हैं जिनमें मामूली सुधार कर 50 एकड़ से अधिक सिंचाई हो सकती है। वर्तमान में रख रखाव के अभाव में इनसे नगण्य सिंचाई होती है। ये तालाब विभाग को हस्तान्तरित किये जाने चाहिये।

10. वर्षों पहले बने बांधों व नहरों को आज की स्थिति से आधुनिकीकरण करने का कार्य करने पर कम लागत में अधिक सिंचाई क्षमता बढ़ सकती है वह सीपेज आदि से जो भूमि नकारा हो रही है वह भी बच सकती है। अतः लघु सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लेना चाहिए।

11. इस जिले में कोई भी जगह पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं है। जबकि कई बांधों पर बड़ा सुन्दर प्राकृतिक दृश्य है व भवन आदि भी हैं जैसे–मारगिया, टामटिया, लोडेश्वर, पूंजपुर, ओडिगामा आदि है। इन्हें पर्यटन की दृष्टि से मनोरंजन केन्द्रों के रूप में विकसित करने की योजना बनाकर उसको क्रियान्वित करना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रेषित विकट सिंचाई समस्याओं का निवारण कृपया तत्काल प्रभाव से जनता को लाभान्वित कराने हेतु बजट का प्रावधान कराते हुए आवंटन के आदेश प्रसारित करायेंगे।

उपरोक्त डूंगरपुर जिले की सिंचाई सम्बन्धित समस्याओं पर, आशा है राज्य सरकार अविलम्ब ध्यान देकर इन समस्याओं का निदान करेगी जिससे जनता को राहत मिलेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री हेमाराम चौधरी : अकाल पर मेरा भी है। अध्यक्ष जी ने इजाजत दी थी कि आपको अकाल पर बुलाऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरनसर) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विद्युत मण्डल के अध्यक्ष श्री आर. सी. दवे की मिलीभगत से डी. सी. एम, कोटा को फरवरी, 87 से कास्टिक सोडा निर्माण के बहाने दी गई सस्ती बिजली की रियायत जिसके फलस्वरूप विद्युत मण्डल को करीब ढाई करोड़ रुपया प्रति वर्ष का नुकसान होता है, के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करता हूं।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि डी. सी. एम., कोटा व विद्युत मण्डल के बीच 50 मेगावाट कनेक्शन का एक करार था जिसकी अवधि अगस्त, 1988 तक थी लेकिन 18 महीने पहले ही फरवरी, 87 में श्री आर. सी. दवे ने करार को समाप्त कर दिया तथा करार की इस संख्या 24 व 33 में वसूलने योग्य डेढ़ वर्ष की मिनिमम चार्ज की राशि 3.44 करोड़ रुपया कम्पनी से वसूल नहीं की। पचास मेगावाट के करार को समाप्त कर दो नए करार, एक तीस मेगावाट व दूसरा बीस मेगावाट का किया गया तथा मण्डल के वित्तीय स्थिति के विप-

(श्री मानिकचन्द सुराना)

रीत 20 मेगावाट के करार में कास्टिक सोडा के नाम पर सस्ती दरों पर बिजली दी गई। नए करार के अन्तर्गत 20 मेगावाट बिजली कनेक्शन पर अनुमानित 10 करोड़ यूनिट सालाना की खपत पर 25 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से कम्पनी को ढाई करोड़ रुपया सालाना का लाभ पहुंचाने की साजिश श्री आर. सी. दवे ने की।

राज्य सरकार ने एक आदेश के द्वारा उन उद्योगों को जिनमें केवल कास्टिक सोडा का उत्पादन होता था तथा जिनके कास्टिक सोडा उत्पादन में खपत हुई बिजली को नापने का अलग से मीटर उपलब्ध था, को सस्ती बिजली देने का प्रावधान किया। उक्त निर्णय राज्य सरकार ने मुख्य रूप से मोदी अलकलीज, अलवर को सस्ती बिजली देने की दृष्टि से किया था जिसकी कड़ी आलोचना राज्य विधान सभा में उक्त रियायत देने के तत्काल बाद की गयी थी। राज्य सरकार की विज्ञप्ति की किसी भी व्याख्या से डी. सी. एम. कोटा को सस्ती बिजली दिया जाना सम्भव नहीं था क्योंकि न तो डी. सी. एम. कोटा मूलतः कास्टिक सोडा उत्पादन की कम्पनी थी और न ही इसमें कास्टिक सोडा के लिए अलग मीटर था। डी. सी. एम. कोटा मुख्य रूप से पी. बी. सी. व कैल्शियम कार्बाइड बनाने का कारखाना है तथा इसके लिए क्लोरीन व हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है जो कम्पनी में ही उत्पादित किया जाता है। इसी इंटीग्रेटेड व ओटोमैटिक प्रोसेज में एक स्टेज पर कास्टिक सोडा भी आवश्यक रूप से बन जाता है। अतः डी. सी. एम. को कास्टिक सोडा बनाने का कारखाना नहीं कहा जा सकता और न इसमें कास्टिक सोडा में खपत हुई बिजली को पृथक किया जा सकता है और न पृथक से नापा जा सकता है।

उपरोक्त स्थिति को भली भांति जानते हुए भी श्री आर. सी. दवे, अध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने डी. सी. एम. कम्पनी से सांठ-गांठ की और नाजायज तरीके से कम्पनी को रियायत देने के लिए घटनाचक्र चलाकर के नीचे के अधिकारियों की मदद से षड्यन्त्र किया। सर्व प्रथम उन्होंने जान बूझकर अधीक्षण अभियन्ता कोटा का पद रिक्त रख कर एक कनिष्ठ अधिकारी पी. के. गुप्ता को कार्यभार सौंपा। इसी पी. के. गुप्ता के मातहत सहायक अभियन्ता के यहां कम्पनी ने एक तीस मेगावाट पी. वी. सी. के नाम पर व दूसरा बीस मेगावाट कास्टिक सोडा के नाम पर कुल दो कनेक्शन एप्लाई कर दिये। कम्पनी द्वारा कनेक्शनों के एप्लाई करने के पूर्व ही कम्पनी व श्री दवे के बीच सारी बातें तय हो गयीं और इसीलिए मात्र एक माह के अन्दर श्री दवे ने 50 मेगावाट के स्थान पर 30 व 20 मेगावाट के दो कनेक्शन मंजूर कर दिये। दो कनेक्शन देने के लिए कागजी आधार बनाने के लिए श्री पी. के. गुप्ता के माध्यम से श्री दवे ने रिपोर्ट बनाई कि कम्पनी ने अपने कनेक्शन से इलैक्ट्रीकली दो भागों में विभक्त कर लिया है। इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर मुख्य अभियन्ता से कोई टिप्पणी नहीं ली गई तथा रिपोर्ट को सही मानते हुए भी दवे ने दो कनेक्शन मंजूर कर दिये।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

कास्टिक सोडा के नाम पर 20 मेगावाट को अलग करने की रिपोर्ट बिल्कुल असत्य है। इस बात की जांच आज भी हो सकती है। कम्पनी में इस तरह संयन्त्र को दो भागों में बांटना असम्भव है। अतः 20 मेगावाट कास्टिक सोडा के नाम पर रियायती दर से दिये जाना विद्युत मण्डल के अध्यक्ष आर. सी. दवे की कम्पनी से की गई सांठ-गांठ व संयन्त्र का ही प्रतिफल था।

उक्त मामले में कम्पनी के दो कनेक्शनों के आवेदन पर द्रुतगति से कार्यवाही, कनिष्ठ अधिकारी पी. के. गुप्ता को अधिक्षण अभियन्ता का पद रिक्त रख अतिरिक्त कार्य भार देना व पी. के. गुप्ता द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर सारी कार्यवाही करना एक गम्भीर जांच का विषय है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तत्काल आदेश दिया जाना आवश्यक है।

श्री दवे द्वारा 50 मेगावाट के करार समय पूर्व समाप्त की एवज मिनिमम चार्ज के 3.44 करोड़ रुपया कम्पनी से वसूल न करना कम्पनी से उनकी सांठ–गांठ व षड–यन्त्र का ही एक हिस्सा है। इस सांठ–गांठ की प्राथमिकता में कुछ और तथ्य भी उल्लेखित करूंगा जैसे कि कम्पनी को दिये गये 44 लाख के मांग पत्र के पेटे कम्पनी ने केवल 28 लाख रुपये ही जमा कराये हैं और बाकी 16 लाख आज तक जमा नहीं कराये हैं। नियमों के अनुसार मीटर ग्रिड सब स्टेशन पर लगाने होते हैं लेकिन इस कम्पनी के मीटर उनकी प्रिमिसिस में ही लगा दिये गये हैं और 132 के. वी. की एक नई लाइन आज तक नहीं खींची गई है। ऐसा करके श्री दवे ने कम्पनी से मीटरों में हेरा फेरी करने की छूट दे दी है तथा डेढ लाख रुपये सालाना का लाइन में छीजत का घाटा भी बिजली बोर्ड के खाते में डाल दिया है। हेराफेरी का प्रमाण इस बात से मिलता है पहले महीने सस्ती दर वाले मीटर में 22 लाख यूनिट आए तथा तीसरे महीने बढ़कर 52 लाख यूनिट हो गये। श्री दवे ने इन तथ्यों को उनकी जानकारी में लाये जाने के बावजूद आंखें मींच लीं जो कि उनकी सांठ-गांठ व षडयन्त्र पूर्वक सस्ती बिजली दिये जाने के घटना चक्र का ही एक अंग है। सांठ गांठ का एक अन्य ज्वलन्त प्रमाण है। कम्पनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाने के बावजूद और बकाया 8 करोड़ के एक मुश्त वसूली का अधिकार होते हुए भी तथा मण्डल के वित्तीय नियंत्रक एस. एस. परनामी द्वारा कम्पनी की बैलेन्स शीट के अध्ययन के बाद कम्पनी को एक मुश्त भुगतान में पूर्ण सक्षम पाये जाने के बावजूद श्री दवे ने बकाया 24 किश्तों पर ब्याज के रूप में मण्डल को करोड़ों के घाटे में रख दिया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि डी. सी. एम. कोटा को श्री आर. सी. दवे अध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा दी गई सस्ती बिजली की रियायतों के लिए सम्बन्धित कार्यवाही की जाये और श्री दवे की इस मामले में सारे कन्डक्ट की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच की राज्य सरकार द्वारा घोषणा की जावे और उक्त मामले में विद्युत मण्डल को अब तक हुए

(श्री मानिकचन्द सुराना)

करीब 10 करोड़ के नुकसान के लिये जिम्मेवार ठहराकर श्री आर. सी. दवे को तत्काल पद से मुक्त किया जावे।

श्री सभापति : श्री रमजान खां।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : सभापति महोदया, कार्य संचालन के नियम 295 के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मिली भगत से पवित्र तीर्थराज पुष्कर की पवित्रता को नष्ट करने के सम्बन्ध में आपके माध्यम से विशेष उल्लेख द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षिक करना चाहूंगा। तीर्थराज पुष्कर की पवित्रता का प्रश्न मेरे से या पुष्कर की जनता से ही नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। इस सम्बन्ध में पिछले साढ़े चार वर्षों में लगातार विधान सभा के पवित्र सदन में तथा विधान सभा के बाहर समय समय पर सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। मुख्य विषय पवित्र सरोवर के चारों ओर चलने वाले अवैध होटलों को हटाने का रहा है। इस प्रश्न पर पुष्कर तीर्थ मण्डल की लगातार बैठकों में दिनांक 15.4.87 एवम् 12.9.88 जिनकी अध्यक्षता स्वयं मुख्य मंत्री जी करते रहे हैं। इन होटलों को हटाने के बराबर निर्णय होते रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, इन बैठकों में आपने स्पष्ट आदेश दिये थे कि इन अवैध होटलों को तत्काल हटा दिया जाये। परन्तु इसके बावजूद नोटिफाइड एरिया कमेटी कभी तो कहती है न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं और कभी कहती है कि चालान खारिज हो गये हैं और कभी यह बहाना कर देती है कि नियमों में संशोधन करने हेतु राज्य सरकार के आदेश अभी तक राज पत्र में प्रकाशित नहीं हुये हैं। कभी बैठकों की कार्यवाही प्राप्त नहीं होने का बहाना बनाती रहती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार स्वयं इन होटलों को हटाने में गम्भीर नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक नोटिफाइड एरिया कमेटी के अन्दर सचिव की नियुक्ति कर रखी है मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी वहां के सचिव को नहीं हटाया गया है क्योंकि इन होटलों को स्थानीय सांसद, मंत्री, कांग्रेस विधायक और पुष्कर के अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का संरक्षण प्राप्त है।

जब भी इसे हटाने की बात आती है यह लोग अपनी शिकायत लिख कर मंत्री महोदय को दे देते हैं और स्थानान्तरण यथावत करने में लगे रहते हैं। यह लोग इन होटलों में बैठ कर रोज रंगरेलियां मनाते हैं जिससे पुष्कर की पवित्रता नष्ट करने में भागीदार बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाये रखने हेतु राजनीति बीच में दीवार बन कर खड़ी हो गयी है। इससे खेदजनक बात सरकार के लिए और कोई नहीं हो सकती। सरकार यह समझती है कि यदि इन अवैध होटलों को हटा दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को राजनीतिक लाभ मिलेगा और पुष्कर में कांग्रेस इससे कमजोर होगी परन्तु मैं इस पवित्र सदन में आखिरी बार कह रहा हूं कि यदि पुष्कर की पवित्रता रखने में सरकार ने अवैध होटलों को हटाने की सख्त कार्यवाही नहीं की, जिसके मुख्य मंत्रीजी द्वारा आदेश दे दिये गये हैं, तो देश की जनता मुख्य

(श्री रमजान खां)

मंत्रीजी और उनकी सरकार को धिक्कारेगी तथा कांग्रेस सदैव–सदैव के लिए पुष्कर से लुप्त होकर पवित्र सरोवर में डूब जायेगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं इसी तरह आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मिनि सीवरेज लाइन मोटर स्टैंड, गुरुद्वारा से लेकर रंगजी के मन्दिर तक बनाने की योजना पांच लाख 62 हजार की थी। योजना बन गयी, तखमीना स्वीकृत हो गया परन्तु इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आप को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 15.4.1987 को पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल की बैठक में पी.एच.ई.डी. को तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिये कि तीन महीने के अन्दर–अन्दर, मिनी सीवरेज लाइन डाल कर रिपोर्ट उनको दी जाय। वह कार्यवाही भी मेरे पास तैयार है, आप यदि चाहेंगे तो कार्यवाही भी बताऊंगा। परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सभापति महोदया, कि दो साल तीन माह गुजर गये परन्तु इस छोटी-सी योजना पर, जिसका खर्चा 5 लाख 62 हजार रुपए है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अभी तक इस कार्य को शुरू नहीं किया गया, इसका मुझे बहुत दुःख है। अब मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि यह योजना तुरन्त शुरू की जाय। इसके उपरान्त भी अक्टूबर, 1989 तक योजना शुरू नहीं की गयी तो मुझे मजबूर होकर राज्यपाल महोदय के निवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। मैं सरकार को यह चैलेन्ज दे कर जा रहा हूं कि अगर वह अच्छा चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में इसको शुरू कर दिया जाय वर्ना इसके नतीजे मैंने आपके माध्यम से सरकार को अवगत करा दिये हैं। मुझे विश्वास है सरकार इसमें गम्भीर बनेगी और शीघ्र निर्णय लेगी। आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री जगजीत सिंह : किसने नोटिंग किया है ? कौन नोटिंग कर रहा है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सभापति महोदया अच्छी तरह जानती हैं।

श्री सभापति : यह लिखित में स्वतः ही पहुंच जाता है। इतनी गम्भीर बात है यह पहुंचा हुआ है।

श्री रमजान खां : आप की तरफ से कोई व्यवस्था दीजिए।

श्री सभापति : सरकार व्यवस्था करेगी इट इज प्रिज्यूम्ड। श्री मोटाराम। (अनुपस्थित) श्री रामधन मीणा।

श्री रामधन मीणा (राजगढ़) : सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ जिला अलवर में बिजली की समस्या रखना चाहता हूं।

महोदया, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ की पंचायत समिति रैणी के लिए मण्डावर ग्रिड स्टेशन से 33 के.वी. की लाइन को जोड़ने के लिए दो वर्ष पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृति हुई थी और करीब आठ महीने पूर्व लाइन खिच गयी किन्तु रेलवे लाइन के ऊपर हो कर जाने वाले तारों के दो खम्भे गढ़ने बाकी हैं। रेलवे की स्वीकृति भी करीब 6-7 माह

(श्री रामधन मीणा)

पूर्व हो चुकी है किन्तु अधिकारियों की लापरवाही से लाइन का कार्य रुका हुआ है। इस सम्बन्ध में करीब 9-10 बार बिजली बोर्ड के अध्यक्ष से, मुख्य मंत्रीजी से और बिजली मन्त्रीजी से भी मिल चुका हूं। जब भी मिला जल्दी कार्य पूरा कराने का आश्वासन मिला। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि ग्रिड स्टेशन मण्डावर से पंचायत समिति रैणी की अधूरी लाइन को 15 दिवस में पूरा कराने के आदेश देवें तथा प्रगति से मुझे अवगत कराने का आदेश देने की भी कृपा करें। यह प्रश्न लोक हित का है, विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ जिला अलवर की जनता के हित का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 40 गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं। उनको भी विद्युतीकृत कराने का आदेश दिलाया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदया, बीकानेर के सूर सागर और गन्दे नालों के मसले से आप भी परिचित हैं। इस विधान सभा में 1985 से अब तक जो माननीय सदस्य आये हैं उनको भी यह पता है कि हर सत्र में मैं बीकानेर की इस गम्भीर समस्या सूर सागर का गंन्दा नाला, उठाता हूं। लेकिन मुझे बड़ा दुःख होता है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। पढ़ें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, मैं सरकार से चाहूंगा कि यह जो मसला मैंने हर सत्र में उठाया, मुझे आश्वासन भी दिया गया। विधि मन्त्रीजी बीच में पंचायती कर देते हैं क्योंकि उनको भी तकलीफ होती है जब बीकानेर आते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर इसमें फाइनेंस एड दिलावें।

(1.10 अपराह्न)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर में जूनागढ़ के सामने स्वच्छ जलाशय का निर्माण दो सौ वर्ष पूर्व किया गया था, जो कि वर्तमान व्यवस्था के कु-प्रबन्ध से शहर को गन्दे पानी का तालाब बना दिया गया है। जूनागढ़ जो कि ऐतिहासिक महत्व रखता है, जहां वर्ष भर में एक लाख से ऊपर पर्यटक आते हैं। सूरसागर के पास की सड़कों पर लोगों को नाक बन्द कर निकलना पड़ता है तो सूरसागर से सटती हुई बस्तियों के निवासियों की स्थिति सोचिये की किस प्रकार वह नारकीय जीवन जी रहे हैं। सारे शहर का आधा गन्दा पानी पक्के नालों के द्वारा रानीसर बास, पुलिस लाइन्स एरिया, पंवारसर, गिन्नानी, मेहरों का बास से होता हुआ सूरसागर तालाब में डाला जाता है व वहां से गन्दा पानी पम्प करके हनुमान हत्था, माजीसा का बास, रथ-खाना सादूल कालोनी, बड़े अस्पताल होते हुए शहर से बाहर निकाला जाता है।

सारी बस्तियों के नागरिक सरकार से फरियाद करके निराश हो गये हैं। इन्हीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

नालों व सूरसागर की वजह से 1981 व 1983 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। 1983 में तत्कालीन व वर्तमान मुख्य मंत्री ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी कमेटी की घोषणा की थी व उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी जो धूल चाट रही है। 1980 से लोग बराबर प्रदर्शन, धरना, भूख–हड़ताल कर अपना विरोध प्रकट करते आ रहे हैं लेकिन सरकार की नकटाई की हद हो गई है। इसी सूरसागर व गन्दे नालों की सफाई पर गत पांच वर्षों में ही 6.50 लाख रुपये व पानी निकासी पर 1981 से 1988 की आठ वर्ष की अवधि में कुल 12 लाख रुपये सरकार खर्च कर चुकी है। यदि यही 18 लाख रुपये पक्के नालों की मरम्मत व हर वर्ष 1000 फीट नाले को कवर (ढकने) करने में खर्च करते तो काफी समस्या का समाधान हो जाता साथ ही थोड़ी राशि और मिलाने पर सूरसागर तालाब के बाई-पास पर नाला भी बन सकता था।

अभी भी नालों की सफाई पर लाखों रुपये व्यय किये जा रहे हैं लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि पक्के नाले को ढकने व सूरसागर का बाई पास नहीं बनाया जावेगा। सूरसागर व पक्के नाले शहरी आबादी के लिये नासूर बन गये हैं, जनता बहुत परेशान है व सरकार की लापरवाही के प्रति काफी रोष है।

इसी प्रकार रेलवे लाइन के साथ–साथ बहने वाला गन्दा नाला आस-पास की आबादियों के लिये समस्या बना हुआ है व वर्षा ऋतु में गन्दा पानी घरों में आ जाता है अतः सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फेजेज में ही इसका स्थायी समाधान करे, लेकिन शीघ्र करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह राजस्थान के जो बेरोजगार युवक हैं और बेरोजगारी के कारण मारे मारे फिरते हैं, कोई रोजगार का साधन नहीं है, उससे वह और उनके परिवार के कितने पीड़ित हैं, इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि उसके पास रोजगार के साधन हों और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का यह पहला दायित्व है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिये अपने देश के नागरिकों हेतु रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करें। वर्तमान समय में हमारे देश में तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ ही रही है बल्कि राजस्थान प्रदेश की हालत और भी खराब है। वर्ष 1988 तक नियोजन कार्यालयों में 8,68,000 बेरोजगारों के नाम दर्ज थे जिनमें से सरकार ने मात्र 20,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। यह तो बेरोजगारों की वह संख्या है जो नियोजन कार्यालयों में दर्ज है जो भी अब 10 लाख से अधिक पहुंच गयी है जबकि रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या नगण्य है।

राज्य सरकार ने वर्ष 1983 से सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है इसके बाद जो नियुक्तियां की गई उसे बैक डोर एन्ट्री की संज्ञा दी जा सकती है। इस

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कारण कई योग्य व्यक्ति नियुक्ति से वंचित रह गये। इतनी अवधि से नियुक्तियों पर रोक लगी होने के कारण इस अवधि में कई शिक्षित नौजवान एवं डाक्टर, इंजीनियर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा को पार कर गये और आज उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वे भविष्य में क्या करेंगे। प्रत्येक माता-पिता अपनी सन्तान को इसी आशा से पढ़ाते हैं कि वह पढ़-लिख कर योग्य बनेगा और उनके भविष्य का सहारा बनेगा किन्तु जब इसे रोजगार का साधन नहीं मिलता तो सारी आशायें धूमिल हो जाती हैं। वर्तमान में रोजगार न मिल पाने के कारण शिक्षित लोगों द्वारा परेशान होकर आत्म हत्या करने की प्रवृत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है।

कुछ दिन पूर्व ही राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर वर्तमान में रिक्त पदों को समाप्त कर दिया है परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात रिक्त होने वाले पद स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे। इस आदेश के पश्चात् तो यह अपने आप ही स्पष्ट है कि अब बेरोजगारों को राज्य सेवा का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इस कारण उनमें भारी निराशा और असंतोष है। सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान करे किन्तु सरकार के पास रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली कोई योजना है ही नहीं।

कहने को शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के नाम पर 35,000/- का ऋण राज्य सरकार दे रही है किन्तु सब जानते हैं कि वह ऋण किनको मिल रहा है और अगर यह मान भी लिया जाये कि 35,000/- तक का ऋण राज्य सरकार दे रही है तो इस रकम से कोई उद्योग नहीं लग सकता। इस रुपये में मशीनरी आ भी गई तो वह कच्चा माल कहां से लायेगा और अपना उत्पादन कहां बेचेगा इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की यह योजना मात्र लोगों को गुमराह करने की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने रोजगार के नाम पर "जवाहर योजना" लागू की है जो अपने आप में विचित्र है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के एक सदस्य को 50 दिन तक काम देने का प्रस्ताव है। पहले से ऐसी कई योजनायें पूर्व में ही ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हैं, उन्हीं को समाप्त कर यह योजना लागू की है इस कारण यह कोई नई नहीं है।

दूसरा, पंचायतों को इस मद में जो राशि मिल रही है, जिसका विभाजन भी आश्चर्यजनक है। इस योजना में सामाजिक वानिकी के नाम पर सबसे ज्यादा राशि रखी गई है यह सब जानते हैं कि सामाजिक वानिकी कैसी होगी और यह राशि किस के पास जायेगी। अतः यह योजना तो मात्र चुनाव से पूर्व सत्ताधारी दल के लोगों के लिए पालन-पोषण योजना है। इस योजना में ऐसे नियम रखे गये हैं जिससे विपक्ष के सरपंच तो काम ही नहीं करवा सकते हैं। इस कारण इसे बेरोजगारी दूर करने वाली योजना नहीं कहा जा सकता।

Page No. 68

(68)

(म प. 1.20)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

पंडित जी, आप तो जरा नहीं बोलो तो ही ठीक है, भैरूंलालजी साहब आप कम बोलो तो ही ठीक है....

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो वह भी जानते हैं कि क्यों नहीं बोलेंगे, देखो चुपचाप हो गये ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 1986 में आयोजित की गई थी जिसकी अन्तिम चयन सूची 18 अप्रेल, 1989 को घोषित की गई थी जिमें करीब 1300 उम्मीदवारों को चयनित किया गया था ।

राज्य सरकार ने गुरूवार दिनांक 13-7-1989 को एक आदेश जारी कर एल. डी. सीज के दो वर्षों से खाली पड़े हुए पद पूरी तरह से समाप्त कर दिये हैं । इस आदेश के जारी हो जाने की वजह से चयनित उम्मीदवार मारे, मारे, भैरूंलालजी फिर रहे हैं ।

सरकार की गलत नीति के कारण प्रदेश के कई उद्योग बन्द पड़े हैं और इनमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गये हैं । इस सम्बन्ध में सरकार की दूषित एवं अस्पष्ट नीति है । साथ ही सरकार का केन्द्र में प्रभाव न होने के कारण राज्य में कोई बड़ा उद्योग नहीं लग पाया है ।

राज्य सरकार ने हाल ही में विभिन्न श्रेणियों के पदों को समाप्त करने का आदेश प्रसारित किया है वह तुरन्त वापस लेना चाहिये साथ ही उन बेरोजगारों को जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा रोक लगायी जाने की अवधि में नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा पार कर ली है उनको नियुक्तियों पर रोक की अवधि जितनी आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिये जिससे उनको राज्य सेवा में नियुक्ति का अवसर बना रहे तथा नियुक्तियों पर रोक को तुरन्त हटा लेना चाहिये ।

दूसरा 35,000/- का जो शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है उसकी राशि बढ़ायी जावे एवं इसमें पक्षपात समाप्त हो । साथ ही जिनको ऋण मिलता है उनको कच्चा माल व उत्पादित माल को बेचने की व्यवस्था की जानी चाहिये । वह अपने व्यापार में सफल हो उसके लिए तकनीकी ज्ञान देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये ।

मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग व्यापार नहीं करते हैं अगर उनको 35 हजार रुपये की राशि दे भी दी जाय तो व्यापार वह नहीं चला सकते हैं । माननीय भैरूंलालजी के पुत्र को 5 लाख रुपये मैं दे दूं तो वह व्यापार नहीं कर सकता है....उनको जब तक जानकारी नहीं हो...

श्री सभापति : आपके स्पेशल मेन्शन में यह लिखा है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह रह गया था साहब लिखने से । तो व्यापार करना कोई आसान काम नहीं है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसको पूरा ज्ञान होना चाहिये कि कैसे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

व्यापार चलता है, कैसे नहीं चलता है, व्यापार हरेक के बस का नहीं है। इसलिए अगर व्यापार करने के लिए रुपया देते हैं तो उसके साथ साथ उन्हें प्रशिक्षित भी करिये ताकि उसका व्यापार सफल हो, इसकी योजना भी आप बनावें। तब तो कोई मतलब है वरना जैसे कोई जब आदमी मरणासन्न में होता है और दान पुण्य होता है, ग्यारस देते हैं, कभी गऊ को घास डालते हैं, वैसी योजना बना रखी है आपने। ऐसी योजना है आपकी।

श्री सभापति : कृपया बैठें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस तरफ ध्यान दें और बेरोजगारों को रोजगार दे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, सन् 1984 से राजस्थान में नई नियुक्तियों पर रोक है। पंजाब सरकार ने भी अभी 31 से 35 वर्ष का किया है।

श्री सभापति : आप बीच में कहां आ गये माननीय सदस्य ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान में यदि 1984 से पाबंदी की है तो यहां पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बीच में खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उस 31 वर्ष को पंजाब की तरह 34 वर्ष करना चाहिए तब तो नियुक्तियां लोगों को मिलेंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सभापति जी, यह बड़े संयोग की बात है कि समस्या को मैं आज 295 के माध्यम से रख रहा हूं। पिछली बार जब मैंने यह रखी और इस समस्या के प्रति आप भी चिन्तित रहे और आपने सरकार को निर्देश दिये हैं।

श्री सभापति : मुझे कान्सेस कर दिया आपने।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमण्डी) : मैं चाहूंगा कि इस बार यह मेरे ख्याल से अन्तिम समय मानिये कि आप सरकार को निर्देश देंगे कि इस योजना के बारे में सरकार तुरन्त ध्यान दें। सभापति महोदय, मैं अपने 295 के उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान रामगंजमण्डी कस्बे की पेयजल समस्या के बारे में इस सदन में तीसरी बार पहुंचा रहा हूं। मुख्य मंत्री जी को लगभग इसी संदर्भ में मैंने 10 पत्र लिखे किन्तु दुख इस बात का है कि मुख्य मंत्री जी का उन 10 पत्रों में एक ही जवाब आता रहा कि मैं इस प्रकरण को दिखवा रहा हूं। पिछले तीन वर्षों में.... (व्यवधान) आपके तो +++ ऐसे हैं और करोगे ही क्या ? वह सदन के सामने रख

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

रहा हूं । जो देखने की बात, प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं देख रहा हूं, दिखवा रहा हूं, यूं करते करते ही चले जायेंगे बोफोर्स के साथ....(व्यवधान) हम तो यहीं रहेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सार्वजनिक–निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, इसको एक्सपंज किया जाय । जो इस मामले से संबंधित ही नहीं है उसके लिए कह रहे हैं । (व्यवधान) बिना विषय ही बोलते रहते हैं । (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : अगर कल्ला जी को कोई शिकायत है बोफोर्स के मामले में तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा लेकिन (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : क्या बात करते हो बोफोर्स का नाम नहीं लेंगे और फिर किसका नाम लेंगे साहब । इस देश में बचा क्या है सिवाय बोफोर्स के ?

श्री अश्क अली टाक : यह आप लोगों के लिए है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पश्चिमी बंगाल में ज्योतिबसु क्या-क्या गड़बड़ कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : ज्योति बसु गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए राजीव गांधी को....(व्यवधान) यह क्या बात हुई ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति महोदय बोफोर्स के नाम पर मेरा तो मुंह बंद कर देंगे लेकिन भारत के कन्ट्रोलर जनरल और अकाउन्टेन्ट जनरल के लिए आपको क्या कहना है ? किसने आपके भ्रष्टाचार को साबित कर दिया ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विषयान्तर नहीं हों ।

श्री अश्क अली टाक : लोक सभा में बहस करवा रहे थे भाग लिए सारे के सारे ।

श्री सभापति : आप विषयान्तर नहीं हों प्लीज ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं तो कायदे की बात कर रहा हूं साहब । बे कायदे बोलता ही नहीं हूं कभी ।

श्री अश्क अली टाक : देश की जनता आपसे सवाल करेगी । (व्यवधान) ज्योतिबसु का लड़का फैक्टरी लगाये उसके लिए कोई जवाब नहीं है आपके पास ।

श्री सभापति : श्री अश्क अली जी कृपया बैठें । श्री हरिकुमार जी कृपया बोलें ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे उन पत्रों का मुख्य मंत्री जी द्वारा यही उत्तर दिया जाता रहा है कि मैं प्रकरण को दिखवा रहा हूं परन्तु किसी भी प्रकार की योजना की क्रियान्विती के बारे में सक्रियता आज तक नहीं दिखायी । रामगंजमण्डी में पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन अधिक संकटग्रस्त होती जा रही है ।

रामगंज मण्डी में आहू नदी से पानी लाया जाता है । यह योजना दस हजार

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

की आबादी के आधार पर बनायी गई थी जबकि अब रामगंज मण्डी की जनसंख्या 40 हजार से अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही इसी वाटर लाइन से औद्योगिक क्षेत्र, सुकेत, सातलखेड़ी कुम्भकोट को पानी दिया जाता है। रामगंज मण्डी में गर्मी के मौसम में 25 से तीस रुपया ड्रम पानी मिल पाता है। लोगों ने घरों के बाहर 2–2 फुट के गड्ढे बना कर मुश्किल से दिन भर में 2–3 बाल्टी पानी भर पाते हैं। हैंड पम्प भी करीब करीब सभी खराब पड़े हैं और भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रातः और शाम को जब कभी जवाबदार अधिकारी की आवश्यकता होती है तो कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं होता है जलदाय विभाग के जवाबदार अधिकारी कोटा रहते हैं।

रामगंज मंडी की पेयजल योजना के बारे में इसी सदन में मुख्यमंत्री माननीय श्री हरिदेव जी जोशी ने यह आश्वासन दिया था कि रामगंज मंडी के लिए रावतभाटा से पानी की योजना बनायी जा रही है जिससे पेयजल समस्या का स्थायी हल हो जायेगा किन्तु इस योजना की क्रियान्विति पर कोई पहल नहीं की गयी।

गत अप्रेल में सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवचरण जी माथुर रामगंज मंडी पधारे थे और आश्वासन दिया था एवं सार्वजनिक घोषणा करके आये थे कि आहू नदी से नई पाइप लाइन शीघ्र ही डाली जा रही है जिससे पेयजल समस्या का हल हो सकेगा। इस घोषणा को भी 3 माह गुजर गये किन्तु योजना बनाकर आज तक स्वीकार नहीं की जिससे जनता में भारी रोष है।

रामगंज मंडी बहुत बड़ा व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र है जहां अनेकों व्यापारी प्रतिदिन बाहर से आते जाते रहते हैं।

मैं यहां यह भी निवेदन करना उचित समझूंगा कि रामगंजमंडी के आसपास 15 किलोमीटर तक की दूरी पर बड़ी बड़ी पत्थर की खानें हैं जो 100–125 फीट तक की गहराई तक चली गयी हैं जिनमें आसपास के कुओं का पानी कम लेवल के कारण चला जाता है और ठेकेदारों द्वारा खानों का पानी निकालकर नदी नालों में बहा दिया जाता है परिणामस्वरूप रामगंजमंडी के आसपास कस्बे में ही नहीं गांवों में भी पेयजल का संकट खड़ा होता जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि अविलम्ब रूप से आहू नदी से पानी की नई लाइन रामगंजमंडी के लिए डाली जावे तथा स्थायी हल के लिए रावतभाटा से पानी लाने की योजना को शीघ्र स्वीकार कर चालू करने के लिए कदम उठाया जावे। अतः मैं इस 295 के विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि रामगंजमंडी में पेयजल की गंभीर समस्या के निदान के लिए शीघ्र कदम उठाया जावे।

श्री सभापति : धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया संबंधित मंत्री जी को कनवे कर दें। ये दो बार पहले भी उठा चुके हैं इस विषय को। इस बार तीसरी बार उठाया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मुख्य मंत्री जी खुद घोषणा करके आये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : नही, पहले सत्र में भी उठाया था, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र। हर सत्र में, एक बार उठाया है इन्होंने ।

माननीय श्री ऋषिकेश मीणा।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : आप कागज हाथ में लें।

श्री ऋषिकेश मीणा : राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र सब तहसील मण्डरायल एवं करणपुर क्षेत्रों में भेड़ें व ऊंटों का निष्क्रमण हेतु परमिट जारी करती है लेकिन विभाग वाले 5–5, 10–10 रुपये लेकर उनको चराने की स्वीकृति देते हैं।

श्रीमान् जी, गत 15 वर्षों से यह परम्परा चलायी जा रही है। प्रति वर्ष ग्रामवासियों एवं भेड़ पालकों के बीच में काफी झगड़ा होता है। 4–5 सालों से सपोटरा क्षेत्र सब–तहसील मण्डरायल, करणपुर एवं करौली अकाल की चपेट में हैं। इन क्षेत्रों में भेड़ों ने जंगलों को साफ कर दिया है।

कृषकों की खेती को पूर्णतया उजाड़ दिया है। सपोटरा क्षेत्र का डांग क्षेत्र राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। प्रति वर्ष भेड़ों व ऊंटों के आ जाने से उनकी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, आवाज नहीं आ रही हैं,.... क्या बोल रहे हैं. आवाज नहीं आ रही है।

श्री ऋषिकेश मीणा : हरे भरे जंगल को नष्ट कर देना जिस कारण से....

श्री सभापति : यह आवाज नहीं पहुंची तो कोई आवाज नहीं पहुंचनी है आपके पास।

श्री ऋषिकेश मीणा : बरसात भी नहीं होती है। मेरे क्षेत्र की जनता बाहर भेड़ों व ऊंटों से परेशान होकर सिर पकड़ कर रो रही है।

श्री सभापति : यह अन्तर्मन से बोलते हैं, आप लोग समझते नहीं, ऐसा है। (व्यवधान)

श्री ऋषिकेश मीणा : किसने कह दिया कि +++ है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं....

श्री सभापति : जरूर मांग करो।

श्री ऋषिकेश मीणा : कि कृषकों की समस्यों का शीघ्र समाधान कर भेड़ों व ऊंटों को रुकवाने की कार्यवाही करावें।

सभापति महोदय, मुझे एक सूचना मिली है। एक सूचना दे रहा हूं। सपोटरा की जनता का कहना है बाहर की भेड़ ऊंटों को भगाना है। नाथूरामजी मिर्धा ने 17 तारीख को 295 के अन्तर्गत यह कहा था कि भेड़ें मर गई हैं। यह +++ नहीं

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(श्री ऋषिकेश मीणा)

चलेगी इस क्षेत्र के अन्दर रोज इधर की उधर + + + नहीं चलेगी। (व्यवधान) मेरा यह निवेदन है और यह मांग है, सभापति महोदय,

श्री सभापति : जोर से नहीं कहें।

श्री ऋषिकेश मीणा : भेड़ों को भगाओ, यही मेरा कहना है। भेड़ों को भगाओ और गरीब जनता को बचाओ। बाहर की भेड़ और ऊंटों को भगाओ,

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं सरकार से।

श्री ऋषिकेश मीणा : और मैंने यह भी देखा है, मैंने यह जानकारी ली है कि वहां पर कोई रास्ता खोल रखा है, रास्ता दे रखा है मध्य प्रदेश को और यह देखो–

(कुछ कदम पैदल चलकर वापिस अपनी सीट पर आये।)

श्री सभापति : यह माननीय सदस्य क्या कर रहे हैं।

श्री ऋषिकेश मीणा : वही सपोटरा का क्षेत्र। वही भूमाभूमी के सपोटरा नहीं जाना।

श्री सभापति : वण्डरफुल।

श्री ऋषिकेश मीणा : यह ऐसे रास्ते मध्य प्रदेश के हैं। यही रास्ता घूमकर जाता है।

श्री सभापति : दोनों रास्ते मध्यप्रदेश को जाते हैं।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सरकार को कहें और जवाब दिलवायें कि सपोटरा क्षेत्र में जाने वाली भेड़–

श्री सभापति : भेड़ नहीं भेड़ें।

श्री ऋषिकेश मीणा : हां, भेड़ों और ऊंटों को उस क्षेत्र से निकाला जाय।

एक माननीय सदस्य : ऊंटों को भी ?

श्री ऋषिकेश मीणा : ऊंट हो या कुछ भी हो। (व्यवधान) वहां के कृषक 80 प्रतिशत जानवरों का पालन-पोषण करके अपने बच्चों का गुजर-बसर करते हैं। परन्तु मुझे इस बात का खेद है–

श्री सभापति : सही है।

श्री ऋषिकेश मीणा : बैठने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम चलेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं--

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ध्यान से सुने अन्तर मन से बोल रहे हैं।

श्री ऋषिकेश मीणा : मैं पिछड़े हुए क्षेत्र की जनता की भावना को सदन में रख रहा हूं। मेरी यह मांग है कि शीघ्र ही ऊंट और भेड़ों को उस क्षेत्र से जो बाहर से जाने वाला रास्ता है, या किसी भी प्रकार का नाटक है, उस गरीब जनता के सामने कर रखा है उसका शीघ्र ही समाधान कराया जाय और पिछड़े हुए क्षेत्र

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ऋषिकेश मीणा)

सपोटरा के गरीब काश्तकारों की सुनवाई की जाय । यही मेरी मांग है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं मानी तो ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय, सूचना मैंने आपको दी और यह सूचना मुझे मिली । मैं आपको फिर से सूचना दे रहा हूं ।

श्री सभापति : दे दीजिये ।

श्री ऋषिकेश मीणा : सपोटरा की जनता का कहना है–बाहर की भेड़ ऊंटों को भगाना है और यह संघर्ष करना है ।

श्री सभापति : बहुत ठीक है ।

श्री ऋषिकेश मीणा : यह मेरी मांग है । उन गरीबों की ओर शीघ्र ही ध्यान देवें जिससे वह अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण अच्छी तरह से कर सकें । यही मेरी मांग है । जो मुझे टाइम दिया है उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय सदस्य । मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं और सरकार को कह रहा हूं कि आपकी समस्या का निराकरण करें, भेड़ों के मामले को रेग्यूलेट करे और नियन्त्रण करे, यह मैंने कहा है । (व्यवधान) माननीय श्री नत्थीसिंह जी ।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, मैं नियम 295....

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय,

श्री सभापति : बोलिये ।

श्री ऋषिकेश मीणा : जुबान खुलवाइये, सरकार से कुछ कहलवाइये ।

श्री सभापति : जवाब तो आपके पास पहुंच जायगा ।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, पहुचने से काम नहीं चलेगा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सुनेंगे नहीं ।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, वहां बड़ी विचित्र स्थिति है । माननीय सदस्य ने कहा वह बिल्कुल सही है । सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दें ।

श्री सभापति : 295 की जो प्रक्रिया है....

श्री परसादीलाल मीणा : भेड़ों को घुसा रहे हैं और फसल को नष्ट कर रहे हैं । तत्काल हल निकालने के लिए कहें । जवाब तो आयेगा 15 दिन में । सरकार को निर्देश दें इस सम्बन्ध में ।

श्री सभापति : सरकार से कह रहा हूं, समस्या का निराकरण तत्काल करें । "तत्काल" कह दिया है मैंने ।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय, तभी बैठूंगा मैं, यही मेरी मांग है । मेरी गम्भीर समस्या है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं सम्बन्धित मंत्रीजी से जल्दी इनको जवाब भिजवा दूंगा।

श्री सभापति : जल्दी जवाब भिजवा देंगे, मंत्रीजी ने कहा। इसी सत्र में तीन दिन में आपको जवाब आ जायेगा। व्यव-धान)

श्री ऋषिकेश मीणा : मुझे जवाब से मतलब नहीं, भेड़ों को भगाओ।

श्री सभापति : सरकार समस्या का हल करेगी। मैंने सरकार से कह दिया। मैंने सरकार से कहा है।

श्री ऋषिकेश मीणा : मुझे जवाब की नहीं, (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी आश्वासन दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मैंने कह दिया सरकार समस्या का जल्दी हल करेगी।

श्री ऋषिकेश मीणा : माननीय सभापति महोदये,

एक माननीय सदस्य : भेड़ चाल बहुत खराब है।

श्री ऋषिकेश मीणा : कल्ला साहब बैठें हैं। आप इनसे जवाब दिलवाइये।

श्री सभापति : इन्होंने कह दिया आपके सामने।

श्री ऋषिकेश मीणा : आप जवाब दिलवाइये, मेरी वहुत गम्भीर समस्या है।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल आर्य। (व्यवधान) सम्बन्धित मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री मांगीलाल आर्य : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, नियमानुसार उसका जवाब जल्दी पहुंच जायेगा।

श्री सभापति : जवाब ही नहीं भेजेंगे समस्या का समाधान भी होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : भेड़ों को रोका जाय।

श्री सभापति : जवाब भी आयेगा और समस्या का समाधान भी होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : भेड़ों को जाने से रोकने के लिए मंत्री महोदय से आश्वासन दिलवाइयें। भेड़ों को रोकने की कार्यवाही करें।

श्री मांगीलाल आर्य : नियमानुसार सरकार की तरफ से भेड़ों के रास्ते की, (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : वहां से निकाल देंगे तो भेड़ें कहां जायगी। भेड़ें तो वहीं रहेंगी।

श्री ऋषिकेश मीणा : हमारे यहां से बाहर जायेंगी, भले ही... (व्यवधान)

श्री सभापति : क्यों उत्तेजित करते हैं, माननीय सदस्य। बैठें आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भेड़ों की नस्लें नष्ट कर दी। उनको लाठियों से पीटते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थी-सिंह।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय, आप इसको बहुत गम्भीर,

श्री सभापति : मैंने गम्भीर होकर सरकार से कहा है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैंने सरकार को कहा है, जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सभापतिजी, (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पश्चिमी राजस्थान का क्या होगा। (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय,

श्री गणेशलाल बैरागी : भेड़ों की ऐसी समस्या है कि जनता राज में वहां गोलियां चली थीं और माननीय वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने आंदलोन किया था। आप इस मामले को गंभीरता से लीजिये लोगों की वहां पर सारी फसलें नष्ट हो गई हैं आप तत्काल इस पर सरकार का वक्तव्य दिलवाइये....

श्री सभापति : मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री गणेशलाल बैरागी : पूरे पांच मरे थे पांच....

श्री हीरासिंह चौहान : यह आपको बताना होगा यह भेड़ें कहां जायेगी....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह ऐसा नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा भेड़ें कहां जायेंगी।

एक माननीय सदस्य : अपने जिले में रखो भेड़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : अगर वहां से भेड़ों को उल्टा लौटाया जायेगा तो भेड़ें कहां जायेगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह अपनी बात कह रहे हैं उत्तेजित क्यों हो रहे हो...

श्री चम्पालाल बांठिया : अगर वह मेरे इलाके में आती हैं तो मैं भी कहूंगा कि मेरे इलाके में नहीं आ सकती....

श्री सभापति : भेड़ें आपके इलाके में भेज दी क्या, वह अपनी बात कह रहे हैं कहने दीजिये उनको।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है....

श्री विरदमल सिंघवी : भेड़ों के लिए शेर झगड़ रहे हैं आपस में।

श्री गणेशलाल बैरागी : सभापति महोदय, एक मिनट आप मेरी सुन लीजिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनता पार्टी शासन के दौरान वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात का आन्दोलन किया था कि यह भेड़ें नहीं आनी चाहिये और इस आन्दोलन में पांच आदमी मारे गये थे, पांच या सात, मुझे ध्यान नहीं है.... (व्यवधान) भेड़ और ऊंट आने का विरोध किया था। और जब आज इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी विराज रहे हैं तो क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिजोलिया में, बेगूं में, बूंदी में झालावाड़ में यह भेड़ें नहीं जानी चाहिये और नहीं जानी चाहिए तो माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं। समस्या इस बात की है कि भेड़ें कहां जायेंगी, भेड़े

(श्री गणेशलाल बैरागी) :

जाने की ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये । हाड़ौती में आपके इलाके में भेड़ें नहीं जानी चाहिये, इस बात का प्रश्न है.... जवाब दे दिया जायेगा और जवाब आ जायेगा । इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है ।

श्री सभापति : समाधान की बात की जायेगी ।

श्री जगजीत सिंह : ऊंट कभी जंगल का नुकसान नहीं करता....

श्री सभापति : अभी कोई फैसला हो रहा है क्या ?

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में एक निवेदन है । न तो हमें किसी जिले से विरोध है, न भेड़ें चरने से विरोध है, न गाय, मवेशी चरने से विरोध है । मेरा निवेदन यह है, माननीय सभापति महोदय, कि जो भेड़ें आती हैं वह यदि सीधे चारागाह में चर कर चली जायें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माननीय सभापति महोदय, कई काण्ड हो गये मेरे फागी के अन्दर भी । दस साल पहले फागी में भी दो तीन मर्डर हो गये इसी भेड़ों के ग्वालों के और गांव वालों के । इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि भेड़ें चाहे वहां से निकलो, लेकिन किसी फसल को न चरती हुई यदि चारागाह से निकल जाती हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, समस्या यह है कि वह भेड़ें चूंकि भूखी होती हैं और चारागाह से नहीं निकल कर सामने खड़ी हुई फसल को चरती हुई निकलती हैं । इसलिये गांव वालों को जब सामने कोई फसल चरती हुई मवेशी नज़र आती है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता । और इस अकाल और इस भीषण गरीबी की स्थिति के अन्दर यदि किसी गरीब आदमी को जो कि फसल को अपने बच्चे बच्ची की तरह पालता है यदि उस फसल में नुकसान होता है तो बड़ी भयंकर स्थिति होती है । इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि चाहे किसी भी प्रकार से उन भेड़ों को या गाय भैंस बकरी को सरकार की ओर से संरक्षण देकर किसानों को नुकसान न हो उस ढंग से उनको निकाला जाये, यही मेरा निवेदन है....

श्री सभापति : श्री सी.पी. जोशी साहब, आप कुछ कह रहे हैं ।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : सभापति महोदय, इस भेड़ों की समस्या का कोई हल नहीं है । हल एक ही है यदि शिवचरण जी माथुर हमको सिंध प्रांत वापिस दे दें तो न तो हम इस तरफ आयेंगे न जायेंगे । कोई हल नहीं है इस समस्या का । एक दफा मातृकुण्डिया में सुखाड़िया जी उद्घाटन कर रहे थे और मैं प्रिसाइड कर रहा था....

श्री सभापति : आप मंत्री थे तब ?

श्री मोहन छंगाणी : हां.... (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : सुखाड़िया जी के समय में आप मंत्री थे ही नहीं ।

श्री मोहन छंगाणी : वहां भेड़ें आई और खूब लड़ाई हुई, माथे फूट गये। भेड़ें

(श्री मोहन छंगाणी)

जायें कहां, ? उदयपुर जायेंगी, करौली जायेंगी, भेड़े जायेंगी कहां ?

श्री सभापति : माननीय सी.पी. जोशी ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, माननीय छंगाणी साहब कह रहे हैं, कोई प्रांत लिया जाता है, दिया जाता है वह तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की सरकार के बलबूते की बात है। मुख्यमंत्री के बलबूते की बात नहीं है, कोई झगड़े नहीं हों, भेड़ें आसनी से निकल जायें उसको सरल करने के लिये कोई उपाय सोचें ।

श्री सभापति : श्री सी.पी. जोशी ।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, इस बात पर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता जो माननीय सदस्य सवाई माधोपुर से आये हैं उनके इलाके में भेड़ की समस्या से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है । जो माननीय सदस्य करौली से आ रहे हैं उनकी समस्या अलग है उनके यहां बरसों से भेड़ें जा रही हैं उनकी समस्या अलग है । 295 में स्पेसेफिक उनके इलाके की समस्या का समाधान है कहां भेड़ें जा रही हैं, क्या प्रेक्टिस थी यह नहीं है । उन माननीय सदस्य की स्पेसेफिक प्राब्लम है कि इनके विधान सभा क्षेत्र में इस कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है । इसलिये हम आपसे अपेक्षा करते हैं बाकी आप सरकार से जिनकी प्राब्लम है, नहीं जानी चाहिये, वह एक अलग कमेटी बैठ जाये लेकिन माननीय सदस्य की कान्स्टीट्वेन्सी में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो, इस सम्बन्ध में उन्होंने स्पेसेफिक बात कही है ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी ।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : मंत्री जी कहें, उससे पहले मैं भी कहना चाहता हूं । माननीय सभापति जी, भेड़, ऊंट की चराई एक जगह नहीं होती । यह जानवर ऐसे हैं जो कई रास्तों से होते हुए, कई प्रान्तों को चरने के लिये जाते हैं और राजस्थान में ऊंट भी सबसे ज्यादा हैं भेड़ भी सबसे ज्यादा हैं । इसलिये राजस्थान में एक जगह पर यह जानवर टिक कर नहीं चर सकता । परम्परागत कुछ रास्ते बने हुए हैं । हमारे यहां पर जो फोरेस्ट रेन्जेज हैं उनकी कैपेसिटी का आंकलन कर इन जानवरों को कुछ समय के लिये किन्हीं-किन्हीं रेन्जेज में चरने की इजाजत दी जाती है परमिट से दी जाती है चराई ली जाती है । कुछ समय के लिये जितने समय के लिये दी जाती है, वहां पर चरते हैं और फिर आगे अपना रास्ता पकड़ते हैं । बिल्कुल सिस्टेमेटिक सिस्टम बना हुआ है अब अगर राजनैतिक तौर से यह कहो कि हमारे इलाके में यह चरें ही नहीं सब जगह फोरेस्ट की रेन्जेज हैं और इसी हिसाब से सवाई माधोपुर में भी हैं, आबू के पास में भी हैं, करौली में भी हैं और भी कई इलाके में रेन्जेज हैं ।

श्री ऋषिकेश मीणा : माननीय सभापति महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बात तो मैंने बहुत सुन ली । आप मेरी बात सुनें और फिर मंत्री जी कहेंगे । मैं इसलिये कह रहा था यह कोई किसी इलाके पर प्रश्न

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं है, न कोई राजनैतिक प्रश्न है भेड़ों और ऊंटों के पालने के साथ लाखों आदमियों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। तोसावड़ा साहब ने कहा कि इलाके में जाती हैं तो फसल का नुकसान होता है और झगड़ा होता है। मैं इस बात को भी मानता हूं क्योंकि यह जानवार ऐसे हैं न तो इनके लगाम होती है और न कोई इनके मूरी होती है। यह जानवर चलते हैं तो लाखों की तादाद में चलते हैं कई जगह खेतों में भी नुकसान कर देते हैं यह बात सही है। पर वह जानवर हैं दौड़ते–दौड़ते ही घुस जाते हैं और उसको रोकने के लिये हमेशा लोग परवाह करते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो नुकसान होता है और झगड़ा भी होता है। झगड़ा होता है तो उसके मुकदमें भी कानून कायदे से बनते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस मामलें पर जिस तरीके से विधान सभा में हम चर्चा कर रहे हैं इन चर्चाओं से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता जैसा उन्होंने कहा कि पहले कुछ और इलाके जाने के थे पाकिस्तान में। बहुत जगह भेड़ें जाती थीं पर अब वह इलाका हमारे बस में नहीं है इसलिये हमारी भेड़ें तो हिन्दुस्तान में रहेगी। हमारी भेड़ें ठेठ गंगा नदी के बैल्ट में जाती हैं, यमुना के बैल्ट में जाती हैं, दक्षिण भारत में जाती हैं, मध्यप्रदेश में जाती हैं और हमारे ऊंट और भेड़ें दोनों चरती हैं और सब जगह यह फोरेस्ट के रेन्जेज में यह जानवर चरते हैं जिनकी अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग रेन्जेज में चराई की व्यवस्था है और जो चराने जाते हैं वह उनको फीस देकर चराते हैं तो इस मामले पर हम जिस तरीके से इस सदन में बहस कर रहे हैं उससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा कि भेड़ें कहां जायें, ऊंट कहां जायें, किधर जायें, कितनी तादाद में जायें, कितना परमिट दें, कितना परमिट नहीं दें। जहां तक मेरा ध्यान है मैं इस बात का बराबर कांस्टेंट ध्यान रखता हूं कि इन लोगों की एक एरिया की चराई की क्षमता देखकर कितने परमिट दियें जायें यह ध्यान सरकार रखती है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट का और भेड़ विभाग का आपस में को-ऑर्डिनेशन से काम होता है, इसलिये बिना को-ऑर्डिनेशन के काम नहीं चल सकता है। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको देखा जा सकता है। यह सरकार का काम है। भेड़ लोगों के जीवन यापन का साधन है। उनको भी जीवन चलाना पड़ेगा। जिन काश्तकारों के इलाके में मवेशी जाते हैं, खेती करते हैं, उनका नुकसान नहीं हो। मैं इन सारी बातों को समझता हूं पर हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसकी वजह से आपस में टकराव हो, झगड़ा हो। हमारी भाषण–बाजी से, हमारे गलत आन्दोलन से नुकसान हो। यही मैं सदन से, माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं। आप कह चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाया गया था उसके बारे में हमेशा जो कार्यवाही होती है उसी के अनुसार कार्यवाही की जाये।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय,

(श्री शिवराम शर्मा)

हर साल विधान सभा में भेड़ों की चराई का मामला आता है। हर साल पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के माननीय सदस्यों के बीच वाद-विवाद होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि, इसका स्थायी हल ढूंढा जाये। भेड़ें पश्चिमी राजस्थान में होती हैं और पूरे राजस्थान, यू. पी. तक जाती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में ऐसे क्षेत्र तैयार किये जायें जहां भेड़ें चराई कर सकें। इनका स्थायी हल हो। हर साल चालू जवाब दे देते हैं। मंत्री जी, पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ कर के इसका स्थायी हल ढूंढो। बड़े–बड़े फार्म हैं। इन्तजाम हो सकता है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, नेशनल पार्क के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है इस भेड़ की समस्या को हल करने के लिये परन्तु आज तक नेशनल पार्क डवलप नहीं हुआ है जिसके कारण ही यह सारी समस्या उत्पन्न होती हैं। मैं स्वयं इससे पीड़ित हूं। माननीय मंत्रीजी वास्तव में जितने परमिट दिये जाते हैं उससे कई गुणा तादाद में भेड़ें पहुंचती हैं। हर साल पांच, पच्चीस लोग मरते हैं, हत्याएं होती हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने कह दिया। कृपया बैठें। मंत्री जी, जवाब देंगे ?

श्री मांगीलाल आर्य (राज्य मंत्री, भेड़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिस चिन्ता से चिन्तित हैं सरकार भी उस चिन्ता से सहमत है। सरकार नहीं चाहती है कि किसी काश्तकार का नुकसान हो मगर यह भी नहीं चाहती कि बरसों से जो भेड़ें जिस रास्ते से जा रही हैं, उसको एक दम रोक दिया जाये। इस सम्बन्ध में माह जून में चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के आयुक्तों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि सब जगह विभाग की चौकियां कायम हों, पुलिस की गश्त हो, जिसके अन्दर वायरलेस सेट हो, और कहीं भी किसी प्रकार का काश्तकार को नुकसान नहीं हो। ऐसी व्यवस्था की गई है। (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय..

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं करें।

श्री शिवचरण सिंह : ×××

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थीसिंह के अलावा अंकित नहीं होगा।

श्री शिवचरण सिंह : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, अभी तक इस सदन के माननीय सदस्य जिसे सबसे गरीब जानवर कहा जाता है, उस भेड़ की चराई से पीड़ित थे लेकिन मैं सदन के सामने एक ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं, सरकारी अधिकारियों और सरकार की संवेदनहीनता के कारण जन-जीवन परेशान है। आज सुबह मेरा एक

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नत्थीसिंह)

सवाल था। सभापति महोदय, हरिजनों की एक तहसील में चार वर्ष पहले लट्ठे लगाये गये थे, परन्तु बिजली के तार आज तक वहां नहीं लगाये गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पढ़ें।

श्री नत्थी सिंह : भेड़ के बाद भूमिका बांधना जरूरी है। आज सुबह मेरे इस सवाल का जवाब आया कि एक तहसील के 29 गांवों में चार साल पहले, हरिजन बस्तियों में लट्ठे लगाये गये और तार आज तक नहीं लगे हैं। यह कहा कि पंचायत लिख कर नहीं देती है। पंचायत की निजी आमदनी नहीं है। सरकार की यह नीति गलत है। दूसरी तरफ नगरपालिका ने 78,000 रुपये दे रखे हैं तब भी बिजली का कनेक्शन काट रखा है जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे की स्ट्रीट लाइट का राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पिछले चार वर्ष से कनेक्शन काट दिया गया है और 16,000 से ऊपर की आबादी का यह कस्बा पिछले चार साल से रात्रि के समय घोर अन्धकार में डूबा रहता है। इस बीच अन्धेरे के कारण अनेक चोरियां और अपराध हुए हैं। नगरपालिका कुम्हेर और जन प्रतिनिधियों द्वारा बार–बार अनुरोध करने पर भी स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन नहीं दिया गया है।

दुख की बात है कि यह सारी कार्यवाही इस सरकार के विभिन्न विभागों की संवेदन हीनता और जन समस्याओं के समाधान हेतु उपेक्षापूर्ण रवैये का जीता जागता प्रमाण है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कहना है कि कस्बा कुम्हेर की नगरपालिका को और स्ट्रीट लाइट के प्रयोग के मद पर लगभग 43,000/- रुपया अगस्त, 1986 तक की राशि भुगतान हेतु बकाया थी जिसके अदा न करने के कारण स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया गया है। जबकि दूसरी ओर नगरपालिका, कुम्हेर द्वारा सहायक अभियन्ता आर. ई. सी. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कार्यालय की जमीन तथा 11/4 के. वी. सब स्टेशन में निर्मित जमीन का एक बिल 78,000 -रुपये का विद्युत मण्डल को दिया हुआ है जो अभी तक अदा नहीं किया गया है। होना तो यह चाहिये था कि दोनों विभागों के बीच में इस विवाद का उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के द्वारा निपटारा किया जाता परन्तु इसके बजाय स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट कर कुम्हेर कस्बे की पूरी 16,000 जनता को दण्डित करने का निन्दनीय मार्ग विद्युत मण्डल द्वारा अपनाया गया है। इसी सम्बन्ध में दिनांक 4.7.89 को मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि नगरपालिका और विद्युत मण्डल के बीच में बकाया राशि का विवाद जिलाधीश एवं उप जिलाधीश के समक्ष विचाराधीन है। उत्तर में इस विवादास्पद राशि के निर्णय कर स्ट्रीट लाइट चालू कर देने के निर्देश देने के बजाय राज्य सरकार द्वारा यह उत्तर देकर कि नगरपालिका, कुम्हेर, स्ट्रीट लाइट की बकाया राशि का भुगतान विद्युत मण्डल को कर दें तो स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन नियमानुसार पुनः चालू किया जा सकता है। अपनी संवेदनहीनता एवं अक्ष–

(श्री नत्थी सिंह)

मता का परिचय दिया है। इस सरकार ने बड़ा प्रचार किया था कि अब प्रशासन शहरों की ओर जा रहा है और स्थानीय समस्याओं का मौके पर तत्काल समाधान कर दिया जावेगा। कुम्हेर कस्बे की जनता ने इस सारे मामले का प्रशासन शहरों की ओर अभियान के समय उठाया था और उस वक्त उप जिलाधीश महोदय द्वारा यह आश्वासन भी दे दिया गया कि दोनों विभागों के बीच अपनी अपनी लेनदारी के दावों का निर्णय तो होता रहेगा लेकिन इस बीच अविलम्ब स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन चालू कर दिया जावेगा ताकि जनता की कठिनाई का निवारण हो सके और जिसका जो बकाया निकलेगा उसे फैसला करके भुगतान करवा देंगे। इस आश्वासन के बाद भी बहुत समय निकल चुका है लेकिन कुम्हेर में आज तक स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन पुनः चालू नहीं किया गया है जो सरकार के अभियान व उसमें दिये गये आश्वासनों के खोखलेपन को तो उजागर करता ही है परन्तु जनता को भी सरकार के किसी भी आश्वासन पर विश्वास न करने के लिए बाध्य करता है। इस सारे मामले में वस्तु स्थिति यह है कि जिन खसरा नं. 1603 व 1612 की जमीन की कीमत नगरपालिका कुम्हेर को देने का विवाद है उसमें दोनों पक्षों की मौजूदगी में पैमाइश करने के पश्चात् खसरा नं. 1612 को गैर-मुमकिन आबादी का मानते हुए विद्युत मण्डल के निर्णय को नगरपालिका की जमीन में बना हुआ माना गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत मन्डल की हठधर्मी का यह हाल है कि उसने यह निर्माण बिना नगर पालिका की अनुमति से किया है परन्तु फिर भी पारस्परिक सहयोग व स्थानीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका ने अब तक इस मामले को तूल नहीं देने का निर्णय कर जमीन की कीमत अदा करने की मांग विद्युत मण्डल से की लेकिन उसने स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन ही काट दिया। अगर ऐसा ही नगरपालिका करती तो इनके भवन को ही तुड़वा देती। जो इसका आफिस है।

अप्रेल, 1989 में विद्युत मण्डल एवं नगरपालिका की संयुक्त मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि उक्त जमीनों की कीमत तथा विद्युत मण्डल की ओर नगरपालिका की बकाया निकली है। चुंगी व गृहकर राशि के भुगतान एवं स्ट्रीट लाइट के विद्युत उपयोग की नगरपालिका की तरफ निकल रही बकाया राशि के भुगतान के सभी मामलों पर एस. डी. एम, भरतपुर का निर्णय स्वीकार कर लेंगे। एस. डी. एम. भरतपुर ने पुनः यह निर्देश दिये कि इन सारी राशियों के भुगतान के विवाद के विस्तार में जाकर निपटारा कर दिया जायेगा तब तक इन राशियों को सस्पेन्स खाते में डाला जावे और कुम्हेर कस्बे की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन तुरन्त चालू करवा दिया जावे। इस निर्देश को स्वीकार कर लेने के बाद भी विद्युत मण्डल द्वारा अभी तक कुम्हेर कस्बे में स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन चालू नहीं किया गया है जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। स्थिति कोई अन्य प्रकार का मोड़ नहीं ले इस दृष्टिकोण से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय का नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करते हुए मेरा सरकार से

(श्री नत्थीसिंह)

अनुरोध है कि वह कुम्हेर कस्बे की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन अविलम्ब चालू करने की कार्यवाही करे ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जब हरिजनों की बस्तियों में स्ट्रीट लाइट देने का सवाल आता है तब यह सरकार यह कह कर मुकर जाती है कि लट्ठे खड़े कर देते हैं, तार नहीं डालते हैं चार वर्ष तक अब चुनाव आये तब डालेंगे, कि पंचायत हमको देती नहीं लिख करके, कि हम इसका भुगतान करेंगे और यहां नगरपालिका का 43 हजार रुपया ये मांगते हैं। 78 हजार नगरपालिका का बाकी है 35 हजार रुपया ज्यादा है उसके बाद भी कनेक्शन काट दिये गये हैं। सरकार में कोई अफसर ही नहीं है कोई सरकार ही नहीं है जो देखे कि जनता को क्यों दण्डित किया जाय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो रेस्पान्सिबिल हैं उन अफसरों को दण्डित किया जाय और कुम्हेर कस्बे की स्ट्रीट लाइट पुनः चालू करवाई जाय। आप ऐसा निर्देश देने की कृपा करें।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं सरकार से इस बारे में जल्दी इन्तजाम करे ।

श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, मैं कोटा नगर की एक ज्वलन्त समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में अपील करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव के आधार पर केन्द्र सरकार को शीघ्र पत्र

(2.05 म. प.)

(श्री रामचन्द्र जाट, सभापति, पदासीन)

लिखकर कोटा नगर के 50 हजार केन्द्रीय कर्मचारियों की समस्या का निराकरण करने की कृपा करें ।

मान्यवर कोटा नगर की असामान्य जनसंख्या वृद्धि के कारण कोटा नगर को बी–2 श्रेणी में घोषित किया जाय। कोटा नगर को "बी" श्रेणी का नगर घोषित किया जाय, यह मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग कर रहा हूं। महोदय, कोटा नगर की जनसंख्या राज्य सरकार के इकोनोमिक और स्टेटिस्टिक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर और 18–2–86 के पत्र के आधार पर जनवरी, 84 में कोटा की आबादी 4 लाख 27 हजार थी और दुबारा 88 के के अन्दर 7–2–88 को कोटा की आबादी अचानक असामान्य वृद्धि होकर 5 लाख 10 हजार की आबादी में कोटा नगर परिवर्तित हो गया लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि कोटा नगर की असामान्य वृद्धि इतनी ही नहीं बल्कि 7 लाख से अधिक की कोटा नगर की आबादी हो गई है। मान्यवर, केन्द्रीय सरकार का नियम है कि जिस नगर की चार लाख से अधिक की आबादी हो जाये उस शहर को बी–2 में घोषित करके 'बी' श्रेणी का नगर घोषित कर दिया जाता है लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं लगातार राज्य सरकार से दो सत्रों में कभी प्रश्न के माध्यम से, कभी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वह केन्द्रीय सरकार को यहां से एक पत्र लिखे कोटा नगर को 'बी' श्रेणी का घोषित करने के लिए। लेकिन राज्य सरकार पत्र लिखने में भी कोताही बरतती है जिसमें टका लगता नहीं, पैसा लगता नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा 'बी'–2 घोषित करने के कारण कोटा नगर के एक सामान्य राज्य कर्मचारी को राहत मिलती है। मेरा निवेदन करना है कि कोटा नगर की जब 7 लाख से अधिक की जनसंख्या हो गई है तो क्या कारण है कोटा नगर को "बी श्रेणी" का घोषित नहीं किया जाय ? 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करने में जहां अन्य कोई कारण हैं वहां एक कारण यह भी है कि इस नगर की....

श्री सभापति : जोशी जी, आप पढ़ लें या सारांश कह दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : चूंकि मेरा चश्मा उतरा हुआ है। मैंने लिख कर दे दिया है।

श्री सभापति : आप कह चुके हैं। इसमें सारी बात आ गई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं इसी को खतम कर रहा हूं। चूंकि असामान्य वृद्धि के कारण है। कोटा नगर में पहले 40 वार्ड थे आज 55 वार्ड बन गये। यह असामान्य वृद्धि है। कोटा नगर में उद्योग एकदम बड़े हैं। गांवों की आबादी कोटा में आई है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार का एक नियम और है जिसके तहत मध्य जनगणना के आधार पर भी किसी भी शहर को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित कर दिया जाता है। अभी अभी कुछ समय पूर्व ही "बी" श्रेणी का नगर असामान्य वृद्धि के कारण मध्यम जनगणना को फन्डामेन्टल अधिकार मानते हुए 'बी' श्रेणी का नगर मैसूर को घोषित किया है। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी 295 के इस प्रस्ताव के माध्यम से केन्द्र सरकार को कोटा नगर, क्योंकि अजमेर घोषित हो चुका है, अजमेर के बाद केवल कोटा नगर ही है। कोटा नगर अभी अभी मेगनेट सिटी केन्द्र सरकार ने घोषित किया है। इसके कारण और अधिक आबादी बढ़ेगी। मुझे डर है कि जनगणना के समय सन् 91 तक कोटा की आबादी 10 लाख हो जायगी। केन्द्र सरकार इन 50 हजार केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रति न्याय करते हुए कोटा नगर को शीघ्र 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करे। कोटा में इसके लिये आन्दोलन चल रहा है। 50 हजार कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में 29 तारीख को रेल्वे के दफ्तर के सामने एक जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि कृपा करके कोटा नगर को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करके कोटा नगर के साथ न्याय किया जाय।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के ग्राम अभेय–कापार, थाना रामसर के निवासी श्री जलाल पुत्र श्री सूमार उम्र 23 साल, पशुपालक की मई, 1988 में सीमा गुप्तचर

(श्री हेमाराम चौधरी)

उप निरीक्षक व दूसरे उसके चचेरे भाई सहायक उप निरीक्षक ने जलाल से एक घोड़ी पाकिस्तान से मंगाने के लिए कहा जिस पर जलाल ने मना कर दिया। उसके बाद जलाल के खिलाफ पाक जासूस बनाने के लिए दोनों भाइयों ने डायरियां लिखीं। उसके बाद एक बार थाना रामसर ले गये, वहां पर मारपीट की व उससे रुपये 450 लेकर छोड़ दिया। फिर तारीख 28-9-88 को वापिस बाड़मेर पूछताछ केन्द्र ले गये जहां पर मारपीट शुरू करके कहा कि फिर कभी काम के लिये मना करेगा। उसके बाद तारीख 2–10–88 को जलाल के रिश्तेदार श्री हुसैन ने बाड़मेर सांसद के घर जाकर निवेदन किया कि मेरे भाई जलाल को गागरिया के सब इन्सपेक्टर, व उसके भाई सहायक उप निरीक्षक तथा चैक पोस्ट में सब इन्सपेक्टर से मिलकर रोजाना चार दिन से मार रहे हैं। हम बेगुनाह हैं और 500 रुपये) मांगते हैं वो मैं देकर आया हूं। तब सांसद ने एडीशनल एस. पी. बाड़मेर बोर्डर इन्टेलीजेन्स से फोन पर पूछा तो सांसद को जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं है। आज छुट्टी है, कल बतायेंगे। तारीख 3.10 88 को श्री हुसैन चैक पोस्ट गये तब दीप सिंह उर्फ जसवन्त सिंह व रतनसिंह गैन सिंह ने कहा कि तुम्हारे भाई को हम 500 रुपये पर छोड़ देते हैं व तेरे को वायदा किया था परन्तु तुमने नेताओं को कह दिया, अब नहीं छोड़ेंगे। इसको जयपुर भेजेंगे तो जिन्दा वापस नहीं आ सकता। उसके बाद भी हुसैन ने पुलिस डी. जी. को शिकायतों के जरिये डाक भेजी परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। जलाल को 8 दिन बाड़मेर में बिना किसी केस के दर्ज किये रखा व 14 दिन जयपुर में रखा; आखिर तारीख 23.10.88 की शाम को करीब 5 बजे पुलिस हिरासत में खतम हो गया। जलाल के शरीर पर करीब 8-9 चोटें थीं व शरीर पर दाग थे।

बाद में जलाल के भाई मठार ने अदालत में इस्तगासा पेश किया जिस पर पुलिस केस दर्ज हुआ और तफ्तीश एस.-पी. श्री किशनलाल गोदारा को दी गई। जिस पर एस. पी. श्री गोदारा ने बाड़मेर–रामसर व गांव अभय का पार जाकर सारी तफ्तीश की, उस पर कुछ मुलजिमान को डर हुआ कि हमारा चालान होने वाला है, तब राजनैतिक नेताओं से मिल कर श्री गोदारा की शिकायत करके तफ्तीश बदला दी।

उसके बाद आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। जिससे बाड़मेर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग में भारी रोष है कि एक गरीब आदमी की बिना किसी वजह से, बिना कारण के पुलिस कस्टडी में लेकर मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। अतः निवेदन है कि उक्त मुकदमे में षड्यंत्र करने वाले बाड़मेर के अधिकारियों और जयपुर के अधिकारियों को कानून के तहत सजा दिलायें और उनके खिलाफ चालान पेश करायें जिससे बाड़मेर जैसलमेर जिले का अल्पसंख्यक समुदाय में गुप्तचर विभाग चैक पोस्ट, पुलिस, प्रशासन व सरकार के प्रति असुरक्षा की भावना बन गई है, अल्पसंख्यक अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं अतः उक्त मामले की सही जांच शीघ्र कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में चालान प्रस्तुत किया जाय।

श्री सभापति : श्री केशरदेव महरड़ा। (व्यवधान) कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : हो चुका। आपने समाप्त कर दिया है।

श्री हेमाराम चौधरी : इस मामले को लाइटली नहीं लें। इसको गम्भीरता से लें। एक निर्दोष व्यक्ति की इस प्रकार पुलिस द्वारा....

श्री सभापति : माननीय हेमाराम जी, बिराजें आप।

श्री हेमाराम चौधरी : अपनी कस्टडी में मार मार कर हत्या कर दी गई और उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने से....

श्री सभापति : आप कह चुके हैं। कृपया बिराजें।

श्री डूंगरराम पंवार : ऐसे पुलिस अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाय।

श्री हेमाराम चौधरी : और उस रोष को देखते हुए....

श्री सभापति : अंकित न हो। अंकित न किया जाय। माननीय सदस्य, बिराजें। कह चुके हैं आप। श्री केशरदेव महरड़ा।

श्री केशरदेव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है। मैं पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान इस विशेष उल्लेख के जरिये आकर्षित करना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ में 9 जुलाई, 1989 को रात को साढ़े बारह बजे वार्ड नं. 8 में बर्फ फैक्ट्री लगाई जा रही थी। उक्त फैक्ट्री में गैस सिलेण्डर फट जाने से इस आबादी क्षेत्र में रहने वाले 35 व्यक्ति प्रभावित हुए और वह बीमार हो गये तथा इन सभी को राजकीय अस्पताल लक्ष्मणगढ़ में भर्ती कराया गया है। इन सभी की हालत गम्भीर है। इस गैस से प्रभावित लोगों की जिला कलेक्टर सीकर एवं एस. डी. एम. फतेहपुर ने लक्ष्मणगढ़ मौके पर पहुंच कर देखभाल की एवं उस फैक्ट्री का निर्माण नहीं करने बाबत रोक लगा दी। फैक्ट्री के निर्माण से इस क्षेत्र की जनता में भारी रोष व आक्रोश है। लोक महत्व का गम्भीर मामला मानते हुए मैं पर्यावरण मंत्री से विशेष उल्लेख के जरिये मांग करता हूं कि इस फैक्ट्री का निर्माण न करवाया जाय। इसके निर्माण को तत्काल रोका जाय।

श्री सभापति : धन्यवाद, श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये सीमान्त जिले बाड़मेर में जो चिकित्सा की व्यवस्था है उसके कारण बहुत कुछ लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

बाड़मेर जिला देश के बड़े विशाल क्षेत्र वाले जिलों में से एक है जहां दूर-दूर तक गांव और ढाणियां फैली हुई हैं। सीमान्त, पिछड़े रेगिस्तानी एवं प्रायः अकालग्रस्त रहने वाले इस जिले में चिकित्सा

(श्री चम्पालाल बांठिया)

एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति है। इस अकाल के समय दूर दराज गांवों में जहां चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ा गई है यदि अविलम्ब कारगर कदम नहीं उठाये गये तो कभी भी स्थिति नियन्त्रण के बाहर हो जायेगी और गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिले में दवाओं के बजट में बढ़ोत्तरी जहां नाम मात्र की हुई है वहीं दवाओं एवं अन्य वस्तुओं तथा उपकरणों की कीमतें दुगनी तिगुनी हो चुकी हैं। आज तो पहले के अनुपात में दवाइयां आधी भी नहीं मिलती हैं। फिर स्टाफ की भयंकर कमी है। क्या राज्य में बाड़मेर जिले की तरह और कोई जिला है जहां सभी की सभी आठों ब्लाक पी. एच. सी. में कहीं भी ए. एम. ओ. का पद भरा हुआ नहीं हो? एक डेढ़ वर्ष वाले डाक्टर इन अस्पतालों को चला रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय के बड़े अस्पताल में जहां एनेस्थेसिस्ट के दो पद हैं लेकिन एक पद गत दो वर्षों से रिक्त है दूसरे को अभी हटा कर अलवर और जयपुर जिले में लगा दिया है जबकि किडनी के आपरेशन भी इस अस्पताल में हो रहे हैं। वाहन चालकों के आधे पद रिक्त पड़े हैं। अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि इस सीमावर्ती जिले में मरीजों की क्या दुर्दशा होती होगी। आप चाहें तो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के वाहन चालकों को लगाकर इन पदों को भर सकते हैं। प्रसाविकाओं के कुल 326 पद हैं जिसमें भी 179 पद रिक्त हैं। दूर दराज गांवों में प्रायः सब सेन्टर बन्द पड़े रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में परेऊ, सन्तरा, कुपलिया इत्यादि बन्द पड़े हैं। दूसरी तरफ अनेक ए. एन. एम. छुट्टी पर जाने से दवाखाने बन्द हैं। जैसे कि कल्याणपुर कोरणा जैसे बड़े गांवों में भी कोई व्यवस्था नहीं है।

इसी प्रकार मेल नर्स प्रथम के 12 में से 5 पद रिक्त हैं। उनमें से दो गम्भीर रूप से बीमार रहते हैं। रेडियोग्राफर के 5 में से 3 पद रिक्त हैं। वार्ड सिस्टर का एक मात्र पद भी रिक्त पड़ा है। स्वास्थ्य निरीक्षकों के 39 में से 26 पद रिक्त हैं। एल. एच. वी. के 57 में से 38, वरिष्ठ लिपिक 46 में से 32, कनिष्ठ लिपिक 41 में से 26 एवं इसी प्रकार अन्य अनेक पद खाली पड़े हैं। अनेक कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं। बाड़मेर जिले में आप जिसे भी लगाते हैं अपना प्रभाव काम में लाकर स्थानान्तरण करा लेता है। कम से कम दो वर्ष पूर्व आपको गांवों के इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं करने का निर्णय लेकर कठोरता से पालन कराना चाहिये। आपके सी. ए. एस. डाक्टर्स को कनिष्ठ विशेषज्ञ पद पर क्रमोन्नत करने से सी. ए. एस. डाक्टर्स की कमी आ गयी है। कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्पताल के समय के पश्चात बिना बुलाये सेवाएं नहीं देते। उदाहरण के लिए बालोतरा में केवल दो सी. ए. एस. डाक्टर्स हैं। अतः प्रायः रात्रि में कोई डाक्टर ड्यूटी पर नहीं रहता। अब आप या तो इन विशेषज्ञों को पाबन्द करें अथवा सी. ए. एस. डाक्टर्स के पद बढ़ायें। परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी के कैम्प गांवों में लगाने से समस्या और गम्भीर हो गई है। दूर दराज से बड़े अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आते हैं उनको प्रायः यह उत्तर मिलता है कि डाक्टर्स कैम्प में गये हैं और कैम्पों में बहुत कम आपरेशन होते हैं। गत वर्ष शिव

(श्री चम्पालाल बांठिया)

तहसील में लगभग 100 कैम्प हुए और आपरेशन केवल मात्र दो हुए । इस बात को आप नोट करें, 100 कैम्प लगाने के बाद सिर्फ दो आपरेशन हुए । हम कैम्पों में पैसे और धन जन का किस प्रकार दुरु-पयोग कर रहे हैं। वहां आपरेशन होते नहीं बड़े अस्पताल में डाक्टर्स मिलते नहीं, उन गरीबों को जवाब यह मिलता है डाक्टर्स कैम्प में गये हुए हैं। जन धन का यह दुरु-पयोग रोकना होगा। आपरेशन आप बड़े अस्पताल जैसे बाड़मेर, बायतू, चौहटन, बालोतरा, सिवाना, समदड़ी, इत्यादि में आयोजित करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। वहां स्वयंसेवी संस्थाएं प्रोत्साहन देने, बिस्तर, सफाई, दवा देखरेख ठीक होगी । निश्चित रूप से अधिक आपरेशन होंगे । वाहन उपलब्ध अवश्य कराने होंगे, लाने ले जाने में। बाकी अस्पतालों का हाल बुरा है गरीब और गांव के आदमी को दवाई बाजार से ही खरीदनी पड़ती है । बेन्डेज तक उपलब्ध नहीं होती है । किसी भी अस्पलाल में जाइये कोई दवा गरीब या गांव वालों को तो मिलती ही नहीं है । नींद के इन्जेक्शन जैसे कि मार्फिया, पेथेडीन बाजार में नहीं मिलते दूसरी तरफ अस्प-तालों में भी यह इंजेक्शन उपलब्ध नहीं रहते हैं। अस्पतालों की देख रेख भी ठीक नहीं है। मंत्री जी के आश्वासन को 20 दिन होने के पश्चात भी बालोतरा के अस्प-ताल में अभी तक मरम्मत का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस पवित्र सदन में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक वहां कोई मरम्मत का काम प्रारम्भ नहीं किया।

मडली में ब्लाक पी. एच. सी. जहां बिजली की सुविधा नहीं होने से टैटवैक जैसे इंजेक्शन के लिए भी जोधपुर या बालोतरा जाना पड़ता है । एक मामूली इंजेक्शन जो एक रुपये में आता है जिसके कारण जीवन रक्षा हो सकती है लेकिन बिजली है मडली के अन्दर लेकिन वर्षों तक चिल्लाने के पश्चात भी सरकार उस अस्प-ताल के अन्दर बिजली तक का प्रबन्ध नहीं कर पाई है। अनेक और भी गम्भीर बातें हैं। मैं संक्षेप में माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जिनसे राजस्थान की उम्मीद बंधी है, से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि अविलम्ब कार्यवाही कर इन गड़बड़ियों को रोकें, कमियों को पूरा करें। बालोतरा में 6 वर्ष पूर्व घोषित 100 बैड का अस्प-ताल एवं शिलान्यास किये हुए मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को आरम्भ करने की घोषणा करें। वह घोषणा कर आते हैं, शिलान्यास कर आते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं । जन सहयोग पहले भी पूरा मिला था और आगे भी मिलेगा । अतः आपसे निवेदन है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले का विशेष उल्लेख कर रहा हूं । माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है। बाड़मेर सीमान्त जिले के अन्दर चिकित्सा विभाग की यह स्थिति है और लोग बुरी तरह से परेशान हैं, मरीजों की कोई सुन-वाई नहीं हो रही है....

श्री सभापति : श्री जगन्नाथ वर्मा।

श्री चम्पालाल बांठिया : सभापति जी, मंत्री महोदय से कुछ कहलवावें तो सही।

श्री सभापति : कोई आवश्यक नहीं है 295 में, माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर, कल व्यवस्था दी गई थी आसन की ओर से कि केवल एक घंटे तक जीरो ऑवर चलेगा। और कार्यक्रम रुके हुए हैं, आप इनको ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री सभापति : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर कर रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया है और कई बार कर चुके हैं। बोर्डर एरिया में सबसे ज्यादा हैजा और खसरा होता है। इतनी पोस्ट खाली हैं। नसबन्दी के कैम्प करते हैं। डाक्टर नहीं हैं। इस पर मंत्री महोदय को कुछ तो कहना चाहिये....

श्री सभापति : माननीय विद्या जी, आप भी आसन पर बैठती हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : मैं आसन पर बैठती हूं, मैं आसन से कोई दुराग्रह नहीं करना चाहती मगर यह जो गम्भीरता से लेने का है और आसन की तरफ से ताड़ना भी दी जानी चाहिए।

श्री सभापति : कृपया सहयोग दें, समय बहुत कम है। श्री जगन्नाथ वर्मा।

श्रीमती विद्या पाठक : सहयोग तो आपसे वहां की जनता मांगती है। बाड़मेर एरिया की जनता आपसे सहयोग मांगती है। वहां डाक्टर भिजवायें, वहां बीमारियां फैली हुई हैं।

श्री सभापति : आपने जो लिखित में दिया है उस पर चिकित्सा मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री डूंगरराम पंवार : सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, दवाई बिना मरो चाहे पानी बिना मरो। कोई मरो कोई जीओ, सुथरा घोल बतासे पीओ।

श्री जगन्नाथ वर्मा (मनोहर थाना) **:** सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं और माननीय गृह मन्त्री जी से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र की तरफ ध्यान देकर, मेरी भावनाओं को देख कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

झालावाड़ जिले के विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में आये दिन हो रहे अपराध तथा अपराधियों को पुलिस का संरक्षण होने से वहां की जनता में व्यापक रोष एवं असन्तोष है। वहां पर वे अपराधी तथा शरारती तत्व गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की जबरन कृषि भूमि छीन लेते हैं तथा उस पर अवैध खेती करते रहते हैं तथा आये दिन उनके साथ छेड़छाड़ मारपीट करते रहते हैं जिससे उनको कई दिनों तक घायल होकर अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है या अपंग एवं अपाहिज होकर जीवन यापन करना पड़ता है। कई को बलात्कार का शिकार होना पड़ता है तथा कई बार हत्या किये जाने से मौत के मुंह में जाना पड़ता है क्योंकि वे असामाजिक एवं अपराधी तथा शरारती तत्व एक वर्ग विशेष के हैं जिससे वहां पर आये दिन साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं।

(श्री जगन्नाथ वर्मा)

दूसरी ओर जब यह पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो वहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती है तथा उन्हें भगा दिया जाता है तथा उल्टे उनके साथ मारपीट की जाती है । यदि रिपोर्ट दर्ज भी होती है तो कोई कारगर कार्यवाही नहीं होती है क्योंकि अपराधी पुलिस से मिले हुए हैं तथा उन्हें पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त है । उदाहरणार्थ दि. 10 जून की रात्रि को श्री कान्ता पुत्र भंवरलाल लोधा निवासी सेतखेडी की हत्या हो गई उनकी रिपोर्ट थाना जावर में दर्ज की गई, अपराधियों के नाम भी बताये गये लेकिन अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है तथा अपराधी खुले आम घूम रहे हैं तथा उल्टे शिकायत दर्ज कराने वालों को धमका रहे हैं ।

दूसरा उदाहरण, दि. 5.7.89 को गायों के मामले को लेकर अनुसूचित जाति के 12 वर्षीय बालक मेहर की पिटाई की तथा गायों को बुरी तरह से पीटा तथा घायल कर दिया तथा बाद में 15–20 व्यक्तियों ने लाठियां, तलवारें, गंडासे आदि शस्त्रों से घर आकर हमला किया तथा सारे घरवालों की बुरी तरह से पिटाई की जिससे राम भरोसीबाई बुरी तरह घायल हो कर बेहोश हो गई तथा कपड़ों में टट्टी पेशाब कर दिया । जब रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई तो अभी तक कुछ नहीं हुआ उल्टा रिपोर्ट दर्ज कराने वालों को धमकाया जा रहा है तथा मंगली बाई जब कुएं पर पानी भरने गयी तो उसे कुएं में गिराने का प्रयास किया गया लेकिन अपराधियों का आज तक कुछ नहीं हुआ । तीसरा उदाहरण, श्री कल्याण चमार निवासी बांसखेड़ा तथा श्री प्रभूलाल चमार बांसखेड़ा की जमीन पर इन अपराधियों ने कब्जा कर रखा है तथा खेती कर रहे हैं । शिकायत दर्ज हुई लेकिन अपराधियों का कुछ नहीं हुआ ।

उक्त घटनाओं के बार बार होने तथा अपराधियों का कुछ नहीं होने तथा पुलिस द्वारा उल्टे संरक्षण देने से क्षेत्र में भारी रोष एवं असंतोष है तथा कभी भी बड़ा झगड़ा होने का अन्देशा है । अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही कर अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान की जाय ।

श्री सभापति : श्री मोटाराम ।

श्री मोटाराम (सिवाना) : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय पर ध्याना–कर्षण प्रस्ताव पेश करता हूं ।

निवेदन है कि पाली जिले की पंचायत समिति रानी में कार्यरत विकास अधिकारी श्री नाहर सिंह के विरुद्ध काफी अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के कई गम्भीर आरोप हैं जिसे शीघ्र निलम्बित कर उच्च स्तरीय जांच करवा कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करावें ।

1. पं स. रानी में दि. 3.1.89 को अध्यापकों के साक्षात्कार हुए जिसमें विभागीय आदेशों की पूर्णरूपेण अवहेलना कर केवल प्रधान और विकास अधिकारी श्री नाहर सिंह ने ही रिश्वत के आधार पर उनका चयन किया । साक्षात्कार में न तो

(श्री मोटाराम)

दोनों शिक्षा प्रसार अधिकारियों को आमंत्रित किया गया न अंक दिये गये और न ही साक्षात्कार विभागीय नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में हुआ। मात्र साक्षात्कार समाप्ति के बाद मनमाने तरीके से दिये गये अंकों के आधार पर चयन किया। इनकी पोस्टिंग भी विकास अधिकारी ने गलत तरीके से बिना शिक्षा प्रसार अधिकारी की राय के की। अतः इस अवैध चयन सूची को निरस्त कर इन अध्यापकों को दिया गया वेतन विकास अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से वसूल किया जाय।

2. इसी प्रकार जिला परिषद पाली से शिक्षकों की पोस्टिंग और कुछ स्थानान्तरण विकास अधिकारी ने सीधे मनमाने तरीके से बिना शिक्षा प्रसार अधिकारी की टिप्पणी या सहमति के किये।

3. श्री नाहर सिंह, विकास अधिकारी दि. 3.7.89 से 11.7.89 तक छुट्टी पर गये जिसका चार्ज उन्होंने विभागीय नियमों के विपरीत वरिष्ठ प्रसार अधिकारी को देने के बजाय अपने चहेते श्री बजरंग सिंह, कृषि प्रसार अधिकारी को देकर के अपने पद का खुल कर दुरुपयोग किया है।

4. निदेशक महोदय, ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर द्वारा दिनांक 2.5.1989 को श्री रुस्तम खां, शिक्षा प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण पंचायत समिति रानी से पंचायत समिति, रोहट (पाली) किया गया, मगर श्री नाहर सिंह विकास अधिकारी ने एक माह तक उसे कार्य मुक्त नहीं कर निदेशक महोदय के आदेश की अवहेलना की है। श्री नाहरसिंह ने नियम विरुद्ध अपनी छुट्टियों के कार्य काल में घर बैठे ही श्री रुस्तम खां को पुरानी तारीख से दिनांक 3.7.1989 को कार्य मुक्त किया जबकि आवक जावक रजिस्टर में दिनांक 5.7.1989 को इन्द्राज किया गया।

5. श्री नाहर सिंह ने ग्रुप सचिव एवं अध्यापकों के स्थानान्तरण में भी काफी अनियमिततायें बरती हैं। राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई विद्यालय एकल अध्यापक का नहीं रहे। इसके लिये राज्य सरकार ने नये पद एवं बजट की व्यवस्था की है। मगर श्री नाहर सिंह, विकास अधिकारी ने राज्य सरकार की मंशा एवं आदेशों की अवहेलना कर नियम विरुद्ध रिश्वत लेकर नये शिक्षकों को एकल अध्यापक विद्यालय में लगाने की बजाय उनकी सुविधा अनुसार वांछित स्थान पर लगाया, जबकि अभी भी कई विद्यालय एकल अध्यापकीय चल रहे हैं जहां छात्रों को पढ़ाई का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

6. श्री नाहर सिंह, विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी के पास वाली पंचायत समिति, बाली के गांव लूणावा के रहने वाले हैं जहां वे आने–जाने में पंचायत समिति रानी की जीप का उपयोग करते हैं और अपने घरेलू काम काज एवं परिवार जनों को घुमाकर जीप का दुरुपयोग कर रहे हैं।

7. श्री नाहरसिंह, विकास अधिकारी नियम विरुद्ध छह–छह माह तक बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर से जीप चलवाते हैं

(श्री मोटाराम)

जो पंचायत समिति का कर्मचारी भी नहीं है ताकि जीप के दुरुपयोग की लाग बुक विकास अधिकारी अपने मनमाने ढंग से भर सकें।

8. श्री नाहरसिंह, विकास अधिकारी ने राजनीति से प्रेरित होकर पंचायत समिति रानी के वर्तमान विपक्षी प्रधान के सामने पराजित कांग्रेसी उम्मीदवार श्री गजेन्द्र सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत, खिवाड़ा को पंचायत समिति के सदस्य के रूप में शपथ भी नहीं दिलाई। निदेशक महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा आदेश दिये जाने के बाद ही उन्हें शपथ दिलाना सम्भव हो सका।

9. अकाल राहत कार्य में नये कुएं खुदवाने के लिए श्री नाहर सिंह द्वारा मस्टर रोल तभी दिये जाते थे जब उनका हिस्सा पहले दिया जाता था और भुगतान के समय में भारी रिश्वत ली जाती रही।

10. श्री नाहरसिंह ने कुटीर ज्योति योजना के तहत अनुसूचित जाति के 108 उन लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन कराये जिन्होंने प्रधान चुनाव में विपक्षी प्रधान का समर्थन किया था। उस पंचायत के लोगों को कुटीर ज्योति योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा जिन्होंने प्रधान चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया था जिनमें ग्राम पंचायत घेनड़ी, पिलोवली, केरली, गजनीपुरा एवं खिवाड़ा पंचायतों के नाम प्रमुख हैं, जिनके नाम चयन रजिस्टर से काट दिये गये। दिनांक 13.12.1988 को पंचायत समिति रानी की हुई बैठक में भी सरपंचों द्वारा विकास अधिकारी के इस पक्षपातपूर्ण रवैये की घोर निन्दा की गई।

11. जीवन धारा योजना के तहत कुओं की खुदाई के समय मस्टर रोल देने के बिल पास कर भुगतान करने में भी श्री नाहरसिंह, विकास अधिकारी द्वारा काफी रिश्वत ली जा रही है जिसे रोका जाना आवश्यक है।

(2.35 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

12. निदेशक महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर दिनांक 16.5.1989 द्वारा श्री नाहरसिंह, विकास अधिकारी का स्थानान्तरण पंचायत समिति रानी से पंचायत समिति कुचामन सिटी (नागौर) कर दिया गया जिसकी पालना हेतु मुख्य अधिशाषी अधिकारी पाली, द्वारा भी उन्हें कार्य मुक्त होने का आदेश देने के बावजूद भी श्री नाहरसिंह, विकास अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट, जोधपुर से स्थगन आदेश लाकर विभागीय आदेशों की अवहेलना की गयी है और वह स्थगन आदेश तो आर. ए. एस. अधिकारी श्री पृथ्वीराज के आदेश दिनांक 3.4.1989 के लिए था न कि उनके लिए।

13. श्री नाहरसिंह, विकास अधिकारी शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग–राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक दिनांक 16.6.1989 का उल्लंघन कर विधान सभा सत्र के दौरान पंचायत समिति रानी की साधारण सभा की मीटिंग दिनांक 3.7.1989 को रखी। विधान सभा

(श्री मोटाराम)

के सचिव महोदय के आदेश क्रमांक 33220-22 दिनांक 29 जून, 1989 के द्वारा तार देने के बाद उस मीटिंग को स्थगित किया गया जबकि दिनांक 29.6.1989 से विधान सभा के 11वें सत्र के प्रारम्भ होने का गजट नोटिफिकेशन होकर विधान सभा सत्र प्रारम्भ हो चुका था।

इसी तरह श्री नाहरसिंह, विकास अधिकारी द्वारा लगातार काफी अनियमितताएँ बढ़ती जा रही हैं और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं।

अतः हम राजस्थान सरकार एवं पंचायत राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर मांग करते हैं कि पंचायत समिति रानी (पाली) में कार्यरत विकास अधिकारी श्री नाहरसिंह द्वारा लगातार बढ़ती जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्ट कारनामों को मद्दे नजर रखते हुए उनके विरुद्ध सी. सी. ए. रूल 17 के तहत कार्यवाही कर उन्हें तत्काल निलम्बित कर, उनकी सेवायें पैतृक विभाग को लौटा कर उनके विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही करावें ताकि अन्य विकास अधिकारियों को भी इससे सबक मिल सके। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बूंदी जिले में चम्बल की नहरों से सिंचाई

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री महोदय का ध्यान बून्दी जिले में चम्बल की नहरों से सिंचाई के सम्बन्ध में और अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कैचमेण्ट में जो भूमि विकास कार्य किये थे उनमें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही विभिन्न कार्य क्रियान्वित किये और इन कार्यों को करने में कोई अनियमितता नहीं हुई है। जिन चकों में भूमि विकास कार्य क्रियान्वित किये जा चुके हैं उनमें सम्बन्धित वर्तमान में कोई शिकायत विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभिन्न भूमि विकास कार्यों की क्रियान्विति राज्य व भारत सरकार की नीति के अनुसार की जा रही है। राजस्थान भूमि विकास निगम ने अब तक 5.32 करोड़ रुपये की धनराशि चम्बल क्षेत्र के कृषकों को भूमि विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु ऋण के रूप में उपलब्ध करायी थी। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 37 लाख रुपये वर्ष 1984–85 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत ऋण के रूप में उपलब्ध कराये गये। इन धनराशियों पर ब्याज अलग से लग रहा है। अब तक मूलधन व ब्याज की वसूली योग्य राशि 4 करोड़ 80 लाख रुपये की बनती है लेकिन वसूली नगण्य है। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार कोई वसूली नहीं की जा रही है और न ही कोई सख्ती की जा रही है।

जहां तक ऋणों को माफ किए जाने का प्रश्न है, वर्तमान नियमों एवं राज्य

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन्हें माफ किया जाने का आगे निर्णय किया जायेगा। गत वर्षों में बायीं मुख्य नहर के रख रखाव के लिये 74 लाख रुपये खर्च किये जाते थे जिनको बढ़ा कर पिछले वर्ष 84 लाख रुपये व्यय किये गये तथा इस वर्ष भी इतनी ही धनराशि का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 60 लाख रुपये बायीं मुख्य नहर के आधुनिकीकरण एवं विशेष मरम्मत हेतु भी उपलब्ध कराये गये हैं। बायीं मुख्य नहर का क्षेत्रफल 2 लाख 52 हजार हैक्टेयर है और नहरों की डिजाइन के अनुसार 76प्रतिशत सिंचाई सघनता हेतु 1 लाख 92 हजार हैक्टेयर में पानी उपलब्ध होना चाहिये। इसकी अपेक्षा 2 लाख 54 हजार एकड़ में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों में वास्तविक सिंचाई सघनता 90 से 100 प्रतिशत तक प्राप्त की गई है जो कि क्षमता से काफी अधिक है। इसलिये 6 सालों में जो वास्तविक सिंचाई की गई वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1983–84 में कुल वास्तविक सिंचाई क्षेत्र खरीफ व रबी (लाख एकड़ में) 2 लाख 29 हजार, वास्तविक सघनता प्रतिशत 90.28। इसी तरीके से 1984-85 में 2 लाख 36 हजार एकड़ और वास्तविक सघनता 93.20 प्रतिशत। 1988–89 में 2 लाख 45 हजार और प्रतिशत 97.20। जहां तक लिफ्ट सिंचाई परियोजना का सुझाव है, इसके लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायेगा। किसानों को पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में लेख है कि बायीं मुख्य नहर की क्षमता 1500 क्यूसेक है परन्तु निर्धारित मात्रा से भी अधिक पानी करीब 1700 क्यूसेक उपलब्ध करा कर क्षेत्र के कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

मुख्यत: शीर्ष के कृषकों द्वारा अधिक पानी का दुरुपयोग किया जाता है तथा शीर्ष के कृषकों द्वारा रात्रि में पानी का उपयोग न कर ड्रेनों में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी का बहुत अधिक नुकसान होता है और उसमें अन्तिम छोर के काश्तकारों को निर्धारित मात्रा में पानी नहीं उपलब्ध होता है। इसके साथ में बड़े व शीर्ष के काश्तकार धान की फसल लेते हैं। चम्बल परियोजना के निर्माण के समय धान की खेती का क्षेत्रफल बहुत कम रखा गया था लेकिन जब इस क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हो गयी है, इस बढ़ोतरी का सीधा असर अन्तिम छोर के काश्तकारों पर पड़ता है। पूर्व में इस क्षेत्र में ए.पी.एम. लगाया गया था जिससे निर्धारित मात्रा से अधिक पानी का प्रयोग न कर सके। लेकिन इन्हें तोड़ दिया गया तथा 20 से अधिक प्रतिशत अनधिकृत मोगे अपने स्तर पर काश्तकारों द्वारा खोल लिये गये, जिसका खामियाजा अन्तिम छोर के काश्तकारों को भुगतना पड़ रहा है। पानी के उचित बंटवारे हेतु जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। जन प्रतिनिधियों को यह निवेदन किया गया है कि कुछ माइनर्स का संचालन काश्तकारों द्वारा गठित समिति से ही किया जायेगा। लेकिन इसमें भी वांछित सफलता नहीं मिली। अत: मैं जन प्रतिनिधियों का सहयोग चाहूंगा कि क्षेत्र में पानी के वितरण हेतु वे अपने स्तर पर पानी वितरण समिति

Page No. 95

95

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बनायें ताकि काश्तकार पानी का बंटवारा अपने स्तर पर कर सकें, पानी की सही मात्रा अपने स्तर पर बांट सकें। जो भी जनोपयोगी कार्य पूर्व में अधूरे पड़े थे, उन्हें विभाग द्वारा पिछले वर्ष दो लाख 59 हजार रुपये की धन राशि उपलब्ध करा करके पूर्ण करा दिये गये हैं। विभाग के पास नये कार्यों को कराने की अब कोई योजना नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रावधान रखा गया है। ऐसे कार्यों को करने के लिये सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क किया जाना उपयुक्त होगा। पंचायतों के माध्यम से भी इन छोटे-छोटे कार्यों को विभिन्न योजनाओं तथा जवाहर रोजगार योजनाओं के अधीन करवाया जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोफोर्स तोप का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप विषयान्तर मत होइये। चम्बल कमाण्ड एरिया की राज्य सरकार द्वारा कोई उपेक्षा नहीं की जा रही है और उपलब्ध धनराशि के अनुसार सभी कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु बराबर प्रयास किये जा रहे हैं तथा कृषकों को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के भी प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप बायीं नहर के क्षेत्र में 76 प्रतिशत सिंचाई सघनता की अपेक्षा वर्ष 1988–89 में 95.45 प्रतिशत सिंचाई सघनता प्राप्त की गयी है। फिर भी जो सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा बताये जायेंगे, सरकार उन पर गम्भीरता से विचार कर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिमोहनजी।.... (व्यवधान) आई नो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि भूमि सुधार कार्य, ओ.एफ.डी. वर्क्स में और कैचमेंट के कार्य में न तो कोई अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई और न उन बातों पर विचार करना है(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पक्ष में ही बोलूंगा। पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार यदि सत्ता पक्ष का विधायक कोई एडजोर्नमेंट मोशन देता है या सरकार का ध्यान आकर्षित करता है, तो सरकार में अविश्वास व्यक्त करने की भावना उसमें रहती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके वक्त में भी आपके पक्ष के लोग भी 77–80 के बीच में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये थे।

श्री हरिमोहन शर्मा : एडजोर्नमेंट मोशन देना तो फिर भी कुछ वक्त तक आ सकता है, जैसा आपके मुख्यमंत्रित्व काल में नैनवां के विधायक मानकलालजी ठाकुर ने एडजोर्नमेंट मोशन लगाया था। यह तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हमारे पदचिन्हों पर चल रहे हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मैं वह नहीं कह रहा हूं, मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है ही नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : चलो, चालीस साल में कम से कम आपको यह तो मालूम पड़ा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकारी पक्ष के एम. एल. ए. द्वारा देने से अविश्वास सरकार में प्रकट होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इसलिये कह रहा था कि हरिमोहन जी बोल रहे थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो फिर भी चर्चा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज तिवारी जी, नाउ प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कैचमेंट में लेने के समय किसानों में इतना भयंकर रोष था कि जन आन्दोलन हुए और कैचमेंट के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार पर जबर्दस्त हंगामा हुआ। यही नहीं, वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बनाये, वह भी डिफेक्टिव हैं। आज भी कितनी ही ड्रेन्स में पानी नहीं बहता है। जो धोरे उन्होंने बनाये हैं, वह डिफेक्टिव हैं, आज भी जा करके उसको मौके पर देखा जा सकता है। जो उन्होंने पानी के लिए दूसरी अन्य व्यवस्था की, वह व्यवस्था आज भी इतनी इनकम्पलीट है कि मौके पर जाकर आज भी देखा जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो प्रिंसीपली बताओ कि यह-यह गड़बड़ है, यह गड़बड़ है, जनरल क्यों बता रहे हो, इससे कोई मसला थोड़े ही निकलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही उन पर जो आपने बताया करीबन 4.80 करोड़ का, मैं यह कहता हूं कि इस कैचमेंट के नाम से, इस भूमि सुधार के नाम से ऋणों के मूल और ब्याज को मिला करके 15 करोड़ रुपये की राशि बकाया है और उन किसानों की माली हालत ऐसी है कि वह इस ब्याज को और मूल रकम को देने की स्थिति में नहीं हैं। आप खुद भी मानते हैं कि आप न तो वसूल कर पाये हैं और न कर पायेंगे,। ऐसी परिस्थिति में जब गंगानगर के किसानों के लिये 125 करोड़ रुपये, जो इसी पैटर्न पर खर्च किये गये हैं, माफ करने के लिये सरकार विचार कर रही है, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि चंबल कमांड एरिया में जो 15 करोड़ रुपये की राशि बकाया है उसे माफ करने के लिये कार्यवाही नहीं की तो न तो वह वसूल हो पायेगी, न हम उसको वसूल होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जी।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, नहीं। साहब। अभी मेरी बहुत बात बाकी है। आपने मुझे पहले भी नहीं बोलने दिया और अब भी नहीं नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने नहीं देना है। आपको क्वेश्चन पूछने हैं। I know. You have to put questions. Now put questions, please.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप धीरे-धीरे प्रश्न पूछें।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में टोका-टोकी मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा : दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप एक ओर तो यह बता रहे हैं कि नहरों की जो कैपेसिटी पानी छोड़ने की है, उसकी डिजाइन कम होते हुए भी हम एक लाख और दो हजार हैक्टेयर में बूंदी में सिंचाई कर रहे हैं। 95 प्रतिशत आप इरिगेशन कर रहे हैं और दूसरी ओर वर्षों तक आपने जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की और उपलब्ध करवाई बूंदी में, इसके आधार पर धान की फसल लगाने की बढ़ोतरी हुई और उसके कारण आर.एफ.सी. द्वारा अनेक उद्योगों को ऋण दिये गये और आज बूंदी में बासमती चावल की पैदावार के आधार पर चावल एक्सपोर्ट किया जाता है जिससे केन्द्र सरकार को करोड़ों रुपये की आय है। दूसरी ओर आप सिंचाई जल निकासी अधिनियम का उपयोग करते हुए उसके तहत प्रतिबंध लगा रहे हैं कि खातेदार को केवल 15 परसेन्ट भूमि में ही धान की फसल पैदा करनी होगी। यह बिल्कुल गलत, बेबुनियाद है। अगर आप कहते हैं कि चम्बल में पानी नहीं है तो दूसरी फसलों को मिलेगा ही क्या? और जब उसमें पानी आ जायेगा तो आपको इसमें देना ही है। आप अगर आज 15 प्रतिशत पाबन्दी लगा देंगे, अभी आपके पास पानी होते हुए भी नहीं देंगे तो बीज लगाने का समय है, जो पैदावार के लिए रोपने का समय है वह निकल जायेगा। फिर आप पानी देंगे तो किस को देंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रतिबन्ध लगायें हैं कि अगर 15 परसेंट से अधिक धान की फसल की रोपाई की तो आप उन किसानों पर पैनल्टी लगायेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे, इस प्रतिबन्ध को आप तत्काल वापस लें। किसानों की भूमि की कितनी कब से सिंचाई होती है आज तक तो आपने प्रतिबन्ध लगाया नहीं, यह पहला साल है जिसमें आप प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं और टेल के नाम पर लगाना चाहते हैं। आपके पास गांधी सागर डैम में पानी नहीं है तो यहीं नहीं पहुंच पायेगा हैड पर तो टेल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिये यह तर्क आपका उचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरा, मेरा प्रश्न है कि जो ड्रेनेज का मुआवजा है वह किसानों के करोड़ों रुपये आज भी सरकार में बकाया हैं और उसको आज तक भी सरकार ने बहुत कम मात्रा में दिया है, इसलिये किसानों को ड्रेनेज का मुआवजा मिले, उस राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपका नियम है कि आप पर हैक्टेयर सौ रुपये मेन्टीनेन्स की ग्रांट देंगे। बूंदी की बायी मुख्य नहर में एक लाख दो हजार हैक्टेयर में जो सिंचाई होती है, एक करोड़ और 20 लाख रुपये आपका मेन्टीनेन्स ग्रांट का खर्चा बनता है। गत दस सालों से आप बायीं मुख्य नहर पर केवल 72 लाख रुपये सालाना खर्च कर रहे हैं और नार्म्स के अगेंस्ट में 48 लाख रुपये सालाना गत दस सालों से आप हमको कम देते रहे हैं। जब आपके नार्म्स यह है और आपने अपने जवाब में लिखा है कि हम तो 72 लाख रुपये एल. एम. सी. में खर्च करते हैं।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आप अपनी बात में मानते हैं कि एक लाख दो हजार हैक्टेयर में सिंचाई होती है तो हमको एक करोड़ बीस लाख रुपये जो आपको हर साल देने चाहिये थे उसकी बजाय आप 72 लाख देते हैं इस प्रकार दस सालों से 48 लाख रुपये सालाना हमको कम दे रहे हैं और इसके कारण बूंदी जिले में आप जो 1500 क्यूसेक पानी देते हैं, 550 क्यूसेक पानी बी. बी. सी. में और 950 क्यूसेक पानी आप देते हैं पाटन कैनाल में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मेन्टीनेन्स के अभाव में इनका पचास प्रतिशत पानी बेकार बहता है और ये भी अपने आंकड़ों में मानते हैं। इनका कहना यह है कि नहीं, चालीस प्रतिशत बहता है और हम कहते हैं कि पचास प्रतिशत पानी वेस्टेज होता है। जहां 1500 क्यूसेक आप सप्लाई करते हैं और 750 क्यूसेक में एक लाख दो हजार हैक्टेयर की सिंचाई करते है, अगर आप 1500 क्यूसेक का पूरा उपयोग करें तो आप दो लाख चार हजार हैक्टेयर की सिंचाई करेंगे, यह क्रिमनल वेस्टेज ऑफ वाटर है। पर यह क्यों हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ? यह इसलिए है कि नहरों का मेन्टीनेन्स नहीं हो रहा है और अपने नार्म्स के अनुसार आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा....

श्री उपाध्यक्ष : अब आ गया आपका सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन्स आ गये आपके सारे।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी और हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ड्रेनेज पूरी भर चुकी है और ड्रेनेज के लिए आप पहले हमको छह लाख रुपये देते थे। नार्म्स के हिसाब से 35 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से आपको देना चाहिये था। उन छह लाख रुपयों में भी आप चार लाख रुपये सी.ए.डी. के कार्यालय पर उन ड्रेनेज के मेन्टीनेन्स में खर्च करते थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : नार्म्स में यह तय है कि सौ रुपये प्रति हैक्टेयर दिये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सौ रुपये ही कहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सौ रुपये है।

श्री हरिमोहन शर्मा : तो आप उनके हिसाब से भी हमको नहीं दे रहे हैं। ड्रेनेज चाक होने से जो सीपेज की समस्या है वह फिर बढ़ गई है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने 1984 से पहले तक किसानों के जो ओ. एफ. डी. वर्क्स, जो कैचमेंट के अन्तर्गत काम करवायें, पूरा ऋण राज्य सरकार ने उन किसानों के नाम पर मांडा और 1984 के बाद जो आपने काम करवाये, भूमि सुधार के काम करवाये, उसमें आधा अनुदान आपने दिया तो 84 से पहले वाले किसानों को तो आपने पूरी राशि लगा दी और करोड़ों रुपये उनके नाम मांड दिये और 84 के बाद आपने आधा अनुदान उनको देना चालू कर दिया तो 84 से पहले जिन्होंने काम किया उनको तो भुगतान अधिक करना पड़ा और 84 के बाद में जिन्होंने काम किया उनको भुगतान कम करना पड़ा। इस प्रकार आपको यह पूरा ऋण माफ करना चाहिये और पूरा ऋण माफ करने के साथ-साथ आपने जो धान की फसल पर पाबंदी लगाई है वह तत्काल आप हटा लें नहीं तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इससे जन आक्रोश भड़केगा, जनता में आन्दोलन होगा। आप बीस और पच्चीस साल की पुरानी परिपाटी को इस वर्ष में क्यों बदलना चाहते हैं ?

इसके साथ एक अन्तिम और है।

श्री उपाध्यक्ष : सारे जवाब नहीं मिल पायेंगे फिर आपको।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक अन्तिम और है। जहां 750 क्यूसेक पानी आपका वेस्टेज होता है और 750 क्यूसेक्स पानी के लिए वर्षों से उस क्षेत्र के किसान मांग कर रहे हैं कि जितनी जमीन में आप पानी पिला रहे हैं उतनी में ही उस वेस्टेज वाटर से और पिला सकते हैं तो तीन लिफ्ट सिंचाई योजनाएं देलून्दा, जखोरा, केपाटुरी पापड़ी, आपके पास वर्षों से विचाराधीन हैं, आप आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, यह आप आश्वासन दे दें कि आठवीं पंच-वर्षीय योजना में तो इन तीनों को पूरा कर-वायेंगे, यह सवाल है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी पहले जवाब दे दें फिर आप पूछ लें या आप....

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले इसका जवाब दूंगा। पहले जवाब दे दें इनका।

श्री दाऊदयाल जोशी : पहले मैं अपनी बात कह दूं, फिर आप कह दें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिये जो भावनाएं हरिमोहन जी ने व्यक्त की हैं आप उनसे अलग पूछेंगे। पहले इसका जवाब आ जाना चाहिये फिर आप अलग पूछ लीजियेगा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 131 का नोटिस दिया है अलग से....

श्री दाऊदयाल जोशी : साथ-साथ आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दे रहा हूं न आपको, मना नहीं कर रहा हूं आपको प्लीज सिट डाउन। पहले जवाब दे दें इनका।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भी मुद्दे उठाये हैं उसके अनुसार (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी जवाब दिलवाऊंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बात सही है कि इस वर्ष हमने डैम में पानी की कमी होने के कारण, जो हमारी भराव क्षमता 1312 है उसके मुकाबले में 1254 फीट पानी है जिसके कारण से काश्तकारों को नोटिसेज जारी किये गये गये हैं कि वे 15 प्रतिशत से ज्यादा भूमि पर धान की खेती न करें लेकिन इस सम्बन्ध में 25 जुलाई, 89 को एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें जन प्रतिनिधियों, प्रधानों इन सब लोग के साथ बैठकर यदि भराव क्षमता पूरी हो जायेगी....

श्री दाऊदयाल जोशी : उसमें आप भी रहेंगे क्या ? हमें स्पष्ट कर दें कृपा करके हमको आश्वासन दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं भी आप लोगों के साथ उसके बाद मीटिंग कर लूंगा....

श्री दाऊदयाल जोशी : आपको वहां भी जाना ड्यू है... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस बांध में पूरा पानी आ जायेगा तो प्रतिबन्ध हम हटा लेंगे....(व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : आपकी उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है, सरकार व आपकी बातों से यह साबित हो रहा है कि आप पता नहीं नब्बे या छिहत्तर प्रतिशत, क्या बता रहे हो जबकि 1500 क्यूसेक पानी की जगह 1200 क्यूसेक पानी दे रहे हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : भराव क्षमता पूरी होने पर हटा लेंगे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय दाऊदयाल जी। You are missing the theme.

श्री दाऊदयाल जोशी : कृपा करके मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि उस मीटिंग में आप अवश्य आयें। हम निमंत्रित कर रहे हैं, काले झण्डे नहीं बतायेंगे, कोई आन्दोलन नहीं करेंगे, कोई मुर्दाबाद नहीं करेंगे, पूरा अश्वासन देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, 25 जुलाई को मुझे विधान सभा में रहना होगा। वह मीटिंग हो जाय उसके बाद आप जब कहेंगे मैं मीटिंग ले लूंगा....

श्री दाऊदयाल जोशी : 12 जुलाई को ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 25 जुलाई को मीटिंग बुलाई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 25 जुलाई को हम भी नहीं रहेंगे, काहे के लिए मीटिंग बुलाई है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आगे खिसका दी जायेगी मीटिंग।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस मीटिंग को विधान सभा के बाद रखवा देंगे....(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : पिछली बार भी जब काडा की मीटिंग हुई थी तब भी आप नहीं थे वहां हम इंतजार में खड़े थे....

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गई न बात। Why don't you sit down now ? हो गया कि विधान सभा के बाद होगी। बैठिये अब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधान सभा के दो-तीन दिन बाद रखवा देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : विधान सभा के बाद रखवा देंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, विधान सभा के बाद रखवा देंगे। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है गत वर्ष 32 लाख रुपये ऋणों का मुआवजा दिया गया था, जो 32 लाख रुपये दिया गया था, इस वर्ष हम 44 लाख रुपये मुआवजा दे रहे हैं और बाकी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बचा हुआ पैसा हम अगले वर्ष की शुरूआत में कर देंगे। जहां तक इन्होंने बायीं मुख्य नहर के बारे में जो प्रश्न किया है इसके रख-रखाव के लिए निश्चित रूप से पहले 72 लाख या 74 लाख रुपये दिये जाते थे लेकिन पिछले वर्ष दस लाख रुपये अधिक दिये गये, 84 लाख रुपये दिये गये और इस वर्ष भी हमने इस 84 लाख रुपये के अतिरिक्त साठ लाख रुपये दिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपका तो कहना है कि अनुपात आपने जो फिक्स कर रखा है उसके मुताबिक दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं उसको बोल रहा हूं। यह बात सही है कि एक हैक्टेयर के ऊपर सौ रुपये की लागत से पैसा मिलना चाहिये और इस तरह यह एक करोड़ दो लाख रुपया बनता है। मैं बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 84 लाख रुपये का प्रावधान तो था ही, इसके अतिरित्त साठ लाख रुपये हम दे रहे हैं यानि एक करोड़ दो लाख के मुकाबले में करीब-करीब एक करोड़ 44 लाख रुपये दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस उत्तर से यह संतुष्ट हो गये होंगे कि मैन लैफ्ट कैनाल के रख-रखाव की हम पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और इसकी मरम्मत और रख-रखाव का पूरा बन्दोवस्त करेंगे। जहां तक इन्होंने ओ. एफ. डी. वर्क्स के बारे में और इससे सम्बन्धित वसूलियों के बारे में जो बातें कही हैं, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बैंक के अधिकारियों से और अन्य केन्द्रीय नेताओं से बातचीत की है। मैं ऋण के बारे में बताना चाहूंगा कि जो आर्डिनरी लोन्स हैं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से, वह तीन करोड़ 37 लाख के हैं, जो ऋण भूमि विकास बैंक के माध्यम से लिया गया, आर. एल. डी. सी. से लिया गया है वह पांच करोड़ 32 लाख रुपये का है, जो प्रिंसीपल अमाउण्ट है वह 8 करोड़ 69 लाख रुपये का है और इसके ऊपर ब्याज 5 करोड़ 22 लाख रुपये का है। इस प्रकार से कुल 13 करोड़ 91 लाख रुपये बकाया है। जो निर्णय गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर या इससे सम्बन्धित जो भी राजस्थान के अन्य हिस्सों में निर्णय लिया जायेगा वही का वही निर्णय आपके यहां भी लागू करने का हम प्रयास करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दाऊदयाल जी। एक-एक सवाल।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री महोदय, कैचमेंट के कार्यों के लिए आपने अभी बताया कि मुख्य मंत्री के स्तर पर केन्द्रीय नेताओं से बातचीत हो रही है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री कमला जी ने....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सवाल पूछिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरी भूख हड़ताल के आधार पर एक तथ्यान्वेषण कमेटी बनाई थी और उस तथ्यान्वेषण कमेटी की दो सीटिंग हुई। बाद में उस तथ्यान्वेषण कमेटी का क्या हुआ, कृपा करके एक तो यह बतायें। दूसरे, आज आपने एकदम कह दिया कि हम वसूल नहीं कर रहे हैं लेकिन हम माफ भी नहीं करना

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चाहते, यह कोटा जिले के किसानों के साथ अन्यायपूर्ण कृत्य है....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बूंदी जिले के लिये कहा है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसमें फण्डामेन्टली कोटा, बूंदी के किसानों के साथ अन्यायपूर्ण कृत्य है । इसमें यह तय हुआ है कि इसलिए यह कैचमेंट कार्य करवाये गये कि इसके आधार पर किसानों की उपज डेढी से दुगुनी हो जायेगी । मंत्री महोदय, आप एक बार कोटा पधारें, किसी भी क्षेत्र में, बूंदी में या कोटा क्षेत्र में जहां पर कैचमेण्ट हुआ है, डेढ या दो गुनी फसल अगर आप बता दें तो हम इस बात पर विचार करने को विवश होंगे । डेढ दो गुनी की बात तो छोड़िए आज जो स्थिति है, जो फसल होती थी वह भी समाप्त हो गयी है । यह हमारे जीवन मरण का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : उठा दिया प्रश्न, हरिमोहन जी ने उठा लिये हैं क्वेश्चन ।

श्री हरिमोहन शर्मा : मांगीलाल मेघवाल जी ने ध्यानाकर्षण दिया हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : Please hurry up.

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या मतलब ? क्या नहीं बोलूं ? 25–56 फरवरी को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. Please don't disturb. मैं वाद–विवाद बंद करा दूं अगर आप बोलेंगे तो ?

श्री गणेशलाल बैरागी : मैंने नियम 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है । हमें खुशी है कि इस बात पर जवाब आ गया ।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. मैंने कह दिया आपको सवाल पूछने दूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्राक्कलन समिति गयी कोटा–बूंदी में । प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, सिफारिश की । सिंचाई सैक्रेटरी और सी. ए. डी. सैक्रेटरी के आधार पर 25–26 फरवरी को कमेटी गयी, उस कमेटी ने बूंदी के लिए 60 लाख रुपये स्वीकार किये और क्या यह सही है कि इसी पवित्र सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि तुरन्त एक कमेटी और जायेगी, और वह 4-5 अप्रेल को कोटा जिले में गयी, उसने जो रिपोर्ट दी उसमें जिस प्रकार से 60 लाख रुपया बूंदी के लिए दिया गया है उसी प्रकार चार करोड़ रुपया कोटा की नहरों के रख-रखाव के लिए, सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए देने की सिफारिश की है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठें आप ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सिंचाई क्षमता बढ़ी नहीं । आप कह रहे हैं कि 96 प्रतिशत सिंचाई क्षमता है । मेरा चैलेंज है, आप कह रहे हैं 40-50 प्रतिशत पानी वेस्टेज होता है, इस योजना के तहत नहरों का रख-रखाव न होने के कारण, नहरों की क्षमता न होने के कारण 60-70 प्रतिशत पानी वेस्ट होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें । Please sit down, दाऊदयालजी बैठें आप ।

श्री दाऊदयाल जोशी : निश्चित रूप से आपको स्वयं को गम्भीरता से लेना चाहिए। कोटा जिले के लिए चार करोड़ की सिफारिश की है, वह दें।

श्री उपाध्यक्ष : दाऊजी, बैठें आप। Now please don't compel me. (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय रामकिशनजी वर्मा के साथ सी. ए. डी. के मन्त्री, एक बार कोटा पधारें और कोटा की नहरों को भी देखें। दो-तीन दिन का प्रोग्राम लेकर आयें। आपको बतायेंगे कि हम मर रहे हैं या जी रहे हैं। हम तो धान की फसल चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दाऊजी, बैठें आप।

रिकार्ड नहीं होगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अब रिकार्ड नहीं होगी दाऊदयालजी की बात। रिकार्ड नहीं हो रहा है। प्लीज, दाऊदयालजी, लेटीट्यूट का नाजायज फायदा नहीं उठायें।

अब रिकार्ड करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : पहले ही 60 लाख रुपया दिया है।

श्री हीरालाल आर्य : चम्बल सिंचित क्षेत्र के बारे में मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। क्या यह सही है कि नहरों के विकास के लिए, चम्बल सिंचित क्षेत्र के विकास के लिए आयुक्त की स्थापना हुई तब नहरों के काम दो फेज में होने थे। एक तो प्रथम फेज में, दूसरा काम द्वितीय फेज में। प्रथम फेज के, जिसमें कि नहरों के, ड्रेन, के सड़कों के, वन विकास के काम थे, प्रथम फेज के तो हो गये लेकिन सी. ए. डी. को समाप्त करने के नाम पर आपने सैकण्ड फेज के काम बिल्कुल नहीं किये, जिससे आधा काम हुआ। उससे कोई मतलब नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल से उठकर स्टेटमेण्ट पर आ गये। प्रश्न पूछिए।

श्री हीरालाल आर्य : प्रश्न ही पूछ रहा हूं। जो अधूरे काम रह गये उनके अभाव में सारा सी. ए. डी. का एरिया नष्ट हो रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि सी. ए. डी. समाप्त करने के नाम पर आपने छोटे-छोटे कर्मचारियों को हटाया लेकिन बड़े अधिकारियों को जैसे आयुक्त हैं, उप आयुक्त हैं, ए. ए. ओ. आदि हैं, उनको बड़े-बड़े + + + को तो बैठा रखा है, और छोटे कर्मचारी, जो समय पर पानी चलाते थे, रख रखाव का सारा काम करते थे, उनके अभाव में नहरों को सम्भालने वाला कोई नहीं है। तो आपने जिन छोटे कर्मचारियों को हटाया है उनको आप वापस लें ताकि सिंचित क्षेत्र में नहरों की व्यवस्था हो सके। तीसरा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, कि नहरों की जो डिजाइन है वह ऐसी है कि उससे पूरे क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है और नहरें पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। उनमें पानी टिकता नहीं है। ड्रेनें आदि खोदी उसमें सिल्ट भर गयी है और

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

उसकी वजह से पानी नहर के ऊपर से बहता है। पानी नहर में बहने के बजाय खेत को खराब कर रहा है।

अगला प्रश्न है कि आपने बाराबंदी कायम की है और बाराबंदी के नाम पर आप लाखों रुपया खर्च करते हैं। क्या आप एक भी चक ऐसा बता सकते हैं पूरे नहरी क्षेत्र में जिसमें एल. एम. सी. या आर. एम सी. दोनों आती हैं। एक चक ऐसा नहीं है जिसकी बाराबंदी लागू हुई हो। बाराबंदी के नाम पर जो लाखों रुपये हर साल खर्च किये जा रहे हैं वह व्यर्थ जा रहे हैं।

अगला प्रश्न है, आपने कहा कि कैचमेण्ट के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, क्या यह सही है कि कैचमेण्ट के खिलाफ वहां पर जन आन्दोलन हुए हड़तालें हुई ? असेम्बली में कैचमेण्ट के खिलाफ यहां पर जबरदस्त आवाज उठी और फिर भी आप कहते हैं कि कैचमेण्ट के खिलाफ शिकायतें नहीं हैं। कैचमेण्ट से किसान इतना दुखी है कि कह नहीं सकते। कैचमेण्ट में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना अनापशनाप धन खर्च हुआ है, जिसकी वजह से किसानों पर करोड़ों और लाखों रुपये का ऋण आपने अनावश्यक रूप से लाद दिया। हमने भूख हड़ताल की, तब आपने कहा था कि सरकार वसूल नहीं करेगी। पर बैंक किसानों पर मुकदमे चला रही है, किसान परेशान हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसी तरह की वसूली नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान के ऊपर मुकदमे चला रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, किसान से वसूली की कार्यवाही चल रही है और वह परेशान हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कैचमेण्ट के कर्ज को निश्चित रूप से माफ करें। अब जो कैचमेण्ट बन रहे हैं वहां 50% सब्सिडी दे रहे हैं और पुराने जो काम हुए थे उनमें आपने बिल्कुल सब्सिडी नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। अब बैठिये आप। श्री गणेशलाल बैरागी।

श्री हीरालाल आर्य : किसी भी कीमत पर किसान इस पैसे को नहीं देगा।

श्री उपाध्यक्ष : You are repeating. मैंने आपसे कहा था आप हरिमोहनजी ने जो कहा उसको रिपीट नहीं करें।

श्री हीरालाल आर्य : आप इसको माफ करिये, किसान एक पैसा देने वाला नहीं।

श्री गणेशलाल बैरागी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से केवल एक ही बात की जानकारी चाहता हूं और वह यह है कि पिछले चार-पांच साल के आंकड़े दिये हैं और फसल कितनी हुई है यह बताया जबकि चार साल से लगातार अकाल रहा है, तो क्या यह नहर अकाल से अप्रभावित रही है ?

दूसरी बात यह है कि पिछले साल और उसके एक साल बाद भी चावल की खेती काश्तकार नहीं करेगा और सोयाबीन की खेती करेगा, इस प्रकार के आदेश आपने जारी नहीं किये। दूसरा प्रश्न, यहां मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अगर आपने कैचमेण्ट में पैसा लगाया है, जमीन का विकास किया है और आपके पास कोई शिकायत नहीं है तो इस ऋण की वापस वसूली क्यों नहीं हो रही है ? इसका कारण

(श्री गणेशलाल बैरागी)

क्या है ? तीसरी बात यह है, आपने यह बात कही कि टेल पर जो नहर जा रही है उसकी व्यवस्था के लिए जन प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। जवाब में यह भी कहा कि जन प्रतिनिधियों से निवेदन करने के बाद भी इसमें विशेष प्रगति नहीं हुई। मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए आपने कब-कब जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया, जल वितरण समिति की जो अमूमन अक्टूबर, सितम्बर महीने में पानी किस प्रकार से वितरित किया जायेगा उसके बारे में तो मीटिंग बुलाई है, लेकिन अव्यवस्था के बारे में जन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई है तो मेहरबानी करके बता दें कि कब-कब बुलाई।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल की नहरों में, बांध में पानी की कमी के नाम पर धान की फसल पर प्रतिबन्ध लगाने की योजना पर मैंने भी नियम 131 का नोटिस दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : उसका जवाब भी आ गया है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मन्त्री महोदय ने बताया कि उन्होंने बायीं नहर की क्षमता बढ़ायी है। डिजाइन के अनुसार 1555 क्यूसेक पानी की क्षमता है। यह 1555 क्यूसेक की उस डिजाइन के अनुसार पूरी क्षमता है। आज कमाण्ड एरिया की नहरों की हालत बिगड़ चुकी है। आज उसकी कैपेसिटी ही नहीं रही है। आप 1700 क्यूसेक पानी की बात कर रहे हैं। जब उसकी पुरानी कंडीशन रही होगी तब भी आप 1700 क्यूसेक पानी नहीं दे सकते थे तो आप आज कैसे कह रहे हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का विशेष कर से ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा आज एक हजार या 1100 से ज्यादा क्यूसेक पानी एब्जोर्ब करने की क्षमता ही नहीं है नहर में और आप 17 सौ का कह करके हमको भ्रमित कर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय, जैसे कि आप बता रहे हैं, को-आपरेटिव के मामले को लेकरके हमारी मील का मामला बताया गया था। अकाल के कारण पैदावार नहीं हुई है और आप 1988-89 के आंकड़े दे रहे हैं, 97% वहां के कमांड एरिया के लिए तय किया गया है। ऐसे आंकड़े जो अधिकारियों द्वारा वहां बैठ कर बनाये जा रहे हैं उसमें आप विश्वास नहीं करें और हकीकत में उस क्षेत्र का भला हो, प्रदेश का भला हो वह करें। आर्थिक दृष्टि से जो धान की फसल है वह आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारा माल जाने लग रहा है, पैदावार की दृष्टि से जो हिन्दुस्तान में इलंड बैंक हो रहा है वह हमारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हो रहा है। इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्य को नहरी मेन्टीनेन्स के कारण झूठे आंकड़े देकर के झुठला दिया तो, मन्त्री महोदय, देश के साथ और किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो मैं आपसे पुन: यही निवेदन करता हूं कि इसको हकीकत में आप देखें जा करके और जैसा स्वयं दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, एक मीटिंग बुलायें और उसमें आप स्वयं उपस्थित रहें, हम लोग आपको अवगत करायेंगे की हकीकत में नहर की क्या कंडीशन है। दूसरे फेज

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

में आपको पैसा देना तो दूर रहा और आप कुठाराघात करते जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये आप, श्री प्रताप सिंह जी।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : एल. एम. सी. को तो दिया है 7 लाख रुपये और आर. एम. सी को कितना रुपया दिया है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आर. एम. सी. वाले छोटे बाप के बेटे हैं और एल. एम. सी. वाले तो बड़े बाप के बेटे हैं। चूंकि हम सब दीगोद के हैं इसलिए +++ यह भेद-भाव आपने कैसे किया ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान) अलग से बता देना। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। राजस्थान पर क्या पैसा लगाओगे यह तो आपकी महत्ता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : मांगीलालजी ने, हीरालालजी ने, गणेशलालजी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिमोहनजी, बैठें प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो बी. जे. पी. के ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब चाहते हैं या नहीं ?

श्री गणेश लाल बैरागी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दाऊदयाल जी वैसे ही नाराज हो रहे हैं। असल में बात क्या है ? अभी पंडित बृजसुन्दर जी शर्मा राजस्थान राज्य के मन्त्री मण्डल में गये हैं और उन्होंने बूंदी का पैसा यहीं छोड़ दिया इसलिए यह सरकार उनको प्रायश्चित के रूप में दे रही है। पैसा तो हमारा ही है। लेकिन जब बृजसुन्दर जी मंत्री थे....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पैसा नहीं तो उनको बोल तो लेने दो, दाऊदयालजी को। उनकी मन की निकल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : सिट डाउन प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फैक्ट्स फाइंडिग कमेटी के रूप में....

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनके सुझावों के अनुसार ही कैचमेण्ट के कार्य किये गये हैं। जहां तक भूमि सुधार के बारे में दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने बातें कहीं, वहां जो काम किये गये हैं उनसे निश्चित रूप से किसानों का लाभ हुआ है, काश्तकारों की फसलों का उत्पादन बढ़ा है और केवल मात्र विरोध के लिए कहते हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह गलत आंक रहे हैं आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला :.... आर. एम. सी. की मरम्मत और रख-रखाव की

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बात है, जो लैफ्ट मैन कैनाल के. लोग थे हमेशा इस बात का आरोप लगाते थे कि सारा पैसा आर. एम. सी. में लग जाता है। आपको अभी माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं कि 100 रुपये पर हैक्टेयर मरम्मत का लगता है, मैं कहना चाहता हूं कि 1 लाख 27 हजार हैक्टेयर क्षेत्र जो है आर. एम. सी. का आता है उसके अनुसार तो 1 करोड़ 27 लाख मिलता है, उनको मिलता है 1 करोड़ 56 लाख । गत वर्ष हमने 1 करोड़ 76 लाख रुपये आर. एम. सी. के रख-रखाव के लिए रखा। वहां से इनको कम मिला ? इनको तो 1 करोड़ 27 लाख रुपये मिलना चाहिये था, उसकी तुलना में 1 करोड़ 76 लाख रुपया मिलेगा ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ परिहार : आप सुनने की क्षमता रखिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लैफ्ट मैन कैनाल में जहां 1 करोड़ 2 लाख रुपया मिलना चाहिये उसकी तुलना में उसको केवल मात्र 84 लाख, 74 लाख, 72 लाख रुपया मिलता था । इनको तो 1 करोड़ 2 लाख के स्थान पर 1 करोड़ 56 लाख हमेशा मिला और गत वर्ष 20 लाख रुपया अधिक मिला। इस वर्ष दो सैक्रेटरीज की एक कमेटी बनी थी, सी. ए. डी. सैक्रेटरी मिन्हास जी और इरिगेशन सैक्रेटरी जो भटनागर जी हैं वह दोनों गये और उन्होंने एल. एम. सी. और आर. एम. सी. के बारे में अलग अलग प्रतिवेदन हमको प्रस्तुत किये। उनके अनुसार इनकी जानकारी सही नहीं है। इन्होंने कहा कि चार करोड़ रुपये की रिकमण्डेशन की है। चार करोड़ नहीं रखा है 2 करोड़ और 34 लाख रुपया आर. एम सी. की मरम्मत और रख-रखाव के लिए है। हमको चूंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं । कई अन्य माननीय सदस्यों ने बातें उठायीं फर्स्ट फेज के जो कार्य कराये गये हैं वह ठीक नहीं हैं। विश्व बैंक की अप्रेजल रिपोर्ट थी उसके अनुसार कार्य कराये गये हैं। जहां तक सैकण्ड फेज की प्लानिंग का प्रश्न है उसके लिए 51 करोड़ रुपये की योजना कमेटी ने बनाई हुई है। उसके बारे में जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार इस क्षेत्र में कार्य कराये जायेंगे। मैं समझता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने इसलिए पड़ी है वहां पर ।

श्री उपाध्यक्ष : हीरालाल जी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बात करते हो, काश्तकारों को कोई परेशानी होगी तो उस परेशानी को हम हल करेंगे । जैसे एल. एम. सी. की परेशानी थी, हमने इस बार 60 लाख रुपये अधिक दे करके उनकी परेशानी हल की है (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : आप उनकी परेशानी की बात करते हैं उनके अधिकारी गलत आंकड़े देते हैं । सिंचाई होती नहीं और कहते हैं कि सिंचाई होती है । हमारे खेत सूखे रहते हैं।

Page No. 108

(108)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । वाद–विवाद समाप्त होता है । माननीय दिग्विजय सिंह, मुझे आपसे निवेदन करना है । माननीय मंत्री जी, फिनिश इट । माननीय मंत्री जी ने समय चाहा है और सोमवार के लिए कहा है । आपका जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है वह सोमवार को रखा जायेगा ।

श्री हीरा सिंह चौहान । आधे घण्टे की चर्चा करेंगे या आगे रखेंगे ? I have taken other business.

श्री दिग्विजय सिंह : ठीक है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको तो ज्यादा ही ज्यादा दिया है आपकी तो × × × आदत पड़ गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान (व्यवधान)

आधे घंटे की चर्चा

तारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर से उत्पन्न स्थिति

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6 जुलाई का प्रश्न संख्या 122 था जिसका निश्चित उत्तर नहीं आया था । मेरा प्रश्न था कि पाली जिले की रायपुर तहसील के किन किन गांवों का राजस्व विभाग द्वारा अब तक सर्वे किया गया है ? कृपया सर्वे की दिनांक, वर्ष, गांव का नाम मय स्थान के सदन की मेज पर रखा जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो मुझे उत्तर मिला, जवाब यह दिया गया है कि 1968 में पाली जिले की अन्य तहसीलों के साथ रायपुर तहसील का भी प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण किया गया फिर कृषि पुनर्वित्त निगम वर्तमान में नाबार्ड गाइड लाइन्स के अनुसार अर्द्ध विस्तृत भू–सर्वेक्षण वर्ष 1983-84 में पूरा किया । इसके उपरान्त पाली जिले का विस्तृत भू–सर्वेक्षण सूखा सम्भावित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976 से 83 की अवधि में किया गया जिसमें रायपुर तहसील भी शामिल थी । नाबार्ड की नई गाइड लाइन्स के अनुसार पाली जिले की रायपुर तहसील में वर्ष 1980 से 1984 की अवधि में पुनर्मूल्यांकन किया गया । सर्वे के फलस्वरूप जिन गांवों में पोटेन्शियल पाया गया उनकी जोन वाइज सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "अ" में रखी गयी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल सवाल था, उसमें मैंने यह पूछा कि आपकी सर्वे की दिनांक कौनसी थी और किस स्थान का सर्वे किया गया । अब मुझे जो यह सूची दी गई है, इस सूची में इन्होंने चार जोन बताये हैं । एक जोन 'डी' है, एक जोन 'ई' है, जोन 'एफ' और जोन 'जी' है । और नीचे जोन बी– 1 लिखा है । इन चारों जोनों में मैंने जो 22 गांवों का विवरण चाहा था उन 22 गांवों का कहीं भी उल्लेख नहीं है । केवल मात्र यह लिख दिया गया है एक जनरल वे में कि यह पहाड़ी क्षेत्र में आये हुए हैं और पहाड़ी क्षेत्र में आये होने के कारण से उनका सर्वे नहीं किया गया या सर्वे करना सम्भव नहीं था । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस बुटिवास को आपने पहाड़ी क्षेत्र में बताया गत वर्ष वहीं पर भू-जल विभाग द्वारा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ट्यूबवैल खोदा गया । नेशिया में ट्यूबवैल खोदा

(श्री हीरासिंह चौहान)

गया, काणोजा में खोदा गया जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह जो विभाग ने आपको उत्तर दिया है बिल्कुल गलत है, फर्जी है। यह विभाग कहीं भी जाकर के किसी प्रकार का सर्वे नहीं करता है।

दूसरा मेरा निवेदन है इसी प्रश्न के उत्तर में काणोजा, झाला की चौकी, चक दीपावास, तालाकोट, खींवच, तबलपुरा, जगमालपुरा, तालचिता, सोड़पुरा तथा सोजत तहसील के गांव रायड़ा कलां, रायड़ा खुर्द, बीजा खुडा, कैलवा, मण्डावा, चण्डावल स्टेशन का विवरण नहीं दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह जो सोजत तहसील का गांव देवली हुला है, देवली हुला में इतना जल भण्डार मिला है कम से कम पांच गांवों को एक जगह से से पानी की सप्लाई की जा रही है। इसी प्रकार बिजागुडा में भी ट्यूबवैल खोदा गया, कैलवा में भी खोदा गया। जब ट्यूबवैल खुदने से पानी उपलब्ध हो जाता है, और किसान चाहते हैं कि हमारे जिले का सर्वे किया जाय और सर्वे करके हमें निश्चित स्थान बताया जाये, ताकि किसान अपना ट्यूबवैल खोद सकें। हमारा बहुत सारा भू-भाग इतनी लम्बी-चौड़ी संख्या में ऐसा है जहां पर सिंचाई नहीं होती है। किसान सिंचाई करना चाहता है, वह कम से कम एक बार सर्वे चाहते हैं। इस क्षेत्र का सर्वे करा कर हमें बता दिया जाये। मैंने गत वर्ष तीन चार बार आपके भू-जल विभाग के पाली के अधिकारियों को निवेदन किया कि यहां का किसान कुएं खुदवाना चाहता है और ओपन वैल खुदवाना चाहता है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इसका कोई सर्वे नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ आपसे निवेदन करता हूं 1987-88 में पाली जिला अकाल ग्रस्त था। अकाल ग्रस्त में पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी किसान थे उन किसानों को कहा कि यह सारा डार्क जोन आता है, डार्क जोन होने के कारण से आपके कुएं स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया। लेकिन जब कुएं का फार्म स्वीकृत होता था तो आपके जो विभाग के अधिकारी थे उनकी कम से कम सहमति बहुत जरूरी थी, उस सहमति के बिना एक भी फार्म पास नहीं होता था। इस प्रकार हजारों किसानों के साथ आपके विभाग द्वारा धोखा किया गया और अभी जो जीवन धारा में कुएं इस समय खुद रहे हैं, हमारे क्षेत्र में खुद रहे हैं, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जहां-जहां पर यह सर्वे नहीं हुआ है, जिस क्षेत्र के बारे में मैंने मन्त्री महोदय को भी लिखित में दिया है कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, गांवों के जन प्रतिनिधि साथ रहना चाहते हैं, किसान साथ रहना चाहते हैं, सरपंच साथ रहना चाहते हैं, और ऐसे बड़े-बड़े गांव बताते हैं जहां पर कम से कम सैंकड़ों बीघा जमीन है जिसकी सिंचाई नहीं हो रही है और पानी भी वहां पर उपलब्ध है, इसलिए उसका सर्वे करवाना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति का मैं मैम्बर हूं। बीस सूत्री कार्यक्रम में आपके जोधपुर के जो मुख्य अभियन्ता हैं वहां पर आये थे, हमने उनको पूछा था

(श्री हीरासिंह चौहान)

कि यह आप डार्क जोन कैसे घोषित करते हैं, तो उन्होंने यह उत्तर दिया डार्क जोन हम इसीलिये घोषित करते हैं कि कुओं की संख्या इतनी अधिक आगे से उपलब्ध है, इसलिए हम और कुएं खुदवाने के लिए उनको डार्क जोन घोषित करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर कुएं हैं, कुएं जितने भी किसानों के हैं, सारे नदी या नालों के किनारों पर बनाये हुए हैं और दूसरी भूमि असिंचित पड़ी है, वह बहुत दूर-दूर पड़ी है जहां पर उस नदी नाले के पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे क्षेत्र का वह सर्वे नहीं करते। उनके पास तो एक ही है कि अगर हम और कुएं स्वीकृत करेंगे तो जितना पानी जमीन में उपलब्ध है इससे ज्यादा पानी और डिस्चार्ज होकर लोगों को उपलब्ध नहीं होगा। डार्क जोन घोषित करने का उनका एक ही मात्र यह जवाब है। मौके पर कहीं जाते नहीं हैं वह। एक सर्वे रिपोर्ट जो बताई जा रही है, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में जावें, गांव में जाकर के उसका सर्वे करें। सर्वे करने के बाद हम सेटिसफाइड हो जायें कि वास्तव में पानी नहीं है। लेकिन जब पेयजल विभाग वहां पर ट्यूबवैल खोदना चाहता है, ओपन वैल खोदता है हमारे ही गांव में, उनको तो पानी उपलब्ध हो जाता है, और पानी है। लेकिन आपका जो विभाग है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका विभाग कभी भी इन गांवों में सर्वे करने नहीं गया और केवल एक जनरल रिपोर्ट तैयार की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह विभाग प्रत्येक गांव में जावे ताकि यह जो भूमि बिना पानी के पड़ी है, भू-जल विभाग से किसानों को मालूम पड़ जाये। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भू-जल विभाग द्वारा प्रत्येक राजस्व गांव में एक बार सर्वे करके ओपन वैल या गहरा ट्यूबवैल खोद कर दें, किसान उसके अनुसार अपनी भूमि में से पानी लें सकें। मैं इस बात पर और भी ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई कमी नहीं हैं, जल बहुत है लेकिन राजस्थान की भूमि बिना पानी खाली पड़ी है, पैदावार हो नहीं रही और भयंकर अकाल छाया हुआ है। इसलिए यह पानी चम्बल की नहर से तो कोटा तक आ रहा है, गंगा यमुना से पश्चिमी राजस्थान में और इधर हमारे जिलों में अजमेर और ब्यावर के आस-पास पाली में पानी पहुंच जायेगा। हम भू-जल, पानी को काम में लेकर के पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका पुनः सर्वे कराया जाये और सर्वे के अनुसार जहां-जहां पानी उपलब्ध है वहां सहायता दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री दीपचन्द राठौड़ : (राज्य मंत्री, भू-जल विभाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्माननीय सदस्य ने कहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सर्वे किया गया है पाली जिले का भू-जल के बारे में उसके अनुसार पाली जिले में सोजत, रायपुर और पाली अलग-अलग ब्लाक्स बनाये गये हैं, ब्लाक्स के अन्तर्गत जोन्स बनाये गये हैं, उस हिसाब से सर्वे के नार्म्स तैयार किये गये हैं। मैं निवेदन

(श्री दीपचन्द राठौड़)

करना चाहता हूं कि पाली में कुल 38 जोन हैं इनमें 10 जोन व्हाइट जोन में हैं और 4 ग्रे में और 24 डार्क जोन में हैं। रायपुर के कुल पांच जोन बनाये गये हैं जिसमें एक जोन व्हाइट जोन में है और चार जोन डार्क जोन में हैं। इसी प्रकार सोजत में 6 जोन्स बनाये गये हैं, इनमें एक व्हाइट जोन है और पांच डार्क जोन में आते हैं। 18 गांव माननीय सदस्य ने पूछे हैं, उनमें निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी तहसील रायपुर के जगमालपुरा, काणोजा, चिताल, तालाकोठ, यह नान पोटेन्शल, जोन्स में शामिल हैं। इसी प्रकार....

श्री हीरासिंह चौहान : कौनसे जोन में शामिल हैं, साहब ?

श्री दीपचन्द राठौड़ : जवाब दे रहा हूं, पूरा जवाब सुन लें।.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नान पोटेन्शियल आप कह रहे हो, अभी सर्वे करके पेयजल विभाग द्वारा कुएं खुदवाये गये हैं, वहां पानी मिला है।

श्री दीपचन्द राठौड़ : आप जवाब पूरा सुनें, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। मैं निवेदन कर रहा था कि यह नान पोटेन्शल जोन्स में हैं। अभी आप जल्दी में हैं इसलिये मैं पहले कह देना चाहता हूं कि नोन पोटेन्शियल जोन्स में हमारे विभाग से सर्वे करके यह जो कह रहे हैं कि वहां कुएं खुद रहे हैं और ट्यूबवैल लग रहे हैं, हमारे विभाग ने पुनः स्पाट सर्वे करके सिफारिश करके खुदवाये हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह जो नोन पोटेन्शियल जोन्स हैं यह इस पर्पज से हैं कि बड़े-बड़े बांध नहीं बनाये जायें, एनीकट्स नहीं बनाये जायें, ताकि पानी का डिस्चार्ज ज्यादा नहीं होवे। इस भूमि में भी, जैसा कि आपने खुद ही कहा, अकाल में हमारे कुए खुदे हैं, यह सब हमारे विभाग ने स्पाट सर्वे करके बनाये हैं। तो ऐसे जोन्स में जहां कुएं खोद सकते हैं, वहां उसको सर्वे करके उनको खुदवाने का प्रयास करते हैं। पुनः मैं दो चीजें निवेदन करना चाहता हूं। गलतफहमी सदस्यों को इसलिये हुई है कि मेरी बात पूरी सुनी नहीं गयी है और अध्यक्ष जी ने मुझे कह दिया कि आपका जवाब पूरा हो गया है। इसलिये मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमने सारे प्रदेश में ही जितने भी जोन्स हैं, पंचायत समिति-वार, तहसील-वार, उन सबका दुबारा री-वेल्यूएशन अपडेटिंग और मूल्यांकन कराने का प्रयास किया है। इस अगस्त महीने के अन्त तक रिपोर्ट आ जायेगी तब हम आपको बता सकेंगे कि कितने गांवों में पानी रिचार्ज होगा। वह रिपोर्ट मूल्यांकन समिति को सौपेंगे। वह चाहें, और पानी ज्यादा डिस्चार्ज हुआ है, तो उसमें सुधार हो जायेगा और नहीं हुआ है तो डिपार्टमेण्ट से सेण्ट्रल गवर्नमैण्ट के हैड में करवायेंगे, लगवायेंगे।

इसी तरह से एस. एस. ओ. ने एक आर्डर निकाल दिया 27 मार्च, 1989 को, हमारे विभाग द्वारा जिन ब्लाक्स का सर्वे किया गया था उसके अन्तर्गत जो जोन व्हाइट जोन में थे और जो ग्रे जोन में थे, एवरेज के आधार पर उस सारे को ही डार्क जोन मान लिया और एक आदेश कर दिया कि यह जितने भी जोन्स हैं सब डार्क जोन में आते हैं। लेकिन हमने जब पुनः देखा उस चर्चा के बाद, तो हमने विभाग को

(श्री दीपचन्द राठौड़)

निर्देशित किया है कि जी. डब्ल्यू. डी. ने सर्वे करके जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से एवरेज के आधार पर पूरे को डार्क जोन नहीं मानें, जो जोन ग्रे हैं उसको ग्रे जोन में रखा जाय और जो जोन व्हाइट में हैं उनको व्हाइट जोन में रखा जाय। इस प्रकार अलग-अलग जो ग्रे जोन है, व्हाइट जोन है उसमें नाबार्ड द्वारा काश्तकारों को ट्यूबवैल की और कुंए खुदवाने की सुविधाएं देने का मैंने आपको निवेदन किया । इसी प्रकार आपने एक-दो गांव और बतलाये थे, खेलवाला, गुढाया, पण्डावल रायरा खुर्द और बीजावणा, सब पोटेंशल जोन में हैं। यहां ट्यूबवैल की, कुएं खोदने की परमिशन दी जाती है। इसी प्रकार भाला की चौकी और खींचव, इस ब्लाक में कुछ जोन ऐसे हैं जो व्हाइट हैं, वहां भी नाबार्ड आप को परमिशन देता है। एक गांव आपने कामां बताया, इसकी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है कि यह गांव वहां है भी या नहीं। यह गांव हमारे विभाग को नहीं मिला । दूसरा, दो गांव आपने और दिये हैं ।

श्री हीरासिंह चौहान : मन्त्री महोदय, कौनसा गांव बोल रहे हैं कि मिला नहीं ?

श्री दीपचन्द राठौड़ : कामां ।

श्री हीरासिंह चौहान : मिसप्रिण्ट कर रखा है, गांव तो हमने सही बताया था।

श्री उपाध्यक्ष : क्या नाम है बोल दीजिए, सही नाम बता दो गांव का।

श्री हीरासिंह चौहान : कामां नहीं इस को काणोजा कर दीजिए ।

श्री दीपचन्द राठौड़ : भाला की चौकी और काणोजा, दो आपने बताये हैं जो नान-पोटेंशल एरिया में हैं। यह सर्वे में शामिल तो हैं लेकिन इनको उसमें मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि पुनः हमारा विभाग वैल्यूएशन कर रहा है। इस अगस्त के अन्त तक उसकी रिपोर्ट आ जायेगी। इसे हम मूल्यांकन समिति को सौंप देंगे और जहां पर काश्तकारों को ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं पानी रिचार्ज होने के आधार पर, वहां पर नाबार्ड आपको सुविधाएं देगा। दूसरी जो गलतफहमी हुई थी एस. एस. ओ. के गलत आदेश निकालने से, उसको हमने करैक्ट कर दिया है। विभाग को आदेश दिये हैं कि जी. डब्ल्यू. डी. ने सर्वे करके जो रिपोर्ट दी है, उस आधार पर उनको ग्रे, व्हाइट और डार्क जोन माना जाय ।

श्री शोपत सिंह : गंगानगर जिले के अन्दर इरिगेटेड एरिया है, तीन प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन डार्क जोन उसको डिक्लेयर कर रखा है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-जल विभाग के अधिकारी या इंजीनियर सर्वे करने कब आते हैं, हम लोगों को तो कोई जानकारी होती नहीं। मेरी मांग है कि जब आप के विभाग के लोग आयें, सरपंच, पंचायत समिति, अधिकारियों को सूचित करके आयें कि अमुक तारीख को सर्वे के लिए सामान लेकर, मशीन लेकर आ रहे हैं ताकि हम अवगत हो जायें।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है। रायपुर के लिए डार्क जोन सर्वे का कहा। राजस्थान के दूसरे हिस्सों, उदयपुर वाटी, चिराणा, भुंभुनू और सीकर में करीब 70 तहसीलें हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह पाली जिले में नहीं हैं।

श्री नवरंगसिंह : सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करायेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : री-सर्वे।

श्री नवरंग सिंह : क्या सब स्थानों— उदयपुर वाटी, चिराणा को इसमें शामिल करेंगे ?

श्री दीपचन्द राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुद कहा कि सारे राजस्थान प्रदेश में रिवेल्यूएशन कराया जा रहा है। अगस्त के अन्त तक उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी और वह मूल्यांकन समिति को दे दी जायेगी। दूसरा, जैसा माननीय चौहान साहब ने कहा, मैं खुद भी यह महसूस करता हूं कि जब सर्वे करने जायं तो उसमें जनता का योगदान भी रहना चाहिए ताकि आप उनको बता सकें। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि विभाग को निर्देश दूं कि जब जायं तो वहां के जन प्रतिनिधियों को इत्तिला करें ताकि उनका सहयोग मिल सके।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह सवाल उठा था तो एक प्रश्न यह भी उठा था कि डार्क जोन क्यों और कैसे घोषित करते हैं। इसी बात पर यह प्रश्न आधा घण्टे की चर्चा के लिए आया। आपने कहा था कि डार्क जोन नाबार्ड घोषित करता है। स्थिति यह नहीं है। आज आपने कहा कि आपके एस. एस. ओ. ने कहा। आपने भूल को सुधार लिया, सही बात है। डार्क जोन घोषित करते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पूरा पानी डिस्चार्ज हो रहा है, अब नहीं मिलेगा। लेकिन जो बैंकों से लोन लेता है उसके लिये डार्क जोन घोषित करते है। जो बैंक से लोन नहीं ले, अपने पैसे से बनाये उसके लिए डार्क जोन क्या करेगा ? यह नीति विषयक प्रश्न है। क्या आप कोई ऐसा कानून बनाते हैं कि जो सब पर लागू हो या केवल जो गरीब आदमी हैं, जो ऋण लेना चाहते हैं उसी पर लागू हो ? मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां डार्क जोन घोषित किया लेकिन अपने पैसे से बनाया और वहां बहुत पानी निकल रहा है। इसलिए पूरी बात का आप ध्यान रखें। आपके पास स्टाफ की कमी है, इसको भी आप कहें। पूरा स्टाफ लेकर जनता को अवगत कराके डार्क जोन घोषित करने की नीति बनावें। प्राइवेट और बैंक से ऋण लेने वालों में फर्क न करें, दोनों के लिए एक-सी नीति होनी चाहिए।

श्री रमजान खां : जहां तक ग्राम जगमालपुरा का इन्होंने सवाल उठाया कि वह नान पोटेंशल एरिया में शामिल हो गया, ग्राम जगमालपुरा में आज तक इनके विभाग की कोई भी सर्वे पार्टी गयी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : हो जाएगा और सर्वे, उन्होंने कह दिया न। री सर्वे सबकी हो रही है।

श्री रमजान खां : इन्होंने कहा नान पोटेंशल में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रमजान खां)

कि इस गांव में आज तक कोई सर्वे करने वाला आया नहीं। मैं वहां का रहने वाला हूं, इसलिए यह निवेदन कर रहा हूं। हमको पता ही नहीं चला कि कब तो आपकी सर्वे पार्टी आयी और कब आपने नान पोटेंशल एरिया में उसको घोषित कर दिया। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जगमालपुरा में पुनः सर्वे करायें, वहां के सरपंच को, जन प्रतिनिधियों को बतायें ताकि हम भी उसमें सहयोग कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : खंगार सिंह जी।

श्री खंगार सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, डार्क जोन और व्हाइट जोन घोषित करने के नियम क्या हैं और किस आधार पर घोषित किया जाता है ? हर गांव की जमीन तीन भागों में बंटी हुई है, हर जिले की जमीन इसी हिसाब से बंटी हुई है। किसी जगह खारा पानी है, उसी गांव की सरहद में मीठा पानी है और उसी गांव में बहुत खारिया जमीन है। यह घोषित करने के नियम क्या हैं ? हमने उस दिन भी यह पूछा था आपको कि इसके नियम क्या हैं, इसका आधार क्या है। किस आधार पर आप घोषित करते हैं। तो बताइये हमें कि आप अधिकारियों के जिम्मे हैं या खुद अपनी अक्ल से करते हैं ? यह अक्ल आपकी काम कर रही हैं या इन अधिकारियों की कर रही है ? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकन की जो आपकी कमेटी बैठती है उसके अन्दर एक भी आदमी को....

श्री उपाध्यक्ष : खंगार सिंह जी, बैठें आप। आप सवाल पूछ चुके। क्या हो गया है आपको ?

श्री खंगार सिंह चौधरी : फिर यह प्रश्न कैसे हल करते हैं ? इनमें एक को भी मालूम नहीं है, जो मूल्यांकन कमेटी में बैठते हैं उन्होंने कभी कुओं को नहीं देखा, कुओं की गहराई को नहीं देखा।

श्री उपाध्यक्ष : खंगार सिंहजी, बैठें आप। श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने कहा कि हर पंचायत समिति में हमने सर्वे कराया है। मैं सन् 1985 से लगातार इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं, नगर पंचायत समिति के सीकरी क्षेत्र में भरतपुरा गांव की बैल्ट, पूरी पहाड़ की बैल्ट, डार्क जोन में घोषित कर रखी है। उसके पास गुलपाड़ा गांव है जहां उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी उद्घाटन करने आये थे। उसके बाद कोई सर्वे ही नहीं हुआ। वह इतना जरखेज इलाका है अण्डरग्राउण्ड वाटर के हिसाब से, क्या वजह है कि आप वहां सर्वे नहीं कराते ? मेरा दूसरा कहना यह है कि आपने भूतल जल की समिति बनायी। उसमें मुझे भी आपने सदस्य मनोनीत किया था, मेरी सहमति मांगी थी लेकिन कोई कारस्पांडेंस नहीं, उस कमेटी की आपने कोई मीटिंग बुलायी भी कि नहीं बुलायी ?

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत स्टेट मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित नहीं करें, पर्टिनेण्ट क्वेश्चन पूछें।

श्री शोपत सिंह : उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में तीन प्रोजेक्ट आबपाशी करते हैं। वहां पर यह समस्या तो आ सकती है कि सीम ज्यादा आ जाय या सीपेज ज्यादा आ जाय। मोस्टली जो इर्रिगेटेड एरिया है, वहां के किसान अगर उस एरिया में ट्यूबवैल लगाते हैं तो बैंक्स के ऊपर रोक लगा दी गयी है क्योंकि वह डार्क जोन में ले लिया गया है। जो अपने खर्चे पर बनाता है वह तो अलग बात है मगर जो गरीब लोन लेना चाहता है उस पर रोक लगा दें, स्पेशली इर्रिगेटेड एरिया में, जब कि पंजाब के अन्दर ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं कि किसी तरह की सीपेज नहीं हो जाय, पानी ऊपर नहीं आ जाय, फसल को बर्बाद नहीं कर दे और आपने डार्क जोन कर रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खंगार सिंह जी, बैठें। माननीय खंगार सिंहजी, आज आप कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। अब सुश्री पुष्पा जैन पूछ लें तो जवाब दिला देता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही नीतिगत सवाल माननीय मंत्री महोदय से करना चाहती हूं कि यह डार्क जोन घोषित करने के आपके क्या नियम हैं, किस आधार पर आपने पाली जिले के जितने भी इलाके और राजस्थान के दूसरे इलाकों को भी डार्क जोन घोषित किया है? तो वह कौन से मापदण्ड हैं जिनके आधार पर आपने डार्क जोन घोषित कर दिया? पाली जिले में रोहट पंचायत समिति जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती है, उसे आपने डार्क जोन घोषित कर दिया। वहां कोई कर्जा नहीं मिलता है, किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आज काश्तकार बेजार है, कितना मजबूर है उसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, नो स्टेटमेण्ट।

सुश्री पुष्पा जैन : आप यों ही घर बैठे हुए डार्क जोन घोषित कर देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई मापदण्ड नहीं है, कोई नीतिगत इनकी योजना नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी, साहब।

श्री खंगार सिंह चौधरी : मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह रहा था, पर आपकी कोई सुनता ही नहीं है ना।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय डार्क जोन की प्राब्लम, मैं समझता हूं कि राजस्थान में काफी है....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल ही पूछिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : सवाल ही पूछ रहा हूं। जहाजपुर पंचायत समिति क्षेत्र में 80 प्रतिशत गांवों को डार्क जोन में घोषित कर दिया गया, उनको कोई ऋण नहीं मिल रहा है, 3 साल पहले घोषित किया, उसके बाद किसान कुएं खुदवा रहे हैं, उन किसानों के कुओं में पानी आता है, तो यह

(118)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

-डार्क ज़ोन का क्या आधार है, यह मामला गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री दीपचन्द राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में भू-जल विभाग द्वारा सन् 1965 में भू-जल सर्वेक्षण का फेज में कार्य प्रारम्भ किया गया था और उस सर्वे का कार्य सन् 1965 से प्रारम्भ कर सामान्य तौर पर 1972 तक पूरा कर लिया गया था। लेकिन बाद में महसूस किया गया कि इसका कुछ और भी सर्वेक्षण होना चाहिये, तो फिर 1976 में प्रदेश की जो 236 पंचायत समितियां थीं, उनका सर्वेक्षण पूरा किया गया और वहां के पानी की गुणवत्ता, वहां की उपलब्धता और वहां की उपयोगिता के बारे में सारी रिपोर्ट मिली। इसके बाद जब एक रिपोर्ट हमारे विभाग द्वारा और एक रिपोर्ट केन्द्रीय भू-जल मण्डल द्वारा अलग-अलग पायी गयी तो यह महसूस किया हमारे सैन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने कि इसका और एक ऐसा सर्वे होना चाहिये। सन् 1980 में उन्होंने इसके लिए एस्टिमेशन कमेटी बनायी, उसमें जो निर्देश हमें भारत सरकार ने दिये Report of the Ground Water Estimation Committee Ministry of Irrigation, Government of India.

उन्होंने निर्देश दिये जिसके अनुसार, जैसा कि आप सोचते हैं, कुओं से उपयोगिता के आधार पर या पानी आने के आधार पर ही उसको डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने भी माना है कि जहां पानी की उपयोगिता 60 पर्सेंट से ऊपर होती है, उसको ग्रे जोन में ले लिया जावे, जहां 85 प्रतिशत से ऊपर होती है उसको डार्क जोन में ले लिया जावे....

श्री उपाध्यक्ष : उसकी उपयोगिता या उपलब्धता ?

श्री दीपचन्द राठौड़ : उपयोगिता, साहब, जो उपलब्ध हो रहा है, पानी री-चार्ज हो रहा है, उसको काम में लेते हैं, उसका प्रतिशत। यह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं, माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें :—

"In recent years the State Ground Water Organisations have been suitably strengthened to undertake detailed hydrogeological surveys/studies in the areas proposed for ground water development and to make reliable estimates of ground water resources in the areas based on sufficient data collected by them. Further monitoring of the effect of ground water development on the ground water regime is also being done by them. In view of the higher reliability of ground water resources estimates compared to earlier times, higher percentages of level of development, i. e. 85% and 65% have been adopted for categorisation of areas/blocks into dark and grey respectively."

(श्री दीपचन्द राठौड़)

इस आधार पर हमारे यहां एस्टिमेशन कमेटी का गठन किया गया सन् 1985 में, जिसके अन्तर्गत आपके कृषि विभाग के, जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के, काजरी के, राजस्थान सरफेस वाटर कार्पोरेशन के, नाबार्ड के, विद्युत बोर्ड के, भू-जल विभाग के सारे प्रतिनिधियों को इसका मैम्बर बनाया गया और उनके साथ जब सर्वे किया गया उसकी रिपोर्ट सन् 1986 में आयी। उन्होंने 1–4–1984 को आधारभूत वर्ष मानकर....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपकी रिप्लाई से तो हम सन्तुष्ट हैं, लेकिन हम तो आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि क्या जिला स्तर पर भी इस प्रकार से जन प्रतिनिधियों सहित कमेटी बनाना चाहते हैं क्या ?

श्री दीपचन्द राठौड़ : मैंने कहा है आपको....

श्री हीरासिंह चौहान : यह जो आप पढ़ रहे हैं, यह तो सारा सही है, सब कुछ किया गया होगा, लेकिन हम कुछ व्यवस्था चाहते हैं कि भू-जल का सर्वे करने के लिए जन प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कहा है पहले ही उन्होंने।

श्री दीपचन्द राठौड़ : जो यह चाहते हैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां सर्वे दुबारा हो रहा है, अगस्त तक रिपोर्ट आ जायेगी। मैं माननीय खंगार सिंहजी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, और जो पुष्पा जी ने पूछा है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। वह नियम जो पूछ रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूं किस तरह से डार्क जोन घोषित किया गया है....

श्री खंगारसिंह चौधरी : डार्क जोन जो आपने घोषित किये हैं उसकी कौनसे वर्ष की आधार रिपोर्ट है ?

श्री दीपचन्द राठौड़ : मैंने बताया है कि 1–4–1984 को आधार माना है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खंगारसिंह जी, बैठें। मुझे तो आप तवज्जोह ही नहीं देते हैं आजकल।

श्री दीपचन्द राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री खंगारसिंह जी ने पूछा है, मैं आपको निवेदन करूं कि 1986 में जो सर्वे हुआ है उसका आधार है 1-4-1984, और 1988 में जो सर्वे किया गया उसका आधार है 1-4-1987। इस प्रकार मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिजल्ट्स सामने आये हैं उस हिसाब से भू-जल विकास जो 1986 में 35.75 पर्सेन्ट था अब 1988 में बढ़कर 49.85 पर्सेण्ट हो गया है। इस तरह से पानी का उपयोग ज्यादा होने लग गया है। उस आधार पर मैं निवेदन करूं, माननीय खंगारसिंह जी ने पूछा है कि कौनसी कमेटी तय करती है ? भू-जल पुनर्निधारण समिति में भू-जल विभाग, केन्द्रीय भू-जल मण्डल, नाबार्ड, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, विशिष्ट योजना संगठन के प्रतिनिधि साथ बैठते हैं और समय-समय पर विचार-विमर्श करके, सैन्ट्रल गवर्नमेण्ट की जो हमारे पास इन्फार्मेशन है उसके आधार पर जोन्स का निर्धारण करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने सर्वे वास्तव

(श्री दीपचन्द राठौड़)

में 1988 में किया है। हर साल हम पुन-मूल्यांकन करते हैं। पहले 5 साल में एक बार सर्वे होता था अभी हमारा सर्वे हर साल अपडेटिंग करते हैं, उसका रिवेल्यूएशन करते हैं और जोन्स देखते हैं कि कितना पानी रिचार्ज हुआ है, उस आधार पर जोन्स का दुबारा निर्धारण करते हैं...

श्री सम्पतसिंह : मन्त्रीजी, मेरे सवाल का ध्यान रखिये।

श्री दीपचन्द राठौड़ : मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। माननीय रमजान खांजी ने एक सवाल पूछा जगमालपुरा के बारे में, नान पोटेंशयल जोन में घोषित किया गया, यह बात सही है। जैसा मैंने आपको निवेदन किया है, अभी अगस्त में रिपोर्ट आयेगी, उसमें यदि पानी का रिचार्ज हुआ है तो मूल्यांकन समिति उसको देखेगी कि उसको डार्क जोन से निकाला जाय, बाहर लायें। मैंने अभी आपको निवेदन किया इसके बावजूद भी हमारे विभाग ने स्पाट सर्वे करके, इन सब गांवों में कुएं खुदवाये। एनीकट्स बनाते हैं, बड़े डेम्स जो बनाते हैं, उनके नान पोटेंशयल जोन में आपने यदि कुएं खुदवाये हैं, खुदवाना चाहते हैं, तो स्पाट सर्वे के लिये आप हमें लिखें, हमारा विभाग सर्वे करके उसको रिपोर्ट देगा, उस आधार पर आपके कुएं भी खुद सकते हैं, ट्यूब वैल्स भी लग सकते हैं।

दूसरा माननीय सम्पत सिंहजी ने कहा कि मुझे मैम्बर बनाया गया है, मेरे जानकारी में नहीं है। मैं नया-नया विभाग में आया हूं, मुझे पता नहीं है कि आपको सदस्य कब बनाया गया, मैं जानकारी करूंगा और जब भी मुझे मौका मिलेगा आपको बुलाया जाना चाहिये तो ससम्मान आपको बुलाया जायेगा।

श्री सम्पतसिंह : आपकी तो रोशफिलग रोज होती रहेगी।

श्री दीपचन्द राठौड़ : एक सवाल माननीय शोपतसिंहजी ने पूछा कि हमारे यहां गरीब लोगों को लोन नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमें केन्द्रीय सरकार से 1987 तक डी. पी. ए. पी. और डी. डी. पी. इन दो प्रोग्राम्स के तहत पैसा मिला करता था जिसके तहत कहीं पर शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों में या मार्जिनल काश्तकार को अनुदान भी देते थे और कहीं पूरा पैसा भी देते थे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, सम्पतसिंहजी बैठें।

श्री सम्पतसिंह : अश्क अलीजी को मना कर दीजिये वह हाथ न हिलायें...

श्री उपाध्यक्ष : इनकी परफार्मेन्स इंगित नहीं कर रहे हैं....

श्री सम्पतसिंह : नहीं, मैं इस बात को गम्भीरता से कह रहा हूं कि अश्क अली को मना कर दें, यह बीच में कुछ न किया करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे कुछ कर रहे हैं क्या ?

श्री सम्पतसिंह : नहीं, इनको कोई वहम हो गया है तो साहस कर लें, जब

(श्री सम्पत सिंह)

मन्त्री रेलेवेण्ट बोल रहे हैं तब इनको क्या मतलब होता है हरेक के बीच में बोलें। It is my last warning, gentleman.

श्री दीपचन्द राठौड़ : किन्तु मार्च, 1987 में केन्द्रीय सरकार ने यह सहायता हमको बन्द कर दी। उसके बावजूद भी, जैसा आपने कहा है, यह आपके यहां का ही मामला नहीं है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर सब जिलों के अन्दर है, इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने प्रयास किये हैं कि राजस्थान की विशेष हालत को देखते हुए डी. ए. पी. और डी. डी. पी. की योजना चालू की जानी चाहिये, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम और कोशिश करेंगे कि डी. पी. ए. पी. और डी. डी. पी. में जितना पैसा मिल सकता है वह लिया जाय, और अगर केन्द्रीय सरकार पैसा देती है, तो जिस योजना के तहत आपके यहां नहीं मिला है, नान पोटेन्शियल का नहीं मिला है, और भी जिलों को नहीं मिला है, उसका लाभ भी उन जिलों को दिया जाय।

नियमों का निलम्बन

नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 230, 232 तथा 233 का निलम्बन

श्री उपाध्यक्ष : वित्तीय समितियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

श्री रघुनाथ परिहार (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230, 232 तथा 233 को, प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर, जनलेखा समिति, 1989-90, प्राक्कलन समिति (क), 1989-90, प्राक्कलन समिति (ख), 1989-90 तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1989-90 के कार्यकाल में अग्रेत्तर 6 माह अथवा नवीन समितियों के निर्वाचन, जो भी पूर्व हो, तक की वृद्धि करने की शक्तियां माननीय अध्यक्ष को प्रदान की जायं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230, 232 तथा 233 को, प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर, जनलेखा समिति, 1989-90, प्राक्कलन समिति (क), 1989-90, प्राक्कलन समिति (ख), 1989-90 तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1989-90 के कार्यकाल के अग्रेत्तर 6 माह अथवा नवीन समितियों के निर्वाचन, जो भी पूर्व हो, तक की वृद्धि करने की शक्तियां माननीय अध्यक्ष को प्रदान कर दी जायं ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला-अरोड़ा। याचिका का उपस्थापन

श्री शोपतसिंह : हमारी पार्टी का भी आपको ध्यान रहेगा क्या ?

याचिका का उप स्थापन

जयपुर स्थित शंकर गूजर की गली का विकास से संबंधित याचिका

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 6 व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित जयपुर स्थित शंकर गूजर की गली के विकास किये जाने की एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

विधायी कार्य

पुर: स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी संशोधन (विधेयक,)1989 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर: स्थापित करता हूं।

विधेयक का पारण

राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1988

श्री बुलाकीदास कल्ला (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1988 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1988 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1989 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन–छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी : थोड़ा समय मैं ज्यादा लूं तो आप मना न करें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, समय तो आप अपने हिसाब से करटेल कर लीजिए। माननीय विपक्ष के नेता और नेता महोदय को भी सुनना है।

श्री मोहन छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी समाजवादी हैं, अपने को कहते भी हैं। एक काले साहब हुए हैं, बहुत बड़े, उन्होंने इस तरह के राज्यों की स्टडी की कि जहां गरीबी की रेखा लगातार बढ़ती जाय, एग्रीकल्चर उत्पादन में स्टेगनेशन हो, ब्युरोक्रेसी पूरी हावी हो; भ्रष्टाचार बढ़ता जाय, पब्लिक सैक्टर डोमीनेंट रहे, ऐसी व्यवस्था होने के बाद भी राज्य सरकार वायबल रहे इसका कारण क्या है। ये कौन से इनविजीबल

(श्री मोहन छंगाणी)

समीकरण हैं जिनके कारण ऐसी राज्य सरकारें कायम रह सकती हैं। इस प्रश्न पर मैं भी बराबर अंदर से झांकने की कोशिश करता हूं, इसका उत्तर है क्या। आज राजस्थान की स्थिति जैसी है वैसी है, एक बात।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सोशलिस्टक फोरम में थे तो हमारी कुछ चर्चा चल पड़ी। इन्दिरा जी हमसे नाराज हो गयी थीं, बड़ी समझदार नेता थीं वे और नाराज हो गयीं तो हमने कहा कि लैफ्ट को हम कब तक टालरेट करेंगे। बात भी ठीक थी। हम उनसे मिलने गये तो मिल करके हमने कहा कि आप इस्तीफा ले लीजिए हमसे, हम संगठन में काम करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, इस्तीफा ले लीजिए। उनका कहना था कि आपकी कल्पना जो काडर–बेस्ड पार्टी की है वह काडर–बेस्ड पार्टी की कल्पना इण्डियन इथोज में कहां तक सही है। हमने उनसे कहा कि जबकि इण्डस्ट्रियल सिविलाइजेशन आ गया है, पूरी की पूरी इण्डस्ट्री बढ़ चुकी है, आज सोसायटी का सारा नक्शा चेंज हो गया, उसके बाद काडर-बेस्ड पार्टी की कितनी जरूरत रहती है, आप खुद समझती हैं। उनका मानना था कि इण्डियन इथोज में जो भी सोशल रिफार्म्स, रिलीजस रिफोर्म्स हुए हैं वे एक आदमी के इर्द-गिर्द होते गये और आदमी मर गया तो टूट गये, या कल्ट बन गया। यह उनका बुनियादी प्रश्न था। हम इससे एग्री नहीं करते थे। हमने मनाया, उन्होंने कुछ माना भी पर इसका परिणाम यह निकला कि उसके बाद धीरे-धीरे सरकार सेन्ट्रलाइज होती गयी, डेमोक्रेटिक फंक्शन धीरे–धीरे कम होता गया। रिजल्ट यह हुआ कि कांग्रेस की सेन्ट्रीलिटी डवलप हो गयी और फैडरलिज्म का ह्रास हुआ, डेमोक्रेटिक फंक्शन का ह्रास हुआ, उसका असर देश पर बड़ा भयंकर पड़ा। आज पंजाब को ले लीजिए। आप एग्री करेंगे कि जब अंग्रेजों ने सर्वे कराया लाहौर का तो उस समय लाहौर की आबादी करीब साढ़े पांच लाख थी और उस समय में अंग्रेज बहुत गहराई में जाते थे उन्होंने कहा हिन्दुओं और सिखों में फण्डामेंटल डिफरेंसेज तो नहीं हैं, सोशल डिफरेंसज हैं। जिसने दाढ़ी मुंडा ली हिन्दू हो गया, और दाढ़ी रख ली सिख हो गया। इसका परिणाम यह निकला आथोरिटेरियन हुई, तो हमें भिंडरावाले के साथ कैच–अप करना पड़ा। परिणाम आपरेशन ब्ल्यू स्टार हुआ। उसके बाद जो भी स्थिति हुई मैं नहीं कहना चाहता। आज पंजाब अलग हो, कश्मीर की हालत खराब है, असम में अलीकुली का नारा दिया कि अलीकुली की सरकार बन जायेगी। अली–कुली और बैकवर्ड इनका समीकरण बन जायेगा तो असम में स्थायित्व आ जायेगा। असम की क्या हालत है, बोडो की क्या हालत है वह सब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज मणिपुर वगैरह सब कुछ थे, उसके बाद अथोरिटेरियन हुआ, तेलगुदेशम भी हुआ, डी.एम.के. फिर से उठ कर खड़ा हो गया। आज अन्ना डी. एम. के. के पास डी. एम. के. का कल्चर नहीं है, कल्चर डी. एम. के. के पास था, काडर उसी के पास था। इस तरह से ज्यों–ज्यों कांग्रेस में डेमोक्रेसी खत्म हुई, त्यों-त्यों अलगाववाद की भावना बढ़ती गयी। मुझे 1956 में पढ़ी हुई किताब याद आ गयी है कि युगोस्लाविया के प्रेसीडेंट जेल में रहे, टाइ-

(श्री मोहन छंगाणी)

टन ने जेल में डाल दिया था, उसने लिखा था कि सन 2000 के करीब हिन्दुस्तान की सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जायेगी कि कब इस देश के टुकड़े हो जायं इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। हम पहले मानकर चलते थे कि देश की एकता का कारण कांग्रेस है, यह मानते थे। अभी पिछले दिनों एक बहुत बूढ़े आदमी से बात हुई, एक बार मैं कमलापति जी के पास चला गया, जब उनको रेलवे मिनिस्टरी से हटाया गया था, मैंने कहा, कमलापति जी, आप इसी कांग्रेस के लिए लड़ते थे। रोने लग गये वे, आंसू आ गये उनके (व्यवधान) आंसू आयेंगे। आप सुनते रहिये। आपको वही फल मिलेगा धीरे-धीरे और आज भी मिल रहा है। आप किसी तरह चालाकी से निकल गये, वह दूसरी बात है। आंखों में आंसू आ गये। एक दूसरे आदमी से मैंने कहा भाई, क्या बात है, आप कहते हो कांग्रेस टूटेगी तो देश की एकता टूट जायेगी। तो उन्होंने कहा, यही विचार मेरा भी था कि इनस्टेबिलिटी आ जायेगी। तो मुझे वह प्रश्न पूछते हैं कि इनस्टेबिलिटी नहीं आयेगी तो लीडरशिप कैसे डवलप होगी। आज यह मानकर चलिए।

श्री सी. पी. जोशी : आप कांग्रेस में आने की भूमिका बना रहे हैं। क्या बात है ?

श्री मोहन छंगाणी : नहीं नहीं। मैं आपको बता रहा हूं। मैं कांग्रेस में रहा हूं इसलिये कांग्रेस की बात जानता हूं। इनस्टेबिलिटी के बिना लीडरशिप कैसे डवलप होगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी प्रकट हुए। राजीव गांधी ने नारा दिया पहला, हम देश की एकता कायम रखेंगे। और देश की एकता कैसे कायम रख रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन जानता है जहां गये वहां हारे। तमिलनाडु में लड़ेंगे कि ले हार, कर्नाटक कि ले हार, आन्ध्र कि ले हार, हरियाणा कि ले हार, कश्मीर कि ले हार। आखिर में फारूख साहब से समझौता करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री फारूख 20 पर्सेण्ट सीटें कांग्रेस को दे रहे थे मैं उस वक्त वहां मौजूद था और कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार था। उस समय किसी कारण से कांग्रेस वाले नेता अड़ गये और श्री जी. एम. शाह मुख्य मंत्री बने। आज श्री जी. एम. शाह पाकिस्तान का बन रहा है, आपने बनाया है। आज सबसे अहम् सवाल हमारे लिए देश की एकता कायम करना है और देश की एकता तब ही कायम होगी जब हम सब जो सुबह के लिए लड़ रहे हैं, आज अगुवाई में लड़ रहे हैं, हमारी सुबह होगी और इनका अंधेरा होगा जब देश एक होगा, नहीं तो यह देश एक नहीं होगा। आज इस स्थिति में देश को लाकर खड़ा किया गया है। आज इनको कुछ नहीं सूझा तो कहा कि डवलपमेंट कैसे होना चाहिए। पंचायती राज के जरिये डवलपमेंट करेंगे। पंचायत का कानून बना तो हमें कोई एतराज नहीं था क्योंकि 1978 में अशोक मेहता कमेटी ने करीब करीब इसी के आधार पर कानून दिया था। उस कमेटी के मैम्बर श्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद भी थे, श्री डे भी थे, श्री मधुलिमये भी थे, और भी थे। उन्होंने इस तरह का सवाल दिया था। उन्होने इस तरह के सवाल दिये थे और इस पर काफी बहस हो चुकी है। हनवन्तराय कमेटी में और हर स्तर पर

(श्री मोहन छंगाणी)

इसकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि एक मिलियन, दस लाख का यूनिट होना चाहिये। उन्होंने जो रिकमण्डेशन किये, प्रश्न यह था कि हम जिस एक्सपीरियेन्स से गुजरे हैं पंचायतों से, पंचायतों को हमने विकास का इन्स्ट्रूमेन्ट माना। हम जो भी विकास करना चाहेंगे वह पंचायत करेगी और पंचायतों का आर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था कि विकास कर सकें। यहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, जो कमेटी बैठी इकबाल नारायण की उन्होंने कई पंचायतों की स्टडी की। उस समय हमारा 89 पर्सेन्ट एक्सपेण्डीचर कई पंचायतों का एडमिनिस्ट्रेटिव होता था और 11 पर्सेण्ट डवलपमेन्ट पर होता था। यह स्थिति हमारे पंचायतों की थी। फिर हमारी सैण्ट्रली स्पोन्सर्डस स्कीम्स आई, कुछ पंचायतों की स्थिति बनी। पर सवाल यह कि पंचायत डवलपमेन्ट का इन्स्ट्रूमेन्ट बने या डवलपमेण्ट पंचायत का इन्स्ट्रूमेन्ट बने। बुनियादी बात यह थी। आज जब यह बात चली, तो मैं सुकुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट के बारे में आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और हनवन्तराय कमेटी की, उस कमेटी ने कहा कि पंचायतों का यूनिट कैसा होना चाहिये। आप पंचायतों को पैसा दे रहे हैं। 99 करोड़ रुपया राजस्थान को मिल रहा है। पांच सौ करोड़ रुपये का बजट इकट्ठा हुआ, आठ आना सरचार्ज लगाकर, जो कारपोरेट हैं और इण्डिविजुअल कमाते हैं उन पर। दूसरे सवाल और हैं, जिसमें आर्टिकल 269, 270, 271, उसके बारे में कई लोग सवाल उठायेंगे, कोर्ट में भी जायेंगे। उसमें इस तरह का सरचार्ज फ्रेम किया जा सकता है या नहीं। बहरहाल 500 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, 99 करोड़ रुपया हमको भी मिलेगा पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा, यह इन्फ्रास्ट्रक्चर आप डवलप करेंगे, जो भी आप मेन डेज बनायेंगे उस मेन डेज की कास्ट, किस तरह से एरिया लेंगे, किस तरह पंचायत डवलपमेंट का इन्स्ट्रूमेंट बने, इसको किस तरह से लेंगे, उसके एरिया का आधार क्या होगा, सामाजिक आधार होगा, भौगोलिक आधार होगा वह क्या होगा, उस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि हमारा देश अजीब देश है जिसमें एक परगना, एक जिला जिसकी आबादी 6 करोड़ भी हो सकती है, 22 परगने की सात करोड़ भी हो सकती है। उसका बंटवारा दो-दो हिस्सों में हो तो उसका आधार क्या होगा, सबसे बुनियादी सवाल है। वह सवाल है, कानून से नहीं मुझे ज्यादा दिक्कत है, मामूली डिफरेन्स है, एलिजिबिलिटी क्लाज नहीं रखा या परमानेन्ट फाइनेन्शियल कमीशन का प्रावधान नहीं रखा या जुडिशियल कमीशन परमानेन्ट नहीं रखा जिससे कि डिजोल्यूशन नहीं हो, सस्पेन्शन जो पंचायत का होना चाहिये, उस प्रावधान पर फिर चर्चा हो सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है, वह क्या करेगी क्या नहीं करेगी पर जिसकी सब टेरेनन पालिटिक्स है, छिपी हुई पालिटिक्स है वह कन्टेन्शन की जड़ है। 6 वर्क शॉप प्रधान मन्त्री ने लिये, डी.एम. के लिए जगह-जगह। और डी.एम्म. को सबसे बड़े अधिकार देने की कोशिश की गई पंचायतों में। डी.एम के जरिये पैसे का बंटवारा होगा। हालांकि सरकारिया कमीशन इस बारे में काफी साफ था कि बंटवारे का आधार क्या

(श्री मोहन छंगाणी)

होना चाहिए। 1970 में नेशनल डवलप–मेन्ट कौंसिल की मीटिंग हुई जिसमें कितना इन्वेस्टमेन्ट होना चाहिये और कितना स्टेट के आधार पर इन्वेस्टमेन्ट होना चाहिये उसके संबंध में काफी चर्चा थी। 1:6, 1:7 का आधार रखा गया था। वह अलग आधार था। पर आज डी. एम. को सारी व्यवस्था का किंग पिन बनाया। डी. एम. को किंग पिन बनाने का आधार यह हुआ कि डी. एम. डायरेक्टली दिल्ली से पैसा लेगा। और जो अथोरिटेरियन टेन्डेन्सी, सैण्ट्रलाइजेशन की टेण्डेन्सी शुरू हुई थी उस सैण्ट्रलाइजेशन की टेण्डेन्सी को लगातार पचायत लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर हम कैसे ले जा सकते हैं, इसको रखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, जब महाराष्ट्र में जिला परिषदों के चुनाव हुए और डी. एम. को अधिकार दिये गये उस समय "पंचायत राज एक ब्यूरोक्रेसी" वी. के. गायकवाड़ 1969 पेज 65 "Secondly, it is crucial for the success of democratic decentralisation that officials including the D. M. accept the ability of non–official to work the system. A study of the Maharashtra Zila Parishad showed the officials non-acceptance and lack of faith in the capacities and capabilities of persons elected by the people to lead and work the system under democratic decentralisation."

आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से नम्रता से निवेदन करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी से हाथ जोड़ लें। हालांकि हर जगह ब्यूरोक्रेसी चाहिए। चूहे पकड़ने के लिए किसी न किसी बिल्ली की आवश्यकता रहती है। पर हमारी ब्यूरोक्रेसी डवलपमेन्ट और सोशल चेन्ज का जो एथोस लेना चाहिए उसको अपना नहीं पाई। यह सबसे बड़ी गड़बड़ है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतान्त्रिक विचारधारा के आधार पर और चूंकि मुख्य मन्त्री जी लोकतन्त्र के हिमायती हैं, इसलिए चाहे नेहरू रोजगार योजना हो, चाहे यह हो, उसका आधार क्या होना चाहिए? लोकतान्त्रिक आधार पर लड़ेंगे और राजस्थान का जो हक है उस हक की लड़ाई में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी मुझे आशा है। पंचायत राज हमारे अनुरूप होना चाहिए, हम चाहें जैसा होना चाहिए। पंचायत हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है। पंचायत को सुधारना हमारा काम है। मैं उसमें साफ हूं, इलेक्शन कमीशन से चुनाव कराइये, सी.ए.जी. उसका अकाउण्ट्स देखे, इसमें भी कोई एतराज नहीं। एतराज हमको फन्क्शनिंग में है। डी. एम. के. फन्क्शनिंग पर एतराज है। दूसरी तरफ रेगूलेटरी फन्क्शन्स हैं और उसका इम्प्लीमेण्टेशन का फन्क्शन है। वह डी. एम. भी रहता है, सारा रेवेन्यू उसके हाथ में है, लॉ–एण्ड-आर्डर उसके हाथ में है, सारी की सारी पाइवेटल पोजीशन उसके पास है और जिला परिषद् का अधिकारी वही है। वही बांटता है। तो सवाल यह है कि आज कल हम क्या करते थे, आज तक पंचायतों के आधार क्या थे? हमारी मेक्रो लेवल की पालिसी बनती है, मान लो हमारा पैसा कोर सैक्टर में आता है, इरिगेशन और बिजली में, हम इरिगेशन और बिजली के

Page No. 125

125

(श्री मोहन छंगाणी)

पैसे को पंचायत तक ले लेते हैं। मैक्रो लेवल पर जो पंचायते के केवल पर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर पंचायत में हमें कोई पास्वर डवलप करना है, पंचायत चाहे कि हमें कुआं बनाना है, पंचायत चाहे कि हमें बांध बनाना है, पंचायत में जो प्रोडक्ट्स है? वह मण्डियों से जुड़ जायं पक्की सड़क बने, आज पंचायत यह फैसला करे, उसकी टेक्निकल गाइडेन्स जिला परिषद् दे पर निर्णय करने का अधिकार पंचायत को होना चाहिए यह मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, मैं चाहूंगा, हमारा एरिया लीजिये आप पश्चिमी राजस्थान का, उसमें पंचायत को यूनिट मान कर विकास करना चाहें तो असम्भव सी बात है। आप आयुर्वेद अस्पताल बनायेंगे, मैंने बनाये हैं, एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. के तहत जो भी पैसा है, जिस–जिस जगह अस्पताल हैं, स्कूल हैं, इस तरह के भवनों का निर्माण किया। पर स्कूल के डवलपमेन्ट, उनके धन्धे का डवलपमेन्ट, उनकी आमदनी का डवलपमेन्ट, टोटल एरिया के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप नहीं करेंगे तो एरिया सुधरेगा नहीं। आपको आब्जेक्टिव्ज तय करने पड़ेंगे, चाहे एनीमल हस्बेण्ड्री का लें, चाहे इरिगेशन का लें, खेती–बाड़ी का लें, जैसा भौगोलिक क्षेत्र हो, जैसी–जैसी सोशल और सोइल कण्डीशन हैं उस आधार पर ले लो। उसको यूनिट मानकर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करेंगे तभी उसका विकास होगा नहीं तो विकास नहीं हो पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे सामने देखना शुरू हो गये। मैंने तो आपको पहले तीन–चार घण्टे देखा है। अभी आप देखना शुरू हो गये तो आपकी यह मेहरबानी है। मैं तो तीन चार घण्टे से देख रहा हूं। एक बजे से लगातार चार बजे, साढ़े तीन बजे तक देखा है। अभी देखना मत शुरू होइये, थोड़ा ठहरिये।

श्री उपाध्यक्ष : सभी देख रहे हैं, माननीय विपक्ष के नेता और नेता महोदय को देख रहे हैं।

श्री मोहन छंगाणी : आप कहें तो बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बोलें।

श्री मोहन छंगाणी : विरोधी पक्ष के नेता भी वही बात कहेंगे। कोई खास बात नहीं वह ज्यादा अच्छी तरह से कहेंगे। विरोधी पक्ष के नेता की काबलियत हमसे ज्यादा है इसमें कोई शक नहीं। मैं तो छोटी सी बात कहने खड़ा हुआ हूं।

मेरा निवेदन करना यह है, (व्यवधान) हां, बोलिये आप।

श्री शिवचरण माथुर : आप जो बातें कह रहे हैं वह बातें हमारे से बहुत कुछ मिलती जुलती बातें कह रहे हैं।

श्री मोहन छंगाणी : आपसी बात तो उसी तौर पर होनी चाहिए, आप कहेंगे कर लेंगे उसमें कोई एतराज नहीं। खाने पर बुला लेना ब्राह्मण को।

(126)

श्री शिवचरण माथुर : कोई ज्यादा मतभेद नहीं है आपकी हमारी बातों में।

श्री मोहन छंगाणी : जब तो अच्छी बात है। अगर यह बातें मान ली जावें तो ज्यादा अच्छी बात है। आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ब्यूरोक्रेसी को वह अधिकार नहीं होने चाहिए जो हमें मिलने चाहिए। आज डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हर जगह होनी चाहिए। अगर यह बात मानते हैं तो मुझे कोई एतराज की बात नहीं। मैं तो उसी के लिए अटका हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप नेहरू रोजगार योजना ले लीजिये, टोटल बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है नेहरू रोजगार योजना के लिये, मैंने देखा है। पर उस नेहरू रोजगार योजना में हम गरीबी को मिटा पायेंगे और गरीबी के अन्दर थ्रस्ट कर पायेंगे इस बारे में हमको थोड़ा सोचना चाहिये, पास्ट में जाना चाहिये। आप पांचवीं पंचवर्षीय योजना ले लीजिये। पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनी उसके आब्जेक्टिव क्या थे कि जो 30 पर्सेन्ट अपर ब्रेकेट्स में हैं उन 30 पर्सेन्ट अपर ब्रेकेट्स का मुनाफा लेकर के हम नीचे वालों को दे दें। यह थी न पाचवीं पंचवर्षीय योजना ? उसको किस तरह से टैक्स्ट किया जाये ताकि उनका जो सरप्लस पैसा है वह गरीब 30 पर्सेन्ट उपयोग कर सकें। परिणाम क्या निकले ? गरीबी यों की यों रही। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी और माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बारे में अवगत होंगे, मि. गिल हुआ करते थे एडवाइजर प्लानिंग कमीशन, उन्होंने पण्डित नेहरू को चिट्ठी लिखी सारी पार्टियों का सर्वे कर, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी भी एक थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, उस समय भारतीय जनसंघ था, कांग्रेस थी, उन्होंने एक बड़े पते की बात कही थी कि आज हम मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लान के अन्दर अरबों रुपये का, खरबों रुपये का, इस इन्वेस्टमेंट से जो सरप्लस क्रियेट होगा हमारी सैन्ट्रल प्राब्लम क्या होगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की। आज सारी की सारी पार्टियों की लीडरशिप मध्यमवर्गीय है, कांग्रेस इन्क्लूडेड है और मध्यम वर्गीय लीडरशिप हमेशा यथास्थितिवादी होती है। इसलिये अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि हमारी सरप्लस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के जरिये बैनीफिशरीज तक पहुंचे उसके लिये बैनीफिशरीज का आप गवर्नमेंट के सहयोग से आर्गेनाइजेशन बनाइये, संगठन बनाइये और वह इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिये लड़े तब जाकर जो आपके सैन्ट्रल प्राब्लम प्लान के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की है वह तय हो पायेगी, नहीं तो नहीं तय हो पायेगी। यह नहीं हुआ और नहीं होने के कारण क्या हुआ, यह आज गरीबी की रेखा बढ़ रही है। राजस्थान में आज अनएम्पलायमेंट बढ़ रहा है। आज आर. एस. एम. डी. सी. जैसे संगठन क्रियेट कर रहे हैं। जब आर. एस. एम. डी. सी. के बारे में मैं सोचता हूं तो अजीब बात है, सम्पतसिंह जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. एम. डी. सी. के बारे में, वह कुछ लाइम स्टोन बेचती है कुछ करती है छोड़िये इस बात को, पर यह जितने सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स हैं वह सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स हमेशा प्रोटक्शन चाहते हैं, मोनोपोली चाहते हैं उनकी

(श्री मोहन छंगाणी)

मोनोपोली रहे । एक बार, उपाध्यक्ष महोदय, इंगलैंड में इन्डस्ट्रिएलाइजेशन शुरू हो गया था, लंदन का बिजलीकरण होना शुरू हो गया था, पहले लंदन में मोमबत्तियां जलती थीं, मोमबत्ती उद्योग था, बड़ी-बड़ी मोमबत्तियां बनती थीं, तो मोमबत्तियों का उद्योग ठप्प होने लग गया। तो उन्होंने इंगलैंड के राजा को एक पिटीशन लिखी कि आप कृपया हमारी अपील सुनिये, हमारे करोड़ों पाउंड इसमें लगे हुए हैं, हजारों आदमी इसमें लगे हुए हैं और मोमबत्ती उद्योग बन्द हो गया तो हजारों आदमी बेकार हो जायेंगे जो करोड़ों पाउंड लगे हुए हैं वह सबके सब डूब जायेंगे इसलिये आपसे निवेदन है कि आज ही आप एक आदेश निकालें कि एक भी लंदन की खिड़की बिना करटेन के नहीं रहेगी, सूरज की रोशनी नहीं जानी चाहिये। अगर सूरज की रोशनी चली गई तो हमारी मोमबत्तियां बिकेंगी नहीं। इसलिये आपने आर.एस.एम.डी.सी. का निर्माण कर दिया। आज माननीय मानिकचन्द जी सुराना आर.एस.एम.डी.सी. के बारे में बता रहे थे। तो इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे यहां पनपे, यह बड़ी खराब बात है। आप रीको ले लीजिये। मैं एक उदाहरण देता हूं, वह उदाहरण है संजीवनी फाडर का। आप देखिये संजीवनी फाडर और फोमेटा, आश्चर्य करेंगे आप, पांच डायरेक्टर दोनों में एक ही हैं, अलग-अलग नहीं हैं। दोनों में एक हैं जो संजीवनी में डायरेक्टर हैं वह फोमेटा में भी डायरेक्टर हैं। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ही यूनिट है राजस्थान में जिसको दो यूनिट के लिये लोन दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इनको कस्टम का एक्जम्पशन मिला है, साढ़े तीन करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। इनको लाइसेंस मिला है और लाइसेंस यह था कि इसका कोई कामर्शियल उपयोग नहीं होगा और यह जो मैन्यूफैक्चर करेंगे, भगवान की कृपा से मैन्यूफैक्चर करते ही नहीं, हांगकांग आदि से पार्ट्स मंगाकर एसेम्बल करते हैं, एसेम्बलिंग प्लांट ही है, इन्होंने झूठा किया है जो कुछ भी किया है, वह सिर्फ डिमांस्ट्रेशन ट्रेनिंग के लिए काम आयेगा। यह दूसरी बात है- यह हुआ सो हुआ, कहीं आप इनके घास को जो एक रु. 20 पैसे प्रति किलो पड़ता है आप डेयरी के लिये खरीदना शुरू नहीं करते कम से कम इसके लिये तो लगाइये। आज हमारा सारा का सारा पर्दाफाश हो चुका है। इसका जो दुरुपयोग हुआ किस तरह से किस आदमी से चिट्ठियां गई हैं। मुझे मालूम है, जब अकाल पड़ा जब इस मशीन से राजस्थान में घास उगाना चाही, मुझे बड़ी अजीब बात लगी। यह बात सही है कि घास की बहुत कमी थी, भयंकर दिक्कत थी, हम ऐसे हड़बड़ा रहे थे किसी तरह से घास मिल जाये और हमारे पशु बच जायें। तो संजीवनी अद्भुत कैसे हुई यह फाडर पता नहीं कहां कि संजीवनी आ गई और संजीवनी जादू ले करके आई क्योंकि सारे के सारे घास की आवश्यकता राजस्थान के पशुओं के लिये जिस-जिस एरिया में, जैसलमेर में हम डाल देंगे, मुझे बड़ी ईर्ष्या हुई....(व्यवधान)

फलौदी में नहीं डाल रहे हैं जहां पशु मर रहे थे, हजारों की तादाद में पशु मर रहे थे फलौदी में, नहीं डाला, जैसलमेर

(श्री मोहन छंगाणी)

में डाला। अब वह यूनिट कहां गया यह तो नहीं बताया। मुझे बहुत याद आता है, कई बातें याद आती हैं, सड़कों के बारे में, दूसरों के बारे में मजाक-मजाक में कहते हैं इनका कोई पता ही नहीं लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संजीवनी फाडर के उत्पादन कम्पोनेंट पावर है, आप चालीस मिनट पावर नहीं दें सारा का सारा अनाज सड़ जायेगा। जैसे वह कैमिकल का कम्पोनेंट पावर हो, आइडल जैनरेटर का कम्पोनेंट पावर हो, कांस्टेटली पावर सप्लाई होनी चाहिये या तो पावर सप्लाई सरकार करे या अपने जैनरेटर से लगायें अगर थोड़ी भी देरी हो गई तो सड़ जायेगा। ऐसी स्थिति में किन्हीं बड़े आदमी की चिट्ठी के आधार पर इस तरह का हमारी सरकार काम करे और इसका दोष हमारे माथे पर लगे, इस कलंक को हमें धो देना चाहिये और मेरा पूरा ख्याल है मुख्य मन्त्रीजी सक्षम हैं, वह चाहे बलराम जाखड़ हो या कोई हो, किसी की चिट्ठी हो, वह सक्षम हैं और इस कलंक को जरूर धोयेंगे... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, जो हमारा कलंक है उसको निश्चित रूप से धोयेंगे। इस तरह से मैं भ्रष्टाचार के किस्सों का वर्णन करना शुरू करूं रीको के या दूसरों के....(व्यवधान) जब आप घड़ी की तरफ देखते हैं मैं बैठने की तैयारी करता हूं। मैं चाहता हूं कि भैरोंसिहजी जल्दी खड़े हो जायें क्योंकि उनकी जानकारी ज्यादा है और सरकार की ज्यादा अच्छी तरह से हालत खस्ता करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के मामले एक-एक आप देखिये। हमारे हरिजन भाई भूदरमल जी कहां हैं? आप बैठें हैं। उन्होंने कार्पोरेशन बनाया बहुत अच्छा किया कोई एतराज की बात नहीं। कार्पोरेशन के आधार पर हरिजन भाइयों का उत्थान हो इसका हमारा कोई विरोध नहीं। कार्पोरेशन कैसे चले और किस तरह से चल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा ध्यान से सुनिये। पहले तो उन्होंने 45 लाख का प्रपोजल रखा कि तीन लैदर ट्रेनिंग यूनिट्स बनेंगे और इनका सारा माल भारत लैदर बेचेगा। हो गया प्रपोजल 45 लाख का। 45 लाख का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया, पहली बात। अब पैसा कहां जाये। उन्होंने कहा कि दस लाख के राजसिको के शेयर्स खरीद लिये जायें। अच्छा, अब और क्या करें। गरीब हरिजनों के खेतों में पेड़ लगाये जायें। पेड़ों के लिये पांच लाख 24 हजार की स्कीम बन गई, कोई बात नहीं, मानीटरिंग नहीं हुआ। राजस्थान विकास सम्मेलन का किस्सा आपके सामने मौजूद ही है कितने पेड़ लिये, कितने पौधे लिये यहां पर रिपीट करना नहीं चाहता। मोटर ड्राईविंग की ट्रेनिंग के लिये एक लाख रुपया। और फिर पीछे देखा कि वीवर्स बहुत ज्यादा है हरिजनों में, इसकी समस्या को हल कैसे किया जाये, तो उन्होंने कहा, अपने को कुछ करना चाहिये। तो राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट बोर्ड में अपने को इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिये जिससे वीवर्स की समस्या हल हो जायेगी। अब इनके काम काज देखिये। यह कहा कि हम क्लर्क नहीं लेंगे और उधर 60 क्लर्क ले लिये। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम फोर्थ क्लास, एल.डी.सी. को नहीं रखेंगे। इस

(श्री मोहन छंगाणी)

तरह की आप घोषणा करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ओरिजनलिटी पर आइये। मैंने बार-बार कहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सारा काम आप यूनिवर्सिटी को दे दीजिये और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भंग कीजिये। सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट जो ऐड देता है वह कलक्टर को दे दें। मैं जानता हूं, यह डिपार्टमेन्ट मेरे पास रहा है इसलिये कह रहा हूं। यह जो दुकानदारी खोल रखी है उसको बन्द कीजिये। सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट को बन्द कीजिये ! (व्यवधान)

मेरी बात को सुनिये। अपने में कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं हैं। आज हम यह कहें कि फोर्थ क्लास को नहीं लेंगे, एल.डी.सी., यू.डी.सी. को नहीं लेंगे इससे कुछ नहीं होगा। आप गवर्नमेन्ट के ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे, जो यूजलैस है उसको नहीं हटायेंगे, चाहे कोई हो तब तक फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पायेंगे। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जिन डिपार्टमेंटस का उपयोग नहीं रहा है जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आज क्या जरूरत है, मरू विकास की क्या जरूरत है, ये ढ़ेर सारे प्रोग्राम आपने रख रखे हैं। इनमें जो ढ़ेर सारे इम्प्लाइज हैं उनको आप ट्रान्सफर करिये। लेंड ग्रांड कालेज की तरह यूनिवर्सिटी को चलाइये। डिपार्टमेंट को तोड़िये। आप अफसरों को तोड़िये। कमजोर आदमी को मत तोड़िये। मैं कहता हूं, कोई अफसर नाराज होता है तो होने दीजिये। कई बहुत अच्छे हैं। सब अच्छे होते हैं, सब बुरे होते हैं। कोई एम.एल.ए. अच्छा होता है, कोई एम.एल.ए. बुरा होता है। जो बुरे अफसर हैं उनको हटाइये। हम खराब काम करेंगे तो हमको वोट नहीं देंगे। हमारी तो हर पांचवें साल ए.सी.आर. होती है परन्तु इनकी ए.सी.आर. कोई नहीं लिखता है। जो आदमी उपयोगी नहीं है उसको आप हटावें। कोई न कोई डिवाइस बना कर आपको ब्यूरोक्रेसी पर हमला करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आज डेमोक्रेसी आथोरेटेरियन की जो लड़ाई है वह लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि आज सुबह ही हंगामा हुआ। उन्होंने नाम भी दे दिये। आज बोफोर्स की लड़ाई नहीं है। बोफोर्स राइट्स हो गया है। इस बीमारी के खिलाफ लड़ना है जो हर जगह खून में पहुंच रही है। इस लड़ाई की अगुवाई हमारी तरफ से हो रही है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे दुश्मन मत बनिये, साथी बनिये। इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, 4.30 हो गये, जैसे परम्परा के अनुसार 5 बजे नेता महोदय अपना भाषण शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि पांच-पांच मिनट माननीय प्रोफेसर केदार एवं माननीय शोपत सिंह जी बोल लें, फिर विपक्ष के नेता महोदय और फिर नेता महोदय।

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा।

श्री भंवरराम सूपका : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कल आप गैर हाजिर थे। मैंने आपका नाम लिया था। प्रोफेसर केदार।

श्री भंवरराम सूपका : केवल पांच मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये मैं किसी को समय नहीं दे रहा हूं। प्लीज सिट डाउन।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे मुमानियत है लम्बा भाषण देने की। यह हमारी असेम्बली की टर्म है। यह लास्ट एप्रोप्रियेशन बिल है। फिर चुनाव के दंगल में दाखिल होंगे। कौन आयेगा, कौन नहीं आयेगा। मुझे टेनिसन की लाइन याद आती है a few can remain where many a meet. मैं आशा करता हूं कि काफी लोग जीत कर आयें। जो पैकेज डील हमारे प्रधान मंत्री ने किया है उसके बाद यह एप्रोप्रियेशन बिल आया है।

मान्यवर, एक स्वतन्त्रा सेनानी के नाते चूंकि यह लास्ट सेंशन है यह मानकर चलता हूं, मेरा यह फर्ज है उन लोगों को याद करना जिन्होंने रजबाड़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, राजस्थान के हित के लिए भूमिका अदा की, उनको याद किये बिना नहीं रह सकता। मान्यवर, जिन लोगों ने सत्ता आने के बाद बड़ी बेक्स्ड कम्पलेक्स्ड प्राब्लम्स थी, उनको रिओरियेंट करना, नयी पालिसी, प्रोग्राम देना, उन्होंने काफी हद तक राजस्थान की लेंड्स का विकास किया, मैं उनकी भी तारीफ करता हूं। मैं उनकी भी तारीफ करूंगा जिन्होंने विरोध पक्ष को जिन्दा रखा। बहुत मोरेल कायम रखा, इसका फैलाब किया और इसको मेन्टेन किया। यह कोई मामूली बात नहीं है, लगातार अपने करेक्टर, इण्टीग्रिटी को कायम रखना, मूवमेन्ट आफ फस्टेशन के बीच में से स्केण्डल्स को एक्सपोज करना और गवर्नमेंट की गलत पालिसीज पर प्रहार करना और राजस्थान के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करना, आज मैं उनका भी अभिनन्दन किये बिना नहीं रह सकता हूं।

मान्यवर, यह नेहरू जी की सेन्टेनरी का वर्ष है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मूवेन्टम आप पैदा कर रहे हैं, क्या कोई आकर्षण पैदा हो सका है, क्या मासेज के अन्दर कोई किसी प्रकार का उत्साह पैदा कर दिया है ? नेहरू जी की टावरिंग पर्सनलिटी थी। उनका डेमोक्रेटिक सैकूलरविजिन था, एप्रोच थी और वे हमारे नेशनल मूवमेन्ट के हीरो थे। उनकी सेन्टेनरी में कोई किसी प्रकार का उत्साह हमें नजर नहीं आता है। मान्यवर यह उनका स्ट्रेचर था। उसके बाद श्रीमती गांधी का स्ट्रेचर आया। इन्दिराजी की एक हेडलाग प्लानिंग करने की केपेसिटी थी। डेन्जर को देखते हुए, डेन्जर का मुकाबला करना, कूद पड़ना और जनता की पल्स पर उनका हाथ रहता था। एक मिस केलकूलेशन उनका इमरजेन्सी का था। बाकी इन्दिराजी ने बहुत बड़े हार्ड कोर एक्शन लिये। उसके बाद श्री राजीव आये। हम सोचते थे कि ये युवा हैं। यूथ में सेन्टीमेन्ट्स हुआ करती

(श्री केदार नाथ)

है । बाइस हुआ करती है । पुरानी लाइन को तोड़ कर नई लाइन बनाते हैं । रिस्क लेते हैं । कुछ नारे दिये, कुछ स्लोगन दिये । आज मेरा स्ट्रेचर नहीं है कि मैं देश के प्रधान मंत्री की आलोचना करूं । परन्तु मैं रोज उनके भाषण सुन रहा हूं । उन्होंने कई योजनायें दी हैं । चार–पांच पंचायती राज, 18 वर्ष की आयु वाले को मताधिकार, जवाहर रोजगार योजना और नगर–पालिकाओं को अधिकार, हरिजनों की वेकेन्सीज को भरना । यह प्लानिंग है उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी की । उन्होंने मान्यवर, टायरेड शुरू कर दिया । प्राइम मिनिस्टर का यह फर्ज था कि पहले कांसेसस पैदा करते । उन्होंने कई एक अच्छी बातें की है । मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं । न कोई बहस करना चाहता हूं । कई अच्छी बातें हैं । परन्तु देश का प्राइम मिनिस्टर कान्सेशस पैदा करने के बजाय कान्फ्रोन्टेशन की राजनीति पर आ गया है । नेशनल फ्रण्ट के नेताओं के खिलाफ, जो हमारे नेता हैं, उनके खिलाफ टायरेड शुरू कर दिया है, नारा शुरू कर दिया । कभी आज तक प्राइम मिनिस्टर के स्तर से ऐसी बातें नहीं सुनीं मगर ये बातें सुनने को मिली । क्या टायर रेड है ? एन्टी नेशनल है देवीलाल जी, एन्टी नेशनल हैं, हेंगड़ेजी, एन्टीनेशनल है मधुदण्डवते, एन्टी नेशनल है, ज्योतिवसु । मान्यवर जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया एन्टीनेशनल ? यह लफ्ज देना प्राइम मिनिस्टर के मुंह से जो कभी फ्रीडम मूवमेन्ट में नहीं थे, न आस पास पैदा हुए और फिर दूसरा यह कहना कि इन्दिरा जी को मारा है पूर्व प्रधान मंत्री को । उनके किलर्स की पैरवी करते हैं, टेरेरिस्ट की पैरवी करते हैं और जितनी भी सेफ फोर्सेस है इनको कम्यूनुअल, उनका साथ देते हैं । ये टार रायड के तीन–चार पाइन्ट्स हैं हर स्टेट में जा कर इन्टेसिव टूर्स शुरू कर दें । उन्होंने सोचा तो यह था कि इलेक्शन ईयर में इनीशियेटिव अपने हाथ में ले लूं मैं । पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन हमेशा सोचता है, पार्टी के नेता सोचते हैं कि इनिशियेटिव हमारे हाथ में आये और स्लोगन्स दें, लोगों में उत्साह पैदा हो जाय, आकर्षण पैदा हो जाय और वोट हासिल कर सत्ता में आ जाय । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गिरी के चुनाव में कौन थे आपके साथ एक तो आप थे, एक पूनमचन्द जी विश्नोई थे, एक बरकतुल्ला जी थे और एक रानी चूडावत थी तीन–चार आदमी आदिवासी थे । मेरे यहां बीटन में गिरी जी का दफ्तर था । जब इन्दिरा जी हार गई मान्यवर । कौन था उनके साथ । जितनी भीड़ आज हम देख रहे हैं वह भीड़ सत्ता के साथ है । माननीय मुख्य मंत्री जी वह आपकी आइडियोलोजी के साथ नहीं है, वह कांग्रेस के कल्चर के साथ नहीं है । इन्दिराजी के हारने के बाद बहुत कम लोग उनके पास जाते थे, बहुत लोग छोड़ गये, बल्कि छोड़ गया । तो ऐसी हालत जब देश की एक पार्टी की आर्गेनाइजेशन की हो जिसके हाथ में इतना बड़ा राज रहा, इतने साल रहा । अन्दरूनी इतनी कमजोरी थी तो उससे हम यह सोचें कि आइन्दा देश का भला हो जायगा, कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं है । मान्यवर, यहां पर मैं यह भी बात कहना चाहता हूं देश के प्राइम मिनिस्टर जब भी बोलते हैं, उन पर एलीगेशन

(श्री केदारनाथ)

लगे, स्केण्डल्स आयें उनका भी जवाब नहीं दिया मगर अपोजीशन पर बरस पड़ते है । पंजाब की समस्यां उनके सामने है, असम की समस्या उनके सामने है और नागा-लैण्ड व मिजोरम की कुछ हल हुई हैं। तो सारे अपने फैलोअर्स को वे ढकने के लिये,, कमोफ्लेज करने के लिये अपोजीशन पर बरस पड़ते है । मैं मान्यवर, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सारी सैन्ट्रल की सी. आर. पी. सी. सारी सैन्ट्रल की बी. एस. एफ., बम्बई का सारा इन्टेलिजेन्स केवल दो ढाई हजार टेररिस्ट को कनफाइन नहीं कर पाये, उसको काबू नहीं कर पाये आज तक उनका ब्रेन कहां है, कहां कांसपिरेसी कैच-अप करते हैं, कब वे स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करके स्केप कर जाते हैं। आज तक कभी हमारी भारत सरकार और उसके गृह मन्त्री इनको कैच नहीं कर पाये उसमें विश्वास कैसे कर लें। सारी सिख कम्युनिटी को उन्होंने लॉ एन्ड आर्डर की प्राब्लम बना दिया, यह पालिटिकल प्राब्लम है, नेशनल प्राब्लम है। पंजाब की सारी सिख कौम को उन्होंने एक सेन्स आफ बेलो-रेशन पैदा कर दिया । आज यूथ में इतनी फ्रस्ट्रेशन, है कि कोई अन्दाज नहीं, ऐसी मिसालें मान्यवर मिलती है। मोगा से पहले जब बस को ले गये दो सिखों ने अपने हिन्दुओं के लिये जान की बाजी लगा दी थी। ऐसे हिन्दू केसेज भी मिले हैं जिन्होंने सिखों की रक्षा में ऐसा काम किया है। इतने प्रोवोकेशन के बाद भी आपस में इतना ब्रेकिंग पाइन्ट होने के बाद भी, फिर भी आप देखिये पंजाब में आज तक और बिहार में कभी कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। हिन्दू, सिख का कोई किसी प्रकार का फ्लेयर-अप नहीं हुआ'। यह हमारे कल्चर की बहुत बड़ी विशेषता रही है। यह पंजाब की बहुत बड़ी देन है। मान्यवर, यहां पर मैं आपकी मार्फत सर-कार से पूछना चाहता हूं कि पिछले चार, साढ़े चार साल में आपने अनेक काम किये हैं, पैसा खर्च किया क्या हरिजनों के पास कभी आप गये हो। जो लोग खेत में मज-दूरी का काम करते हैं उनकी क्या हालत है, क्या सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी है, क्या उनका कोई चरित्र बचा है, क्या उनके बच्चों के पढ़ने का इन्तजाम है। क्या आप और हम कानून पास करते हैं, वह उनका फायदा उठाते है। लाखों की तादाद में वह लोग हैं। मान्यवर, यहां असेम्बली की फ्लोर से कानून पास करने से लाखों बीघा जमीन अलाटमेंट की राजस्थान कैनाल पर **और** अन्य जगह भी राजस्थान में है वह आज केवल पांच पर्सेन्ट है। बाकी की जमीन उनकी निकल गई। कोई भी आपका एम. एल. ए; एम. पी. आज तक धरना नहीं दे पाया, भूख हड़ताल नहीं कर पाया, ऐजीटेशन नहीं कर पाया कि फ्रेश प्रोग्राम की मार्फत सारी जमीन वापस आ जाय। मैंने कभी सुना नहीं आपकी इस बात को। मैं आपकी जगह होता तो आन्दोलन खड़ा कर देता। यह ठीक बात है आप चले जाइये, माइन्स में चले जाइये आप जो सड़कों पर काम करते हैं, जो टीबों पर काम करते हैं कान्स्ट्रेक्शन का जो काम करते हैं वहां हरिजन ज्यादा आपको मिलेंगे जिनकी कोई देखभाल नहीं है ।

दूसरी चीज यह मुस्लिम कौम आई । मान्यवर, नेहरू जी के वक्त में उनको काफी

(श्री केदारनाथ)

नौकरियों में जगह मिलती रही है। मैं यहां वह बात नहीं कहना चाहता हूं कम्युनल न्युग्रल की जिस दिन बहस होगी उनकी पर्सेन्टेज कितनी कम होती जा रही है। वह अपना ट्रेडीशनल पेशा छोड़ते जा रहे हैं, मजदूरी पेशा अडाप्ट कर रहे हैं। जो हालत देश में तीन-चार साल से बन रही है जिस तरह से स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है और हमारा कुछ समाज का एलीमेन्ट। उन्होंने उनको मेन स्ट्रीम से बाहर करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उसकी रुकावट आप और हम करें। बहुत बड़ी चीज आपके मेनस्ट्रीम से बाहर हो जायेगा एक बैकवर्ड कम्यूनिटीज मण्डल आयोग की सिफारिश न आये, वह आपसे अलग हो जायेगा, मुस्लिम आपसे अलग हो जायेगा। जो हरिजन हैं उनमें किसी प्रकार का आज कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं। जब चारों कम्यूनिटीज का बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ नहीं केवल पावर के नाते आपके पास आ जाय तो उनको कोई फाइनेन्स बेनिफिशरीज नहीं बना पाये। देश में इमोशनल इन्ट्रीग्रेशन आप कायम नहीं रख सकते, कोई इमोशनल इन्ट्रीगेशन हो ही नहीं सकती। देश में नारा देने से, बात करने से कभी भी देश की सैक्टिटी सोविरनिटि कायम नहीं रह पाती है जब तक आपका यह नहीं हो। मान्यवर, यहां नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन के लोग आये....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अन्त कर रहा हूं, मैं जरा बोल लूं। आपने बड़ा अच्छा केस पेश किया, विरोध पक्ष के नेता ने बड़ा अच्छा केस पेश किया और भी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स मिले। आपने पहली बार नहीं कई बार कहा कि पावर्टी लाइन को जब हम केलकूलेट करते हैं तो बाजरे को बेस बना रहे थे। बाजरे में कैलोरीज जो है वह 2100 है, देहात में 2400 है। वह पावर्टी लाइन से ऊपर आ जाती है। नेशनल सेम्पल सर्वे जो 1977 में हुआ, उसके बाद 1983 में हुआ, अब 1988 में हो रहा है 1983 में जो हमारी पावर्टी लाइन के नीचे के लोग थे उसमें 3 पर्सेन्ट बढ़ गये, 1988 में तो और बढ़ गये। आज 45 और 50 के बीच में है। अब सैन्ट्रल गवर्नमेंट और फाइनेन्स कमीशन अगर इस क्राइटेरिया को मानकर चलते हैं तो आपको ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है दूसरी बात जब वहां पर आपने फार्मूले के बारे में कही कि हमारा एरिया माना जाय, विरोध पक्ष के नेता ने भी यही बात कही। यह बात सही है कि जब तक एरिया को वेटेज नहीं दिया जायेगा, पापूलेशन को वेटेज दिया जायगा परकेपिटा और पावर्टी लाइन और एरिया जब तक यह वेटेज नहीं दिया जायेगा फाइनेन्स कमीशन से हमें जो ज्यादा पैसा मिलने वाला है वह ज्यादा पैसा नहीं मिल पायेगा। आपने 60 पर्सेन्ट टैक्सेज में मांग की है, आपने कंसाइनमेंट टैक्स में बात की वह ठीक बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं मान्यवर, अगर सैन्ट्रल आज तक हमारे पक्ष में होता और लोबी क्रियेट होती हमारे एम. पीज. की मार्फत। आज तो होम मिनिस्टर पर बोल रहे हैं, स्पीकर पर बोल रहे हैं। मान्यवर, कभी आपने सुना स्पीकर के खिलाफ चर्चा हुई है। दो टर्म पर रहे। खैर यह तो रिश्तेदार बने, बिरादेरी के रिश्ते हैं, मेरे तो दोस्त हैं, वह मेरे नज-

(श्री केदार नाथ)

दीक रहते हैं 15–20 किलोमीटर पर। सरपंच हार गये, दो बार एम. एल. ए. में हार गये थे। आप उनकी हालत जानते हैं स्पीकर हैं वे आज। बड़े दोस्त हैं हमारे मगर कभी आज तक हिन्दुस्तान के स्पीकर के बारे में चर्चा नहीं हुई और आज सभी बोल रहे हैं इनके बारे में। बोलेंगे भी, खुद को उन्हें आफर करना चाहिये कमीशन नियुक्त हो जाय, जो भी मेरे बारे में चर्चा आई है उसकी जांच हो जाय, क्योंकि स्पीकर का आफिस बहुत बड़ा है। तो मैं मान्यवर, यहां पर यह भी कहना चाहता हूं नेशनल इमेज हमारी क्या है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हमारा देश फाइनेन्सियल क्राइसिस में है डेब्ट ट्रेप में है। 90 हजार करोड़ का कर्जा, रुपये की कीमत 12 पैसे। कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स बढ़ता जा रहा है। एम्पलायमेंट की सारी रेंक फाइल बढ़ती जा रही है। देश की इकोनामी की यह हालत है। जो रेवेन्यू में हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है उसमें हमें अभिमान किस बात का? अब हमारा इलेक्शन ईयर है, आप ज्यादा खर्चा करोगे। आइन्दा सम्मालेगा कौन, सम्भालें, नहीं सम्भालें क्या होगा तो मैं ज्यादा यहां नहीं कहने वाला हूं। इतने ही शब्द कह दूं कि इन चार साल में मान्यवर, जुडिशियरी इन्डिपेन्डेन्ट मानी थी, हम मानते हैं एफीशियन्ट, हम मानते हैं इन्डिपेन्डेन्ट, और काम्पीटेन्ट लेकिन उसमें भी इन रोड्स शुरू कर दी गई। बड़ी खतरनाक है। आप तो डीसैन्ट्रेलाइजेशन की बात कर रहे हो। दूसरे पार्लियामेंट की डीवेल्यूएशन हो रही है, असेम्बली की डीवेल्यूएशन हो रही है। तीसरा प्रेस को लगातार अन्डर प्रेसर किया। अन्डर प्रेसर है सारा। इंडियन एक्सप्रेस की क्या हालत है आप देखिये कितनी रेड्स हुई, कितना चालान हुआ, कितनी परेशानी आई? "हिन्दु" का हाल देख लीजिये, स्केण्डल को एक्सपोज किया। देश की बहुत बड़ी सेवा की। लगातार अण्डर प्रेशर रख रहे हैं यहां पर, ब्यूरोक्रेसी को इस लाइन में ला रहे हैं कि यह मनी बैग आपके पास आ गया, मशलमेन आपके पास आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस तरह से गियर अप कर रहे हो आप। इलेक्शन में आपने ऐसे नारे दे दिये इनीशियेटिव अपने हाथ में ले करके कि हिन्दुस्तान को आप चला सकते हो। मुझे विश्वास है कि इस वक्त चैलेन्ज हमने स्वीकार कर लिया, मीट करेंगे और हम जीतेंगे, सत्ता में बैठेंगे। यही शब्द कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपतसिंहजी। शार्ट एण्ड स्वीट।

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे याद फरमाया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस सदन में और कुछ थोड़े देश के उन आकड़ों की तरफ देखता हूं तो जिस मुल्क में 36 फीसदी लोग, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, गरीबी की रेखा के नीचे रहते हों, गरीबी की रेखा से मतलब एक वक्त की रोटी, इसके साथ-साथ जिस मुल्क में 44 करोड़ लोग अशिक्षित हों, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं हो, जिस मुल्क के अन्दर 70 फीसदी लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार हों, जिस मुल्क के अन्दर 65 फीसदी लोग ऐसे हों जिनके पैरों में जूतियां नहीं हों, नंगे पैर हों,

(श्री शोपत सिंह)

जिस देश के 70 फीसदी लोग सिर्फ एक धोती रखते हों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के 70 फीसदी लोग, उनमें बहिन और भाई, महिला और आदमी दोनों हैं, एक धोती में रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 70 फीसदी लोग। इस देश के खुले आसमान के नीचे ऐसी झोंपड़ी में रहते हैं जो न वर्षा रोक सकती हैं, न गर्मी रोक सकती, न सर्दी रोक सकती है। इस तरह की हालत के अन्दर मैं आपको बता रहा हूं, यह मेरे आंकड़े नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही आंकड़े इस सरकार के ही बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डोंट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब न करें।

श्री शोपत सिंह : यह राष्ट्रीय आंकड़े हैं, इस देश की सारी तस्वीर है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्लीज सिट डाउन।

श्री शोपत सिंह : यह तस्वीर 42 साल आजादी के बाद है, मैं बता रहा हूं, यह हालत आज देश की है। मैं साथ में एक और बात कहना चाहूंगा। जिस देश के लोगों की यह हालत हो और बदन से भी किसी परिवार में बीमार हो जाय, कोई उसका भाई या बहिन बीमार हो जाय तो कहां से लायेगा कैप्सूल, किसके पास ले जायेगा इंजेक्शन, अपने बेटे और भाई को बचाने के लिये। इस देश के अन्दर लाखों लोग हर साल दवाई के अभाव में तड़प–तड़प कर मर रहे हैं। ऐसी जब तस्वीर हो देश की तो मैं इनसे क्या कहूं? आखिरकार यह मुल्जिम हैं। यह जो सामने सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, मैं मुल्जिमों से यह फरियाद करूं, कि आप हम को न्याय दो। मैं समझता हूं, इसके जिम्मेदार कौन हैं आखिर? आप मुकाबला कीजियेगा दुनियां के अन्य दूसरे देशों से चाहे वह समाजवादी देश हों, चाहे पूंजीवादी देश हों। हम कहां खड़े हैं? इसका जिम्मेदार कौन है आखिरकार जो विकास नहीं हुआ। आज बात कर रहे थे कुछ माननीय सदस्य छुआछूत के मामले में। छुआछूत का मामला पहला नहीं था, अलवर के अन्दर जो आपने देखा। यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले गृह विभाग की चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि जिस देश में घोड़े पर चढ़ते हुए दूल्हे को उतार कर पीटा जाय, जिस देश में अगर कोई इरादा कर ले नाथद्वारा में जाने के लिये तो फौज को लेकर मुख्य मन्त्री को जाना पड़े, उस व्यवस्था के अन्दर उस व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों के आगे मैं कोई उम्मीद नहीं रखता कि वह इस व्यवस्था में, इस समाज के ढांचे में कोई परिवर्तन ला सकेंगे। इसी दृष्टि से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे। समाजवाद की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। आज मुझे इस सदन में बैठें हुए यह पांचवा साल है। जिस दिन मैं इस सदन में आया था मैंने एक सवाल पूछा था कि इस राजस्थान के अन्दर आप भूमि सुधार की बात करते हो, समाजवाद की बात करते हो, लाखों एकड़ जमीन राजाओं के पास कृषि की पड़ी है। मेरे सवाल के जवाब में आपने बताया कि 11 हजार बीघा कोटा के महाराजा के पास, 11 हजार बीघा जयपुर के महाराजा के पास,

(श्री शोपत सिंह)

12 हजार एकड़ जमीन जोधपुर महाराजा के पास है। कृषि भूमि नहीं, लाखों हजारों एकड़ जमीन शहर के बीच में हैं, हमारे सेक्रेटेरियट के सामने है। बिड़ला को अधिकार है राजाओं की जमीन खरीदने का। किस कानून से बिड़ला जमीन लेता है राजाओं की? राजाओं की जमीन हमारी है अरबन सीलिंग कानून के तहत, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सीलिंग कानून के तहत। दोनों में अधिकार है। जिसके पास भी सीलिंग से ज्यादा जमीन थी वह सरकार के अन्दर अवाप्त हुई मानी जायेगी। उन जमीनों को बेचने का काम किसका है? यह सिर्फ इस देश के लोगों का है। मैं दाद देना चाहता हूं इनकी जगलरी की। और कोई बात नहीं है, यह बिड़ला और हरिजन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। यह जगलरी है, मास्टरी है इस बात में। अभी बिड़ला यहां पर चुनाव लड़ कर गया राज्य सभा का। आपने कितने वोट अलाट किये थे बिड़ला को? आपने अलाट किये 38 वोट। बाकी सैकण्ड प्रायोरिटी के वोट दिये इनको। मिले कितने बिड़ला को? इस सदन से बिड़ला का राज्य सभा का मैम्बर बन कर जाना कांग्रेस की तरफ से, आप बात करते हैं समाजवाद की, जरखरीद लोग। मर्जी आये उस बात को खरीद लो, पैसे में खरीदता है बिड़ला। आज वह कांग्रेस मर गई, मैं कहना चाहता हूं। गांधी और नेहरू की कांग्रेस मर चुकी। मां बहुत अच्छी होती है। मां से दुनियां में कोई चीज अच्छी नहीं होती है। अगर बेटे जवान हो जाय और मां घर कर ले दूसरा तो फिर उस मां की हालत क्या होती है, मैं कहना चाहता हूं। तमाम जो आदिवासी और गरीबों की बात करने वाले लोग हैं, आज कांग्रेस तुम्हारी नहीं है। आज कांग्रेस बिड़ला के खातिर है, बिड़ला के साथ रहती है, इस देश के बड़े-बड़े जमीदारों के साथ रहती है। आज माधवराव सिंधिया इस देश का बहुत काबिल काबिना का मंत्री है जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया, जिसको इस देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आपने तो फ्यूडलिज्म के खिलाफ, सामन्तवाद के खिलाफ....

एक माननीय सदस्य : माननीय नेता वह आपके सामने बैठे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने कुछ और भी सीखा है कि नहीं सिवाय इसके।

श्री शोपत सिंह : कल कह रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साढ़े चार साल का समय देखा है, राजीव जी का और आज देखा है। इस राजीव जी के राज में....

श्री उपाध्यक्ष : आज तो शिवचरणजी की बात करिये।

श्री शोपत सिंह : दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं देख सकता हूं, कह सकता हूं, यह बात कि साढ़े चार साल के अरसे में इस देश के अन्दर जितनी मार इस देश के किसानों पर पड़ी, जितनी लूट किसानों की हुई है भावों के नाम से, हम बीजने के लिये ग्वार ले जायें 1200 रुपये का, बेचने के लिए जाय तो भाव ढाई रुपये किलो। कौनसा समाजवाद है? यह कौन से किसानों की बात कर रहे हैं? जब

(श्री शोपत सिंह)

किसान अपना माल ले जाता है बाजार में तो लूटने के लिए छूट दे दी लुटेरों को आपने। जब वह खरीदने के लिए जाये तो उसकी जेब काटी जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहा। राजस्थान के अन्दर रीको से जो लोन लिया, राजस्थान के अन्दर वित्त निगम से जो काश्तकारों ने लोन लिया वह बंद पड़े हैं कारखाने। कारखानेदार मशीनें ही ले गये। उद्योग विभाग की एक मीटिंग गंगानगर में हुई। हमारे सामने आये, यह रिपोर्ट पेश की, वह तो कारखाना बंद हो गया। मगर जब हम गये तो हमको कारखाने की मशीनें ही नहीं मिलीं। आप किसान को लोन देते वक्त जमानत लेंगे, उसकी जमीन कुर्क करेंगे, उसको रहन रखेंगे। मगर इन सेठों को आप लोन देते वक्त कोई जमानत नहीं लेते, 50 हजार रुपये तक जो लोन मिलता है। उसके लिए कोई जमानत नहीं है और आपका बट्टे खाते में पड़ा है रुपया। आज कारखाने बंद हो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने कल आये थे ब्यावर के मजदूर। मुख्य मंत्रीजी बोले, फार्मूला बड़ा अच्छा बता दूं। हमने कहा, क्या ? बोले दूध ले आओ। अच्छी बात है। गिलास ले आओ। बहुत अच्छी बात है। फिर बोले इसमें चीनी भी डाल दो। तो हमने कहा महाशयजी, आप क्या करोगे ? बोले अंगुली से मिला दूंगा मैं सारा का सारा। यह कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है। उस कारखाने को चालू करने के लिए जिसमें हजारों गरीब किसान हैं वह लाभ आज सेठों को दे देते हो। उनको देने में तो परहेज नहीं है लेकिन हैण्ड पम्प के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हैण्ड पम्प के पैसे नहीं हैं और टाटा बिरला के लिए पैसे हैं। मैं इन्हीं सुझावों के साथ कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि आपने राजाओं की जमीन क्यों नहीं ली ? आपने एक बीघा जमीन ली हो तो बता दीजिये अरबन सीलिंग के तहत या एग्रीकल्चर सीलिंग के तहत ? आपका हमला इस देश के गरीब पर है और यह गरीब बचेगा नहीं चाहे जवाहर योजना ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ।

कहते हैं कि प्रजातन्त्र की तरफ जायेंगे और हमारी नगर परिषदें जाएंगी। कल बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य कल्चर की बात कह रहे थे। अभी गये ना उत्तरी वियतनाम या कोरिया आपके कर्णधार। क्या करके आये कोरिया में ? आप कल्चर की बात कर रहो। आपका कल्चर कोरिया में देख लिया, नागपुर में देख लिया और आपका कल्चर रूस के लोगों ने देखा। मेहरबानी कीजिये। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी से कह दीजिए, आपका यह जो कल्चर है....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किस मुंह से भाषण दे रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं हमको...

श्री शोपत सिंह : मारे जायेंगे। हम सड़ा सड़ा कर नहीं मारते। भूख से नहीं मारते, गोलियों से मारते हैं आप जैसे लोगों को....

श्री माणक डाणी : उपाध्यक्ष महोदय, चीन में लोक तन्त्र के नाम पर लोगों को मरवा चुके हैं....(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हम दुश्मनों को गोलियों से मारते हैं और दोस्तों के लिए जान देते हैं यह बात है हमारी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से आज की कार्य सूची के समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय से सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है। माननीय श्री भैरोंसिंह जी।

राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (नेता प्रतिपक्ष) उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में विनियोग विधेयक पर जिस प्रकार की चर्चा हुई उसमें आज इस बात की झलक स्पष्ट रूप से आ रही थी कि सारी चर्चा चुनाव को एक आधार बिन्दु मान कर की जा रही है।

(सांय 4.52)

(श्री पंकज पंचौली, सभापति, पदासीन)

इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि 1985 के चुनाव दो मुख्य बातों पर लड़े गये। आज के सत्ता पक्ष दल ने दो नारे दिये। एक देश की एकता और अखण्डता का और दूसरा देश को शुद्ध प्रशासन देने का। सभापति महोदय, आप जानते हैं पिछले कुछ दिन पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई। देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस घटना का लाभ सत्तारूढ़ दल ने पूरा उठाया लेकिन फिर भी लोगों ने विचार किया कि नवयुवक प्रधान मंत्री ने जो वादे किये हैं उन वादों को पूरा करेंगे। लगभग 5 वर्ष होने को आये। इन पांच वर्षों में उन्होंने पंजाब का समझौता किया। उस समझौते के कारण पंजाब की समस्या का समाधान नहीं हुआ। पंजाब की समस्या ज्यादा उलझ गई। आसाम में समझौता किया, उससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इनफिल्ट्रेटर्स आज बांगला देश से जिस संख्या में आ रहे हैं, जो आकर बैठ गये हैं उनकी किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं हुई। आसाम में बोडो लैण्ड का एक नया आन्दोलन खड़ा हो गया। वेस्ट बंगाल में झारखण्ड का एक नया आन्दोलन खड़ा हुआ और इसी प्रकार गोरखालैण्ड का खड़ा हुआ और बिहार में झारखण्ड का चल रहा है। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि देश की एकता के इन प्रश्नों के ऊपर जब भी विपक्ष कोई चर्चा करेगा तो एक आरोप जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, आरोप विपक्ष पर एक तो यह लगता है कि यह अराष्ट्रीय हैं, विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। मैं ऐसा समझता हूं सभापति महोदय, यदि विपक्ष पर इस प्रकार का आरोप राजनैतिक लाभ उठाने के लिए लगाया जाय तो कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलेगा लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि हम विदेशी ताकतों से मिल कर हिन्दुस्तान की एकता भंग करने से पहले मर जाना ज्यादा पसन्द करेंगे। देश

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की एकता और अखण्डता के लिए कोई आदमी चुनौती देगा तो उस चुनौती के मुकाबले में हम कांग्रेस से पीछे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बार-बार विपक्ष के ऊपर यह आरोप लगाया जाय कि यह अराष्ट्रीय हैं। मैं समझता हूं कि न तो लगाने वाले को शोभा देता है और न इस देश की एकता और अखण्डता के लिए इस प्रकार का नारा सहायक होता है।

इसी प्रकार शुद्ध शासन देने की बात कही। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है और आजादी के 40 वर्षों में हिन्दुस्तान का आज का प्रधान मन्त्री पहला प्रधान मंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में खड़ा है।

श्री अशोक गहलोत : षड़यन्त्र करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां वही, षड़यंत्र तो उन्होंने किया है.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप तो कहो कि हमारी राष्ट्रीयता का प्रश्न आये तो हम मरना पसन्द करेंगे और प्रधान मन्त्री घेरे में खड़ा हुआ है वह ठीक बात कह रहे हैं। आप इतना तो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि हम विरोधी पक्ष के आदमी अराष्ट्रीयता के नाम पर नहीं कर रहे हैं, गोयनका क्या कर रहा था, वहां पर कामराज क्या कह रहा था। फेयरफेक्स में क्या हो रहा था? यह तो कोई मतलब नहीं हुआ। आप अपने लिए तो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। यह की कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ।

श्री डूंगरराम पंवार : इसमें भी कोई सन्देह रह गया क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को मौका मिलेगा, प्रधान मंत्री जी की ओर से सफाई देने का। ऐसा सुन्दर अवसर मैं दे रहा हूं और आप आपत्ति कर रहे हैं। मुझे इसी बात की चिन्ता है।

जहां तक शुद्ध शासन देने का प्रश्न है, मैंने केवल एक संकेत में आपसे कहा। प्रधान मंत्री जी पिछले दिनों अजमेर आये। अजमेर में उन्होंने भाषण क्या दिया वह मैं पांच लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम जो योजना बनाते हैं उसका 85 प्रतिशत पैसा सरकारी मशीनरी को धकेलने में लगता है। शेष 15 प्रतिशत भी आप तक पूरा नहीं पहुंचता, भ्रष्टाचार को जितनी सख्ती से दबाया जाता है उतना ही भ्रष्टाचार का मौका बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार के लिए नये कानून बनाओ तो काम करने के भाव ऊपर हो जाते हैं। यदि निगरानी रखने के लिए अलग मशीनरी बनाओ तो पता चलता है कि वसूली करने की एक और जगह बन गई है। यह बीमारी इतनी गहरी है कि आसानी से इसका इलाज नहीं हो सकता।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कितनी प्रेक्टिकल बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छी कही। सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सदन अच्छी तरह से अन्दाज लगाले कि पिछले पांच वर्षों में देश की एकता और अखण्डता की स्थिति क्या रही और शुद्ध शासन जनता को दिया जाय, इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी सफलता प्राप्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की ? यह प्रधान मन्त्री ने पहले वायदा किया था और यही प्रधान मन्त्री राजस्थान में कह कर गये हैं। मैंने अपने शब्द इसमें नहीं जोड़े हैं। जो उन्होंने कहा वही आपके सामने रखा है।

यहां सदन में चर्चा हुई। उस चर्चा में स्वाभाविक था कि दस वर्ष पहले जनता पार्टी का शासन आया, उस शासन को लेकर कई मित्रों ने आलोचना की। आलोचना करने का उनका अधिकार है। शासन में कमियां होंगी मैं इससे मना नहीं करता लेकिन ईमानदारी से इस बात की कोशिश की गई कि शासन में कमी न रहे और शासन जनता का सेवक बन कर काम करे। पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, पद मिल गया तो इस अवसर का लाभ इस बात के लिए उठाया गया कि जितना भी दो ढ़ाई वर्ष का समय मिले राजस्थान की जनता की सेवा की जाय और इस आधार पर मैं सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी देना चाहूंगा किसानों के सम्बन्ध में और जानकारी इसलिए देना चाहूंगा सभापति महोदय, कि राजस्थान का विकास किस पर निर्भर करता है। आप गांव का किस प्रकार से विकास करो, गांव का कितना विकास करते हैं, गांव में रहने वाले किसान, गांव में रहने वाले मजदूर, गांव में रहने वाले छोटे व्यापारी, गांव में रहने वाले गरीब, इन चारों को इकाई के रूप में मानकर यदि गांव के रूप में परिभाषित किया जाय और गांव के विकास की चिन्ता की जाय तो मैं कह सकता हूं कि इस देश का विकास होगा। यह मैं इन्हीं की बातों को दोहरा रहा हूं जो महात्मा गांधी ने कही थी कि देश की जड़ गांव में है। यह जड़ जब तक मजबूत नहीं होगी तो यह देश मजबूत नहीं होगा और इसी के आधार के ऊपर हमने इस बात की कोशिश की कि गांवों में किसानों का भला हो, मजदूरों का भला गांव का स्वयं का विकास हो और सारी सुविधाएं गांव वालों को मिले। इसी प्रकार का प्रयत्न किया गया था और मैं ऐसा समझता हूं सभापति महोदय, उस प्रयत्न के बारे में थोड़ी जानकारी इस सदन को दे दूं तो कोई आपत्ति नहीं है। सभापति महोदय, पिछले 4 साल से अकाल पड़ा, अकाल पड़ने में राजस्थान की सरकार ने उसमें राजस्व तो माफ कर दिया, कर्जा माफ नहीं किया लेकिन मैं एक जानकारी आपको पहले भी इस सदन में कई बार दे चुका हूं और कहता हूं कि बारानी जमीन को किसान के ऊपर लगान लेने का सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है और वह नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है। जो वेगरीज आफ मानसून के ऊपर निर्भर करता है। किसान खेत में खाद डालता है, बीज डालता है, मेहनत करता है, बुवाई–जुताई करता है और उसके बाद में भगवान ने ही यदि वर्षा नहीं की तो सब कुछ चौपट हो जाता है तो जब चौपट हो जाता है तो हम किसान को किसी प्रकार की सुरक्षा की गारन्टी नहीं देते हैं। तो जब पैदावार होती है तो किसान से लगान वसूल करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। इसी आधार पर हमने ढ़ाई हैक्टेयर जमीन का लगान माफ किया और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अगर पांच वर्ष हम रह जाते तो बारानी जमीन का पूरा लगान माफ कर दिया जाता और आज फिर आपको विश्वास देता हूं कि सरकार बदलेगी और किसानों की बारानी जमीन का लगान माफ होगा। सभापति महोदय, मैं इसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आधार पर कहना चाहता हूं, जब हमने राज सम्भाला था...(व्यवधान)

...आपको बुरा लगेगा मैं समझता हूं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह मिर्च लगी तो नहीं है लेकिन जो खेत में लगती है उसका जिक्र कर रहा हूं। मिर्च, जीरा, धनियां, सरसों आदि वाणिज्यिक फसलों पर सरचार्ज लगता था हमारे आने के पहले, वह सरचार्ज हमने माफ किया। अनाज के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध था, उस प्रतिबन्ध को हमने हटाया, राजस्व अभियान में 26 लाख मामले, आज जो राजस्व अभियान की आप चर्चा कर रहे हैं इसकी शुरूआत हमने की, 26 लाख मामलों का निपटारा हुआ और मुख्य मन्त्रीजी आप मेरी चुनौती को स्वीकार कर लें कि जनता शासन में जो राजस्व अभियान चले उनमें 3 प्रतिशत केसेज का रिवीजन अपील हुआ है, आपके यहां 90 पर्सेंट के ऊपर गये साल का रिवीजन हुआ। इससे आप अन्दाजा लगा लें कि काम करने के ढंग में और काम का परिणाम निकालने में कितना अन्तर आता है। मैं इतना और कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र के लोग, माननीय सदस्य जानते हैं कि आदिवासी जिस भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं उनको आज तक किसी भी सरकार ने उस वन भूमि की खातेदारी उनको नहीं दी। यह जनता पार्टी का शासन था जिस शासन में घोषणा कर दी कि 1971 के पहले जो काबिज हैं उन सब काबिजों को पट्टा दिया जाय और आज मैं फिर कहता हूं, जब हमारा शासन आयेगा बारानी जमीन के ऊपर और वन भूमि के ऊपर आदिवासियों ने जो कब्जा किया है उसका पट्टा उनको दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं इसी आधार पर और कहना चाहता हूं....

श्री सी. पी. जोशी : 1980 में हो चुका, 1985 में हो चुका अब क्या गिना रहे हो। दो बार पब्लिक में जाकर आ गये आप, यह सब काम करने के बाद दो बार पब्लिक में जाकर आ गये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सभापति महोदय, आपको इतना कह दूं कि मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे, इतना ही कह दूं।....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। कृपया सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, 74 हजार किसानों को 8.5 लाख एकड़ भूमि आवंटित की गई। आपने भी की, हमने भी की। 48 हजार 147 मामलों का नियमन किया, 1 हजार 830 गांवों की आबादी के लिए कृषकों को भूमि उपलब्ध करायी।

बून्दी जिले के माननीय सदस्य बैठे हैं हरिमोहनजी, अगर जानकारी हो पुरानी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बून्दी जिले के 12 हजार काश्तकारों को कानून में संशोधन कर उनको खातेदारी अधिकार दिये। सभापति महोदय; अब मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पहली बार किसानों के लिए फ्लैट रेट जनता पार्टी के शासन में लगी। आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि ढ़ाई वर्षो में 76 हजार 936 कुओं का विद्युतीकरण किया गया, कुल 2 लाख 10 हजार कुओं का विद्युतीकरण हुआ है जिसमें....(व्यवधान) आप सुन तो लीजिये।....सभापति महोदय, ये बोल लें फिर मैं.. ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने दीजिये या तो आप इनको आर्डर में कर लीजिये और यदि आप आर्डर में नहीं करें तो हम डिस–आर्डर में आ जायेंगे।

श्री सभापति : नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप कृपया बोलें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को सहयोग करें, आसन को सहयोग करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 2 लाख 10 हजार कुओं में 76 हजार 926 कुओं पर बिजली, यह जनता शासन में दी गई, 5 हजार 492 गांवों का विद्युतीकरण किया। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि में काम आने वाली विद्युत की फ्लैट रेट लागू की गयी, ट्रैक्टर ट्रोली पर 840 रुपये प्रति वर्ष के लिए लिये जाना वाला कर मुक्त किया गया और कल अन्त्योदय और फूड फोर वर्क का भी जिक्र किया गया। मैं सभापति महोदय, फूड फोर वर्क तो इस आधार पर शुरू किया गया था कि आज जिस पंचायती राज को आप अधिकार देना चाहते हैं, हमने फूड फोर वर्क का सारा काम पंचायतों के माध्यम से कराया, पंचायतों को चार आना आदमी के हिसाब से अनुदान मिलता था उसको बढ़ाकर जनता शासन में ढ़ाई रुपये किये गये, सरपंच को एक पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं था। वह हमने 7 हजार रुपये तक का अधिकार दिया और फूड फोर वर्क चला। मैं उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, फूड फोर वर्क के बारे में जो बैल्यूएशन भारत सरकार ने मेरे हटने के बाद में करायी है उसकी पांच लाइनें मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"It was reported that cases of theft are now lesser than before with the availability of the approach road and easy excess of the people to nearby police stations. It was also reported that in some crime prone areas, the incidents of crime borne out of hunger has come down as an impact of this scheme".

इससे अब आप अन्दाजा लगा लीजिये। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। एक लाख दस हजार काम हुए हैं, आपने काम कराये होंगे आगे, मैं नहीं कहता। लेकिन ढ़ाई वर्ष में एक लाख दस हजार काम कराये। पंचायत घर बने, स्कूल के भवन बने, सड़कें बनीं, तालाब

Page No. 143

(143)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खुदे, कुए बने, सब कुछ किया और करने के बाद इस अन्त्योदय के बारे में जो भारत सरकार ने इवेलुएशन किया है, उसके तीन पैराग्राफ्स मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, जो माननीय सदस्य आलोचना कर रहे थे उस आलोचना के बारे में उनको बता दूं :–

"The broad impression that the team has gained is that while under the existing schemes like SFDA, MAFAL, DPAP etc., previously the comparatively more affluent among these groups were drawing the bulk of the benefit and no special effort was made to identify the poorest of the poor such as landless labour, without any asset. The present Government of Rajasthan has used these very schemes by giving them a positive pill in favour of the poor in the villages by identifying first the poorest families in the villagers starting from bottom upwards. The team is glad to record that this particular objective has now been achieved under the 'Antyodaya' programme by the Rajasthan which had led emphasis first on the landless poor and then moved upwards. Thus, making a direct attack on poverty at the lowest level".

आगे भी बहुत प्रशंसा है, मैं टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं क्या माननीय सदस्य इन्कार कर सकते हैं कि जिस प्रकार फूड फार वर्क का काम चला, राजस्थान का वह गरीब जो आज तो राजस्थान छोड़कर पत्थर ढोने के लिये बड़े-बड़े शहरों में जाता है, जिस समय फूड फार वर्क का काम चला, गांवों में चर्चा हो गयी कि उसी गरीब को, होली-दिवाली के दिन जिसको खाने को गेहूं नहीं मिलता था, उसके घर में गेहूं की बोरियां लग रही थीं। मैं नहीं कहता कि उसमें कोई कमी नहीं रही होगी। इतना बड़ा मैसिव वर्क था, उसमें कुछ कमी हो भी सकती है, सुधारी भी जा सकती है। लेकिन कमी रखने के लिये प्रोग्राम नहीं था। गरीब की रोजी-रोटी का प्रबन्ध करने के लिये प्रोग्राम बनाया। मुझे इस बात की खुशी है कि आज राजस्थान की जनता उसी फूड फार वर्क और अन्त्योदय को याद कर रही है। आपने यदि कोई सुधार किया है, केवल सुधार यह किया है फूड फार वर्क का नाम बदल दिया और नाम बदल कर उसका एन.आर.ई.पी. कर दिया और अन्त्योदय का आई.आर.डी.पी. कर दिया। यदि स्कीम खराब थी, तो आई.आर.डी.पी. क्यों बनाया ? स्कीम फूड फार वर्क की खराब थी, तो एन.आर.ई.पी. के रूप में उसकी क्यों नकल की ? नकल तो वही की वही है। आज चाहे आप उसकी आलोचना करें, राजस्थान की जनता में एक छाप है। गांवों में और शहरों में पहली बार इस प्रकार का विकास हुआ है। मैं इस दृष्टि से कहना चाहता हूं और किस हालत में माननीये सदस्यों को पता होगा कि पूरे जनता शासन में 10 करोड़ के टैक्स लगे, केवल 10 करोड़ रुपये के और जनता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शासन ने हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी के सपने को पूरा किया, शराब बन्दी की घोषणा करके 73 करोड़ रुपये का घाटा उठाया। आज यही शिवचरण जी माथुर हैं, जिस शिवचरण जी माथुर ने महात्मा गांधी की आत्मा को कितना कष्ट पहुंचाया होगा, जब मैंने शराब बन्दी लागू की और शिवचरण जी माथुर ने उसको वापस लागू कर दिया। आज महात्मा गांधी का नाम लेने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि उन सिद्धांतों पर हम चले, उन सिद्धांतों के आधार पर हमने शराब बन्दी की और इन सिद्धांतों के विरुद्ध मेरे सामने जो माथुर साहब बैठे हैं, इन्होंने पूरे राजस्थान में शराब खोली। इतना ही नहीं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले एक वर्ष में राजस्थान की सरकार ने....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये आप। आर्डर प्लीज। कृपया सहयोग करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना ही नहीं कि शराब खोली हो, केवल इतनी सी बात मैं नहीं कहता और शराब बन्दी को इन्होंने हटाया हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 1.6.84 से लेकर 1.3.79 तक जो 183 टोन मिल्क पर लीटर 3.20 रु. मिला करता था, उसका भाव बढ़ा कर 1.3.89 को पांच रुपये और पांच रुपये बीस पैसे कर दिया, दूध का भाव आपने बढ़ाया और सभापति महोदय, इसी के साथ सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि शराब की कीमत घटायी। केसर, कस्तूरी मिलती थी 34.62 रु. में वह 30 रु. में कर दी। गुलाब मिलती थी 16.92 रुपये में, उसकी कीमत घटा कर 13.65 रुपये कर दी, शाका मिलती थी 12.53 रुपये में उसकी कीमत 11.55 कर दी और साठा मिलता था 7.56 रुपये में, उसे 7.20 रुपये कर दिया। अब दूध के बारे में तो मुझे आपत्ति है कि दूध के भाव बढ़ाये हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा सत्ता पक्ष वालों से, शराब की कीमत घटायी है मुख्य मन्त्रीजी ने, बहुत बड़ा काम किया है, इसकी ताली तो बजाओ, ताली बजाने वाला काम किया है। जनता का समर्थन लेने वाला काम किया है इसलिये सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा महात्मा गांधी की बात करना और महात्मा गांधी की बात के आधार पर चलना बहुत कठिन है, यह हर इन्सान के लिये कठिन है मेरे लिये और आपके लिये भी कठिन है। लेकिन सरकार। इस सरकार ने महात्मा गांधी की आत्मा को ऐसी ठेस पहुंचायी होगी, जो कहते थे करोड़ों रुपये का घाटा हो जाये, चिंता की बात नहीं, हिन्दुस्तान में दो चीज करके छोड़ूंगा एक गो-हत्या बन्द होगी और दूसरी शराब बन्दी होगी। इस सरकार में दोनों इसी प्रकार से चल रही हैं, महात्मा गांधी क्या सोचते होंगे? माथुर साहब जानें, मुझे कुछ कहना नहीं है.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : गो-हत्या है ही नहीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बैठिये आप माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा सातवीं पंचवर्षीय योजना जिस समय इस सदन में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रस्तुत की गयी थी, उसका एक हल्यू. प्रिंट हमको दिया गया था। सरकार की ओर से भाषण देते हुए कहा गया कि तीन हजार करोड़ रुपये की स्कीम मन्जूर हुई है जिसमें एक हजार करोड़ रुपये के एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं। दो हजार करोड़ में ग्रांट-इन-एड आयेगी, भारत सरकार की सहायता आयेगी और एक हजार करोड़ रुपये का एडीशनल रिसोर्सेज राजस्थान में हमको कलेक्ट करना है। मोबिलाइज करना है इस सदन को सुन कर ताज्जुब होगा कि राजस्थान की सरकार ने पिछले पांच वर्षों में बारह सौ करोड़ रुपये के एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज किये हैं और एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने में काश्तकारों से आठ सौ करोड़ रुपये वसूल किये हैं। बिजली की रेट दो बार बढ़ायी। एक बार जिस समय जोशी जी मुख्य मंत्री थे, एक साथ 96 करोड़ रुपये के चार्जेज किसानों के लिये बढ़ाये और उसके बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री जी आये हैं, 203 करोड़ रुपये का घाटा, घाटे का बजट पेश किया और उससे एक इम्प्रेशन दिया कि मैं कोई टैक्स नहीं लगा रहा हूं। मैं मुख्य मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अक्टूबर, 1988 में बजट नोटिफिकेशन निकाल कर काश्तकारों के ऊपर 44 करोड़ रुपये की बिजली रेट और बढ़ायी। बिजली के 44 करोड़ रुपये के चार्जेज बढ़ाये और किसानों से और चार्जेज मिला कर 38 करोड़ और बढ़ा दिये। काश्तकार की खाद महंगी कर दी, पानी महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, उपकरण महंगे कर दिये, इन सारे टैक्सेज के आधार पर आपने काश्तकार से आठ सौ करोड़ रुपये लिये। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने काश्तकार को दिया क्या है? यदि आठ सौ करोड़ रुपये ले कर के सौ करोड़ भी देते तो मेरा यह विश्वास होता कि सात सौ करोड़ बकाया ही सही। आठ सौ करोड़ में किसानों को आपने क्या दिया? चार वर्ष तक अकाल पड़ा। दो हजार करोड़ रुपये की किसानों की फसल नष्ट हुई। आप यह कहेंगे कि हमने रोजगार के काम चालू करा कर काश्तकारों को कुछ दिया है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज काश्तकारों को केवल आपने डण्डे दिये हैं। उसके कपड़े बिक जायें उसके बैल बिक जायें, उसके और सामान बिक जायें, इसके साथ कर्जा वसूली में किसानों के साथ सख्ती की जाये, इसके अतिरिक्त आपने कुछ किया नहीं? किस बात का कर्जा वसूल कर रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, पचास करोड़ रुपये का जो बैंक के खातों में इम्बैलेन्स है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, विस्तार में नहीं जाना चाहता। 12 करोड़ रुपये का गबन है, 22 करोड़ रुपये के ऑडिट ओबजेक्शन्स में इन्वोल्वमेंट है। 34 करोड़ रुपये तो ये गये, उसके बाद 216 करोड़ रुपये बचते हैं। इस 216 करोड़ रुपये में पैनल चार्जेज और पैनल्टीज सारी की सारी शामिल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चार वर्ष किसान यदि कर्जा नहीं दे सका तो उससे ब्याज किस बात का? यदि सरकारी अधिकारी ने गबन किया तो किसान से वसूली किस बात की? अगर इम्बैलेन्स हुआ तो किसान से किस बात की वसूली? यदि ऑडिट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ओबजेक्शन्स के अन्दर 22 करोड़ रुपये इन्वोल्वड है तो किसान से किस बात की वसूली ? मैं आज आपको साफ कह देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी, आप मुख्यमंत्री है, हम विपक्ष में हैं–आप अपनी फौज लगा लें, पुलिस लगा लें, यदि किसान का सामान बेचा गया तो हाथ तोड़ने की कोशिश की जायेगी, किसान कर्जा नहीं देगा। किस बात का कर्जा, हमें बता दें ? सभापति महोदय, राजस्थान में किसान की दो मांग हैं। या तो रेमुनेरेटिव प्राइसेज किसान को मिल जाय या नेचुरल क्लेमिटीज को फेस करने के लिए उसकी फसल और उसके पशु का बीमा हो जाय। राजस्थान में न फसल का बीमा, न पशु का बीमा, न राजस्थान में रेमुनरेटिव प्राइसेज। बाजार में भाव क्या होते हैं और सरकार क्या घोषणा करती है। ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहूंगा, किसान आज हिन्दुस्तान में, यहां जालौर जिले के माननीय सदस्य बैठे हैं, खड़े होकर कह दें कि क्या जालौर जिले से जो जीरा ऊंझा की मण्डी में जाता है और किसान को परेशानी होती है, क्या जालौर जिले के माननीय सदस्य पक्ष में हैं कि वह परमिट सिस्टम चालू रहे और किसानों का शोषण होता रहे ? क्या लोग इस बात के पक्ष में हैं कि राजस्थान सरकार ने बाजरे पर, मक्का पर, पिछले दिनों में जो प्रतिबन्ध लगाया और किसानों को भाव सस्ता करके ठगा गया, क्या राजस्थान विधान सभा में सत्ता पक्ष के लोग इस बात के पक्ष में हैं ? दुनिया भर के प्रतिबन्ध लगाकर किसान की पैदावार के भाव मार्केट में कैसे गिरे, इस बात का आपने षड्यंत्र किया है और कुछ नहीं किया और इस आधार पर किसानों को मारा है। एक तरफ उसकी फसल का भाव गिराया जाय और दूसरी तरफ किसान से ब्याज वसूल किया जाय, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती।

सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं हिन्दुस्तान के सब राज्यों में राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा खाद है और खाद के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान में है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जो राज्य राजस्थान की तुलना में आ जाय। चाहे डी.ए.पी. ले लें, चाहे यूरिया ले लें, कोई खाद ऐसी नहीं है जिस खाद के अन्दर राजस्थान टॉप पर न हो। मैं चाहता हूं, आज राजस्थान कृषि प्रधान देश है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चाहिए था कि किसान के लिए खाद सस्ता किया जाता लेकिन खाद सस्ता नहीं हुआ। किसान को बीज बांटा गया। जयपुर जिले में टमाटर का बीज बांटा–किसान तबाह हो गया। डूंगरपुर जिले में चावल का बीज बांटा–किसान तबाह हो गया। गंगानगर और सीकर में बाजरे का बीज बांटा–किसान तबाह हो गया और सरकार यह कहती हैं–हम कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। आप उस एक आदमी के खिलाफ तो कार्यवाही करोगे लेकिन जिन के खेत तबाह हो गये उनको मुआवजा कौन देगा ? उसके बारे में सरकार बोलने को तैयार नहीं है। आज किसानों को आपने क्या दिया है ? हमने फ्लेट रेट लागू की, आपने उस फ्लैट रेट के ऊपर रेट बढ़ा दी। क्या दे रहे हैं आप किसान को, आप लूटना चाहते हैं ? सभापति महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

न तो समर्थन मूल्य, पंजाब में और हरियाणा में समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसा मिल रहा है, राजस्थान की सरकार कहती है कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति तो ठीक नहीं है लेकिन क्या किसान की वित्तीय स्थिति ठीक है? सभापति महोदय, हम कर्जा माफ करने की बात करते हैं तो यह अनुचित है लेकिन राजस्थान की सरकार पर तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये का कर्जा है। साढ़े आठ करोड़ का ब्याज देते हैं। क्या राजस्थान की सरकार ने फाइनेन्स कमीशन से मांग नहीं की है कि हमारा कर्जा माफ करो? क्या भारत सरकार, जिसके ऊपर लगभग 96 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है, ने विदेशी अर्थ संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं से मांग नहीं की कि हमारा कर्जा माफ करो। राजस्थान की सरकार अपना कर्जा माफ करा रही है, भारत सरकार अपना कर्जा माफ करा रही है, राजस्थान का गरीब किसान यदि कर्जा माफ करने के लिए कहता है तो कर्जा माफ नहीं होगा तो हमने भी फैसला कर लिया कि कर्जा माफ होगा और नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं इसी आधार पर राजस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है, इसका भी जिक्र करना चाहता हूं। राजस्थान का बजट, पिछले पांच वर्षों का बजट घाटे का बजट आया है। 1985-86 में 23 करोड़ का घाटा, राउण्ड फिगर्स में, 86-87 में 50 करोड़ का घाटा, 87-88 में 116 करोड़ का घाटा, 88-89 में 252 करोड़ का घाटा और 89-90 में 203 करोड़ का घाटा। यह घाटे का बजट है। कई अर्थ-शास्त्री कहते हैं घाटे का बजट-यह विकास का संकेत है लेकिन वे अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं कि यदि राजस्व खाते में घाटा हो और पूंजीगत खाते से पैसा निकाल करके उस घाटे को पूरा किया जाय-उस राज्य का विकास नहीं हो सकता, उस राज्य का विनाश होगा। पिछले पांच वर्षों में आपने यह किया। आपने राजस्व घाटे की पूर्ति पूंजीगत खाते से की और इससे बड़ी किसी भी वित्तीय व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं हो सकती, यह वित्तीय व्यवस्था की खराबी की पराकाष्ठा है लेकिन राजस्थान सरकार ने पिछले पांच वर्षों में यह किया। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नॉन प्लान एक्सपेण्डीचर, गैर योजना व्यय राजस्थान में जिस मात्रा में बढ़ी है उसकी आलोचना मैं नहीं करता लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम है फाइनेन्स कमीशन के चैयरमेन मिस्टर साल्वे ने आपके मुंह पर कहा था कि राजस्थान में नॉन प्लान एक्सपेण्डीचर सीमा से बाहर जा रहा है इसको रोका जाय। आपने रोकने के लिए क्या कोशिश की? सभापति महोदय, रोकने के लिए यह कोशिश की-एक प्रश्न का उत्तर था-राजस्थान सरकार ने प्रशासन में मितव्ययता बरतने और खर्चे पर अंकुश लगाने के लिए आयोजना व गैर आयोजना व्यय में कटौती करने का निर्णय लिया था, यदि हां, तो कब और किस-किस विभाग में किस प्रकार की कितनी कटौती हुई? सरकार ने जवाब दिया, वह भी सुन लें। मितव्ययता बरतने के लिए पदों के सृजन और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों पर चालू वित्तीय वर्ष में प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, यह मितव्ययता हो रही है, जो फिलहाल 30.6.89 तक है। साथ ही गैर आयोजना व्यय में पांच प्रतिशत कटौती का सामान्य निर्णय लिया गया है, विभागों को कटौती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करके पुनः बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । सभापति महोदय, अब आप अन्दाजा लगाइये, जहां नान प्लान एक्सपेण्डीचर कोई थोड़ा नहीं बढ़ा है 1985–86 में 1237 था जो 89–90 में 2081 हो गया, एनार्मस प्रपोर्शन, डेन्जरस प्रपोर्शन इस नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर के और मैं आज कहता हूं, केन्द्रीय सरकार इस नॉन प्लान एक्सपेण्डीचर को नहीं रोक पाई, राजस्थान का विकास नहीं, अपने हाथों से राजस्थान का विनाश कर देगी ।

सभापति महोदय, फेमिन आया 1988 89 में । दुर्भाग्य है कि 1985 में आप जीते और अकाल पड़ा, 1986 में अकाल पड़ा, 1987 में अकाल पड़ा, 1988 में इन्द्र देव खुश हो गये और अब के मैं यह सोचता नहीं हूं कि अकाल पड़े । ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है इस सदन के माध्यम से कि दण्ड देना है तो राजस्थान की सरकार को दे, राजस्थान की जनता को नहीं अब मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लेकिन सभापति महोदय, 900 करोड़ रुपये का खर्चा, मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 900 करोड रुपये के लगभग इस अकाल के ऊपर खर्चा हुआ । 907 करोड़ रुपये खर्च हुए और आपने तारीफ की पिछली एक शताब्दी में इतना रुपया खर्च नहीं हुआ जो हमने पिछले दो वर्षों में खर्च किया । सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं वे अपना उत्तर दें तो बतायें, आपको अकाल खर्च के लिए प्रधानमंत्री ने दो दिशा निर्देश दिये थे । पहला दिशा निर्देश था कि आप ड्राट प्रूफिंग वर्क्स लेंगे, ड्राट प्रूफिंग वर्क्स परमानेन्ट असेट्स बने इस प्रकार के काम लेंगे । सभापति महोदय मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मैं यह कहना चाहूंगा आज राज्य सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, जिन गरीबों ने कुएं बनाये वे अधूरे पड़े हैं, जो परमानेन्ट असेट्स बनाने की बात की गई थी वह अधूरी पड़ी है । चाहे स्कूल हो, सड़क हो, दवाखाना हो, चाहे पंचायत घर हो, ये सब चीजें अधूरी पड़ी हुई चीजों को पूरा करने के लिए आप सभी कहेंगे कि जवाहर रोजगार योजना में उनको पूरा किया जायेगा लेकिन उस सम्बन्ध में मैं जब चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा ।

सभापति महोदय, इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार फेमिन में दुनिया भर का पैसा खर्च कर गयी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान मुख्य मंत्रीजी से कि इस बार साढ़े चार हजार गांवों में अकाल आपने घोषित किया, अकाल घोषित होता है नवम्बर में, आपने घोषित किया जनवरी में और आज तक अकाल पर आपने एक पैसा खर्च नहीं किया । यह अगर शहरों में होता या और कहीं होता तो आप खर्च कर देते । लेकिन साढे चार हजार गांवों के काश्तकारों को गरीबों को गांव में रहने वाले लोगों को आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया । आपको धक्का लगा जिस समय स्टडी टीम आयी और स्टडी टीम ने कहा आपने क्या खर्च किया ? हमसे पैसा ले रहे हैं उस समय आपको अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ कि यदि हम मार्जिन मनी भी खर्च कर देते । उसके द्वारा भी लोगों को कुछ राहत पहुंचाते तो भारत सरकार से ए. पी. ए. में हमें कोई न कोई सहायता मिल जाती ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकिन आपने एक कौड़ी खर्च नहीं की, थी और भारत सरकार ने भी आपको अंगूठा दिखा दिया और यह जो गरीब रह गये अकाल के क्षेत्रों में लोगों की हालत खराब है।

सभापति महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहता मुख्य मंत्री जी बड़ी तारीफ करते हैं कि हमने पानी की सारी व्यवस्था कर दी। मैं समझता हूं कि पानी के आंकड़ों को कोई कम्पाइल नहीं कर सकता है। मैंने आज के 15–20 दिन पहले कितने गांवों में समस्या थी, कितने गांवों की समस्या का समाधान हुआ, कितने अब बाकी हैं। मैंने अपनीपूरी एक्सरसाइज कर ली लेकिन मैं आज यह नहीं कह सकता कि वास्तव में कितने गांवों में पानी की समस्या नहीं है। हैण्ड पम्प लगा दिये, ठीक है तात्कालिक समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है और हैण्ड पम्पों के मामले में लोगों ने जितना पैसा लोगों ने लूटा है मुख्य मंत्री जी को भी जानकारी है लूटने वालों में सबसे प्रमुख भीलवाड़ा के व्यक्ति थे, भीलवाड़ा में भी उनके खास निजी व्यक्ति जिन पर मुकदमे बने, सब कुछ हुआ लेकिन सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस अधिकारी को हैन्ड पम्पों में घपले करने के लिए सस्पेन्ड किया गया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसी अधिकारी को रिइन्सटेट करके बहुत बड़ा नाम कमाया, छुट्टी दे दी, आई. ए. एस. में ले लिया। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी कुछ न कुछ प्रशासन के नार्म्स होते हैं, आपने उन नार्म्स का भी अपने स्वार्थ में वायोलेशन किया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री का ही राज है। जिन्होंने खुद ने स्वीकार किया है, जोधपुर अजमेर, उदयपुर और ब्यावर में दो-दो दिन से पंचायत से सत्तर लीटर पानी मिल रहा है। जिस मुख्य मंत्री के राज में पानी धरती में चला जाय, चालीस से सौ फिट पानी चला जाय, अन्दाज लगा लें कि भगवान भी मुख्य मंत्री और प्रशासन के अन्याय से डर गया। अब मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान में आज तक भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बनीं, पिछले वर्षों में भी अकाल पड़े हैं लेकिन पानी इतना नीचा चला गया, चला जाय, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। दो-दो तीन-तीन दिन से लोगों को पीने का पानी मिले।

सभापति महोदय इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि, राजस्थान की सरकार को, मुख्य मंत्री जी का शासन मौत का रिकार्ड रहा है। माननीय सदस्य सुनेंगे। फेमिली प्लानिंग में मौतों का जिक्र पिछली बार आया था लगभग 98 मौतें फेमिली प्लानिंग में हुई सभापति महोदय, अखबारों का कलेक्शन है, अखबारों के आधार पर पिछले डेढ़ वर्ष का मैंने कलेक्शन किया है, कहीं मष्तिष्क ज्वर से और कहीं और बीमारियों से 32 हजार आदमी मरे। एक दो आदमी नहीं मरे 32 हजार आदमी मरे। आप चाहें तो मुख्य मंत्रीजी मेरे पास पूरा स्टेटमेन्ट है, सारे अखबारों के नाम हैं, और बीमारियों के नाम दिये हुए हैं लेकिन मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा सभापति महोदय, आपको सुनकर दुख होगा मैं कई दिनों से कह रहा हूं एक्सीडेण्ट के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बारे में चर्चा की जाय । पिछले वर्षों में 43 हजार 236 घटनायें हुईं, 14431 आदमी मरे हैं और 47 हजार 311 व्यक्ति घायल हुए हैं । सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 1988 अप्रेल में 8444 घटनाएं हुईं, 2601 व्यक्ति मारे गये, 9402 घायल हुए और इन चार महीनों में 3003 दुर्घटनाएं हुईं, 906 आदमी मारे गये और 3077 आदमी घायल हुए ।

अब मैं पूछना चाहता हूं मैं कई दिनों से इस सदन में कह रहा हूं इन दुर्घटनाओं को तो रोकें । मैं नहीं कहता कि यह दुर्घटनाएं सरकार करा रही है । लेकिन सरकार की अयोग्यता और अकर्मण्यता के कारण से यह दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं । कल चर्चा होगी । इसलिए इस समय इस सम्बन्ध में बोलकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । सभापति महोदय पहला मौका होगा राजस्थान के इतिहास में कि बीमार सड़कों पर पड़े रहें, हास्पिटल वार्डस से पुलिस बीमारों को बाहर लाकर सड़कों पर छोड़ दें, बीमारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाय । डाक्टरों की हड़ताल हुई; हड़ताल करने का उनका अधिकार था लेकिन सरकार का यह कर्तव्य था कि जिन दिनों में हड़ताल हो रही है बीमारों को हास्पिटल से सड़क पर न फेंके । उसके लिए आल्टरनेटिव व्यवस्था करती । मुख्य मंत्रीजी आप पूर्णतया फेल हैं । कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हो सकी । मुझे मालूम है किस प्रकार मरीजों को निकाल निकाल कर लाकर सड़कों पर छोड़ा गया, सरकार देखती रही, सरकार रिपोर्ट लेती रही, हास्पिटल खाली । वार्ड नम्बर पांच आज खाली हो जायेगा, चार कल खाली हो जायेगा, तीन को परसों खाली कर देंगे । केवल यह प्रगति रिपोर्ट सरकार लेती रही और सरकार ने किसी तरह की व्यवस्था नहीं की ।

सभापति महोदय, दहेज हत्या एक सोशल इविल है । हम तब उसकी निंदा करते हैं । 1988 में 163 महिलाएं दहेज हत्या में मर गईं, थानों में हत्या, 16 घटनाएं हुईं, 16 आदमी थानों में मर गये, थानों में यदि लोगों की हत्या हो, मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी आप सीरियसली लेंगे, आप इस मामले को गम्भीरता से लेंगे ।....(व्यवधान)....थाने ही हैं । मंदिर तो बनना बहुत मुश्किल है । उन थानों में घटना हो जाय, 17 आदमी पुलिस के हाथों मारे जायं तो मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है या पुलिस हमारी हत्या करने के लिए, आपको इस पर विचार करना होगा । पुलिस कर्मियों द्वारा 11 महिलाओं के साथ एक साल में बलात्कार किया गया । पुलिस कर्मचारी बलात्कार करें, पुलिस कर्मचारी हत्या करें । सभापति महोदय, 1988 में नया रिकार्ड कायम हुआ राजस्थान में 537 घटनाएं बलात्कार की हुईं । महिला सदनों में हत्या व बलात्कार, सरकारी संरक्षण में धौलपुर में चाहे बंगला देश की महिलाएं हों, चाहे नर्सिंग छात्रावास हो, उनके साथ सरकारी संरक्षण में बलात्कार । इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं कि पहले कभी नहीं हुई । इसलिए दुखः होता है ।

सभापति महोदय, हिंसा का ताण्डव । माननीय मुख्य मन्त्रीजी कहेंगे पंचायतों के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चुनाव हुए। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन पंचायतों के चुनावों में 4 आदमी तो संघर्ष में मरे और सैंकड़ों घायल हुए। लू और गर्मी से 6 आदमी मर गये और सड़क दुर्घटनाओं में ड्यूटी के दौरान 10 आदमी मारे गये। 29 स्थानों पर हिंसा हुई, गोलियां चली, लाठी चार्ज हुआ। क्या आप समझते हैं कि आपका प्रशासन ठीक है? बच्चों का अपहरण हुआ, तस्करी बढ़ी, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, इसी तरह कम्युनल राइट्स की संख्या बढ़ गयी। अभी तीन बारातों के मामले, मैं रिपीट नहीं करता चाहता, मसारी, गुढ़ा, सन्तराम और खेड़ली, यह पहली बार राजस्थान में हुआ कि हरिजनों के दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया, बैण्ड भगा दिया और फेरे नहीं हुए और हरिजनों को कह दिया कि फेरे नहीं होंगे।

सभापति महोदय, मैं ऐसी ही एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगा। राजस्थान में 1985-86 से मार्च 1989 तक पांच वर्षों में 22 करोड़ 26 लाख की सम्पत्ति अग्निकांड में जल गई। 104 व्यक्ति मारे गये, 59 झुलस कर अपाहिज हो गये। आज पूछो इस सरकार से 22 करोड़ की सम्पत्ति जल गई, इतने लोग मारे गये, सरकार ने उनको क्या सुविधा दी, सरकार कहती है कि उसका एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न बना हुआ है बाबा आदम के जमाने का, उस पेटर्न को बदलो, या तो अग्निकांड होता है तो उसको रोकने में सहयोग दो और सरकार सक्षम नहीं है तो जो मर गये, जो सम्पत्ति नष्ट हो गई है उनको किसी न किसी रूप में सहायता दो लेकिन सरकार उनको सहायता देने को तैयार नहीं।

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार गलत आंकड़े बनाने में भी एक्सपर्ट है। मैंने हिसाब लगाया पुराना तो छोड़ दिया, मेरे से हिसाब बैठा नहीं। 85-86 से लेकर अब तक राजस्थान में 33 करोड़ 65 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इसमें 20 प्रतिशत बचे नहीं। बाकी पता ही नहीं लगता कि पेड़ कहां लग गये। यदि 25 करोड़ पेड़ राजस्थान में लग जायें तो मुख्य मंत्री जी अपनी गाड़ी ही नहीं निकले। पैदल चलना ही मुश्किल हो जाय, 25 करोड़ लग जाये तो। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी इन पेड़ों के मामले में जो झूठे आंकड़े बनाये गये हैं, उसकी आप जांच करें। यह बिल्कुल गलत बात है। कोई फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट वाला कहता है तो मैं चुनौती स्वीकार करता हूं किसी भी जिले में जाकर बता दे कितने पेड़ लगे हैं, इतने पेड़ वहां लगे। इस तरह के वहां पेड़ नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं इसी आधार पर कहना चाहता हूं राजस्थान में एक मामले में प्रगति हुई है और उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा किये बिना नहीं रहूंगा। वह मामला यह है कि नक्शे में सारे पैरामीटर्स में, इकानामिक इण्डीकेटर में राजस्थान हिन्दुस्तान के नक्शे में 17वें नम्बर पर आता है। सत्रहवें, सोलहवें और पन्द्रहवें नम्बर पर कोई इकानामिक इण्डीकेटर ले लें 16-17 नम्बर पर ही रहेगा। एक काम में राजस्थान पहले नम्बर पर है कि राजस्थान में बच्चे सबसे ज्यादा पैदा होते हैं, मैं इस प्रगति के लिए तो मुख्य मंत्री जी को बधाई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिये बिना नहीं रह सकता। अब रीजनल इम्बैलेन्स, जिस समय मुझे अवसर मिला था फाइनेन्स कमीशन के सामने जाने का, मैंने राजस्थान की वित्तीय स्थिति, मेरी नालेज के अनुसार सही-सही रूप में रखने की कोशिश की और मैंने वित्त आयोग से भी कहा कि वित्त आयोग के डिवोल्यूशन के कारण या वित्त आयोग के अवार्ड के कारण से आपने न केवल राजस्थान के साथ डिस-सर्विस की है, आपने पूरे देश के साथ डिस-सर्विस की है। आपने जिस प्रकार का डिवोल्यूशन किया है उससे हिन्दुस्तान में इम्बैलेन्स क्रियेट हो गया। कुछ साधन सम्पन्न राज्य हो गये और कुछ गरीब राज्य हो गये। आज वह साधन सम्पन्न राज्य उन बैकवर्ड राज्यों का एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं। जब तक इस एक्सप्लायटेशन की प्रवृत्ति को नहीं रोका जायेगा फाइनेन्स कमीशन का कोई उपयोग नहीं है। नाराज जरूर हुए लेकिन मैंने आंकड़ों के आधार पर उनको कन्विन्स करने की कोशिश की। सभापति महोदय, फाइनेन्स कमीशन ने जो असेसमेंट किया, वह असेसमेंट मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि इस असेसमेंट के साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना जुड़ी हुई है। अगर फाइनेन्स कमीशन ने जिस प्रकार का डिवोल्यूशन किया, जिस प्रकार के अवार्ड दिये हैं उस अवार्ड के आधार पर ही आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमको भारत सरकार से पैसा मिलने वाला है, परकैपिटा नोन प्लान एक्सपेंडीचर फाइनेन्स कमीशन ने जिसका अनुमान लगाया, सारी स्टेट्स का लगाया 555 और राजस्थान का लगाया 497, वह सही नहीं है, ज्यादा है। इसी तरह से, सभापति महोदय, परकेपिटा स्टेचुटरी ट्रांसफर्स नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन ने जो रिकमण्ड की है 202 रुपये आल स्टेट्स के लिये किया और राजस्थान के लिये 190 किया। एवरेज परकेपिटा प्लान ग्रान्ट्स आल स्टेट्स को 36 रुपये पांच और राजस्थान को 26 रुपये 2, केपिटल एक्सपेण्डीचर ओन सोशल एण्ड कम्युनिटी सर्विसेज आल स्टेट्स को 230 और राजस्थान को 202, अब प्लान एक्सपेण्डीचर, सभापति महोदय, प्लान एक्सपेण्डीचर पर केपिटा थर्ड प्लान में हम आल इण्डिया एवरेज से पीछे रहे, फोर्थ प्लान में हम आल इण्डिया एवरेज से पीछे गये, फिफ्थ प्लान में हमारा 295 और आल इण्डिया एवरेज 333, छठे प्लान में हम 579 और आल इण्डिया एवरेज 706 और सातवें प्लान में हम 746 और आल इण्डिया एवरेज 1054, मैंने यह आंकड़े इसलिये दिये हैं, सभापति महोदय, इसका परिणाम एक निकला कि हमारा डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। 87-88 में डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर था 74.99 घट कर हुआ 88–89 में 69.16 और 89–90 में 63.41, अब इसमें आप अन्दाज लगा लें डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर कम होता जाये, नॉन प्लान एक्सपेण्डीचर बढ़ता जाये, भारत सरकार से डिवोल्यूशन में हमको कम सहायता मिले तो क्या राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले में खड़ा हो सकता है।

इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा मुख्यमन्त्री जी आपने फाइनेन्स कमीशन के सामने तो हमको भेजा है लेकिन राजस्थान विधान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभा का एक डेपुटेशन भारत सरकार से मिले, प्रधान मन्त्री से मिले फाइनेन्स कमीशन से मिले और यह कहे कि राजस्थान में जिस प्रकार का डिवोल्यूशन हो रहा है, जिस प्रकार की भारत सरकार से सहायता मिल रही है, यदि इस पैटर्न में परिवर्तन नहीं किया गया तो राजस्थान गरीबी में सबसे नीचे खड़ा हो जायेगा। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में जवाहर रोजगार योजना की आपने बात कही, यह जवाहर रोजगार योजना क्या है इसका तो माननीय सदस्यों ने खूब बता दिया, मैं ज्यादा उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक शर्मनाक बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह शर्मनाक बात क्या है, मुझे याद है, छठी पंचवर्षीय योजना पर जब यहां चर्चा हो रही थी तो सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा गया कि राजस्थान में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 56 प्रतिशत लोग हैं, जब सातवीं योजना पर इस सदन में विचार हो रहा था, माननीय हरिदेव जोशी जब मुख्य मन्त्री थे, मैंने इस सदन में आपत्ति उठाई कि राजस्थान में 56 प्रतिशत से घट कर यह अचानक 33 प्रतिशत कैसे रह गये, कहने लगे भारत सरकार ने एन.एस.एस. में जिस प्रकार का डाटा कलेक्ट किया, बाजरे की, दूध और छाछ जो मिलती है उसकी कैलोरी वैल्यू निकालकर जिस प्रकार के आंकड़े तैयार किये यह सदन अच्छी तरह जानता है, पूरा राजस्थान बाजरा नहीं खाता। आज तो राजस्थान में बाजरा खाने वाले प्रदेश के हिस्सों में, अकाल के दिनों में, हमने गेहूं दिया है वहां भी बाजरा पैदा नहीं हुआ लेकिन एन.एस.एस. का डाटा इस प्रकार से तैयार किया गया कि राजस्थान को, सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गरीबी के खाते में इस फाइनेन्स कमीशन ने कितना अन्याय किया है। महाराष्ट्र को 33.614 करोड़, बिहार को 16.244 करोड़, वेस्ट बंगाल को 11.172 करोड़, केरला को 11.295 करोड़, यू.पी. को 12.35 करोड़, मध्यप्रदेश को 19.568 करोड़ और पंजाब को 4.437 करोड़, राजस्थान को 3.811 करोड़। अब अन्दाज लगा लें अब यह जवाहर रोजगार योजना में हमको पैसा मिलेगा। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है आज उस फाइनेन्स कमीशन ने और एन.एस.एस. ने राजस्थान की गरीबी आंकड़ों में मिटा दी मुझे खेद है सातवीं पंचवर्षीय योजना का आधार 33 प्रतिशत गरीबी से चला, 1983-84 में 34.8 हुई और अब समाचार पत्रों में प्रोवीजनल जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 38 प्रतिशत हो गयी। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है जिस फाइनेन्स कमीशन ने यह सारी बात कही है वह फाइनेन्स कमीशन ही अपने प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार करता है कि राजस्थान की गरीबी की नवें फाइनेन्स कमीशन की जो पहली रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 25, मैं सदन की जानकारी को देना चाहूंगा, हमने

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सातवें वित्त आयोग के सूत्रों का उपयोग करके तथा उन सिद्धान्तों को अपनाकर जिनको योजना आयोग ने 1985 की आयोजना के प्रयोजनों के लिये बनाया था प्रत्येक राज्य में गरीबी की संख्या के अनुमानों की जांच की है यह मैं नहीं बोल रहा हूं नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन बोल रहा है। इन अनुमानों की एक विशेषता यह है कि पहाड़ी राज्यों तथा राजस्थान जैसे राज्यों में जो कि निःसन्देह गरीब और पिछड़े हुये राज्य हैं, गरीबी की प्रतिशतता अपेक्षाकृत बहुत कम दिखाई देती है। यह फाइनेन्स कमीशन एड करता है, कमजोरी है. राजस्थान सरकार की जो वास्तविकता है, वह वास्तविकता भारत सरकार को नहीं बता सकते। क्या बाजरे की कैलोरी वैल्यू निकाली हमारी, यहां ज्वार खाते हैं, मक्का खाते हैं, गेहूं खाते हैं जिनकी कैलोरी वैल्यू बाजरे से कम है लेकिन उस बाजरे को आधार बना लिया। जितने पशु हैं उनका कितना दूध आता है, दूध से कितनी छाछ बनती है, कितना घी बनता है, पापुलेशन में उसका वितरण कर दिया और कैलोरी वैल्यू के आधार पर कह दिया कि और देशों और प्रदेशों के मुकाबले में राजस्थान में गरीबी सबसे कम है और इस कारण से गरीबी खाते में पैसा हमको सबसे कम मिला।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा, मुख्यमन्त्रीजी, आप यदि इस सदन का सहयोग लेना चाहें, हम इस इश्यू के ऊपर जिस प्रकार का भी आप सहयोग चाहें, सहयोग करने को तैयार हैं। आप दिल्ली चलें, आपके साथ तैयार हैं। प्रधानमन्त्री जी से मिलने के लिये हम चलने के लिये तैयार हैं क्योंकि सारी योजना का आधार यदि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है तो इस संख्या को सही करने के लिये सब प्रकार का हमको प्रयत्न करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा 1988–89 में हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, गांवों के साथ खासतौर से। पहले, सभापति महोदय, "ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम" बड़ा लुभावना नारा है, गांवों में लोगों को रोजगार मिलेगा, 32 करोड़ रुपये का प्रावधान था 1988–89 में खर्च हुआ है उसमें केवल 16 करोड़ राउण्ड फिगर में 32 करोड़ में से 16 करोड़ रुपया खर्च किया है और एन.आर.ई.पी. में 45 करोड़ रुपये का प्रावधान था 33 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये। मेरी समझ में नहीं आता कि अब आप कहेंगे कि हमने अकाल के कामों में खर्च कर दिया। अकाल के कामों में स्पेशल स्कीम का पैसा आप ले जायें उसका परपज दूसरा है, इसका परपज दूसरा है। लेकिन आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आर.एल.ई.जी.पी. में और एन.आर.ई.पी. में जो प्रावधान था जितने धन का, खर्च नहीं करके आपने गांव वालों के साथ बड़ा अन्याय किया है। सभापति महोदय, राजस्थान में एग्रीकल्चर लेबर 3.57 लाख फेमिली, मार्जिनल फार्मर 10·20 लाख फेमिली, स्माल फार्मर 8.33 लाख फेमिली, मार्जिनल फार्मर 15.70 लाख फेमेली 38.33 तो यह हो गई और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स इनको जोड़ने के बाद 1 करोड़ 91 लाख व्यक्ति ऐसे होते

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं जो गरीब हैं, गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उन लोगों के लिये पैसा खर्च होने वाला था, वह पैसा राज्य सरकार ने खर्च नहीं किया। सभापति महोदय, गरीबी मिटे कैसे? आंकड़े बनाने में सरकार हमारी मास्टर है, इसमें कोई सन्देह नहीं। आई.आर.डी.पी. में हमने गरीबी मिटा दी। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी आपको, भजनलाल जी का पत्र मिला है दिनांक 16-12-88 का वह पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें आपने गरीबी के काम की पोल खोली। वह मेरा पत्र नहीं है भजनलाल जी ने अपने पत्र में लिखा है आपके राज्य में निम्नलिखित मुद्दे सामने आये हैं। आई. आर. डी. पी. कार्यक्रम, पहला मुद्दा है 34 प्रतिशत मामलों में उपलब्ध करायी गयी सहायता पर्याप्त नहीं है। 34 प्रतिशत मामलों में लागत और मूल्य के बीच एक हजार रुपये से अधिक का अन्तर था। 46% मामलों में परम्परागत परिसम्पत्तियों से कोई आय प्राप्त नहीं है। 17 प्रतिशत मामलों में एक हजार, दो हजार रुपयों के बीच तथा 11 प्रतिशत मामलों में दो हजार रुपये से अधिक 35 सौ रुपये की राशि गरीबी की रेखा को पार करने वाले व्यक्ति 54% केवल 33 प्रतिशत मामलों में कोई अधिदेय राशि शेष नहीं थी। 19 प्रतिशत मामलों में राशि 1 हजार, दो हजार रुपये के बीच थी, 98 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को कोई समर्थन नहीं था, 96 प्रतिशत मामलों में देख-रेख सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई थी, 14 प्रतिशत मामलों में ऋण की वापसी अदायगी की अवधि तीन वर्ष थी। सारा सारांश यह निकलता है कि जो आपने आंकड़े दिये वह आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। जितने लोगों को आपने गरीबी की रेखा पार करना बताया उन्होंने गरीबी की रेखा पार नहीं की। सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि गरीब या छोटे किसान इनकी क्या स्थिति है, इसका आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं और राजस्थान सरकार ने इनके साथ कितना अन्याय किया है इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सभापति महोदय, मैं यहां पर एक योजना का और जिक्र करूंगा। पिछली पंचवर्षीय योजना, यह तो अन्तिम वर्ष है लेकिन इससे पहले मुख्यमन्त्री जी मैं पूछना चाहूंगा कि इस एक वर्षीय योजना में पहली बार हिन्दुस्तान में किसी राज्य में कटौती हुई हो सामूहिक रूप से, तो राजस्थान है जिसमें 10 प्रतिशत की कटौती हुई है। 10 प्रतिशत की कटौती दिसम्बर के महीने तक, सभापति महोदय, प्लान का 52 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं हुआ। मई के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्सियल सैंक्शन निकल जानी चाहिए, दिसम्बर और जनवरी तक फाइनेन्सियल सैंक्शन नहीं निकली। स्कूल खोलने की घोषणा कर दी, मास्टर की नियुक्ति नहीं हुई, स्कूल कहां खुलेगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं। मैंने केवल उदाहरण आपके सामने दिये हैं और यदि गवर्नर महोदय का भाषण पढ़ें तो उसमें सभापति महोदय, तीन बातें खास तौर से लिखी हुई हैं। योजना कार्यों के लिए कार्य प्रगति पर है, लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं, निर्णय ले लिया गया है, निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है। यह चार आदेश हैं। राज्यपाल महोदय को मैंने कहा कि श्रीमान जी यह बातें कहने की क्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जरूरत थी, कह देते कि काम नहीं हुआ, तो कहते हैं कि सरकार लिखकर भेजती है उसको मैं पढ़ता हूं। मैंने मुख्य मंत्री जी आपको याद होगा 20 मई, 1989 को एक पत्र लिखा और पत्र में आपसे मांग की कि इस एक वर्षीय योजना में किस-किस मद में किस-किस महीने में कितना खर्चा हुआ। कोई भी योजना वर्ष में खर्चे का विधानसभा के सामने हिसाब पेश करना चाहिए, इस योजना का आपने कोई प्रारूप पेश नहीं किया। इस योजना की क्या परफार्मेन्स है उस परफार्मेन्स की शीट आपने सदन को नहीं दी। एक योजना की नहीं, किसी भी योजना की आपने नहीं दी। मैंने आपको इन बातों के लिए लिखा था कि सातवीं योजना का अन्तिम प्रलेख प्रत्येक वार्षिक योजना व उसका निष्पादन प्रतिवेदन, 1989–90 की वार्षिक योजना में निर्धारित कार्यों पर दिसम्बर, 88 के अन्त तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का देय हो चुका है। इसी तरह जनवरी-फरवरी या मार्च प्रत्येक माह में अन्त तक कितना खर्चा हुआ, आज तक कोई जवाब नहीं आया। सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह योजना, अब योजना के बाद, सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में कुछ बातें नहीं कहूं तो नाराज होंगे, कहेंगे भूल गये, तो जरूरी है मुख्यमंत्री जी समझौता करने में बहुत मास्टर हैं। अब के इन्होंने देखा कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के मौके पर यदि मैंने कुछ कहा नहीं, तो श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस हुई। उस श्रीनगर की कोन्फ्रेंस में बोलकर अखबारों में छपवा दिया कि 1984 के एग्रीमेण्ट को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री जी को कहा और गृहमंत्री जी को कहा और गृहमंत्री जी ने कहा, वही प्रधानमन्त्री की भाषा बोली, देख लेंगे, देख लिया गया। देख लेंगे, वह देख लिया गया। यह भी नहीं कहा कि देखूंगा। यह भी नहीं। सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमन्त्री शिवचरण जी माथुर चाहे राजस्थान के मुख्यमन्त्री हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य तालियां बजा कर उनका समर्थन करें लेकिन राजस्थान की जनता भूलेगी नहीं कि राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने 1984 का समझौता कर 536 मेगावाट पावर राजस्थान के हिस्से की छोड़ी। सभापति महोदय, सूरतगढ़, धौलपुर, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़, सुपर थर्मल प्लांट, आज दुनियां में बहका रहे हैं हमको, कह रहे हैं हमको, कह रहे हैं धौलपुर में आया हुआ है लिखा हुआ कि एनवायरमेंट पाइण्ट ऑफ व्यू से नहीं होगा, दूर ढूंढ़िये। चित्तौड़गढ़ का कह रहे हैं, मांडलगढ़ का कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं पूछता हूं, क्या एनर्जी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस के अन्दर यह तय नहीं हो गया कि जितने भी थर्मल प्लांट लगेंगे वह पिटहैड के नजदीक लगेंगे इसमें न धौलपुर आता, न मांडल आता, न चित्तौड़ आता है, न भीलवाड़ा। आप घोषणाएं 8 वर्ष से कर रहे हैं। इसी सदन में मैंने एक बार कहा था मुख्यमन्त्री जी जहां जाते हो आप सुपर थर्मल प्लांट एक जेब में रखते हो, जहां भी खुश हुए उठ कर निकाल दिया सुपर थर्मल प्लांट लग गया। लोग उस समय से याद करते हैं। माननीय सदस्य ऋषिकेश बहादुर परसों बोल रहे थे और बोलते-बोलते हर बात में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में गये, यह आश्वासन दिया, वह आश्वासन दिया मुख्यमन्त्री जी ने यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आश्वासन दिया, यह पूरा नहीं हुआ। मुख्यमन्त्री जी की एक आदत है कि शिलान्यास कराने के लिए मुख्यमन्त्री जी को आसमान और पाताल में कहीं ले जाओ पुलिस का सहयोग लेकर चले जायेंगे लेकिन काम को करवाने में मुख्यमन्त्री जी करवा ही नहीं सकते। आज रिकार्ड कायम किया है राजस्थान और हिन्दुस्तान में शिवचरण जी माथुर ने, मैं तारीफ करता हूं झूठे आश्वासन देने का और थोथी घोषणाएं करने का। मुख्यमन्त्री जी ने एक नया कीर्तिमान कायम किया है। पीढियां देखेंगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री भी आया था कि जगह-जगह पत्थर तो लगा दिये लेकिन पत्थर के नीचे की धरती का कभी पता भी नहीं लगा, कभी अन्दाज ही नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं ऐसी हालत में इस सरकार के बारे में क्या कहूं। बिजली के मामले में एक बात कहना चाहता हूं, कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। बिजली में आज हमारी हालत क्या है? बिजली महंगी होती जा रही है, और महंगी इसलिए होती जा रही है कि हाइड्रल पावर कम है। जितना भी बिजली का मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर हाइड्रो का 80-81 में रेशो था 51.84 हाइड्रल पावर, 1987-88 में था 43.80 और लेटेस्ट है 39.60। मतलब 51 से घट कर 39 तो आ गया हाइड्रल पावर। थर्मल का 13 से बढ़ कर आ गया 40 और न्यूक्लीयर का 35 से घट कर हो गया 20 आज बिजली थर्मल पावर की होगी, अन्ता गैस की बिजली होगी। तो आज यह मान कर चलो महंगी होगी। अन्ता गैस की बिजली में अभी तो तय नहीं हुआ राजस्थान को कितना हिस्सा मिलेगा लेकिन 1 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट उसकी जनरेटिंग कॉस्ट आयेगी। यह राजस्थान का किसान, राजस्थान का गरीब थर्मल पावर के आधार पर या गैस बेस्ड बिजली के कारखाने से जो बिजली हमको मिलने वाली है, गरीब उसका विकास नहीं कर सकता। सभापति महोदय, 60 प्रतिशत बिजली तो राजस्थान में बाहर से आती है और 40 प्रतिशत हमारी है। माही और कोटा दो मोटे स्थान हैं जहां पर बिजली का कण्ट्रोल हमारे हाथ में है। और 60 प्रतिशत बिजली बाहर से आती है।

अब मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अन्त में मैंने एक रिपोर्ट देखी है पावर सप्लाई रिपोर्ट पब्लिश बाई सी.ई.ए. इन दिसम्बर, 1987। उस रिपोर्ट में लिखा है बाई दी एण्ड आफ सिक्स प्लान राजस्थान में 28.11 प्रतिशत एनर्जी की कमी रहेगी और दी एण्ड आफ एथ प्लान राजस्थान में 1990-91 में अन्त में 35.26 बिजली की कमी रहेगी। इस कमी को कैसे पूरा किया जाये। अब, सभापति महोदय, कमी को पूरा करने के लिए मुख्य मंत्री जी कह सकते हैं कि जितने भी सैन्ट्रल प्रोजेक्टस हैं उन सैन्ट्रल प्रोजेक्टस में राजस्थान का हिस्सा, मैं मानता हूं भारत सरकार हमको कुछ देगी। लेकिन मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जहां सिंगरोली में हमको 15 प्रतिशत बिजली का हिस्सा है, वह एक फार्मूला बनाया है मुख्य मंत्री जी की कमजोरी के कारण से और फार्मूला क्या बन गया कि जिस स्टेट के अन्दर कन्जूमर्स को ज्यादा बिजली मिलती है और भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, भारत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार की सहायता ज्यादा है उन स्टेट्स को ज्यादा पैसे मिलेंगे। उस फार्मूले में न तो राजस्थान ज्यादा कन्जूमर्स की सर्विस कर रहा है और न राजस्थान में भारत सरकार का ज्यादा पैसा लग रहा है। प्रोजेक्टस बनेंगे लेकिन राजस्थान सरकार को कुछ नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, यह सदन गवाह है, नाथपा–झाकड़ी का मामला यहां चला था। पहाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे। पहाड़ियाजी ने कहा मैं चट्टान हूं, मैं टूट नहीं सकता, नाथपा–झाकड़ी में राजस्थान का हिस्सा होगा। नाथपा–झाकड़ी का क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश और प्रधान मन्त्री, दोनों ने मिल कर उसका उद्घाटन कर लिया, 1050 मेगावाट में हमने अपना हिस्सा छोड़ दिया। सबसे बड़ी शर्म की बात यह हुई कि मुख्य मंत्री राजस्थान को निमन्त्रण भी नहीं दिया गया। सभापति महोदय, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने चिट्ठी लिखी एनर्जी मिनिस्टर को कि आपने अपनी मर्जी से योजना बना ली लेकिन हमें इन्वाइट कर लेते तो हम क्या हाथ पकड़ लेते। वह चट्टान थे, चले गये। अब जैसी चट्टान है हम देख रहे हैं, उस चट्टान के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

सभापति महोदय, किसानों का तो पैसा अब के खूब बढ़ा। मुख्य मन्त्री जी, आप को पूछना चाहता हूं कि वह मोदी अल्कलीज और श्रीराम विनायल केमिकल्स क्या हैं? किसानों के तो इस समय आपने 10–10 15–15 पैसे बढ़ा दिये और सेठों के दो पैसे ही बढ़ाये? अक्टूबर में आपने नोटिफिकेशन निकाला, उसमें छूट नहीं दी। जब पता लगा कि छूट देनी चाहिए तो श्रीराम विनायल केमिकल्स, अलवर और मोदी अल्कलीज का बिजली का पैसा नहीं बढ़ाया। मैं आज कह सकता हूं, राजस्थान के मुख्य मन्त्री बुरा नहीं मानें, कि आप उनसे अनुग्रहीत हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं उद्योग लगा रहा हूं। उद्योग तो मोदी अल्कलीज ने लगाया था, हमारा कोई कमिटमैन्ट नहीं, श्रीराम विनायल केमिकल्स ने लगाया, हमारा कोई एग्रीमैण्ट नहीं था। आपने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को मजबूर कर दिया कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इन दोनों को रियायत दे। आप ने इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धारा 78 के अन्तर्गत डाइरेक्शन दिये। डाइरेक्शंस गलत हैं, इस सरकार को डाइरेक्शंस देने का कोई अधिकार नहीं है। केरल और आन्ध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। मैं आज कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, आप बुरा नहीं मानें, कि श्रीराम विनायल केमिकल्स और मोदी के हाथ से आपकी नहीं राजस्थान की चोटी छुड़ाओ। आज करिये घोषणा, मैं भी समझूंगा।

पलाना की बिजली आ जायेगा। क्या हुआ पलाना की योजना का? कोलायत लिफ्ट 140 क्यूसेक्स की है, उस कोलायत लिफ्ट पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उसमें से 70 क्यूसेक्स पानी इस योजना के लिए चाहिए। कोलायत लिफ्ट का काम नहीं हुआ, एनवायर्नमैण्टल क्लीयरेंस नहीं हुआ, वह पलाना योजना हमको क्या निहाल करने वाली है? कब आयेगी पलाना योजना? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि हम बातें तो बहुत बड़ी–बड़ी करते हैं, कर जाते हैं। राउघाट में बिजली बनाने की कोशिश कर रहे थे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मोतीलाल जी बोरा पहुंच गये, मुख्य मंत्री जी को प्रभावित कर लिया चम्बल काम्प्लेक्स के नाम पर और प्रभावित करके सारी स्कीम को ड्राप करा दिया।

ऐसी स्थिति में, मैं आपसे कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी कि आप कम से कम इन सेठों के बीच में और गरीबों के बीच में अन्तर नहीं करें। कितने आदमियों को रोजगार मिल रहा है ? कुल 450 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है और उसके लिए अब तक राजस्थान के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 6 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है। कल यहां घाटे की चर्चा हो रही थी। यह राजस्थान सरकार और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का मिला-जुला षडयन्त्र है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को घाटे में बताओ ताकि किसानों से ज्यादा टैक्स लिये जाय। मैं किसी भी अर्थशास्त्री को चुनौती देने को तैयार हूं, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन की शर्तों के अनुसार अगर ग्रामीण विद्युतीकरण में घाटा होता हो, वह घाटा राजस्थान की सरकार को पूरा करना है और इसका वर्ल्ड बैंक से इनका समझौता हुआ है। दो सौ करोड़ रुपए हमारी सरकार को इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को देने हैं। ब्याज की राशि....

श्री नाथूराम मिर्धा : 400 करोड़।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही कह रहा हूं।

सैक्शन 78 में आप ने जितने डायरेक्शंस दिये हैं उद्योगपतियों के लिए कि रियायत पर बिजली दी जायेगी, वह घाटा पूरा कर दीजिये। आर. ई. सी. का घाटा पूरा कर दीजिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री साठे ने जिस प्रकार कहा कि हिन्दुस्तान का कोई इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उस समय तक घाटे से नहीं निकल सकता जब तक कि 50 प्रतिशत इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं हो। मुझे खुशी है कि आप ने कुछ किया है। लेकिन जो अन्तर है उस अन्तर को मेटे बिना इस स्थिति में कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए, सभापति महोदय आज यह कहा जाय जैसा मैंने कहा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और सरकार के बीच में षड्यन्त्र है तुम ज्यादा घाटा बताते जाओ हम जनता के ऊपर टैक्स लगायें। मैं चैलेंज करता हूं, आज कोई भी सामने आ जाय, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में नहीं है इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लाभ में है। घाटा केवल सरकार के डायरेक्शन के कारण हो रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था है।

सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक-एक मिनट में बात कहना चाहूंगा। मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि कनसाइनमैण्ट टैक्स भारत सरकार नहीं लगाना चाहती है, आप क्या करना चाहते हैं ? पिछली बार बजट के समय आपको एश्योरेन्स दिया गया, आप और मैं दोनों केन्द्रीय वित्त मंत्री से मिले। आपने भी चिट्ठी लिखी, मैंने भी चिट्ठी लिखी, भारत सरकार ने उसका कमिटमेंट किया। यह जुलाई का महीना खतम हो रहा है और अगस्त का महीना आ रहा है, मेरी जानकारी है, सभापति महोदय, कि सेठों के प्रभाव के कारण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कन्साइनमैण्ट टैक्स नहीं लगेगा। कनसाइनमैण्ट टैक्स से राजस्थान को 70–80 करोड़ रुपये साल की ग्रामदनी हो सकती है। मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी, दांव लगा दो ग्रपना पद, कहो कि राजस्थान के हित में 70–80 करोड़ हमको दो, यह लेकर मैं बैठूंगा। सभापति महोदय, वहां तो यह दांव पर नहीं लगायें कोई बात नहीं लेकिन ग्रापके ग्रांकड़ों, ग्रापके ग्रध्ययन के ग्राधार पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में ट्रांसपोर्ट क्लैण्डेस्टाइंग ग्रापरेशंस के कारण सौ करोड़ रुपये का घाटा है। 100 करोड़ रुपए कम नहीं होते। यह तो भारत सरकार के हाथ की बात नहीं है, इसमें तो ग्रापको भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन से मदद नहीं लेनी, इसमें तो ग्रापको फाइनेंस कमीशन से डिवोल्यूशन नहीं कराना। इसमें तो ग्रापकी इफैक्टिव मशीनरी हो तो ग्रापके कार्पोरेशन ग्रार.एस.ग्रार.टी.सी. को 15 करोड़ का घाटा इस वर्ष हुग्रा, 15 करोड़ कम नहीं होने वाला, उस घाटे को रोका जा सकता है। यह तो ग्रापकी सरकार को करना है। यह यदि ग्राप नहीं करें तो मुझे कहना पड़ेगा, सभापति महोदय, दुर्भाग्य से कि सरकार के एवेरेटस में कहीं न कहीं कमी है, वह उनसे मिली हुई है। जो ग्राय हो सकती है उस ग्राय को ग्रापने नहीं बढ़ाया।

सभापति महोदय, कल भीम से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मन्त्रीजी की सलाह से एक नयी परम्परा कायम की। चार्ज लगें तो इस्तीफा दो ग्रौर ग्रगले से इस्तीफा लो। मुख्य मन्त्रीजी की सलाह से की है इसलिए मैं भी कर रहा हूं मैंने गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए कहा। मुख्य मन्त्रीजी, ग्राप के मुंह पर कहता हूं कि ग्रापने राजस्थान को डुबोया है, एक हजार करोड़ रुपए का ग्रापने राजस्थान को नुकसान पहुंचाया है। ग्रापमें हिम्मत हो तो 1981 से लेकर ग्रब तक लैण्ड कनवर्जन के मामले, रेगूलराइजेशन के मामले, ग्ररबन सीलिंग के मामले, लैण्ड ग्रानर्स एस्टेट्स के मामले में जितने भी घपले हुए हैं, जितने ग्रादेश निकले उनसे राजस्थान की जनता को एक हजार करोड़ का घाटा हुग्रा है, सभापति महोदय, एक हाई पावर जुडीशियल कमीशन ग्रपाइण्ट किया जाय। ग्रगर वह साबित नहीं कर दें तो मैं इस्तीफा देऊंगा नहीं तो मुख्य मन्त्रीजी इस्तीफा दें। वही परम्परा है जो ग्रापने कल लक्ष्मणसिंह जी को बतायी थी। रख दीजिए, ग्राप भी इस्तीफा दीजिए मैं भी देऊंगा।

ग्रब, सभापति महोदय, करना क्या चाहते हैं? कल जब इधर से लोग बोल रहे थे तो माननीय सदस्यों ने हेगड़े साहब का नाम लिया कि हेगड़े के लैण्ड स्कैण्डल का क्या हुग्रा। उसकी तो जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है, ग्राप वाले मुख्य-मन्त्रीजी का क्या हुग्रा? करो हिम्मत, कह देग्रो यहां पर कि जुडिशियल इन्क्वायरी होगी। सभापति महोदय, ग्रब करना क्या चाहते हैं? ग्रब करना यह चाहते हैं कि जो गरीब प्लाट होल्डर्स बैठे हैं, जिन्होंने ग्रपनी सारी पूंजी लगा दी उनके ऊपर 60 रुपये डवलपमेंट चार्ज लगाना चाहते हैं। ग्रापने सी.ए.डी. का पैसा वसूल कर लिया क्या? चम्बल कैचमैण्ट का पैसा वसूल कर लिया? मैं ग्राज ग्रापको फिर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कहता हूं कि आपने बिना सोचे-समझे 60 रुपये लगा दिये तो एक पैसा नहीं देंगे। इसके लिए पूरी ताकत लगानी होगी तो वह करेंगे। किस बात का पैसा ? जो चोरी करें उनको तो सजा नहीं दें और जिनका माल चोरी गया उनको सजा देने की तैयारी कर रहे हैं ? यह चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं।

अन्त में, सभापति महोदय, एक मामले की ओर माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करवा कर अपनी बात समाप्त करता हूं। वह मामला है, एक ऐसा केस जिस केस के बारे मुख्य मन्त्रीजी भी अच्छी तरह जानते हैं। 14.10.1987 को महाराणा भगवत सिंहजी की सम्पत्ति का दोनों भाइयों में विवाद खड़ा हुआ उस मामले को लेकर उदयपुर के सिटी मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया गया। सैशन कोर्ट में मामला गया 31-7-87 को और सैशन जज ने महाराणा उदयपुर के छोटे भाई के पक्ष में फैसला कर दिया लेकिन सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में एक अपील की गयी, पुलिस की तरफ से अपील हुई, लॉ डिपार्टमैण्ट की अनुमति से अपील हुई, लॉ मिनिस्टर के हस्ताक्षरों से अपील हुई। रिवीजन या अपील कोई टेक्निकल वर्ड होगा, आप सोच लें। उसमें क्या लिखा है, पुलिस ने लिखा है कि हम इस बात का असैसमैण्ट नहीं कर सकते हैं कि जिस समय हमने प्रापर्टी ली थी वह प्रापर्टी अरविन्दसिंह से ली थी या यह महेन्द्रसिंहजी से ली थी इसलिये हाई कोर्ट हमको डाइरेक्शन्स इश्यू करे, डाइरेक्शन्स इश्यु करने के लिये लिख दिया। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं हुआ उस फैसले के बीच में ही आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकाल कर वहां का महाराणा अरविन्दसिंह को बना दिया और सारी सम्पत्ति उनको दे दी।

श्री मोहन छंगाणी : लॉ डिपार्टमैण्ट के दम पर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, लॉ डिपार्टमैण्ट के दम पर नहीं, यह दम तो भीलवाड़ा के नेता, मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण माथुर में ही हो सकता है हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट को डाइरेक्शन्स देने हैं, और मुख्य मन्त्रीजी ने अरविन्दसिंह जी के पक्ष में पुलिस भेजकर उनका कब्जा करा दिया...(व्यवधान) सभापति महोदय, दो मिनट में।

श्री सी. पी. जोशी : अरविन्दसिंह जी जनता पार्टी के अन्दर हैं। आप फैसला कर लीजिये कि आप बी.जे.पी. के साथ रहना चाहते हैं या अरविन्दसिंहजी के साथ रहना चाहते हैं। मेवाड़ के महाराणा अरविन्दसिंह जी के साथ बी.जे.पी. में रहना चाहते हैं और अरविन्दसिंहजी जनता पार्टी के नेता हैं। आप अब फैसला करिये कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : जोशी जी, यह क्वेश्चन...

श्री सी. पी. जोशी : 1985 के चुनाव में मेरे विपक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे जनता पार्टी के मन्च से। क्या कहना चाहते हैं आप ? वह जनता पार्टी के मैम्बर हैं। आप पालिटिकल लाभ लेना चाहते हैं,

(श्री सी. पी. जोशी)

बी.जे.पी. के साथ रहना चाहते हैं और अरविन्द सिंह जी जनता पार्टी के साथ हैं, 1985 में नाथद्वारा में चुनाव प्रचार करने गये थे। आप मना कर दें कि पार्टी में नहीं हैं....

श्री मोहन छंगाणी : इसमें जनता पार्टी और जनता दल क्या होता है ?

श्री सी. पी. जोशी : ऐसे पालिटिकल फायदा नहीं मिलता है। आप अपना डिसीजन जब चाहो जैसा कर दो...

श्री मोहन छंगाणी : लॉ डिपार्टमेंट ने आर्डर्स दिये इसमें कोई पालिटिकल नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : It is not Law Department. (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय....

श्री सी.पी. जोशी : यह दिग्विजयसिंह जी राजमाता को सपोर्ट कर रहे हैं और कर्नल प्रतापसिंह को बीच में खड़ा कर दो आप। यह कोई पालिटिक्स है आपकी ? भैरोंसिंहजी साहब, आपको याद है कि जब जगीन का मामला चला कर्नल भवानीसिंह जी का, तब नेतृत्व तो आपने ही किया था, राजपूतों को आपने इकट्ठा किया था। अब कर्नल भवानीसिंह जी आपके साथ नहीं हैं, तब दिग्विजयसिंह जी कहेंगे कि राजमाता ठीक है, पालिटिक्स जो आपको सूट करे.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि इसी प्रकार के आर्ग्यूमैन्ट्स सरकारी पक्ष ने दिये तो सरकारी पक्ष का बंटाधार हो जायेगा, कोई बचा ही नहीं सकेगा।

श्री सी.पी. जोशी : बंटाधार होने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनो, सुनो। बैठ जाओ। सभापति महोदय, यह झगड़ा इस बात का नहीं है, जोशीजी, मेरी बात सुन लेओ....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई महेन्द्रसिंह जी और अरविन्दसिंह जी किस पार्टी में है और किस पार्टी में नहीं है, इसका विवाद नहीं है....

श्री सी. पी. जोशी : इतने सीनियर आदमी हैं आप, मैं नहीं समझता, I know it very well, बिना पालिटिक्स के, भैरोंसिंह शेखावत इतना सीधा आदमी नहीं है जो बिना इन्ट्रेस्ट के हाउस में बोले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, मेरा पालिटिकल इन्ट्रेस्ट है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : आपका यह न्याय है तो यह न्याय यह कहता है कि आपको मालूम है कि वहां पर ट्रस्ट बना हुआ है.... मेवाड़ के महाराणा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ला रहा हूं यह, यह दूसरा कागज है....

श्री सी. पी. जोशी : आप जो ला रहे हैं एकलिंगजी के ट्रस्ट का। पर मेवाड़ के महाराणा ने अपनी डैथ के पहले विल बनायी और विल के आधार पर वह ट्रस्ट बना है....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : जमीन हड़पने का जरिया ट्रस्ट ही है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्य आगे पहुंच रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर हमारा रिजर्व हो गया मुख्य मन्त्रीजी से पहले प्रश्न पूछने का.....

श्री सी. पी. जोशी : बोल ही रहे हैं, नयी बात क्या है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सब बोल लेंगे, कोई खास बात नहीं है....

श्री सी. पी. जोशी : मैं इसलिये बोल रहा हूं कि सदन के सामने सही बात आनी चाहिये—I won't intervene. I have said the truth. Let him deny.

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है, ठीक है।

श्री सी. पी. जोशी : आपको जानकारी क्या है, +++

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सत्य आप ही जानते हैं। आप तब क्यों नहीं बोले नाथद्वारा के मामले में ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : फिर यह बाद के अन्दर नहीं कहेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ।

(6.15 सायं)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन) (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : ऐसे +++ नहीं होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या सत्य को जानते हो ?

श्री सी. पी. जोशी : इनको मालूम ही नहीं है और बढ़-चढ़ कर बात करते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।.... (व्यवधान) माननीय सी. पी., माननीय तिवाड़ी जी। माननीय तिवाड़ी जी, बैठें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था....(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले एक बात पूछना चाहता हूं कि जब रिवीजन पुलिस ने किया हाई कोर्ट के आगे और लॉ डिपार्टमेंट डाइरेक्शन देती है पुलिस को रिवीजन विथड्रा करने के लिये तो उसके अन्दर जनता दल और दूसरे दल का क्या मतलब होता है ? बताइये आप।.. (व्यवधान) लॉ डिपार्टमैण्ट पुलिस को कहती है कि हाई कोर्ट का रिवीजन विथड्रा किया जाय....(व्यवधान)

+++अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बताइये आप ।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो आप माननीय नाथूराम जी साहब से पूछिये । मेरे से क्या पूछना चाहते हैं आप ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको किसी बात की जानकारी नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठें आप ।

श्री हीरालाल आर्य : नाथद्वारा में हरिजनों की पिटाई हुई थी, वहां पिटाई करवाते रहे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खूब हो गया साहब । आप बोलिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख कर रहा था कि हाई कोर्ट में जो राज्य सरकार ने पुलिस के माध्यम से रिवीजन या अपील करवाई । उसके तीन पैराग्राफ मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं:—

"Since the receiver....", receiver means Sub-Inspector of Police Station, "Since the receiver cannot decide on the basis of record as to which property was taken over from which party, the hon'ble Court may kindly categorically direct as to which property is to be handed over to which party or to permit the applicant receiver to conduct an inquiry in this respect or the Court may conduct an inquiry in this respect and then write, direct the receiver to hand over the possession to the party from whose possession the property is found to have been attached.

(2) Since the properties were attached and sealed in locked position at the time of attachment, it would be expedient at this stage to prepare inventories in the facts and circumstances pointed above.

(3) If yes, whether the Commissioner' assisted by a team of experts could be appointed to prepare the inventory in presence of the representatives ,of the party and to assist the applicant receiver and then Hon'ble Court to arrange for expenses."

अब यह डाइरेक्शन्स के ऊपर फैसला नहीं हुआ और गवर्नमैण्ट ने आर्डर इश्यू कर दिया और कह दिया कि प्रापर्टी अरविन्द सिंह जी को दे दी जाय । मैं इस अन्याय के विरुद्ध में बोल रहा हूं । (व्यवधान) राजस्थान में पहला ही किस्सा होगा, मुख्य मन्त्री जी कि इस तरह का प्रोपर्टी के सम्बन्ध में विवाद खड़ा हो और राजस्थान की सरकार स्वयं हाई कोर्ट में जाय और बीच में ही सरकार आदेश निकाल दे । मैं कहना नहीं चाहता कि उदयपुर के अन्दर किस प्रकार की चर्चायें इस सम्बन्ध में हो रही हैं । इस आर्डर की कीमत कितनी है, इसका इवेल्युएशन किया जा रहा है । मैं उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सम्बन्ध में अभी कहना नहीं चाहता, कभी मौका आयेगा तो और तरह से इस सदन में जानकारी देऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी जिस मामले में उत्तेजित हैं, मैं भी हूं, यह मामला है एकलिंगजी के ट्रस्ट का। 1950 में महाराणा भोपालसिंहजी ने एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया, 56 लाख रुपये की प्रापर्टी उस समय उसमें थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : 56 करोड़।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, 56 लाख। उपाध्यक्ष महोदय, 56 लाख की प्रापर्टी का 1950 में रजिस्ट्रेशन हुआ। मेवाड़ के प्रचलित कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ। 1955 में महाराणा साहब की डैथ हो गयी। 1955 में डैथ होने के पहले उन्होंने एक और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करांया, ट्रस्टीज उसके मैम्बर हुए, महाराणा भगतसिहजी उसके प्रोसीजरल मैनेजर हुए। कोर्ट ने उनका रिसीवर अपाइन्ट कर दिया। कुछ मामलों में बलवंतसिह जी मेहता ने जब आंकड़े पेश किये कि 1950 में इन्वेंटरी इसमें शामिल की गई थी और महाराणा साहब के पास जो इन्वेंटरी है इसमें करोड़ों रुपये का अन्तर है इसलिये रिसीवर अपाइण्ट किया जाय और रिसीवर अपाइण्ट करने के बाद में इसकी इन्वेंटरी बनायी जाय। महाराणा भगतसिहजी की भी डैथ हो गयी और डैथ होने के बाद में अरविन्द सिहजी गैर कानूनी ढंग से; मुख्य मन्त्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार का कोई प्रतिनिधि बता दे कि 1950 की ट्रस्टीज में लिखा हुआ है कि परम्परागत रीति से जो महाराणा मेवाड़ होगा। वह इस ट्रस्ट का चेयरमैन मैनेजिंग ट्रस्टी होगा। अरविन्दसिह जी को उसका ट्रस्टी बना दिया और ट्रस्टी बनाने के बाद में आप ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे मोटी बात सदन सुनकर ताज्जुब करेगा कि हाई कोर्ट के फैसलों की और इनके फैसलों की क्या हालत होती है। 1983 में हाई कोर्ट ने डाइरेक्शन्स दिये और डाइरेक्शन्स देकर 1983 में सैशन जज को रिसीवर नियुक्त कर दिया। एक महीने में इन्वेण्टरी बनाने का आदेश दिया। एकलिंग जी का हिसाब-किताब रोज उनके पास आये और रोज उसको देखें, इसके लिए इंस्ट्रक्शन्स दिये गये लेकिन 1985 से लेकर आज 1989 तक चार वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट सैशन जज रिसीवर के रूप में तनख्वाह लेता रहा लेकिन इन्वेण्ट्री नहीं की। माल का कब्जा नहीं किया, माल कहां है, इसके लिए चिन्ता नहीं की। मैंने इसी संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भूतपूर्व न्यायाधीश को एक पत्र लिखा। उस पत्र को दो मिनट लगेंगे, मैं पढ़कर सुना दूं।

मैंने लिखा है "माननीय श्री मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर। संभवत: आपको जयपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध एकलिंगजी के मन्दिर के विषय में जानकारी होगी। इस संबंध में श्री बलवंतसिंह मेहता का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी फोटो प्रति व अन्य प्रति मैं आपकी जानकारी के लिए प्रेषित कर रहा हूं। इस पत्र के अनुसार 1985 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उदयपुर को इस मंदिर का रिसीवर नियुक्त किया गया था जहां पर एक माह में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस मन्दिर की सम्पत्ति की इन्वेन्ट्री बनाने का निर्देश दिया गया था परन्तु रिसीवर के रूप में नियमित रूप से वेतन पाने के अतिरिक्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी जानकारी मिली है कि न्यायाधीश, उदयपुर ने कुछ बिन्दुओं पर निर्देश प्राप्त करने हेतु संबंधित पत्रावलियां उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दी हैं जो लम्बे समय से विचाराधीन हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस पत्र का मुझे उत्तर मिला और उस उत्तर में लिखा है।

"I have received your letter together with the enclosures and have noted its contents. I fully appreciate the importance of the matter mentioned in your letter."

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं आदमी वहां जाय ? आपके पास आये तो आप कुछ करने वाले नहीं। हाई कोर्ट में जाय तो लोग उसके आदेश की पालना नहीं करें। एकलिंगजी के मन्दिर की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति आज गायब हो गयी। वह करोड़ों रुपये की सम्पत्ति न महाराणा भगवतसिंह जी की है, न यह सम्पत्ति महेन्द्रसिंह जी की है और न वह सम्पत्ति अरविन्दसिंह जी की है। वह सम्पत्ति जिन भक्तों ने एकलिंग जी मन्दिर में पैसा चढ़ाया, उनकी है। आज उस पैसे की रखवाली नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा राजस्थान की सरकार हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को रिसीवर नियुक्त करे, उस प्रोपर्टी पर कब्जा करे और मैं आज यहां यह कहना चाहता हूं कि आपने कब्जा नहीं किया तो एकलिंगजी के अन्दर इकट्ठे होकर, जहां वह सम्पत्ति पड़ी है, मार्च करते हुए जायेंगे, उस सम्पत्ति पर कब्जा करेंगे, दुनियां की कोई ताकत नहीं जो रोक सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का अन्याय जिस राज्य में हो रहा है, जिस राज्य में गरीब का शोषण हो रहा हो, जिस राज्य में किसान का शोषण हो रहा हो, जिस राज्य में मजदूर के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं किये जाते हों, जिस राज्य में सरकारी कर्मचारियों में असंतोष हो, उस राज्य के मुख्यमन्त्री आज बहुमत के आधार पर कह सकता है, मैं राजस्थान का मुख्यमन्त्री हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमन्त्री जी, आपसे कि जनता की सेवा करने के लिए इस पद का आपने उपयोग नहीं किया। सेवा करने के लिए आपको भगवान ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया। आपने जनता के साथ विश्वासघात किया और इस विश्वासघात का दण्ड आपको अगले चुनावों में जनता देगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी। आर्डर प्लीज। House may come to order, please.

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर तीन दिन की चर्चा इस सदन में हुई।

श्री उपाध्यक्ष : Now come to order, please.

श्री शिवचरण माथुर : मैं उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा में

(श्री शिवचरण माथुर)

भाग लिया, मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक जागरूक विधायक के नाते यहां पर राजस्थान की समस्याओं का जिक्र किया, बहुमूल्य सुझाव भी यहां पर प्रस्तुत किये जिनसे हम लाभ भी ले सकते हैं और विपक्ष की तरफ से कुछ कमजोरियों का भी यहां पर जिक्र किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि विपक्ष के नेता ने भी इस बात को स्वीकार किया, इस तीन दिन की बहस में एक तरह से विपक्ष के लोगों के मन में चुनाव छाया रहा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय नवरंगसिंह जी, बैठें आप।

श्री शिवचरण माथुर : और यह स्वाभाविक भी है। (व्यवधान) मैं उनके बाद में बोल लूं। (व्यवधान) और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह चुनाव के पहले होने वाला शायद विधानसभा का आखिरी सत्र है और उसके बाद हम लोग चुनाव के मैदान में जायेंगे लोक सभा के। शायद विधान सभा के चुनाव के पहले एक सत्र और बुलाया जा सकता है लेकिन जहां तक लोक सभा के चुनाव का सवाल है, इसको देखते हुए यह विधान सभा का अन्तिम सत्र कहा जा सकता है और जैसा कि विपक्ष के माननीय सदस्यों की और नेताओं की आदत रही है कि जब चुनाव नजदीक आता है तब बहुत जोरदार तरीके से सत्ता पक्ष की बातों को सदन के पटल पर रखने की चेष्टा करते हैं। अखबारों की सुर्खियों में आने की बात भी बहुत जोर से सोचते हैं और वे समझते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नाउ शोपतसिंह जी स्टाप इट। I say now stop it.

श्री शिवचरण माथुर : मैं कभी नहीं बोला, हमारे सदस्य कभी नहीं बोले। वे डेढ़ घंटे तक....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तिवाड़ी जी, प्लीज स्टाप इट। मैं सक्षम हूं कन्ट्रोल करने में। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे बीस बार बोले और बीस बार में कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तिवाड़ी जी। तिवाड़ी जी।

श्री शिवचरण माथुर : आपने तो शुरू में ही बोलना शुरू कर दिया। और डेढ घण्टे तक आपके नेता बोले तो मुझे डेढ घन्टा उसका जवाब देने के लिए तो दीजिए आप। हिम्मत से सुनिये, धैर्य से सुनिए। भैरोंसिंह जी साहब का भाषण अगर शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा जाय तो केवल चुनाव सभा के भाषण के अलावा और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो। भार्गव साहब, बैठें। प्लीज सिट डाउन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं यह क्या बात कह दी, साहब ? (व्यवधान) इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे गर्व से कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माहौल ठीक रखिये । (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो जनता की बात है वह कहूंगा । आपकी सही बातों का जवाब देने की जरूरत भी नहीं है । लेकिन विपक्ष के माननीय नेता यदि यह समझते हों कि बहुत गरम–गरम बातें कह-कर के और अखबारों की सुर्खियों में उनका भाषण आ जाय, उससे जनता वोट देती है, मैं यह मानता हूं कि इस देश में आठ चुनाव हुए और चुनावों में पता नहीं कैसे भूल से 1977 में बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया और उस वक्त सत्ता में आ गये । हिन्दुस्तान की जनता ने इस प्रकार के अनैतिक गठबंधनों को, राजनेताओं को और इस प्रकार के झूठे वायदों को, नारों को हमेशा ठुकराया है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तीन-चार दिन के बाद में इस सदन से हम लोग जायेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, तिवाड़ी जी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजीव गांधी के बनने के बाद में 12 विधान सभाओं के चुनाव हारे हैं ।

श्री प्रभुलाल मीणा : माननीय मुख्य मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर में +++ ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मूंछों की खुराक अक्ल होती है और+++ ।

श्री शिवचरण माथुर : भैरोंसिंह जी साहब, आप तिवाड़ी जी को कह दीजिए । या तो मैं केवल अपनी अन्तिम बात है उसको कहकर समाप्त कर दूं और अगर इस बात को यह कहेंगे तो हमारे सदस्य भी इस मामले में कम नहीं हैं । हमने क्योंकि आपकी बात को बहुत गम्भीरता से सुना है और....(व्यवधान) जब भी आप बोलते हैं, मैं उसकी कीमत करता हूं । विरोध पक्ष के नेताओं को मैं बहुत गहराई से सुनता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे भी बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई थी ।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, यह अच्छा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथसिंह जी ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तिवाड़ीजी से निवेदन करूंगा । मैं समझता हूं कि हम कुछ भी कहें, आप हमारी बात से सन्तुष्ट नहीं होंगे क्योंकि आपको सन्तुष्ट होना ही नहीं है लेकिन यह हमारा हक है, यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात को यहां पर कहें । यहां पर उल्टी बात हो रही है । हम यहां पर मेजोरिटी में हैं और अपनी बात नहीं कह सकते और आप अल्प मत में होने के बावजूद चाहें जो कह सकते हैं यह अजीब तरह की बात है । लेकिन हम जानते हैं, इस देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के लोगों को राज करना आता है और आपको विरोध करना आता है । हमको विरोध करना नहीं आता और आपको राज करना नहीं आता । यह हिन्दुस्तान की जनता की और अगर आपने आंकड़े बताये होते, तो ढाई साल की बात

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री शिवचरण माथुर)

आप कह रहे थे। विरोध पक्ष के नेता की आम आदत है कि मैं इधर से बोलने आऊंगा उसके थोड़ी देर पहले बोलना शुरू करेंगे और जो सवाल अलग–अलग तौर से विधान सभा के सत्र में प्रश्नों के जरिये से पूछे जाने चाहिये उनका एक साथ यहां जवाब पाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि यह कभी भी एक अप्रोप्रिएशन बिल की बहस का उद्देश्य नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इधर बैठो तो पहले बोल लेना, इसमें मुझे आपत्ति नहीं होगी।

श्री शिवचरण माथुर : आप तो वहीं बैठे रहोगे हम यहीं बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठेंगे आप वहीं बैठेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और यह फैसला तो हो जाने वाला है। क्योंकि यह गठबन्धन जिस प्रकार का आज आप सोच रहे हैं, यह गठबन्धन 1967 से इस देश में चला है। 1967 में केवल देश के स्तर पर ही नहीं, प्रदेश के स्तर पर भी गठबन्धन चले हैं। वह गठबन्धन से एक बार कहीं प्रदेश की सरकार बन भी गई तो बीच में ही टूटे हैं और टूट-कर आपकी सरकारें गिरी हैं देश के स्तर पर शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में, हिन्दुस्तान के प्रजातन्त्र के इतिहास में यह पहली घटना है कि देश की जनता ने या तो यह समझिये कि हमसे नाराजगी प्रगट की हो, या यह समझ करके कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि वोट में प्रजातन्त्र के आधार पर राज को बदलने का अधिकार है तो इसका परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से आपको भूल से वोट दे दिया और वोट देने के बाद में 1977 में आप सत्ता में आ गये और किस प्रकार की जनता पार्टी थी उसको मैं जानता हूं। अगर जय प्रकाश नारायण जी का व्यक्तित्व नहीं होता,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम भी जानते हैं देवपुराजी और आपके सम्बन्ध कैसे हैं।

श्री शिवचरण माथर : हमारे सम्बन्ध तो बहुत अच्छे हैं। उसमें आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। उसमें आप ढूंढकर भी कुछ नहीं निकाल पाओगे। लेकिन जनतापार्टी कैसी बनी थी ? महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उस महान व्यक्तित्व के नेतृत्व में आपने सौगन्ध खाई थी पांच साल तक एक रहने की। क्या हुआ उस सौगन्ध का ? जयप्रकाश नारायण के सामने सौगन्ध खाई उस सौगन्ध को आप लोग ढाई साल तक भी कायम नहीं रख सके और शायद यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला उदाहरण है जबकि आपकी जनता पार्टी के प्रधान मंत्री मोरारीजी देसाई को आपकी पार्टी ने हटाकर चरणसिंह जी को प्रधान मंत्री बनाया और चरणसिंहजी प्रधान मंत्री ऐसे बने कि उन्होंने पालियामेन्ट भी नहीं बुलाई और कहते हैं मैं तो पालियामेन्ट नहीं चला सकता, मैं इस पालियामेन्ट को भंग करता हूं और देश की जनता से कहता हूं कि चुनाव दुबारा होंगे, जिसका अधिकार है उसको अधिकार दे दो। हमको तो जहां आपने बिठाया है वहीं बिठाने की कोशिश कीजिये। यह 77 और 79 के बीच का इतिहास है।

आप बड़ी–बड़ी बातें वहां करते हैं। जैसा मैंने कहा, इन सब बातों का जवाब हमारे मन्त्रीगण अलग–अलग प्रश्नों में दे

(श्री शिवचरण माथुर)

सकते थे लेकिन वह नहीं करके, जैसी कि आपकी आदत है, सरप्राइज देने की आदत आपकी है, मैं समझता हूं कि मुझे उन सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, यह तो देश की जनता, (व्यवधान) आने वाले समय में देगी। लेकिन कुछ बातों का मैं जवाब दूंगा। मैं सब बातों का जवाब देने के लिए कायल नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तीन दिन के अन्दर इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें कही हैं। यदि मैं केवल विरोधी पक्ष के माननीय नेता के ही प्रश्नों का जवाब दूं, उनके भाषण का जवाब दूं तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का अपमान करूंगा जिन्होंने बहुत बहुमूल्य सुझाव यहां पर दिये हैं। (व्यवधान)

इसलिए मैं मोटी-मोटी बातों पर कहना चाहता हूं। लेकिन आपने जो बातें कही हैं मैं उसका जवाब दूंगा जो राज्य के हित में है। मैं समझता हूं राज्य के हित में आपका भी सोचना ठीक होगा, हमारा भी सोचना ठीक है, उन बातों का हम निश्चित रूप से जवाब देंगे और देना चाहेंगे।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि आंकड़ों के आधार पर यदि आप मुझे कल बोलते तो एक-एक चीज का जवाब देता। लेकिन आपने कहा, जनता पार्टी ने फूड प्रोग्राम की स्कीम यहां पर लगाई, अन्त्योदय की स्कीम लगाई, मैं कहना चाहता हूं यह सारी योजनाएं कन्टीन्यूटी की योजनाएं हैं। 1977 से पहले 1947 से 1977, तीस साल तक कांग्रेस का राज्य रहा और उस तीस साल के कार्यक्रम में इस देश की जनता को जो कुछ भी कांग्रेस ने दिया वह देश की जनता जानती है। राजस्थान कहां था और आज राजस्थान कहां है, इस बात को देश की जनता भली प्रकार जानती है। इस प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी उस जमाने में और आज 2600 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता राजस्थान में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंह जी · ·

श्री शिवचरण माथुर : जिस राजस्थान में कुल मिलाकर 13 करोड़ रुपये का बजट हुआ करता था, आज यह अप्रोप्रिएशन बिल, जिसको आप पास कर रहे हैं, 4250 करोड़ का बजट हम पास कर रहे हैं। जिस राजस्थान के अन्दर एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज पांच यूनिवर्सिटीज हैं। इन्जीनियरिंग कालेज है, मेडिकल कालेज हैं। करीब करीब 32 हजार प्राइमरी स्कूल यहां पर हैं। आठ हजार के करीब मिडल स्कूल हैं, और शायद यह कभी नहीं हुआ होगा कि एक साल में किसी भी प्रदेश में चाहे हमको कितना ही पैसा खर्च करना पड़ा हो, लेकिन एक साथ 700 हायर सैकेण्ड्री स्कूल को इण्टरमीजिएट कालेज में बदलने की हमने कोशिश की। पहले के जमाने में उदयपुर में, जब मैं कालेज में पढ़ता था, देवपुरा जी पढ़ते थे, उस समय 1946 तक इण्टरमीजिएट कालेज था और 1946 में पहला डिग्री कालेज वहां पर बना लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने एक साल में 700 इण्टरमीजिएट कालेज

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान में खोले और यह बातें आप नहीं कहेंगे । ईमानदारी इस बात में होती, जैसे छंगाणी जी कुछ राजनीतिक ईमानदारी से कह रहे थे. वह कांग्रेस में थे तब की चर्चा हुई थी और यह बात उन्होंने मानी कि कांग्रेस में अच्छी बातें हैं लेकिन डेमोक्रेसी का अभाव हो गया । मैं कहना चाहूंगा डेमोक्रेसी इतनी कांग्रेस में है, आज डेमोक्रेसी का उदाहरण आप देख लीजिये । जनता दल में, छंगाणी जी, आप कहां फंस गये ?

श्री मोहन छंगाणी : मैं तो आगे आगे हूं ।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे समझ में नहीं आता—आप छंगाणीजी, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिना चुनाव की डेमोक्रेसी कांग्रेस में ही है। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : हमारा आपका नहीं है। आप तो किसी जमाने में,

एक माननीय सदस्य : मिर्धा साहब भी तो थे ।

श्री शिवचरण माथुर : आप तो किसी जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर हुआ करते थे। आपका तो साम्यवाद में विश्वास था। आप कहां विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नीचे जाकर फंस गये। मेरी समझ में नहीं आता । (व्यवधान)

यह भानुमति के कुनबे में आप कहां पहुंच गये। मैं समझता हूं भैरोंसिंह जी साहब तो बहुत होशियारी से बात कह रहे हैं । आज जब सुबह बात हो रही थी, आपके दल के एक नेता से मैंने कहा, भई, आपने क्या नई परम्परा डाली है, हमारे इस सदन में तो कभी ऐसी परम्परा नहीं हुई कि आप लोग प्रश्नोत्तर काल में उठकर इस प्रकार की बातें करने लग गये । उन्होंने कहा हमारा क्या बिगड़ता है । आपके दल के एक साथी ने कहा, हमारा क्या बिगड़ता है, "विश्वनाथ प्रताप सिंह मुर्दाबाद" के नारे लग रहे थे और "राजीव गांधी मुर्दाबाद" के नारे लग रहे थे, हम तो दोनों का मजा ले रहे थे। यह तो जो आपके साथ गठबन्धन करने जा रहे हैं, उसका हाल है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सुबह चर्चा क्या थी ? किस बात की चर्चा की थी सुबह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरे लिए कह रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपके किसी साथी के लिए कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस के सदस्य, ...

श्री शिवचरण माथुर : मजाक की बात कह रहा हूं । आपके साथी की बात, मजाक की बात कह रहा हूं । उन्होंने कहा हम तो दोनों तरफ से मजा ले रहे हैं। एक तरफ "राजीव गांधी मुर्दाबाद" के नारे लग रहे हैं, इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हमारे तो अटलबिहारी वाजपेयी के नारे नहीं लगने चाहिए, वह

(श्री शिवचरण माथुर)

नहीं लग रहे थे । यह तो इतिहास है और यह तो एक माहौल है, एक सन्दर्भ है जिसके अन्दर आप विरोधी पक्ष की एकता का ढोंग करने की कोशिश कर रहे हैं । यह विरोधी पक्ष की एकता कहां तक टिकेगी, मेरी समझ में नहीं आता । हिन्दुस्तान की जनता बहुत साफ समझती है, (व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह राजीव गांधी....

श्री शोपतसिंह : यह हमारी एकता की फिक्र आप क्यों कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपतसिंह जी प्लीज इण्टरप्ट नहीं करें ।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री शिवचरण माथुर : मैं जिम्मेदारी के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी का युवा नेतृत्व है, जिसने हिन्दुस्तान के सामने जितनी आई हुई चुनौतियों का मुकाबला हिम्मत से किया है । उन्होंने अभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि मेरी पार्टी किसी स्टेट में चुनाव में आती है या नहीं आती है । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोफोर्स ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नवरंगसिंह : बोफोर्स की बात आपकी समझ में आती है या नहीं ।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब की समस्या का सवाल आया । राजीव गांधी ने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरी पार्टी हुकूमत में आती है या नहीं आती है । अगर पंजाब का हल निकलता है तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव करवाता हूं । अकाली पार्टी यदि हुकूमत में आ जाने से समस्या का हल निकलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : अब वे बोफोर्स गांधी हो गये हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : वहां पर अकाली पार्टी के चुनाव में जीतने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ । असम में हमने समझौता किया, हमारी पार्टी वहां नहीं आई । लेकिन आज हो क्या रहा है ? वहां ए.जी.पी. की पार्टी है, उसके खिलाफ एक जबरदस्त वातावरण चल रहा है । असम के लोगों ने समझा कि बहुत नौजवान पीढ़ी हिम्मत करके सामने आई है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केन्द्रीय सरकार करवा रही है ।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुन लीजिये । असम में क्या हुआ ? असम में बोडो आन्दोलन चल रहा है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी आप करवा रहे हो । पंजाब में भी,....(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : राजीव गांधी करवा रहे हैं । (व्यवधान)

माननीय मुख्य मन्त्री जी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंगसिंह जी बैठें। (व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी बैठें। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : आपके प्रधान मन्त्री करवा रहे हैं। बोफार्स गांधी करवा रहे हैं। बोफार्स जैसे स्कैंडल भी आप करवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, लालचन्द जी ? बैठिये अब आप। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आप यह मत कीजिये और देवीलाल जी ने, दो साल पहले हरियाणा में चुनाव हुआ....

एक माननीय सदस्य : आपको साफ कर दिया।

श्री शिवचरण माथुर : चुनाव में +++ वायदे दे करके, मैंने एक टीम भेजी यहां से, (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : +++ शब्द निकाला जाये।

श्री नत्थी सिंह : +++ शब्द निकाला जाये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनने की मादा क्यों नहीं रखते ? सुनिये आप।

श्री शिवचरण माथुर : आप चाहें जो कह सकते हैं, राजीव गांधी के बारे में कह सकते हैं, सबके बारे में कह सकते हैं और यह हकीकत हम नहीं कह सकते ? यह क्या बात हुई ?

श्री यदुनाथ सिंह : राजीव गांधी को +++ नहीं कहा....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री शिवचरण माथुर : देवीलाल जी ने, चुनाव के दिनों के आप भाषण उठाकर सुनिये, वह कहा करते थे कि मैं जब मुख्य मन्त्री बन जाऊंगा, मैं एक फाइल मंगाऊंगा, जिस पर सारे किसानों के कर्जे होंगे और नीचे लिखूंगा कर्जे सारे माफ कर दिये जायें–देवीलाल। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : लालचन्द जी, बैठिये आप।

श्री लालचन्द डूडी : जैसा लिखा वैसा कर दिया। केवल बड़े बड़ों के गबन करने वालों के कर्जे माफ नहीं किये। भजनलाल जी का, जिसने करोड़ों के कर रखे थे, भजनलाल के जंवाई के कर्जे माफ नहीं किये, कमलापति त्रिपाठी के जंवाई के कर्जे माफ नहीं किये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी, अब क्या कहें आपसे ? आप क्या चाहते हैं ? सुनना नहीं चाहते ? Why don't you hear him ?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : गलत नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको किसने जवाब दिया था ? किसी ने जवाब नहीं दिया था। जब आप बोल रहे थे, तब कोई नहीं बोल रहा था। नाउ प्लीज सिट डाउन। नाथूसिंह जी, बैठे आप।

श्री नाथूसिंह : नहीं बैठेंगे।

श्री लालचन्द डूडी : यों कैसे बैठेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : यह क्या है देवीलाल-जी +++ है। हम कहें +++ उसको आप निकाल दो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठिये आप। बैठना पड़ेगा।....

श्री शिवचरण माथुर : मैंने +++ नहीं कहा ...आप उठाकर देख लीजिये।...

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री, बैठ जाओ....

श्री उपाध्यक्ष : देवीलाल जी को +++ नहीं कहा है....

एक माननीय सदस्य : +++

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कहा +++ वायदे किये हैं और आज भी कहता हूं, +++ वायदे किये हैं। और उसके आधार पर जनता के वोट लिये हैं। मैं यहां पर बैठकर यह कह सकता हूं आने वाले लोक सभा के चुनाव में हरियाणा में दस की दस सीटें कांग्रेस की आयेंगी।.... (व्यवधान) आप भ्रष्टाचार की बातें कहते हैं। वहां किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सुनने की हिम्मत भी रखो, ऐसी क्या बात है।

श्री महेन्द्र शास्त्री : विपक्ष के नेता महोदय ने राजस्थान की बात कही है माननीय मुख्य मन्त्रीजी राजस्थान की बात करें....

श्री उपाध्यक्ष : आप पेशेंस रखिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो पड़ोस की बात ही कह रहा हूं लेकिन वहां तो देश की बात कर रहे थे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री शिवचरण माथुर : आपको शांत होना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, माननीय सदस्या।

एक माननीय सदस्य : हम तसल्ली से सुन रहे थे जब हमारे नेता के बारे में कह रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष आर्डर प्लीज। Now please sit down.

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हर चीज की एक सीमा होती है। बात करने की भी सीमा होती है। सही बात तो यह थी कि अगर आपके पक्ष की एकता हो गई होती तो कम से कम इस सदन में वह कहते कि

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारा आने वाला प्रोग्राम यह है, हम जनता को यह कहना चाहते हैं, हम जनता को यह देना चाहते हैं तो बात समझ में आती है। प्रजातन्त्र में बात होती है....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको सब बताया था.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कौन कह रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : नाथूराम जी कल पूरा मैनीफेस्टो बताया था....

श्री शिवचरण माथुर : इनमें एकता है क्या ?....

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे एकता में क्या मतलब ? हम आपसे पढ़ीयों से एक हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आपमें और इनमें एकता है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही। मैंने एक भी बात बिना नीति की कही हो तो आप बता दो।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपकी बात कहां कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : बेरोजगारी का कहा, गरीबों के कर्जे माफ करने के लिये कहा, बूढ़ों को पेन्शन का कहा।

श्री शिवचरण माथुर : आप अगर सुनते तो मैं धन्यवाद देता। आप द्वारा कही गई बात का तो मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर। सुनिये तो सही।

श्री सी. पी. जोशी : आप तो नेता हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो कह रहा हूं जो एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। यहां पर हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है उस राजनीतिक माहौल के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने माहौल नहीं बनाया।

श्री शिवचरण माथुर : मै आपको कहां कह रहा हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता अभी आप बने नहीं हैं। विपक्ष के नेता तो एक ही हैं न ?

श्री सी. पी. जोशी : डिस्प्यूट है, क्लेम कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक बातों का राजनीतिक ढंग से जवाब दिया जाता है। मेरी आदत नहीं है इस प्रकार की बातें कहने की, जिस प्रकार का यहां वातावरण पैदा किया गया है वह सारे मुद्दे जो मैं समझता हूं चुनाव की पब्लिक मीटिंग में कहने वाली बात आती है वह यहां पर विनियोग विधेयक के बहस के वक्त में रखी गई हैं। मुझे खेद है, मैं समझता हूं पहली बार मैंने भैरोंसिंह

(श्री शिवचरण माथुर)

जी का भाषण इस प्रकार का सुना जिसमें सिवाय.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नो कमेन्टस।

श्री शिवचरण माथुर : मैं उनकी कद्र करता हूं, मैं उनका आदर करता हूं और मैं जानता हूं कि वह बहुत अच्छे पालियामेन्टेरियन हैं और मजे हुए व्यक्ति हैं और राजस्थान के हित के बारे में, मैं नहीं मानता कि वह कभी भी दूसरी बात सोचते हों। उनका राजस्थान से प्रेम है। हमारा भी राजस्थान के प्रति उतना प्रेम है। आप जानते हैं कि राजस्थान के हित के बारे में जब समस्यायें आती हैं, हमने कई बार व्यूज को एक्सचेंज किया है। अभी फाइनेंस कमीशन यहां पर आया था फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन सालवे साहब को मैने कहा, आप हमारे विपक्ष के नेता महोदय को बुलाइये, आपके लिए भी कहा, सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाइये, उनसे बात कीजिये। जहां तक हमारा, राजस्थान के हितों का सवाल है, कोई अन्तर नहीं है। सदन में बैठकर चाहे हम कितनी आलोचना कर लें, लेकिन जहां पर राजस्थान के हितों का सवाल है वहां पर मैंने स्वयं ने उनसे कहा कि आप उनको अलग से टाइम दीजिये और मैं आपको कहना चाहता हूं कालवी साहब ने आपसे बातचीत करने के बाद में मुझ से कहा कि आपके और विपक्ष के नेता के विचारों में एक तरह से साम्य है कहीं पर भी दूसरी बात नहीं है। मैंने कहा जहां तक राजस्थान के हितों का सवाल है, हम एक तरह से सोचते हैं वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको भी आप लाइटली ले रहे हैं। फिर क्या बात है ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, सामने चुनाव का वातावरण है लेकिन अभी से आप इतना बौखला रहे है, हिम्मत खो रहे हैं, मैं समझता हूं कि चुनाव के दिनों में क्या होगा। चुनाव के दिनों में जब जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपने क्या किया है इन दिनों में तो आप क्या जवाब देंगे ? हम तो जवाब देने को हैं और तैयार हैं उसके लिये। हम तो आज भी लोगों को, अगर हमारी कमजोरी है, तो कहते हैं। राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ता है, हम जितनी अपेक्षा करते हैं विकास होना चाहिये उस विकास में हमारी कमी आई, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि हम लोगों को किस प्रकार से बचायें। अकाल के वक्त में लोगों को बचाने का सबसे बड़ा सवाल आता था। आपने कहा योजना के आकार को एक प्रकार से कमी करने वाली बात कर दी। आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. में पैसा कम खर्च हुआ। आप स्वयं जानते हैं और मैं समझता हूं कि आप भी अगर निर्णय करने वाले होते तो यही निर्णय करते कि जो भी पैसा जहां से भी मिलता है जो स्थिति बनती है उसको एक जगह इकट्ठा करके सबसे पहले लोगों को बचाने का सवाल आता है हमने वही किया। हमने सारी योजनाओं को चाहे वह एन. आर. ई. पी. की योजना हो, चाहे आर.एल.ई.जी.पी. की योजना हो, या प्लान की योजना हो, उनको सबको एक जगह करके और जितना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो सकता था हमने अपने सीमित साधनों के आधार

(श्री शिवचरण माथुर)

पर सब पैसा एक जगह इकट्ठा किया। भारत सरकार के प्रधान मन्त्री को निवेदन किया उनको कहा कि आप चल करके देखिये राजस्थान की स्थिति क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि शायद मोरार जी भाई, कभी या चरणसिंह जी, राजस्थान में अकाल कभी उनके जमाने में पड़ा होगा, राजस्थान नहीं आये लेकिन हमारे देश का प्रधान मन्त्री राजीव गांधी अकाल के मौके पर केवल हवाई जहाज से नहीं गये लेकिन 700, 800 किलोमीटर वह व्यक्ति राजस्थान की ढाणी-ढाणी में गया, गांव-गांव में गया, आदिवासी क्षेत्रों में गया और उसने समझा कि राजस्थान की स्थिति वाकई में खराब है, राजस्थान को मदद करनी चाहिये। मैं अब आंकड़े देता हूं तो उन आंकड़ों को आप झुठला दीजिये, कह दीजिये कि आंकड़े गलत हैं। राजस्थान के इतिहास में उन चालीस साल के अन्दर 650 करोड़ रुपया खर्च हुआ और एक साल डेढ़ साल के अन्दर में 1987-1988 के दो साल के इन्टरवीनिंग पीरियड में अकाल का काम चला, उसमें करीब करीब 850 करोड़ रुपया खर्च हुआ जिसमें 575 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिये और 280 करोड़ रुपये हमने अपनी हैसियत नहीं होते हुए भी लगाये। यह सोचा कि किसी प्रकार लोगों को बचाने की बात करें। उस समय अकाल का काम चल रहा था, मैंने पहले भी इस सदन में कहा है, यह फिगर गलत नहीं हैं, उस समय राजस्थान की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कितने ही गठबन्धन कर लीजिये, अकाल के वक्त कांग्रेस सरकार, कांग्रेसमैन, ने जो सेवा की है, उसको लोग नहीं भूला सकते। आप चाहे कितना ही गठबन्धन कर लीजिये। उस समय आपके चुनावी भाषण एक तरफ रह जायेंगे। उस समय आप क्या कर रहे थे। हमारा कांग्रेसमैन घूम रहा था, कांग्रेस का अध्यक्ष घूम रहा था, हमारे मिनिस्टर घूम रहे थे और एक तरफ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी जी, बैठें।

श्री शिवचरण माथुर : आप लोग कहां थे, बताइये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है कि मिनिस्टर हाथ में मस्टर रोल लेकर घूम रहे थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुख्य मन्त्री जी, आपको ध्यान नहीं है। मुझे अफसोस है, आप तो कह रहे हैं कि आपके ही आदमी घूम रहे थे परन्तु मेरा यह सदस्य बैठा है इसने एक हजार गांवों को मुफ्त में चारा दिया है। जैसलमेर में गांव-गाव में हमारे आदमी गये हैं। इसलिये आप यह मत कहिये कि आप ही घूम हे थे। ऐसा मत कहिये।

श्री चम्पालाल बांठिया : चार साल तक बराबर, अनाज बांटा है। आपने तो जनता का शोषण किया है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपके यहां बालोतरा आऊंगा। आपने जनता का शोषण किया है। उस समय लोगों से पूछूंगा हमने अकाल में क्या काम किया है।

श्री चम्पालाल बांठिया : आपके लोग चारा खा गये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपके यहां भी आऊंगा और उस समय लोगों से पूछूंगा कि इन्होंने अकाल में क्या काम किया है?

श्री चम्पालाल बांठिया : भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी गांवों में गये हैं। चार वर्ष बराबर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छा काम किया। कृपया बैठिये।

श्री नवरंगसिंह : हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने राजस्थान को चारा भेंट किया है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में लोगों ने हमको परखा है। ऐसा नहीं है कि पांच साल में हमको नहीं परखा है। हमको परखने के दो, तीन मौके आये थे। एक पाली का चुनाव आया एक खेतड़ी का चुनाव आया और फिर पंचायतों के चुनाव आये थे। उपाध्यक्ष महोदय, पाली के चुनाव में 1984 के चुनाव में जितने वोट से कांग्रेस जीती थी उससे 8 हजार ज्यादा वोट से कांग्रेस जीती। खेतड़ी के उप चुनाव में 21 साल बाद आपकी पार्टी से हमने सीट ली और जनता दल, उस समय जनता दल नहीं बना था, मुझे याद नहीं उस समय क्या था, आपकी दोनों पार्टियों को मिला कर जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा, 54 प्रतिशत कांग्रेस को वोट मिले और 46 प्रतिशत वोट आप दोनों पार्टियों को मिले। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बार बार, माननीय नवरंगसिंह जी, आप खड़े हो जाते हैं?

श्री शिवचरण माथुर : खेतड़ी से निर्वाचित विधायक यह बैठे हुए हैं....

एक माननीय सदस्य : किशनगढ़ की सीट का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर :....उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद पंचायतों के चुनाव आये। आज विपक्ष के नेता महोदय पंचायतों की बड़ी दुहाई देते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब, वे मुख्य मन्त्री थे उन्होंने पंचायतों के चुनाव कराये और सरपंचों के चुनाव करा कर छोड़ दिये। उन्होंने कहा आगे पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराते क्योंकि ज्यादा सरपंच कांग्रेस के आ गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपने चुनाव, क्यों नहीं कराये? आपके पास में हुकूमत थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हुकूमत थी लेकिन भारत सरकार ने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया था। आप मुझे यह बताइये कि 1963 से लेकर 1978 तक आपने चुनाव क्यों नहीं कराये? कांग्रेस पार्टी ने 15 वर्ष तक चुनाव नहीं कराये।

श्री शिवचरण माथुर : यह हमारी कमजोरी थी। इस कमजोरी को हम स्वीकार करते हैं। हमने समय पर चुनाव

(श्री शिवचरण माथुर)

नहीं कराये इसको स्वीकार करते हैं और इसीलिये प्रधान मन्त्री ने कहा, जो पंचायती राज....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और नगर परिषद के चुनावों को बीस साल हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सीट डाउन।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय मैं इसलिये कहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने कहा है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, हम पंचायती राज चुनावों को उन पर किसी पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिये हम संविधान में संशोधन लाना चाहते हैं। 64-वां संशोधन विधेयक इसीलिये लाया गया है चाहे कांग्रेस की सरकार हो या न हो। और उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया।....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लोक सभा भंग हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : अगर हमारी यह कमजोरी नहीं होती तो इस देश के अन्दर पंचायती राज में राजस्थान सबसे पहले होता। हम इस कमजोरी को मानते हैं कि हमने 1965 से लगाकर 1981 तक चुनाव नहीं कराये। हमने 1982 में फिर चुनाव कराये और उसके बाद फिर सात साल का अर्सा निकल गया। इसके बाद फिर चुनाव कराये। हमने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है कि प्रधान मन्त्रीजी आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि चुनाव कराना किसी के हाथ में नहीं रहे कि जब उसको ज्यादा सुविधा हो चुनाव कराये और जब उसको पालिटिकल एडवांटेज न हो चुनाव नहीं कराये। मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी है उनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और आपकी बात मान ली।

श्री शिवचरण माथुर : पंचायती राज का जो संशोधन विधेयक आ रहा है वह इस बात का प्रमाण है। माननीय छंगाणी साहब, आप कंट्राडिक्टरी बात कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम सत्ता डी. एम. के हाथ देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समाज कल्याण का काम भी कलक्टर को दे दो। एक तरफ यह कह गये, दूसरी तरफ दूसरी बात कह गये। मेरी बात सुनिये।

श्री मोहन छंगाणी : मैंने तो यह कहा है कि इसको रेगुलराइज किया जा सकता है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं और जो बात आप कहते हैं उसको मैं मानता हूं; हमें ब्यूरोक्रेसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं देनी चाहिये। यह बात श्री राजीव गांधी भी कहते हैं कि हमको ग्रास रूट पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ले जाना चाहिये। आपको शायद जानकारी नहीं है, कि जवाहर रोजगार योजना के अन्दर जो स्कीम आयी है भारत सरकार से मैंने भी कम डिटेल नहीं पढ़ी है। मेरे पास विभाग है। इसमें यह प्रावधान है कि पंचायतों को सीधा पैसा भेजा जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि पिछले साल तक एन. आर. ई. पी. और आर.एल.ई.जी.पी. यह दोनों योजनाएं चल रही थीं, उसमें राजस्थान को कुल मिला कर 79 करोड़

(श्री शिवचरण माथुर)

रुपये मिले थे। आज, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि 79 करोड़ के मुकाबले में जवाहर रोजगार योजना के अन्दर राजस्थान को 120 करोड़ रुपया मिला है यानि 47 करोड़ रुपया अधिक जवाहर रोजगार योजना में मिला हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना का सीधा मतलब यह है कि पैसा पंचायत को जायेगा और पंचायत को अपनी प्राथमिकता बनाने का अधिकार होगा। पंचायत द्वारा टेक्नीकल एस्टीमेट बनाने के लिये वहां के ओवरसीयर, जूनियर इन्जीनियर से और उसके पास में एक योजना भेजी जायेगी। और अगर 15 दिन तक वे एस्टीमेट बना कर नहीं भेजते हैं तो पंचायतें स्वतन्त्र होगी कि वे अपने आप काम शुरू कर दें। इससे ज्यादा क्या आप डीसेन्ट्रलाइजेशन चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पंचायती राज धारा 17 (4) का क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अब आप तो समाज कल्याण के काम को भी कलक्टर को देना चाहते हैं और यह जो खेती के काम है इसको भी कलक्टर को देना चाहते हो। मेरी समझ में नहीं आती....(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : मैंने तो रेगूलेट करने के लिये कहा है।

श्री शिवचरण माथुर : रेगुलेट कर रहे हैं न। हम तो चाहते यह है कि सारा डी. आर. डी. ए. का काम जिला परिषद करें। यह हमने कहा है और यह होने वाला है आगे जा करके। डी. आर. डी. ए. का काम जिलाधीश के पास न रह करके जिला परिषदों के पास जाना चाहिये। यह हमने भारत सरकार को कहा है और यह होकर रहेगा आप देखना। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर डीसेन्ट्रलाइजेशन में बिलीव नहीं करते तो मैं समझता हूं देश में कोई बिलीव नहीं करता। कांग्रेस की यह आजादी की पहले की नीति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई स्टेट्स में पंचायत एक्ट में अमेण्डमेन्ट लाकर जो भारत सरकार ने पंचायत एक्ट में 64 वां अमेण्डमेन्ट किया है कान्स्टीट्यूशन में उसकी मंशा के अनुरूप पंचायत एक्ट में संशोधन कर दिया, आपने क्यों नहीं किया ?

श्री शिवचरण माथुर : आपसे मैं यही तो कह रहा हूं। पंचायत कांस्टीट्यूशन के जो आर्टिकल 40, में डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स में यह लिखा हुआ है कि पंचायतों का भी काम होगा, पंचायतों को अधिकार दिये जायेंगे। केवल चार लाइन है। मैंने डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40 को पढ़ा है। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि नहीं, यह काफी नहीं हैं पंचायतों को कान्स्टीट्यूशन स्टेटस मिलना चाहिये और आज इसीलिये वे संशोधन विधेयक लाये हैं और आपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने इसका स्वागत किया। उन्होंने प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक अच्छा कदम यहां पर उठाया। हालांकि दूसरे उस समय मुख्य मंत्री नहीं आये थे लेकिन जब दुबारा लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट के सम्बन्ध में इस प्रकार का कदम उठाने का सवाल आया तो उसको सामूहिक रूप से जितने भी आपके विरोधी

(श्री शिवचरण माथुर)

पक्ष के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने उस मीटिंग में नहीं आने का फैसला किया। वहां क्या करना चाहते थे, यही तो करना चाहते थे कि जैसे हम गांवों को डीसेन्ट्रलाइज करना चाहते थे। पावर को उसी प्रकार से नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी चाहते थे कि वही प्रक्रिया यहां पर भी अपनाई जाय। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : बायकाट इसलिये नहीं था। बायकाट इसलिये था कि प्रधान मन्त्री ने आंध्र प्रदेश में जाकर ऐसी बातें कहीं जो बिलकुल असत्य थी और वे आरोप उन्हें नहीं लगाने चाहिये थे।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नाथूसिंह जी, डोन्ट प्रवोक। आपको भी रोक रहा हूं, आप बैठिये।....(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : क्या बीमारी हो गई, बोलो, बोलो, बोलो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री नाथूसिंह : हर बात में हो हो करते हो जैसे....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टोडारायसिंह में खोल लो न मैन्टल हास्पिटल।

श्री शिवचरण माथुर : प्रधान मन्त्रीजी के मुंह में तो आप ऐसे शब्द रखना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं कहे। आप तो प्रधान मन्त्री जी के लिये कहते कि साहब, उन्होंने यह कहा। विपक्ष के लोग जो हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बी सीरियस, बी सीरियस प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : अराष्ट्रीय है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि जिस प्रकार का वातावरण आज विपक्ष पैदा कर रहा है देश में उससे जनता का मनोबल गिरता है और विदेशों में हमारी छवि गिरती है यह उन्होंने कहा है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को कभी अराष्ट्रीय नहीं कहा, कभी उन्होंने अराष्ट्रीय नहीं कहा, यह बिलकुल गलत है लेकिन आप तो यहां कह गये और मुझे खेद है कि प्रोफेसर केदार ने भी इस बात को कहा है ऐसा कभी राजीव जी ने नहीं कहा। राजीव जी ने यह कहा कि जिस प्रकार का वातावरण विपक्ष बना रहा है और जिस प्रकार से हमारे मनोबल को गिराने का प्रचार जिस प्रकार से विपक्ष कर रहा है उससे विदेश की ताकतों को मदद मिलती है। यह उन्होंने कहा है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नाथूसिंह जी, आप बार-बार बीच में क्या कह रहे है ? फिर और भी बोलेगे। आप बैठिये।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कोआपरेट। नाउ प्लीज बी सीरियस। सीरियस हो जाइये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसीलिये कह रहा हूं कि राजीव गांधी एक ऐसे हिन्दुस्तान का स्वप्न देखते हैं जिसमें नौजवान पीढ़ी आ करके देश को सम्भाले

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण माथुर)

और एक ऐसा भारत पैदा करे, ऐसा भारत बनाये जिसमें शोषण की समाप्ति हो, जिसमें देश का विकास हो ।....(व्यवधान)

यह बोफोर्स की चर्चा, मैंने बहुत पहले जब आपने पहली बार ढाई साल पहले उठायी थी इस विपक्ष ने देश के कीमती धन को कितना नुकसान किया है। यह आपके बोफोर्स बोफोर्स तो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Don't take it lightly. बैठें आप ।

श्री शिवचरण माथुर : सबसे पहले जब आपने यह संसद में सवाल उठाया। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आदेश पर सब जगह हमने सम्मेलन किये और हमने लोगों को बतलाया कि आप क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि साहब, बोफोर्स बोफोर्स की बात छोड़िये ।+++ विरोध पक्ष के पास कुछ है ही नहीं ।... (व्यवधान)

उनके पास कुछ और है ही नहीं। यह साजिश है....(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : सी. ए. जी. की रिपोर्ट भी गलत है ।....(व्यवधान)

यह बात तो ताजा-ताजा आयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डान्ट कम्पेल मी नाउ। बैठें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो चेलेन्ज करता हूं आप अपने चुनाव का मुद्दा ही यह बना लीजिये बोफोर्स और कुछ जनता को बात मत कहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एजेन्सी ने कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और कमीशन खाया गया है। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं ।....(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आप चुनाव का मुद्दा बोफोर्स बना लीजिये और फिर वोट लेकर यहां आ जाइये। हमें दिक्कत नहीं है ।....(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह हथियार पुराना हो गया। यह तो नहीं चलेगा। अब तो दूसरा हथियार ढूंढो ।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक कम्युनिस्ट है वह भी चला जायेगा ।....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : बोफोर्स के सम्बन्ध में जो भी कहें लेकिन सी.ए.जी. की रिपोर्ट को आप +++ बतायें, यह उचित नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं +++ नहीं कह रहा हूं। सी. ए. जी. की रिपोर्ट का मैंने जिक्र नहीं किया है। मैंने तो यह कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मतलब वह +++ नहीं है न ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अभी उसका सवाल ही नहीं आया है....(व्यवधान)

इसका सवाल कहां आया है। Nobody has said about it. प्लीज सिट डाउन।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सी. ए. जी. की रिपोर्ट तो आ गई । इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ नो क्रास एग्जामिनेशन । प्लीज, सिट डाउन ।

श्री शिवचरण माथुर : हरि कुमार जी मैं बात कह रहा हूं ढाई साल पहले की और आप कह रहे हैं आज की बात । मैं बात कह रहा हूं ढाई साल पहले की कि आपने इस बात को उठाया था.... (व्यवधान), ढाई साल पहले जब आपने यह मुद्दा उठाया था उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद चुनाव राजस्थान में हुए हैं । इस मुद्दे को ठुकराया है राजस्थान की जनता ने और मैं आज भी कहता हूं आप चुनाव में मुद्दा बनाइये, जनता फिर आपको ठुकरायेगी और फिर कांग्रेस के लोगों को यहां पर भेजेगी । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले प्रधान मंत्री इस्तीफा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रकरण पड़ा हुआ है । बैठें आप । (व्यवधान)

देवी लाल जी, बैठें आप भी ।

श्री देवी लाल : स्प्रिंग लाग रही है जो दबती न आवे । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजीव गांधी रोज पार्लियामेंट में असत्य बोलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है ? व्हाई डोन्ट यू हियर इट । सुन क्यों नहीं रहे हैं । सुनिये ।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी संसदीय इतिहास में लिखा हुआ है कि बड़े से बड़ा कन्ट्रोवर्सियल मैटर हो उसको आप लोक सभा की सभा को नहीं चलने के बाद में उसको सेन्टर करना चाहते हैं । आप चर्चा कीजिये । चर्चा करने के बाद खूब क्रिटिसाइज करें । (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : सी. ए. जी. की रिपोर्ट पर आपका क्या फैसला है ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++बहुमत से कर रहे हो । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सीजन्ड आदमी हैं। बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह खेल का मैदान बना रखा है ।

श्री शिवचरण माथुर : बोलने वाले इल्ड नहीं करें । दूसरे आदमी को मौका नहीं मिलना चाहिये । आई एम नॉट इल्डिंग । मैं खड़ा हूं । अपनी बात कह रहा हूं जब बैठ जाऊं तब आप बात कहियेगा, यह एक संसदीय तरीका है । आई एम नॉट इल्डिंग । मैं अपनी बात कह रहा हूं । आपको बात सुनना चाहिये । मैं यह कह रहा था....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या बात बीच में बोल रहे हैं ? I don't like this.

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन यह कर रहा था, संसदीय तरीका यह है, डेमोक्रेटिक तरीका यह है आप विपक्ष सामूहिक रूप से मिलकर उस पर चर्चा कीजिये, जनता का मन बनाइये ।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोफोर्स पर चर्चा रखा दीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : हम क्यों रखें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सब्जेक्ट यहां का नहीं है । यहां का सब्जेक्ट नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : हमारा क्या लेना देना है ? हमारा इससे क्या ताल्लुक है ?

श्री उपाध्यक्ष : हमारा सब्जेक्ट नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : पूरे देश का ताल्लुक है । यह +++हिन्दुस्तान का, सारे देश का ताल्लुक है । +++ है वह ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । बांठिया जी, बैठें आप । बार–बार खड़े हो जाते हैं, क्या मतलब है इससे आपका ?

श्रीमती कमला : जहां चर्चा हो सकती है वहां चर्चा करो ।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल ने इनीशियेटिव लेकर यह कहा कि हम चर्चा कराना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करवा दीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : यहां नहीं, वहां संसद में । यहां क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : यहां का मैटर नहीं है । (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : जहां उसका फोरम है वहां तो करना नहीं चाहते, यहां उसका मतलब नहीं हैं, यहां करना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता । यहां क्या करना चाहते हैं ? यहां पर चर्चा करें आप ? (व्यवधान) आपने एक तरीका निकाला है सारी संसदीय कार्यवाही को स्कटल करके खड़ा हो करके वहां चलने नहीं दें, मैं समझता हूं यह कौन सा तरीका है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपत्ति है संसद पर इस प्रकार का आरोप लगाना ।

श्री शिवचरण माथुर : विपक्ष के नेता ने कहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है कि संसद की सारी कार्यवाही को स्कटल करके नहीं चलायें....

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो क्या है । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करप्शन बढ़ेगा तो भी हम नहीं करें ? संसद करप्शन को रोकने के लिए है वहां माला फेरने के लिए नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बिल्कुल कहता हूं । इसमें बुरा क्या है ? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री उपाध्यक्ष : This is not to the matter to be discussed here.

श्री नाथूसिंह : साहब, +++उस पर बहस क्या करेंगे ? +++

श्री उपाध्यक्ष : नाउ प्लीज सिट डाउन। ग्रार्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : चोरियां बहुमत से नहीं होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलालजी, आजकल आप बहुत बोलने लग गये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत सी बातें जो जनता के हित की बातें हैं, वह यहां पर निवेदन करनी हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे केवल चुनावी भाषण आपने दिये हों लेकिन मैं तो जनता के हित की बात करना चाहता हूं उसको सुनने वाली बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चुनावी घोषणा कर दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने कहा, नाइन्थ फाइनेंस कमीशन से हमें अपनी जो कुछ भी राजस्थान की समस्यायें हैं उसका जिक्र करना चाहिये था। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, वह जानते हैं इस बात को कि राजस्थान की सरकार ने जो अपना सप्लीमेंट्री मैमोरेण्डम दिया है उसमें हमने साफ कहा है कि desert should be considered a definite disability.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : This should be in the original memorandum.

श्री शिवचरण माथुर : उसका जिक्र है ओरिजिनल का भी, उसमें हमने कहा है कि desert should be considered

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारा डिसिजन तो ओरिजिनल पर हो गया, बाद में आप सप्लीमेंट्री दें, क्या मतलब हुआ ?

श्री शिवचरण माथुर : सप्लीमेंट्री जाने पर डिस्कशन हुआ, साल्वे साहब कन्विन्स्ड हुए। राजस्थान का पक्ष जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से भी इसको पसंद किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वास्तव में दिक्कत है। वह जब यहां से गये तो एक प्रकार से सहानुभूति का वातावरण लेकर गये और उन्होंने कहा कि हमारा कमीशन निश्चित रूप से राजस्थान के सम्बन्ध में जो कुछ भी न्याय संगत है उसको करने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों अगर कहीं पर भी उसके साथ में कुछ बात हुई तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमने इस बात को कहा है कि desert should be considered a definite disability. जो आपने बाजरे की बात कही मैं समझता हूं, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमने भी इस बात को बहुत जोर से कहा कि बाजरे की कैलोरी वेल्यू को निकाल कर, छाछ की कैलोरी वेल्यू निकाल कर अगर राजस्थान की गरीबी को ऊंचा माना जाय, उसको गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर मानने वाली बात की जाय तो, मैं समझता हूं, वाजिब नहीं है।

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(186)

(श्री शिवचरण माथुर)

हमने एक बात और कही है कि बाजरा तो डेजर्ट के इलाके में तीन साल में एक बार होता है। एक साल जो फसल हो जाती है उसको तीन साल तक वहां का किसान खाता है। लेकिन ज्यादातर आपके मक्की, ज्वार की यहां पर कैलोरी वेल्यू नीचे है उसका कोई असर होता है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, हम इसमें भी अगर कोई करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, 1989-90 की रिपोर्ट तो हम एक प्रकार से भेज चुके लेकिन आगे वाले पांच साल की रिपोर्ट होगी उसमें हम जितनी कोशिश हो सकती है, वह करने की कोशिश करेंगे।

हमने यह भी कहा कि अकाल जैसी स्थिति राजस्थान में आने पर राजस्थान प्रदेश की हैसियत नहीं है कि हम 700 करोड़, 800 करोड़ रुपया एक साल में खर्च करें। हमारा सारा प्लान 710 करोड़ रुपये का है और एक साल में 800 करोड़ रुपया हमको खर्च करना पड़ा अकाल में तो राजस्थान का विकास कैसे होगा, राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कैसे होगा। आपने भी जो राजस्थान के इण्डिकेटर की बात कही है कि राजस्थान नीचे है, मैं स्वीकार करता हूं। वह तो हकीकत है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पीछे गहराई में जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसे हालात बने और राजस्थान के इण्डिकेटर्स में क्यों सबसे नीचे स्थिति में आये? उसका मूल कारण राजस्थान का अकाल है। इस बात को फाइनेन्स कमीशन ने स्वीकार किया। हमने कहा कि जितना भी अकाल के सम्बन्ध में पैसा दिया गया है वह माफ किया जाना चाहिये। हमने यह भी कहा कि राजस्थान के अन्दर जितना पावर का जनरेशन होता है उसमें जो कर्जा हम देते हैं, एक प्रकार से हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में जो एक आधार बनाया गया है कर्जे को पे करने का, आज की हालत में कोई पे नहीं कर रहा है। अगर आप पंजाब का देखें, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो घाटा है वह, मैं समझता हूं, करीब 500 करोड़ से कुछ ऊपर है। हमारा तो 91 करोड़ का ही टोटल घाटा है। पंजाब की जहां आप बात कहते हैं, वह घाटा बढ़ कर वहां इलेक्ट्रि-सिटी बोर्ड का रु. 500 करोड़ हो गया है। उसके मुकाबले में राजस्थान में हिम्मत करके, एक संयम रख करके घाटे को नियंत्रण में रखा। हमने ट्रांसमिशन लासेज को भी कम करने की कोशिश की लेकिन फिर भी यह कर्जा हमारी हैसियत के बाहर की बात है। हमने फाइनेन्स कमीशन को यह कहा कि जितना भी कर्जा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दिया जाता है वह लोन इन परपे-च्युटी माना जाना चाहिये। उस लोन की वसूली नहीं की जानी चाहिये। उसका ब्याज हम देने के लिये तैयार हैं लेकिन अगर लोन की किश्तें आपने प्रिंसीपल अमाउण्ट की वापस की तो राजस्थान पिछड़ जायगा। यह इसको हमने लोन इन परपेच्युटी मानने की बात कही है। तो यह जो बात आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं, हमने इस बात को कहा।

हमने यह भी कहा कि जो स्माल सेविंग्स का अमाउण्ट आता है राजस्थान के अन्दर बड़ी मेहनत से स्माल सेविंग्स का पैसा इकट्ठा करते हैं। जो टार्गेट देते है उससे बहुत अधिक हम इकट्ठा करते हैं। उसमें भी हमने कहा कि उसको भी लोन

(श्री शिवचरण माथुर)

इन परपेच्युटी माना जाना चाहिये, उसका जो 3/4 पैसा हमको मिलता है, उसकी किश्तें वापस नहीं दी जानी चाहिये। वह एक प्रकार से हमारा रिसोर्स बने, उसको हमेशा के लिये लोन माना जाय, केन्द्र सरकार उस पर ब्याज ले ले हमें उसमें एतराज नहीं है। लेकिन अगर राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करना है, उसके विकास को त्वरित गति से आगे बढ़ाना है तो यह दो फैसले जब तक नहीं होंगे तब तक, मैं समझता हूं, राजस्थान ऊपर नहीं आयेगा।

मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, 24 तारीख को फाइनेन्स मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस सालवे साहब ने बुलाई है। उन्होंने कहा है कि जो बात आपने यहां पर कही हैं, आल इण्डिया फोरम में यह बात कहियेगा। हम जानते हैं कि जो बहुत बढ़ी हुई स्टेट्स हैं, मैंने तो उनसे साफ कहा, जैसे-जैसे दुनिया के स्तर पर डवलप्ड कंट्रीज और डवलपिंग कंट्रीज हैं, वैसे ही हिन्दुस्तान के अन्दर भी डवलप्ड स्टेट्स और डवलपिंग स्टेट्स हैं, हम उन डवलपिंग स्टेट्स की कैटेगिरी में आते हैं। इसलिये यदि आप एक स्पेशल बेटेज के आधार पर राजस्थान जैसे प्रदेश की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, उन पर विचार नहीं करेंगे, राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है, उसमें और पिछड़ जायगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि मेरी आपकी सारी दलीलों से सहानुभूति है, मैं राजस्थान के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमारा कमीशन कर सकता है वह करने की कोशिश करूंगा। 24 तारीख को जो फाइनेन्स मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हो रही है, जिसको नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन के चेयरमैन साल्वे साहब ने बुलाया है, उसमें मैं इन्हीं मुद्दों को ले करके और जो आपने भी कहा है उन मुद्दों को लेकर अपने वक्तव्य में, अपनी स्पीच में कहना चाहता हूं और वायदा पूछना चाहता हूं कि राजस्थान को यदि और प्रदेशों से आगे बढ़ाना है तो आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही बात है, इस मामले में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की बात यहां पर कही गई। मैं बिजली के सम्बन्ध में बहुत घमण्ड की बात तो नहीं करता लेकिन यह एक सैक्टर है जिसमें राजस्थान ने ब्रेक थ्रू किया है। इस बात को आप ईमानदारी से स्वीकार करें तो आपको मानना पड़ेगा कि राजस्थान के अन्दर पिछले एक-डेढ़ साल के अन्दर जो बिजली के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई उससे राजस्थान में एक ब्रेक थ्रू आया है।

हमने 1800–1900 मेगावाट जो हमारे यहां बिजली होती थी साल भर पहले इस साल में जितना समय का टारगेट था, उससे पहले ही कोटा में पहली यूनिट 210 मेगावाट की सैकण्ड स्टेज की, उसको हमने एक महीने पहले कमीशन किया, दूसरी यूनिट को चार महीने पहले कमीशन किया और थर्ड यूनिट के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें काफी एडवांस स्टेज पर हमने कार्यवाही कर दी है। एन्वायरमेंट की बात

(श्री शिवचरण माथुर)

थोड़ी आ रही है उसको हम साफ करना चाहते हैं उसके बाद में कोटा की जो थर्ड स्टेज की पहली यूनिट है 210 मेगावाट की, वह लगने के बाद में इस कोटा का जो हमारा अपना थर्मल पावर प्लान्ट है उसकी कैपेसिटी करीब 800 मेगावाट की हो जायेगी। आपने कहा, कल यहां पर सवाल भी आया था कि राजस्थान सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी से 4–5 थर्मल पावर प्लांट की एक योजना बना कर भारत सरकार को भेजी थी जिसमें धौलपुर, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ और सूरतगढ़ की योजना है। इन चार योजनाओं को हमने भेजा था और एनर्जी मिनिस्टर की कांफ्रेंस में अन्ता के के गैस पावर हाउस का उद्घाटन करने के लिए जाखड़ साहब आये थे और वहां के अखबार वालों ने उनकी बात को गलत समझ करके यह कह दिया कि नहीं, यह चारो प्लांट नामंजूर कर दिये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह उनको स्पष्ट करना चाहिए था।

श्री शिवचरण माथुर : मैं लाया हूं इसका, मैंने एनर्जी मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में इस बात को उठाया। मैंने कहा आप इस बात की सफाई दीजिए आप उस कांफ्रेंस की मीटिंग की प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिये। विद्युत मन्त्रीजी ने कहा कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि उस काम को नामंजूर कर दिये गये हैं उनके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी कर रहे हैं और डिटेल जानकारी आने के बाद में हम इस बात पर विचार करेंगे। दो दिन पहले कल्पनाथ जी राय ने जो बात संसद में कही है इस प्रश्न के उत्तर में, उसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि नामंजूर कर दिये गये हैं। ऊपर हैडिंग तो दे दिया गया है—धौलपुर में विद्युत केन्द्र का प्रस्ताव नामंजूर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप यह तो अखबार से बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने यहां अखबार ही पेश किया था, यहां अखबार पर ही चर्चा की थी....

श्री यदुनाथ सिंह : यह हमारे अखबार का विश्वास नहीं करेंगे तो हम इनका क्यों करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा यहां की थी, चर्चा की थी, मैं कह रहा था। उस दिन भी माननीय सदस्या ने अखबार के माध्यम से ही चर्चा की थी। मैं तो मना कर रहा था। माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसके बाद में आप तो दिल्ली जा चुके हैं, स्पष्टीकरण ले लिया होगा। आपको स्पष्ट करना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : धौलपुर के बारे में यह कहा गया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही। वही अखबार जो आपने दिया था उसी को पढ़ रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुन लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। धौलपुर में उन्होंने कहा है कि ताजमहल के कारण एन्वायरमेंट की पोजीशन को देखते हुए इस धौलपुर के साइड को आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए....(व्यवधान)

(श्री शिवचरण माथुर)

ऊर्जा राज्य मन्त्री कल्पनाथ राय ने आज लोक सभा में विष्णु मोदी को बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस योजना के आस-पास के क्षेत्र और ताजमहल पर कुप्रभाव पड़ने की आशंका थी। उन्होंने बताया कि परियोजना अधिकारियों को इस संयंत्र के लिए नया स्थान तलाश कर संशोधित रिपोर्ट देनी होगी। यह उन्होंने कहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ मिनिस्टर की कांफ्रेंस में वह मौजूद थे और उन्होंने उसमें भारत सरकार की ओर से... कहा गया है कि पिट हैड नजदीक के पावर प्लाण्ट लगेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : यह नहीं कहा, आप सुनिये तो सही, मैं बता रहा हूं आपको, यह कहीं नहीं कहा उन्होंने इकानामी ऑफ स्टेट के बारे में डिटेल में बात करने वाली बात जरूर कही थी लेकिन पिट हैड पर ही लगेगा ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा।....(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या यह स्कीम अभी भी धौलपुर में लागू हो जायेगी।

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल लगेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय एक घंटे से हमें टीज कर रहे थे अन्तर्राज्यीय जो समझौते हैं उनके बारे में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद बाहर तो हम लोग बैठ कर बात करते हैं तो सब कुछ स्वीकार करते हैं कि 10 मई, 1984 का समझौता मुकेरियां और 'यूडीबीसी–II और शाहपुरा काण्डी, यह बने हैं आज से 5 साल, 8 साल पहले और आनन्दपुर का थोड़े दिन पहले बना था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी ऐसा नहीं है जो 84 के पहले बना हो।

श्री शिवचरण माथुर : मैं जिस वक्त पी. यू. सी. का चेयरमैन था उस समय कुमारी पुष्पाजी भी पी. यू. सी. की सदस्या थी। हमारी कमेटी वहां पर गई है उनसे पूछिये, पुष्पाजी से, हम लोग मुकेरिया गये थे उस समय वह बन रहा था, हमने उसका एतराज किया था उसके बाद में हमने सवाल उठाया कि चूंकि हमारा पानी है हमारा उसमें शेयर है इसलिए उस शेयर के हिसाब से प्लांट में हमारा हिस्सा होना चाहिए। हमने यह बात कही और मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी को निवेदन किया कि आप इसमें इन्टरवीन कीजिए, उन्होंने इंटरवीन किया। उस समय शिव शंकर जी एनर्जी मिनिस्टर थे। उन्होंने हमको बुला कर कहा कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देते हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक नेशनल प्रोजेक्ट में राजस्थान को हर हालात में हिस्सा दिया जाना चाहिये। यह उस एग्रीमेंट का हिस्सा है। उसके बाद में अभी श्रीनगर में नार्थ जोन कौंसिल की मीटिंग हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो उस एग्रीमेंट से एक यूनिट राजस्थान को बिजली मिली हो तो बताइये ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपको बता दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, नार्थ जोन कौंसिल की मीटिंग में हमने इस प्रश्न को उठाया। यह वहां की प्रोसिडिंग्स में है। उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंदर-अंदर हम इसको सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे। देख लेंगे यह उन्होंने नहीं कहा। अगर मुझे राजस्थान से प्रेम नहीं होता, मैं मानता हूं कि राजस्थान के हितों के लिए जितनी कुर्बानी आप देने की तैयारी रखते हैं उससे ज्यादा कुर्बानी मैं देने को तैयार रहता हूं। कहीं पर भी हमने गलत समझौता नहीं किया। आपने नाथपा झाकड़ी की बात कही। इसका समझौता भारत सरकार और हिमाचल सरकार के बीच में हुआ। मैंने इस प्रश्न को भी वहां नोर्थ जोन कौंसिल में उठाया। मैंने कहा इसमें राजस्थान का भी, इसमें सतलज का पानी आता है जिसके हम हिस्सेदार हैं, हमें इसमें बिजली दीजिए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जब यह प्लांट बन जायेगा तो आपके हिस्से को मानेंगे और राजस्थान को उसका हिस्सा मिलेगा। यह नार्दर्न कौंसिल की मीटिंग में हुई बात कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह मिनट्स में है ?

श्री शिवचरण माथुर : प्रोसिडिंग्स में है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मिनिट्स में नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं। यह बात आप जो कह रहे हैं कि नाथपा झाकरी बन जावेगी और बिजली का उत्पादन होगा तो राजस्थान को उसका हिस्सा मिलेगा। यह मिनट्स में नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : आपने देखी है मिनट्स ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, मैंने देखी है तभी मैं कह रहा हूं आपको।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन यह कर रहा था ...(व्यवधान) मेरे पास प्रोसिडिंग्स नहीं आई और आपके पास आ गई प्रोसिडिंग्स।

एक माननीय सदस्य : इनकी तो असत्य बोलने की आदत है।

श्री सी.पी. जोशी : यह बात भी रिकार्ड कर ली जाय। आज की मजाक है, इस बात को रिकार्ड कर लिया जाय।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने, चम्बल काम्प्लेक्स में मैंने जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आये थे तब मैंने समझौता करने वाली बात की उस पर आपने एतराज किया और राहू घाट की बात आपने कही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश कोटा बैराज तक जो भी चम्बल का काम्पलेक्स बना है जितना पानी एनकाउण्ट हुआ है और जितने पानी का उपयोग हो रहा है उसमें हम 50-50% के हिस्सेदार हैं। हम जानते हैं कि उससे ज्यादा पानी नीचे है। एक मिलियन एकड़ फीट पानी कोटा बैराज के नीचे है जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा समाप्त होती है वहां तक है। एक बात आपको और बताऊं कि इस चम्बल के, कोटा बैराज के नीचे राजस्थान की सीमा जहां पर खत्म होती है सबलगढ़ के पास में, मण्डराय के पास में उससे थोड़ी

(श्री शिवचरण माथुर)

आगे उत्तर प्रदेश की सीमा के ऊपर वहां पर करीब 25 हजार वर्ग कि. मी. का कैचमेंट तो मध्य प्रदेश का है और 26 हजार वर्ग कि. मी. का कैचमेंट हमारा है । हम दोनों ने कहा कि इस सारे पानी को, एक मिलियन एकड़ फीट पानी है उसका उपयोग करके जैसे हम ऊपर हिस्सेदार हैं इसी प्रकार से नीचे की हिस्सेदारी करने वाली बात करनी चाहिये और उसमें जहां जहां पर भी प्रोजेक्ट बन सकते हैं उस घाट का प्रोजेक्ट तो एक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राहू घाट के अलावा तीन प्रोजेक्ट उसमें और बनने वाली बात है । तारा नगर की सर्वे हुई हैं और बात तो केवल इतनी ही हुई है कि दोनों प्रदेशों के चीफ इंजीनियर्स इसका सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद में दो महीने के बाद में रिपोर्ट सबमिट करेंगे अगर राजस्थान के हित में समझौता होगा तो हम निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करेंगे ।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राहू घाट में आपका बिजली का शेयर कितना है ?

श्री शिवचरण माथुर : कितना क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राहू घाट में हण्ड्रेड पर्सेण्ट और आपने जो समझौता किया उसमें 50 पर्सेण्ट ।

श्री शिवचरण माथुर : हण्ड्रेड पर्सेण्ट कैसे हो जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हण्ड्रेड पर्सेण्ट होना चाहिये ।

श्री शिवचरण माथुर : कैसे हो जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका एग्रीमेण्ट है ।

श्री शिवचरण माथुर : कैसे हो जायेगा । आपको जिसने ब्रीफ किया है वह गलत किया है । मैं जानता हूं कि किसने आपको ब्रीफ किया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी गलत है ।

श्री शिवचरण माथुर : आपको जिसने ब्रीफ किया है वह गलत किया है ।...(व्यवधान) मुझे मालूम है । वह समझ गये हैं कि किसने ब्रीफ किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट, दोनों प्रदेश के चीफ इंजीनियर्स की जो भी रिपोर्ट आयेगी अगर हमारे हित में होगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हित में नहीं होगी तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे । अपनी शर्तों पर उसको रखना चाहते हैं लेकिन उस पानी का नीचे उपयोग हो राजस्थान के हित में, उसमें लिफ्ट इरिगेशन भी शामिल है सवाई माधोपुर की लिफ्ट इरिगेशन की यहां पर चर्चा आयी थी । मैं समझता हूं कि वह भी उसमें शामिल है, कई और भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स उसमें शामिल हैं । वह लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम भी आयेगी, फ्लो से पानी जायेगा वह भी आयेगा, बिजली पैदा होने वाली बात आयेगी, वह भी आयेगी और सब का एक डिटेल प्लान बन करके राजस्थान के हित में जो बात होगी उसको स्वीकार करेंगे । कौनसा सम–

(श्री शिवचरण माथुर)

झौता हमने कर लिया, मेरी समझ में नहीं आता है। केवल दोनों प्रदेशों के अधिकारी, चीफ इंजीनियर्स वहां जाकर के उसको देखेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद में दोनों मुख्य मंत्री बैठ कर बात करेंगे। मैं एक बात आपसे और कहूं। यमुना और गंगा के पानी की बात बहुत दिनों से चला करती थी। मैंने अबकी बार जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से चर्चा की। मैंने उनसे कहा कि यमुना और गंगा के पानी में हमको हक मिलना चाहिये और हम तो एक बात कहना चाहते हैं, गंगा का कम से कम फ्लड वाटर भी अगर राजस्थान को मिल जाय तो राजस्थान का उसमें बहुत कल्याण हो जायेगा। मुझे कहते हुए खुशी है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने मुझे यह कहा है कि कसाऊ का प्रोजेक्ट है, जो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, टोंस नदी है, उस टोंस नदी पर बनने वाले कसाऊ प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बैठ करके उसमें चर्चा करें, इसके टेक्नीकल रिजल्ट्स को देखें और देख करके....

श्री यदुनाथ सिंह : 1963 में नाथूराम जी बैठे थे तभी तय हो गया था।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो आज की बात कह रहा हूं यदुनाथ सिंह जी। आप इसको बुरा मानते हैं कि राजस्थान इसको.... (व्यवधान) तो टोंस नदी पर बनने वाले कसाऊ के प्रोजेक्ट के ऊपर, पहले हमारे इंजीनियर्र लखनऊ जा रहे हैं और वहां जाकर चर्चा करेंगे उसके बाद में बैठ करके उसमें बात करने के बारे में निर्णय करेंगे।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जल्दी से जल्दी गंगा का पानी ले आवे।....(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : ये तो हरिद्वार जाते हैं, हर की पोड़ी तो हम नहीं ला सकते। गंगा का पानी आ जाय लेकिन यहां पर हर की पेड़ी थोड़ी ही आयेगी। आप तो जाकर के अस्थियों को हर की पोड़ी पर ले जाते हो। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जो समझौता हमने किया 31 दिसम्बर, 1981 का उसमें राजस्थान 8 मिलियन एकड़ फीट पानी की बजाय 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला और उसमें से 0.47 मिलियन एकड़ फीट पानी उस सूखे इलाके में नोहर, भादरा में ले जाने वाली बात है। उसको हमने परश्यू किया है। मैं इस सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, हमारे तकनीकी आफीसर दिल्ली में बैठे हुए हैं। सैन्ट्रल वाटर कमीशन ने जो कुछ भी डिटेल्स हमसे चाही थी वे डिटेल्स हमने दे दी हैं। मैं प्लानिंग मिनिस्टर से मिल करके आया हूं, उन्होंने कहा है कि जैसे ही सैन्ट्रल वाटर कमीशन की हमारे पास रिपोर्ट आ जायेगी हम उसको स्वीकार करेंगे और आपको यह अधिकार देंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में आप उस प्लांट को लीजिये और सिद्धमुख का प्रोजेक्ट बनने के बाद में नोहर भादरा में क्या उसकी स्थिति बनेगी, इसको आप जानते हैं, आप बीच बीच में उठ रहे थे, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं आपकी बात कहना चाहता हूं।....

श्री मोहन छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय अब चुनावी होली का वातावरण खत्म हो गया, हम असलियत पर आ रहे हैं । जो आप बिजली के और पानी के सपने लेते हैं हम उसका सादर स्वागत करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं सपना नहीं लेता हूं, मैं तो हकीकत की बात करता हूं । मैं कभी सपने नहीं लिया करता ।

श्री मोहन छंगाणी : और हम चाहते हैं कि हम भी वैसे ही सपने लें ।

श्री शिवचरण माथुर : और छंगाणी जी स्वप्न लेने के....

श्री मोहन छंगाणी : आप जब एग्रीमेंट में दस्तखत करके आते हैं उसमें हमारे राजस्थान के हितों का नुकसान होता है, सिर्फ इतनी सी बात है ।

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल नहीं होता है ।

श्री मोहन छंगाणी : जो आप सपने लेते हैं, बहुत अच्छे सपने हैं । रीवर बेसिन के आधार पर यमुना और गंगा का पानी हमको मिलना चाहिये । अगर गुलाटी उसके लिए लड़ करके राजस्थान के लिए पानी ले सकते हैं तो आप गुलाटी क्यों नहीं बनते । गंगा यमुना का पानी लायें । आप डिटरमिनेशन करके और हमारे राजस्थान के हितों के लिए लड़ करके....

श्री शिवचरण माथुर : आपके भाषण से मुझे ताकत मिली है ।

श्री मोहन छंगाणी : तो पंजाब वाले दस्तखत करवाते हैं, हरियाणा वाले दस्तखत करवाते हैं वैसे आप दस्तखत करवाइये हम आपको माला पहनायेंगे ।

श्री शिवचरण माथुर : छंगाणी साहब मेरे डिटरमिनेशन में कोई कमी नहीं है लेकिन आपने जो कहा है उससे मुझे ताकत मिली है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों का जहां भी सवाल आयेगा हम उसको बहुत दृढ़ता से कहने की बात करेंगे और कहीं पर भी राजस्थान के हित को हम गिरवी रखने वाली बात नहीं करना चाहते । राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा बाहर का पानी मिले, राजस्थान में बिजली ज्यादा पैदा हो, राजस्थान में इस तरह के साधन ज्यादा बढ़ें यह हमारी कोशिश है लेकिन राजस्थान के साथ में कुछ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उनको तो हमने मिटाने की कोशिश की है जो राजाओं और जागीरदारों का आतंक था उसको तो हमने खत्म करने की कोशिश की है लेकिन एक भौगोलिक परिस्थिति राजस्थान की है उन भौगोलिक परिस्थितियों से निकालने के लिए हम पूरी तौर पर कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं उसमें आप भी हमसे सहमत हैं, आपका सहयोग भी हम चाहते हैं, हम विपक्ष के सहयोग के आधार पर... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा और लम्बी बात नहीं कहना चाहता, मैं जो राजस्थान सरकार ने निर्णय किये हैं वे सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायतों के कार्यक्रम को और अधिक गति देने के लिये भू-राजस्व

(श्री शिवचरण माथुर)

की राशि को पंचायतों को दे दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भू-राजस्व के करीब 12 करोड़ रुपये है तथा ग्रामीण जनसंख्या 2.7 करोड़ है। पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था व विकास को दृष्टिकोण में रखते हुए भू-राजस्व की वसूली यथावत पटवारियों के व अन्य राजस्व अधिकारियों के माध्यम से ही जारी रहेगी उसके पश्चात सम्बन्धित पंचायती भू-राजस्व उसी पंचायत को अनुदान के रूप में दे दी जायेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों व राजस्व के अन्तर्गत वेतन आदि का जो खर्चा होता है व पूर्व की भांति राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निर्णय किया गया है कि साधारण वर्ष के आधार पर पंचायत में वसूली योग्य लगान का निर्धारण किया जायेगा। यदि किसी वर्ष अकाल आदि के कारण सरकार द्वारा राजस्व स्थगित या माफ किया जाता है तब भी उस वर्ष में राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित राजस्व की मात्रा अनुदान के रूप में पंचायतों को दे दी जावेगी। यदि किसी पंचायत में लगान की दरें बहुत कम है, जैसे जैसलमेर के इलाके में बिगोडी बहुत कम है। यदि किसी पंचायत में लगान की दरें बहुत कम है तथा उनके आधार पर अनुदान की मात्रा 4 रुपया व्यक्ति से कम हो तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम 4 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से उस पंचायत को अनुदान प्राप्त हो। इससे स्पष्ट है अनुदान की राशि पंचायतों को इसी आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 7 राज्यों में हो चुका है, 8वां नम्बर है।

श्री शिवचरण माथुर : यह स्कीम नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूं जितना हम दे रहे हैं उतना किसी स्टेट में नहीं दिया है। इसी आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी वह भू-राजस्व कुछ अधिक ही होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के कर्जों के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है। वह मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं। .... (व्यवधान) सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय पिछले वर्षों में निरन्तर अकाल पड़ने से राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, अकाल की स्थिति में सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋणों की वसूली को स्थगित कर कृषकों को राहत पहुंचायी हैं।.... कई वर्षो के अकाल के कारण तथा बार बार वसूली स्थगन के कारण ऋण-भार काफी बढ़ गया है। उन्हें अब चालू फसली ऋणों के साथ पुराने परिवर्तित ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। भुगतान नहीं किये जाने पर वह ऋण चूक की स्थिति में आ जाते हैं और इन्हें नया फसली ऋण नहीं मिल पाता है। इस कारण किसानों को दस प्रतिशत की सस्ती ब्याज दर पर फसली ऋण दिये जाने की जो सुविधा सरकार ने दी है, उससे वह वंचित रह जाते हैं और खाद बीज नहीं खरीद पाते। प्रदेश में 30 जून, 1988 को

(श्री शिवचरण माथुर)

लगभग 12 लाख किसान डिफाल्टर थे, जो फसली ऋणों का भुगतान समय पर नहीं कर सके। अपनी इस चूक के कारण वह पुनः फसली ऋण नहीं ले पा रहे हैं। इससे न केवल इन किसानों की हानि हुई है, वरन इतनी बड़ी संख्या में किसानों को सहकारी संस्थाओं से फसली ऋण नहीं मिलने से राज्य में कृषि उत्पादन में भी रुकावट आयी है। सरकार ने इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है, मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए तथा बड़े कर्जों के भार से किसानों को राहत दिला कर उन्हें फसली ऋण लेने का पात्र बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने निम्न निर्णय किये हैं–

(1) 30 जून, 1988 को लगभग 12 लाख किसान सहकारी समितियों का फसली ऋण नहीं चुका पाये थे, इस कारण से वे खाद-बीज हेतु ऋण लेने की पात्रता खो बैठे। इन किसानों को लाभ देने के लिये सरकार ने निर्णय किया है कि इन पर चढ़े हुए मूलधन और ब्याज की राशि को ब्लॉक कर दिया जावे। ब्लॉक किये गये ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ब्लोक किये गये मूलधन पर ब्याज को आठ किस्तों में किसानों से लिया जायेगा। ज्योंही पहली किस्त किसान जमा करवा देगा, उसको पुनः सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने की पात्रता दे दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने नकल की है।

श्रीमती कमला : जिम्मेवारी की योजना है।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये। शेष सात किस्तें अगले साल, सात वर्षों में ली जायेंगी। सरकार के इस निर्णय से लगभग 12 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इससे अगले वर्ष किसानों को बकाया 118 करोड़ रुपये मूलधन व 94 करोड़ के भुगतान की तुलना में केवल 26 करोड़ का भुगतान करने पर ही उन्हें नया फसली ऋण मिल सकेगा।

श्री मोहन छंगाणी : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में ही है। आप घोषणा कर दोगे, 1986-87 में राजस्थान सरकार का मेमोरेंडम है।

श्री शोपत सिंह : माथुर जी 94 करोड़ का ब्याज तो माफ करो।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये तो सही पहले। यह गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन जी, घोषणा सुन लीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार : ब्याज माफ होना चाहिए, आप यह घोषणा कर दो।

श्री शिवचरण माथुर : जो कर सकते हैं, किया है। आप पूरी बात सुनिये तो सही। बैठिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 94 करोड़ का जो ब्याज है, उसको ब्लाक क्यों कर रहे हैं, वह ब्याज 94 करोड़ का कम से कम माफ तो करो आप।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

(196)

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, ऋण भुगतान में.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके राज में और क्या करोगे, आप कह रहे हो ऋण सबके माफ होंगे।

श्री नवरंग सिंह : हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने 248 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है, आपमें हिम्मत ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंग सिंह जी।

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रकार ऋण भुगतान में उन्हें 186 करोड़ की राहत मिलेगी। यदि भविष्य में इस अवधि में अकाल के कारण ऋणों की वसूली स्थगित की जाती है, यदि वसूली में कमी होती है, तो सरकार इस प्रकार की वसूली की पूर्ति के लिये बैंकों को ब्याज मुक्त ऋण देगी। इस राशि के लिये सरकार प्रति वर्ष साढ़े छः करोड़ रुपये देकर एक कोष स्थापित करेगी। राज्य सरकार पर इस निर्णय से 45 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इससे इन 12 लाख किसानों को अगले वर्ष 75 करोड़ रुपये के नये फसली ऋण मिल सकेंगे, जो व्यक्ति 30 जून, 1990 तक पहली किस्त भी जमा नहीं कराते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। भविष्य में यदि वह ऋण जमा कराने में चूक जाते हैं, तो वह उस योजना के दिये जाने वाले लाभ के पात्र नहीं होंगे। वित्तीय साधनों की कठिनाई को देखते हुए भी किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार इस भार को सहर्ष वहन करेगी। ऋण ब्लोक योजना का लाभ लेने के इच्छुक या पूरा भुगतान करने वाले जो व्यक्ति 30 जून, 1990 तक उन पर बकाया फसली ऋण जमा करवा देते हैं, उनसे कोई दण्डनीय ब्याज नहीं लिया जायेगा। इससे सभी 12 लाख डिफाल्टर किसान लाभान्वित होंगे। सरकार पर इससे दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में सरकार ने दो हजार रुपये तक के फसली ऋण पर मूलधन के बराबर ही ब्याज देने का निर्णय किया था, दाम दुप्पट का। किसानों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पांच हजार रुपये तक के....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऋण ब्लाक की बात कर रहे हैं, भारत सरकार का निर्णय तो मानिये। इस बात के लिए आपको चिट्ठी मिली है।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, भारत सरकार का कोई निर्णय ऐसा नहीं है। आप पूरी बात तो सुनिये। यह हमारा निर्णय है। पांच हजार रुपये तक के फसली ऋण वाले किसानों से भी मूलधन के बराबर ब्याज लिया जावे, बशर्ते कि वह उन पर बकाया राशि का भुगतान 30 जून, 1990 तक कर दें। मूलधन की राशि से अधिक लगने वाले ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इससे राज्य सरकार पर तीन करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पांच सौ रुपये तक की ऋण राशि लेने वाले अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के कृषकों को पुनः खाद खरीदने हेतु फसली ऋण का पात्रता बनाने के लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि वह 250 रुपये की राशि जमा करा देते हैं, तो सरकार द्वारा अपनी ओर से उन्हें 250

(श्री शिवचरण माथुर)

रुपये की सहायता कर उन्हें ऋणभार से मुक्त कर दिया जावेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच सौ रुपये का तो ऋण मिलता ही नहीं हैं । पांच सौ का तो होता ही नहीं है ।

श्री सी. पी. जोशी : दूर दराज के गरीब आदमी को फायदा मिला है, आपको नहीं मिलेगा, हमारे को....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नत्थी सिंह : आप गरीबी का मजाक कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थी सिंह जी, माननीय सी. पी. जोशी जी । आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : इससे राज्य सरकार पर साढ़े सात करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा । यह सुविधा 30 जून, 1990 तक भुगतान करने वाले सहकारी समितियों के सभी अनुसूचित जाति के ऋण लेने वाले को दी जायेगी । अनुमान है इससे लगभग दो लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे । सरकार के इन निर्णयों से लाखों किसान सहकारी बैंकों से ऋण लेने की स्थिति में आ जायेंगे, इससे सहकारी संस्थाओं को बल मिलेगा, तथा कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी । इन निर्णयों का तेजी से पालन हो, इस उद्देश्य से सरकार ने सितम्बर में एक माह का "सहकारिता अभियान" भी चलाने का निर्णय किया है ।

श्री शिवराम शर्मा : गरीबी की रेखा के नीचे जो विधवाएं हैं, उनको भी जोड़ दें ।

श्री मोहन छंगाणी : माननीय शिवचरण जी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहनजी, क्या हो गया है आज आपको ? आप आज बहुत बोले हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : आप थोड़ा सुन लीजिये ।

श्री मोहन छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आगे घोषणा करेंगे, इसीलिये । अपनी सरकार ने 1986–87 में इसका मेमोरेंडम दिया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने यह कोट किया था और वह कोटेशन, रिजर्व बैंक की रिकमन्डेशन कमेटी का था । उन्होंने रिकमन्ड किया था कि एस. सी., एस. टी., स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, इन पर जो भी लोन हो, जहां लगातार तीन साल तक अकाल हो, उनके सारे के सारे लोन माफ कर दिये जायें, रिजर्व बैंक की रिकमन्डेशन मैं आपको दे रहा हूं और जो प्राइमरी सोसायटी लोन्स भी हैं, उस लोन का रीएम्बर्समेंट भी स्थगित किया जाये, यह रिकमन्डेशन रिजर्व बैंक की सब कमेटी का है ।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय छंगाणी साहब, बैंक एक पैसा भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं है । जो भी है गवर्नमेंट अपने कोष से कर रही है ।

श्री डूंगरराम पंवार : गरीबी रेखा में चयनित सभी आ जायें ।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के 28 स्थानों में कुल 1758 कच्ची बस्तियां हैं, इनमें करीब 12 लाख की जनसंख्या है, इन बस्तियों में सुधार के लिए विशेष प्रयास किया जावेगा। समस्त नियमित बस्तियों के लिये निम्न कदम उठाए जाने हैं :– उपर्युक्त बस्तियों में सड़कें, नालियां, इत्यादि बनाना, पीने के पानी की तुरन्त व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, इसके लिये राजस्थान में पहली बार पांच करोड़ रुपये की धनराशि इन कच्ची बस्तियों के लिये रखी गयी हैं। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कच्ची बस्तियों के लिये मैंने अपनी बात कही थी।

श्री शिवचरण माथुर : आपके नेताजी कहते हैं, एक हजार करोड़ रुपये की जो है....

श्री डूंगरराम पंवार : कच्ची बस्ती इतनी सस्ती नहीं है कि आपको वोट मिल जायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : कहां से आयेगा एक हजार करोड़ रुपये ? आप कहते हैं सहकारी समिति के लोगों से आप पैसे मत लीजिये, रोज बात कहते हैं। अगले दो माह में ऐसी सभी ग्रामीण अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों का सर्वेक्षण कराया जायेगा। जहां कम से कम चालीस परिवार निवास करते हों, इन इलाकों की सभी ऐसी बस्तियों में हैण्ड पम्प मार्च, 1990 तक मुहैया कराये जायेंगे। उन क्षेत्रों में जहां सतही पानी या भूजल के सिर्फ पीने के पानी के स्रोत हैं तथा उन क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की कोई सम्भावना नहीं है, उन ग्रामों में मार्च, 1990 के अन्त तक चालीस सोलर पम्प पीने के पानी की सुविधा हेतु लगाये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के शिड्यूल्ड ट्राइब्स की उन बस्तियों में जो कि मुख्य बस्ती से थोड़ी दूर है लेकिन जिसमें कम से कम पचास परिवार रहते हैं, उन पचास परिवारों के हेमलेट्स को भी,—इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से उन इलाकों में बिजली के खम्भे ले जाकर उन बस्तियों को बिजली पहुंचाई जायेगी।

श्री डूंगरराम पंवार : 1990 तक तो उनकी प्यास के मारे आंख बाहर आ जायेगी। इतने दिन इन्तजार कैसे करेंगे। यह तो बहुत लम्बा इन्तजार है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, बहुधा यह शिकायत प्राप्त होती है कि अब तक के अकाल के वजह से कुएं सूख गये या उनका जल स्तर नीचे गिर गया या कुएं ढह भी गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पर पहले यह बताइये, यह घोषणा तो आने वाली सरकार करेगी, आप दिसम्बर के पहले क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी।

श्री डूंगरराम पंवार : आप तो हरिद्वार जाएं, हरिद्वार।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी बिजली का मिनिमम चार्जेज का बिल प्राप्त होता रहता है, इन परिस्थितियों को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है और इन अपरिहार्य

(श्री शिवचरण माथुर)

कारणों की जिम्मेदारी कृषक पर नहीं आनी चाहिए। अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है–ऐसी परिस्थिति में कृषक चाहे तो अपनी बिजली का कनेक्शन कटवा दे और जब तक कनेक्शन डिसकनेक्ट होगा तब तक मिनिमम चार्जेज बिल उससे नहीं लिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह घोषणा तो आप पिछले सैशन में कर चुके और लागू नहीं हुई।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, मैं कह रहा हूं न अभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां तो बता रहा हूं न, मैं यह कह रहा हूं कि आपने पिछले सैशन में घोषणा की थी, वह लागू नहीं हुई।

श्री डूंगरराम पंवार : कनेक्शन तो अब कटने ही वाला है. थोड़ा ही टाइम है।

श्री शिवचरण माथुर : बता दीजिए। जब कृषक यह कनेक्शन्स पुनः चाहेगा तब उसे ओवर राइडिंग प्रायोरिटी देकर के, दूसरी प्रायोरिटी काट करके पन्द्रह दिन के अन्दर–अन्दर पुनःकनेक्शन चालू कर दिया जायेगा।

श्री शोपत सिंह : नान–पेमेन्ट में जो काटे हैं उनके बारे में क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह जी, बैठें। प्लीज। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : जो दूसरी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, विरोधी पक्ष के नेता ने कही हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके सबके सम्बन्ध में हम पूरी जानकारी करेंगे और राजस्थान सरकार की ओर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई चीज का उचित जो हल निकलेगा उसको नहीं करने में हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बात मैं आपको और कहूंगा, राजस्थान के अन्दर साढ़े सात हजार पंचायतें हैं और करीब पांच हजार दो सौ को-आपरेटिव सोसायटीज हैं, कई को-आपरेटिव सोसायटीज दो–दो पंचायतों को लेकर बनी हुई हैं, उससे हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थोड़ी कठिनाई आती है, राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि एक पंचायत में एक सहकारी समिति हम कायम करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह घोषणा राम सिंह जी पांच दिन पहले ही कर चुके हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : उधर ++ हो रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हर पंचायत में एक–एक व्यवस्थापक की व्यवस्था भी सरकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि यह विनियोग विधेयक स्वीकार किया जाय। धन्यवाद। (व्यवधान)

++ शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पानी के बारे में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो विचारार्थ लिया गया है, अभी पारित कहां कर रहा हूं। विचारार्थ ले रहा हूं।

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव करें। पहले प्रस्ताव तो आ जाय।

विधेयक का पारण

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान-विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो बातें कही हैं वह ऊपर–ऊपर की बातें हैं। जो बातें इनसे विधान सभा में पूछी गई थी और हमने जिन मुद्दों को उठाया था और हमने खासकर के कहा था कि इन मुद्दों का आप जवाब दें, सरकार ने उनका जवाब ही नहीं दिया। हमने यहां पर उठाया था कि बलदेव प्लाजा का सरकार जवाब दे कि क्या करने जा रही है, सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमने यहां पर +++ संजीवनी फीडर का प्रश्न उठाया था—उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है, जवाब दें। हमने यह कहा था कि पिच्यासी लाख रुपये के हैण्ड पम्प आपने भीलवाड़ा में खुदाये, सरकारी रिग्स पड़ी रही, उसका आपने हाफिजजी को फायदा पहुंचाया, बिना काम इसका पेमेंट कराया, आपने जवाब नहीं दिया....

श्री उपाध्यक्ष : ये आरोप नहीं, प्लीज....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमने आज यहां पर कहा था कि भारत पाइप और डायना प्लास्ट को....

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रिंसीपल की बात करें। कोई प्रिंसीपल की बात रह गई, वह बोलें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसके खिलाफ इन्क्वायरी हो गई थी, एक सौ छह नम्बर की इन्क्वायरी हो गई थी, उस इन्क्वायरी के अन्दर दाऊ लाल माथुर को जिम्मेदार पाया गया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप करते रहो। (व्यवधान)

श्री डूंगर राम पंवार : जो भीलवाड़ा में +++ किया था, उसका जवाब दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++ आप जवाब दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी पी.एच. ई.डी. के भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं.....

एक माननीय सदस्य : डूंगर राम जी, आप तो बोलो कुछ ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और मुख्य-मंत्रीजी से आप इन बातों का जवाब दिलवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, अब आप ।

श्री डूंगरराम पंवार : नहर पर देनदारी करनी है फिर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : सम्माननीय सदस्य बोल रहे हैं....

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये एक बात मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यहां कई बार इस प्रश्न को हम लोगों ने भी उठाया और विपक्ष के नेता महोदय ने भी उठाया, को-आपरेटिव के मामले में कई घोषणाएं आपने की हैं लेकिन प्रश्न यह उठाया था कि चालीस करोड़ का इम्बैलेन्स ऐसा है जो ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ रहा है, गबनों के ऊपर ब्याज चढ़ रहा है, किसान ने तो नीचे दे दिया, बैंक तो लेना बताता है लेकिन किसान पर नहीं है और इम्बैलेन्सेज के लिए एक सर्कूलर दिया है कि इनको ब्लॉक कर दिया जाय, ब्याज बंद कर दिया जाय.....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास अब कुछ बचा ही नहीं है । कुछ कहने के लिए ही नहीं बचा है ।

श्री नत्थी सिंह : लेकिन अपेक्स बैंक और सरकार के स्तर पर ब्याज बंद नहीं हो रहे । जो घोषणा आपने की हैं, उससे बैंकों की ऋण लेने की क्षमता नहीं बढ़ेगी । इसीलिए जो इम्बैलेन्सेज हैं उनकी राशि पर जो ब्याज ब्लॉक करने की बात की है, उस सम्बन्ध में आप घोषणा करिये तभी फसली ऋण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी बोलें । बोलिये-बोलिये, जल्दी करिये ।

श्री रमजान खां : पिछले चालीस करोड़ रुपये के इम्बैलेंस का ब्याज तत्काल बंद किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन ।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले देश के कृषि मंत्री मेरी कांस्टीट्यूएंसी भादरा में पधारे थे, उससे पहले गंगानगर भी आये थे तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि खालों की कीमत हम माफ करने जा रहे हैं । अब मुझे यों बतला दें कि वे कृषि मंत्री जी गलत हैं या हमारे मुख्य मंत्री जी गलत हैं ? इस बात का जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : अब ये कृषि मंत्री जी जवाब देंगे, यह तो वे जवाब देंगे । (व्यवधान)

इम्बैलेंसेज का कोई जवाब देंगे ? माननीय मुख्य मंत्रीजी । (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : माननीय उपाध्यक्ष-महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की हैं, उसका यह सदन स्वागत करता है और निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों में एक नई जागृति आयेगी। राजस्थान में सहकारिता की जो बातें मुख्य मंत्री जी ने कही हैं उससे निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आयेगा। इसलिए मुख्य मंत्री जी, विपक्ष ने जो बातें कही हैं उस ओर ध्यान नहीं दिया जाय..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (सं.–3) विधेयक, 1989 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.59 बजे शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 1989 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

कुम्हेर तहसील में विद्युतीकरण

435. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या मुख्य (ऊर्जा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर तहलील के विभिन्न गांवों में हरिजन बस्तियों तथा अन्य ग्रामवासियों को बिजली दिये जाने हेतु लठ्ठे खड़े कर दिये हैं अथवा डाल दिये हैं किन्तु अभी तक उन पर विद्युत तार नहीं खींचे गये हैं और विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की कई बैठकों में स्थानीय विद्युत अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद उक्त गांवों का विद्युतिकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कुम्हेर तहसील की 29 हरिजन बस्तियों में पोल खड़े हुए हैं पर तार नहीं खेंचे गये हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 20 सूत्री कार्यक्रमों की विभिन्न बैठकों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि सम्बन्धित सरपंचों से बिजली उपभोग के माहवारी बिलों के भुगतान करने का आवेदन प्राप्त होने पर हरिजन बस्तियों में तार खींच कर कनेक्शन दिये जा सकेंगे। उक्त 29 ग्रामों की हरिजन बस्तियों में से केवल चार में इस प्रकार के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिनमें से तीन ग्रामों की हरिजन बस्तियों में कनेक्शन आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा एक में "एल फार्म" प्राप्त नहीं हुआ है। शेष 25 ग्रामों की हरिजन बस्तियों में आवेदन प्राप्त होने व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य पूरा किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

कुम्हेर तहसील की ऐसी हरिजन बस्तियों के नाम जिनमें खम्बे खड़े कर दिए गए हैं लेकिन तार नहीं खीचे गए हैं तथा विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।

क्र. सं. ग्राम/हरिजन बस्ती का नाम	क्र. सं. ग्राम/हरिजन बस्ती का नाम
1. जया	2. वरताई

1	2	1	2
3.	लांकी	17.	सैत
4.	कुखारा	18.	धनसौटी
5.	उसरानी	19.	पीठी
6.	पला	20.	उसरारा
7.	रिठौटी	21.	हीगोली
8.	सिनसिनी	22.	महरावर
9.	सितारा	23.	धनताड़ा
10.	सिकरोरी	24.	लखन
11.	सिकरोरा	25.	गुन्सारा
12.	जहांगीपुरा	26.	सोगर
13.	पिचूमर	27.	सांतरूक
14.	सुपावस	28.	ताखा
15.	सैहती	29.	अजान
16.	येरावर		

मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें

436. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किस किस मुख्यालय पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नहीं हैं ? तथा राज्य सरकार का कब तक वहां मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने हेतु जन प्रतिनिधियों ने मांग की है ? यदि हां, तो किस किस ने कब-कब ?

(3) केन्द्र व राज्य सरकार मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिये प्रति प्रयोगशाला कितनी-कितनी मदद देती है ?

(4) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिला-1 कृषि, अफीम सन्तरा उत्पादक क्षेत्र है ? यदि हां, तो जिले के किसानों को लाभ एवं राहत देने हेतु झालावाड़ में उक्त प्रयोगशाला कब तक स्थापित की जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़, अजमेर, जालौर, नागौर, बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू झुन्झुनूं, टौंक, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और झालावाड़ में पृथक से मुख्यालयों पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत नहीं है। वर्ष 1989–90 में झालावाड़ डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, व नागौर, जिलों में स्थाई अथवा भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। वित्तीय साधनों के अभाव में शेष जिला मुख्यालयों पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला इसी वर्ष स्थापित करना सम्भव नहीं है।

(2) झालावाड़ में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 1988–89 के विधान सभा सत्र में यह मांग उठाई गई थी।

(3) अब तक कितनी भी मृदा प्रयोगशालायें हैं वे राज्य सरकार के अपने प्रावधानों से कार्यरत हैं। वर्ष 1988–89 में भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय उर्वरक विकास योजना के अन्तर्गत केवल चयनित 6 जिलों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु यंत्र, उपकरण, रसायन के व्यय पर 50 प्रतिशत सहायता उपलब्ध है। शेष सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाना अपेक्षित है।

(4) जी हां। वर्ष 1989–90 में झालावाड़ जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोटा प्रयोगशाला से झालावाड़ क्षेत्र के नमूनों का विश्लेषण होता है।

छीपाबड़ौद में मुंसिफ कोर्ट

437. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार छबड़ा मुन्सिफ कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों की संख्या एवं विचाराधीन प्रकरणों में छीपाबड़ौद तहसील के प्रकरणों के प्रतिशत की दृष्टि में छीपा बड़ौद तहसील में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक छीपाबड़ौद तहसील में मुन्सिफ कोर्ट खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। धनाभाव के कारण छीपा बड़ौद में अभी मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना करना सम्भव नहीं है।

लाडनूं तहसील में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम

438. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जैन विश्व भारती, लाडनूं, जिला नागौर के सहयोग से लाडनूं तहसील में प्रौढ शिक्षा का विशेष कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब से तथा किस प्रकार से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है या कोई स्कीम बनाई है तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना पर कुल कितनी

(श्री हरजीराम बुरडक)

राशि खर्च होगी और उसमें से राज्य सर–कार, भारत सरकार और जैन विश्व भारती कितनी-कितनी राशि खर्च करेंगे ?

(3) योजना का संचालन किस प्रकार किया जायेगा ? इसमें कितने अध्यापक आदि कर्मचारी किस प्रकार से रखे जायेंगे तथा उनका नियन्त्रण नियुक्ति, किस प्रकार से उसके द्वारा किया जायेगा ?

(4) जैन विश्व भारती के जिम्मे क्या क्या कार्य रहेगा तथा भारत सरकार व राज्य सरकार का संचालन में क्या योगदान रहेगा तथा अनुदान किस प्रकार से किसको दिया जायेगा और खर्चा किसके द्वारा किस प्रकार से किया जायेगा ?

(5) क्या इस संबंध में राज्य सरकार व भारत सरकार ने आदेश जारी किये ? यदि हां, तो इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । लाडनूं तहसील में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए राज्य सर-कार ने जैन विश्व भारती लाडनूं का प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भिजवाया है जो भारत सरकार के विचाराधीन है । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना स्वीकृत होने पर जैन विश्व भारती द्वारा रुपये 47,300 और भारत सरकार द्वारा उनके मापदण्ड के अनुसार 13.68 लाख रुपये दिये जायेंगे । राजस्थान सर–कार का कोई व्यय नहीं होगा ।

(3) परियोजना की स्वीकृति पर एक केन्द्र के लिए अनुदेशक, 8 से 10 केन्द्रों पर एक प्रेरक, और पूरी परियोजना में एक परियोजना अधिकारी, 4 सहायक परि-योजना अधिकारी और तीन कार्यालय कर्म-चारी रखे जावेंगे । उन पर नियन्त्रण स्वेच्छिक संस्था का ही होगा व नियुक्ति भी वही संस्था करेगी ।

(4) सारा कार्य जैन विश्व भारती का ही रहेगा । राज्य सरकार का कार्य परि–वीक्षण व मार्ग दर्शन का रहेगा । अनुदान भारत सरकार से संस्था को सीधे ही प्राप्त होगा ।

(5) खर्चा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदण्डों के आधार पर संस्था द्वारा किया जावेगा तथा जिसका विवरण चार्टेड-अका-उन्टेन्ट से जांच करा कर संस्था द्वारा भारत सरकार को भेजा जायेगा ।

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मकराना क्षेत्र का विद्युतिकरण

439. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना): क्या मुख्य (ऊर्जा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष मकराना पंचायत के अन्तर्गत किन-किन गांवों को बिजली से जोड़ा जाएगा ?

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना के सम्पूर्ण क्षेत्र को विद्युतीकृत कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इस वर्ष (1989–90) के वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में दिये जाने वाले ग्रामों के चयन का कार्य प्रगति पर है। अतः फिलहाल चयनित ग्रामों के नाम दे पाना सम्भव नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना में उपलब्ध सूचनानुसार कुल 96 ग्राम सम्मिलित हैं। इनमें से 78 ग्राम माह मार्च, 1989 तक विद्युतिकृत किये जा चुके हैं। शेष बचे 18 ग्रामों में से 15 ग्राम ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में स्वीकृत हैं एवं 3 ग्राम अस्वीकृत हैं। 15 स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत घोषित वार्षिक लक्ष्य एवं योजना मद में आवंटित वित्तीय साधनों के अनुरूप कार्यक्रमानुसार किया जा सकेगा। अतः निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

गंगापुर क्षेत्र की मंडी सड़कों की मरम्मत

440. **श्री हरीश चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य सरकार का कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण करवाई गई गंगापुर क्षेत्र की समस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का कब तक विचार है ?

(2) क्या इस हेतु समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर आश्वासित भी किया गया था ? यदि हां, तो अब मरम्मत का कार्य कब तक सम्पन्न करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) सात सड़कों की मरम्मत के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

उप निदेशक पौषाहार गंगानगर चूरू द्वारा अनियमिततायें

441. **श्री हरिशंकर भाभडा** (रतनगढ़) **श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा महल) : –क्या महिला बच्चे एवं पौषाहार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या क्षेत्रीय उप निदेशक गंगा–नगर/चूरू द्वारा खाद्य सामग्री क्रय करने हेतु वर्ष 1988 तथा 1989 में निविदायें आमंत्रित की जाकर दरें निर्धारित की गई हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 1988 से अब तक किस–किस अवधि के लिए किस–किस फर्म के पक्ष में ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या उक्त अनुमोदित दरों पर सम्बन्धित फर्मों से दाल एवं गुड़ क्रय किया गया ? यदि हां, तो कब–कब एवं कितनी कितनी मात्रा में पूर्ण विवरण परियोजनावार सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या किसी फर्म द्वारा आदेशों की पालना में खाद्य सामग्री सप्लाई नहीं की ? यदि हां, तो किस फर्म द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही बाजार

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

भाव बढ़ जाने के कारण न कर दिये गये सप्लाई आदेश निरस्त कर दिये गये तथा धरोहर राशि वापस लौटाई गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(5) क्या राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को निलम्बित कर निष्पक्ष जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 1988 से अब तक निम्नलिखित फर्मों की दरें स्वीकृत की गई हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है—

	अवधि
1. विकास ट्रेडिंग कम्पनी, बीकानेर।	जनवरी, 1988 से 31–3–88 तक
2. मैसर्स अशोक कुमार घनश्यामदास, चांदपोल बाजार जयपुर।	1988–89 (30–9–89 तक)
3. शिव प्रसाद अरविन्द कुमार, सूरजगढ़।	1988–89 (30–9–89 तक)
4. मै, राजेन्द्र प्रसाद रोहताष कुमार, सूरजगढ़।	1988–89 (30–9–89 तक)

(2) जी हां परियोजनावार क्रय किये गये सामान का विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर रख दिया है—

नाम फर्म	नाम परियोजना	खाद्य सामग्री का नाम (मात्रा क्विन्टलों में) गुड़	मात्रा	खरीद तिथि	दाल	मात्रा	खरीद तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. विकास ट्रेडिंग कम्पनी, बीकानेर	1. रतनगढ़	1. गुड़	50.14	1.2.88	–	–	–
		2. ,,	45.00	23.3.88	–	–	–
	2. डूंगरगढ़	1. ,,	50.00	30.1.88	–	–	–
		2. ,,	50.00	19.3.88	–	–	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3. सुजानगढ	1. गुड़	75.00	2.2.88	–	–	–
		2. ,,	60.00	26.3.88	–	–	–
	4. सरदारशहर	1. ,,	80.00	2.2.88	–	–	–
		2. ,,	50.00	19.3.88	–	–	–
2. मैसर्स अशोक कुमार घनश्यामदास, चांदपोल बाजार जयपुर	1. श्रीकरणपुर	,,	38.00	27.2.89	–	–	–
3. राजेन्द्र प्रसाद रोहताष कुमार, सूरजगढ़	1. सूरजगढ़	,,	100.00	16.2.89	–	–	–

(3) जी हां। निम्नलिखित फर्म द्वारा सामग्री सप्लाई नहीं की

1. विकास ट्रेडिंग कम्पनी, बीकानेर द्वारा वित्तीय वर्ष (31-3-88 तक) दाल सप्लाई नहीं की गई।

2. मैसर्स अशोक कुमार घनश्यामदास, जयपुर ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 1988-89 और सितम्बर, 89 तक की अवधि में दाल, गुड़ सप्लाई नहीं किया है।

3. शिव प्रसाद अरविन्द कुमार, सूरजगढ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 1988-89 और सितम्बर, 89 तक की अवधि में दाल, गुड़ सप्लाई नहीं किया।

(4) जी नहीं। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बाजार भाव बढ़ जाने के कारण किसी भी फर्म के सप्लाई आदेश निरस्त नहीं किये गये। बल्कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा एक समय में तीन या चार माह की सामग्री अपनी आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश देकर क्रय करने हेतु कार्यवाही की गई ताकि सामग्री के भंडारण में अव्यवस्था न हो। कोई धरोहर राशि नहीं लौटाई गई।

(5) प्रकरण का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

तहसीलदारों की पदोन्नति

442. **श्री पंकज पंचौली** (बैंगू)
श्री थानसिंह (सलूम्बर)
श्री मोटाराम (सिवाना)
श्री शंकरलाल आहरी (चौरासी)
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा)
श्री कमला भाई (लसाड़िया)
श्री मनफूलराम (रायसिंह नगर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 20-1-1983 एवं 20-6-1984 द्वारा 9 अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जन जाति के तहसीलदारों के आरक्षण के आधार पर वर्ष 1981 की डी. पी. सी. में आर. ए. एस. में पदोन्नतियां दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1981 से 1987 तक 177 तहसीलदारों की आर. ए. एस. में पदोन्नतियां की गई जिसमें अनुसूचित जाति के 29 और 19 जनजाति के तहसीलदार पदोन्नति से वंचित रह गये।

(3) यदि हां, तो तहसीलदारों को आरक्षण का लाभ नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर वर्ष 1981 से 1988 तक निम्न प्रकार से तहसीलदारों को पदोन्नति दी गई—

वर्ष	कुल पदोन्नत अधिकारी	अ.जा.	अ.ज.जा.
81–82	102	5	—
82–83	18	1	—
83–84	11	–	
84–85	21	–	1
86–87	3	–	—
87–88	16	1	1
योग :–	171	7	2

नियमानुसार किसी भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के तहसीलदारों को पदोन्नति से वंचित नहीं रखा गया।

(3) रोस्टर नियमों के प्रावधानों के अनुसार जहां $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती के पद हैं, उनमें रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होती। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत से अधिक हैं। अतः आर. ए. एस. की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होती।

रासायनिक खाद की विक्रय कर में वृद्धि

443. **श्री रघुवर दयाल गोयल** (रामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही हैं कि इस बार रासायनिक खादों की विक्रय दर पिछले वर्षों की दरों के मुकाबले काफी अधिक है ? यदि हां, तो जिलेवार दर क्या क्या है ?

(श्री रघुवर दयाल गोयल)

(2) क्या सरकार किसानों को गत वर्ष की दर पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा रासायनिक खाद की विक्रय दरों में 31.1.1986 से कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(2) किसानों को रासायनिक खाद गत वर्ष की दरों पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 444

(स्थगित)

बालोतरा में महाविद्यालय

445. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बालोतरा में इसी शैक्षिक सत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य) खोले जायेंगे ?

(2) क्या महाविद्यालय भवन हेतु स्थल की आवश्यक व्यवस्था करली गई है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कौनसा भवन चयन किया गया है ?

(3) क्या महाविद्यालय भवन जन सहयोग से बनाया जायेगा ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

(4) क्या उक्त संदर्भ में राज्य सरकार को दानदताओं/संस्थाओं के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किन संस्थाओं के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जी नहीं, तथापि जन प्रतिनिधियों एवं बालोतरा लघु उद्योग मण्डल ने महाविद्यालय भवन जन सहयोग से बनाकर उपलब्ध कराने का उल्लेख किया है ।

बालोतरा को 132 के. वी. लाइन से जोड़ना

446. **श्री मोटाराम** (सिवाना) : क्या मुख्य (ऊर्जा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार के समक्ष 132 के. वी., जी. एस. एस., बालोतरा से 33 के. वी. लाइन सिवाना को जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इसे कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस कार्य को चालू वित्त वर्ष 1989–90 के सब ट्रांसमिशन प्रोग्राम में सम्मिलित करना प्रस्तावित है ।

बेरोजगार युवकों को साक्षात्कार हेतु मुफ्त बस यात्रा

447. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार प्रदेश में बेरोजगार युवकों को साक्षात्कार हेतु आने जाने के लिए परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने का विचार रखती है ।

(2) यदि हां, तो कब से ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) सीमित साधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

कृषि विपणन निदेशालय के विज्ञापन

448. **श्री परसादीलाल मीणा** (लाल-सोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन निदेशालय द्वारा राज्य की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों पर विभिन्न अखबारों में सजावटी विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी मण्डी समितियों द्वारा वर्ष 1987-88, 1989-89, 1989–90 तक लाखों रुपयों के सजावटी विज्ञापन विभिन्न अखबारों को दिये गये हैं । यदि हां, तो मण्डी वार विज्ञापनों की मांग व विभाग द्वारा स्वीकृति की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) यदि मण्डी की मांग के अभाव में विभाग द्वारा विज्ञापनों की स्वीकृति दी गयी है तो ऐसे नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) यदि नियमों के अभाव में विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) मण्डी समितियों द्वारा सजावटी विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेश की प्रति संलग्न है ।

(3) वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 में विभिन्न मण्डी समितियों के द्वारा प्रसारित सजावटी विज्ञापनों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है ।

(4) सजावटी विज्ञापन हेतु मण्डी की मांग के बिना कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है ।

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।

क्रमांक : 13722–890 दिनांक 1–9–89

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,

शासन सचिव, कृषि उत्पादन एवं सहकारिता विभाग, जयपुर ने उनके पत्र, क्रमांक 2465/ए.पी.एस./87 दिनांक 14–8–87 के द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा लिये गये निर्देशों से निदेशालय को अवगत कराते हुए वांछना की है कि राज्य में पिछले दो वर्षों से निरन्तर सूखे की स्थिति एवं भीषण अकाल को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक खर्च में मितव्ययता की दृष्टि से भविष्य में मण्डी समितियों/कृषि विपणन बोर्ड या विपणन निदेशालय द्वारा किसी भी पत्र-पत्रिका को कोई विज्ञापन नहीं दिया जावें यदि किन्हीं परिस्थितियों/विशेष परिस्थितियों में विज्ञापन देना नितान्त आवश्यक हो तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेकर ही, विज्ञापन दिया जावे।

निदेशक

क्रमांक : 13722–890 दिनांक 1–9–87

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर प्रथम/द्वितीय/तृतीय।
3. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर, जयपुर–सीकर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, भरतपुर, उदयपुर।
4. समस्त उप निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
5. समस्त सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
6. सहायक विपणन अधिकारी, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर (प्रचार)

निदेशक

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष 1987–88, 1988–89 एवं 1989–90 में विभिन्न मण्डी समितियों द्वारा प्रसारित सजावटी विज्ञापनों का विवरण

क्र.सं.	नाम मण्डी समिति	वर्ष जिसमें सजावटी विज्ञापन दिया गया	सजावटी विज्ञापन की राशि	समाचारपत्र/स्मारिका का नाम जिसमें विज्ञापन दिया गया।	विशेष विवरण
1.	दौसा	1989–90	1,550.00	मण्डी एक्सप्रेस, जयपुर	
2.	चौमूं	1988–89	1,449.00	दैनिक नवज्योति, जयपुर	
			1,548.00	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	
			938.00	राष्ट्रदूत, जयपुर	
			500.00	मण्डी एक्सप्रेस, जयपुर	
			255.00	न्याय, जयपुर	
			175.00	अम्बर, जयपुर	
			255.00	निराला राजस्थान, जयपुर	
3.	ब्यावर	1987–88	1,000.00	राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद स्मारिका–87	
4.	भीलवाड़ा	1987–88	500.00	प्रभावित स्मारिका	
5.	नोखा	1989–90	500.00	पंचायत समिति स्मारिका	
6.	तारानगर	1987–88	100.00	चूरू केसरी	
			100.00	युवक साप्ताहिक	
7.	चूरू	1988–89	1,360.00	गंगानगर ज्योति	
8.	श्री डूंगरगढ़	1988–89	500.00	सुभाष मिडिल स्कूल, श्री डूंगरगढ़ स्मारिका	
9.	जयपुर (अनाज)	1987–88	2,000.00	बधिर बाल कल्याण विकास समिति, स्मारिका	
			500.00	दादू आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर की स्मारिका	

तारांकित प्रश्न संख्या 449
(स्थगित)

जैसलमेर की शालाओं में रिक्त पद

450. **श्री मुल्ताना राम** (जैसलमेर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में कुल कितनी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शालाओं में सभी प्रकार के पदाधिकारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो किस शाला में कितने पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार पिछड़े जिलों को शिक्षा में प्राथमिकता देती है ? यदि हां तो किस प्रकार और क्या योजना है ? सरकार की नीति के बारे में विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जैसलमेर जिले की शालाओं में अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने अध्यापक कार्यरत हैं और क्या यह संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या इन जातियों के अध्यापकों की संख्या बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले की कुल उ. प्रा., माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। नियुक्ति पर से प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी।

(4) जी हां। पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों में 200 की जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने, महिला अध्यापिका उपलब्ध न होने की स्थिति में 400/- रु. प्रतिमाह पर उसी ग्राम की महिला को अध्यापिका रखे जाने एवं कतिपय जिलों में छात्राओं को 50/- रु प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है।

(5) जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति के 97 अध्यापक कार्यरत है जनजाति के अध्यापक कार्यरत नहीं। स्वीकृत पदों के अनुसार संख्या पूरी नहीं है। आशार्थी उपलब्ध होने व रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध हटने पर उक्त कमी की पूर्ती कर दी जायेगी।

216

जैसलमेर जिले में उ.प्रा.वि, मा.वि, एवं उ.मा.वि. में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद I	II	III	रिक्त पद I	II	III	रिक्त रहने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	—सीउमावि जैसलमेर	24	18	2	11	–	–	1/89,7,11/88 3/89 व नवसृजित
2	—सीराउमावि पोकरण	15	09	06	06	–	–	8,10, 12/88 व 3, 4/89
3—	,, रामगढ	6	4	2	3	1	–	7/89
4—	राबासीमावि जैसलमेर	4	7	4	1	1	–	8/88, 3/89
5—	रामावि नोखा	—	6	3	—	1	—	9/88
6—	,, चांधन	—	6	3	—	2	—	10/88
7—	,, भाणीयाणा	—	11	3	—	2	—	8/88
8—	,, राजमथाई	—	6	3	—	2	—	12/86
9—	,, फलसूड	—	6	3	—	2	—	12/88
10—	,, सांकड़ा	—	8	2	—	2	—	8/88
11—	,, झिझनियाली	—	6	3	—	2	—	12/88
12—	,, मोहनगढ	—	6	3	—	1	—	3/89
13—	,, रामदेवरा	—	6	3	—	2	—	8/88
14—	,, देवीकोट	—	6	3	—	3	—	10/88, 3/89
15—	,, खोया	—	6	4	—	2	—	9/88, 7/89
16—	,, खेतोलाई	—	6	3	—	1	—	8/88
17—	राबाउप्रावि फलसूड	—	1	8	—	–	2	4/89
18—	,, रामगढ	—	1	12	—	–	2	4/89
19—	राउप्रावि नं. 2 जैसलमेर	—	1	11	—	–	1	,,
20—	,, ढिब्बा पाड़ा	—	1	11	—	–	1	,,
21—	,, प्रावि जैसलमेर	—	—	7	—	–	1	,,
22—	पा.वि. नं. 2 जैसलमेर	—	—	7	—	–	1	,,
23—	,, वार्ड नं. 16	—	—	2	—	–	1	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24—	उप्रावि अजासर	—	1	7	—	1	1	4/89
25—	,, अवाय	—	1	8	—	–	2	,,
26—	,, सत्याया	—	1	7	—	–	1	,,
27—	,, डेलासर	—	1	7	—	1	1	,,
28—	,, डांगरी	—	1	9	—	1	3	
29—	,, देवड़ा	—	1	7	—	–	2	
30—	,, फतेहगढ	—	1	5	—	1	2	
31—	,, खुहड़ी	—	1	9	—	–	1	
32—	,, खुईयाला	—	1	7	—	1	2	
33—	,, लेखा	—	1	8	—	1	3	
34—	,, म्याजलार	—	1	8	—	–	2	
35—	,, मोढा	—	1	8	—	1	2	
36—	पूनमनगरउप्रावि	—	1	7	—	–	1	10/88
37—	उप्रावि रामा	—	1	5	—	–	1	,,
38—	,, सांगड	—	1	9	—	1	1	10/88
39—	,, सनावड़ा	—	1	6	—	–	1	,,
40—	,, आलो	—	1	7	—	–	2	,,
41—	,, आन्तल	—	1	8	—	–	1	,,
42—	,, खेतोलाई	—	1	4	—	–	1	,,

जैसलमेर जिले के उमावि, मावि एवं उप्रावि विद्यालयों की सूची

1—राबासीउमावि जैसलमेर

2—राबामावि पोकरण

3—राबाउप्रावि जैसलमेर

4— ,, मोहनगढ

5— ,, फलसूड

6— ,, रामगढ़

बस में महिला सीट

451. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या महिला यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बसों में महिलाओं के लिए कोई सीटों का आरक्षण करने का निगम का प्रस्ताव है ?

(218)

(श्री नवरंग सिंह)

(2) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, महिलाओं के लिये राज्य परिवहन निगम की बसों में चालक के पीछे तीन वाली सीट आरक्षित रखी हुई है।

(2) निर्णय किया हुआ है।

राज्य कृषि विकास निगम के कर्मचारियों में ऋण की बकाया

452. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान राज्य कृषि विकास निगम में कार्यरत कितने कर्मचारियों में निगम की ऋण आदि की कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

(2) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने निगम की सेवाएं छोड़ दी हैं और उनमें निगम की राशि बकाया है ? राशि कितनी है ? इनके नाम सदन की मेज पर रखें।

(3) इस राशि को वसूलने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? क्या निगम ने इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-1989 को 72 कर्मचारियों में भवन व सरकारी ऋण के 2.27 लाख रुपये बकाया थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 1-4-1989 को निगम की सेवा को छोड़ने वाले 29 कर्मचारियों में 0.75 लाख रुपये बकाया थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। जिन चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं उनमें रु. 2.35 लाख बकाया है।

(3) उक्त राशि की वसूली हेतु सक्रिय प्रयास किये जाते रहे हैं। दो कर्मचारियों श्री शिवचरण लाल, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री सौलत खां, कनिष्ठ अभियन्ता जिन्हें रुपये 2.31 लाख की राशि के गबन के आरोप में सेवा से हटा दिया गया था, के विरुद्ध दिनांक 27-12-87 व 25-11-85 को पुलिस में मामले दर्ज कराये जा चुके हैं। इसमें से श्री शिवचरण लाल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है तथा श्री सौलत खां के विरुद्ध मामले में एफ. आर. लगा दी गई है। राशि का गबन नहीं होने के कारण शेष मामलों में पुलिस में रपट नहीं कराई जाकर विभागीय स्तर पर वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्युत लोसेज

453. **श्रीमती रतनकंवर** (शेरगढ़) : **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) एवं **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या मुख्य (ऊर्जा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक प्रतिशत बिजली वर्ष भर बचाने से 1.8 करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है ? यदि हां, तो राज्य में बिजली लोसेज को रोकने के क्या उपाय किए गये हैं ?

(श्री नाथूसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में बिजली चोरी व लासेज देश में सर्वोच्च है ? विगत तीन वर्षों में बिजली चोरी व लोसेज का क्या प्रतिशत रहा ? कृपया विगत तीन वर्षों की मोनीटरिंग रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । बिजली लासेज (छीजत) रोक नहीं सकते कम ही कर सकते हैं लाइन लासेज को कम करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें उच्च दवाब की नई लाइनें, ग्रिड उप–चौकियों व नई उप-पारेषण लाइनें बनाया जाना, केपीसिटर्स लगाया जाना, बिजली की चोरी रोकने हेतु विशेष चैकिंग अभियान चलाया जाना एवं बन्द मीटरों को बदलना आदि सम्मिलित हैं ।

(2) जी नहीं । राज्य में विगत तीन वर्षों में सिस्टम लासेज (बिजली चोरी सहित) का प्रतिशत निम्नानुसार रहा :–

वर्ष	लोसेज प्रतिशत में
1985–86	22.94
1986–87	21.07
1987–88	20.98

वर्ष 1988–89 के संकलित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । विगत तीन वर्षों की मोनेटरिंग रिपोर्ट नाम से कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 454
(स्थगित)

ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

455. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों में कार्यरत अधिकारी, क्लर्क लेबर, का एक समिति से दूसरी समिति में स्थानान्तरण न करने से कर्मचारियों का एकाधिकार बना हुआ है तथा क्षेत्रीय जनता को समय पर विद्युत नहीं मिल पाती है ?

(2) क्या राज्य सरकार ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लि. के एक्ट में एक समिति से दूसरी समिति में स्थानान्तरण करने की अनिवार्यता करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को समाप्त कर बिजली बोर्ड के माध्यम से विद्युत वितरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । कोटपूतली ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति के तत्कालीन प्रशासक द्वारा समितियों के कर्मचारियों की अनुशासनहीनता के बारे में ऊर्जा विभाग को लिखा गया है ।

(2) जी हां । इस सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग द्वारा प्रशासनिक सहमति प्रदान करते हुए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,

(ऊर्जा मंत्री)

राजस्थान को लिखा है कि समितियों के उप नियमों में संशोधन किया जावे ।

(3) जी नहीं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 456
(स्थगित)

पड़त एवं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

457. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार पड़त भूमि, चरागाह एवं अन्य सरकारी भूमि पर कृषि कार्य कर अतिक्रमण करने वालों से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 91 के तहत जुर्माना वसूल करती है ? यदि हां, तो उक्त राशि का उपयोग किस मद में किस कार्य हेतु किन–किन के माध्यम से किया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने बूंदी जिले से भी धारा 91 के तहत राशि वसूल की है ? यदि हां, तो पिछले 10 वर्षों में कितनी राशि तहसीलवार वसूल की ?

(3) क्या राज्य सरकार की नीति उक्त राशि को विकास कार्यों में खर्च करने की है ? यदि हां, तो बूंदी जिले में कब तक कौन से विकास कार्य कितनी राशि के कहां–कहां पर करवाये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) पाली जिले की जैतारण तहसील में नियम 91 के तहत कितनी राशि पिछले लम्बे समय से पड़ी है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें । उक्त राशि खर्च करने की भविष्य में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के फलस्वरूप राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत वसूल शास्ति की रकम राज्य कोष में जमा होती है, लेकिन चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के फलस्वरूप शास्ति की रकम ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाती है ।

(2) जी हां । बूंदी जिले में भू-राजस्व के अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में कुल 78;65,44/-रुपये की राशि वसूल की गई है वसूल की गई राशि का तहसीलवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) धारा 91 के अन्तर्गत शास्ति की रकम राज्य के सामान्य राजस्व में जमा होती है । इसे विकास कार्यों हेतु अलग रखने का प्रावधान नहीं है ।

(4) भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत पाली जिले की तहसील जैतारण में पिछले पांच वर्षों से निम्न प्रकार शास्ति की रकम के रूप में 54,360 रुपये की राशि राज्य कोष में जमा हुई है । नियमानुसार इस राशि को जिला स्तर पर व्यय नहीं किया जा सकता है । वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	वसूली
84–85	37297

(राजस्व मन्त्री)

1	2
85–86	4417
86–87	5056
87–88	749
88–99	6541
	54360

तारांकित प्रश्न संख्या 458
(स्थगित)

रामसीन सब-स्टेशन पर ट्रांसफार्मर

459. **श्री अर्जुन सिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा): क्या मुख्य (ऊर्जा) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या रामसीन सब-स्टेशन पर 1.6 के. बी. ए. के ट्रांसफार्मर लगे हैं जबकि यहां पर 3.5 के. बी. ए. के ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति प्राप्त है ? उस पर भी आज दिन तक बड़ा ट्रांसफार्मर न लगाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 33 के. वी. विद्युत उपकेन्द्रों पर ओ. सी. बी. नहीं लगे होने के कारण कई बार बड़े ट्रांसफार्मर जल गए जिससे राज्य सरकार को काफी नुकशान उठाना पड़ा है ? क्या अब राज्य सरकार ओ. सी. बी. लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या रानीवाड़ा तक 132 के. वी. की लाइन पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो यहां पर सब-स्टेशन बनाने का कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ ? यह अब कब तक शुरू होगा ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। रामसीन सब-स्टेशन पर 1.0 एम. वी. ए. ट्रांसफार्मर के स्थान पर 3.15 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर एस. आई. स्कीम में स्वीकृत है परन्तु 3.15 एम वी. ए. के स्थान पर 1.6 एम. वी. ए. का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर (विद्यमान 1.0 एम. वी. ए. को हटाये बिना) लगा दिया गया है। 3.15 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर सीमित साधनों के कारण नहीं लगाया जा सका।

(2) यह सही नहीं है कि ओ. सी. बी. नहीं लगे होने के कारण ही ट्रांसफार्मर खराब होते हैं। ट्रांसफार्मर तकनीकी गड़बड़ियों, प्राकृतिक व अन्य कारणों से खराब होते हैं। ओ. सी. बी. से ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त सुरक्षा होती है। योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर वर्षवार ओसीबी/कियोस्क लगाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं। 132 के. वी. जी. एस. एस. की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार हो रही है। भूमि अवाप्ति के पश्चात् जी. एस. एस. का कार्य शुरू कर दिया जावेगा।

बाड़मेर में जीवनधारा योजना

460. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) एवं **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत कितने कुओं के निर्माण

(श्री गंगाराम चौधरी)

हेतु अब तक राशि आवंटित/स्वीकृत की जा चुकी है ? खण्डवार संख्या सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रत्येक कुए के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की जाती है व स्वीकृत करने के क्या आधार हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जहां कुओं में पानी अधिक गहराई पर उपलब्ध होता है वहां आवश्यकतानुसार अधिक राशि आवंटित की जाती है ? यदि नहीं तो इसके क्या आधार हैं ?

(4) विकास खण्ड चौहटन, बाड़मेर व धोरीमना के क्षेत्र के गांवों में प्रत्येक ऐसे कुए के निर्माण हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में जीवन धारा योजनान्तर्गत 460 कुओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन कुओं की कुल अनुमानित लागत रु. 138.70 लाख स्वीकृत की गई जिसमें से रु. 126.50 लाख नकद धनराशि है तथा रु. 12.20 लाख का गेहूं है । नकद धनराशि में से रु. 74.78 लाख नकद राशि गत वर्ष तक जिले को दी गई थी तथा रु. 10·71 लाख इन्दिरा आवास योजना पर जो बेशी राशि दे दी गयी थी, को जीवन धारा कार्यक्रम पर परिवर्तित कर दिया गया । इस प्रकार गत वर्ष तक जीवन धारा कार्यक्रम पर कुल नकद धनराशि रु. 85.49 लाख बाड़मेर जिले, को दे दी गयी । शेष बची राशि रु. 41.01 लाख की व्यवस्था चालू वर्ष में जवाहर रोजगार योजना से कर दी गई है । गेहूं का भुगतान जिले को गत वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा इस वर्ष जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित मात्रा में से किया जायेगा । स्वीकृत कुओं की संख्या एवं अब तक डी. आर. डी. ए. द्वारा पंचायत समितिवार आवंटित राशि की खण्डवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जीवन धारा योजनान्तर्गत प्रत्येक कुए के निर्माण हेतु राशि नाबार्ड द्वारा निर्धारित लागत के आधार पर स्वीकृत की जाती है । जिला बाड़मेर में इस योजना के लिए नाबार्ड द्वारा एल्यूवियल भूमि के लिए रु. 24300/- तथा सख्त भूमि के लिए रु. 28800/-प्रति कुआ निर्धारित की गई है । इस योजना में कुओं हेतु राशि केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों जो आई. आर. डी. पी. में चयनित हैं, स्वीकृत की जाती है

(3) जी नहीं । राशि कुए की गहराई पर निर्धारित न होकर केवल नाबार्ड द्वारा निर्धारित लागत के अनुसार ही दी जाती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई मार्ग दर्शिकानुसार हैं । विशेष परिस्थितियों में यदि कुए की लागत स्वीकृत राशि से अधिक आती है तो लाभान्वित व्यक्ति स्वयं वहन करेगा ।

(4) विकास खण्ड चौहटन, बाड़मेर व धोरीमन्ना क्षेत्र के गांवों में प्रत्येक कुए के लिए रु. 24300/- की राशि स्वीकृत की गई है । भुगतान प्रत्येक कुए के निर्माण के माप अनुसार किश्तों में किया जाता है ।

जीवनधारा योजना में स्वीकृत कुओं की सूचना

क्र. सं	पंचायत समिति	स्वीकृत कुए रा.ग्रा.रो. का,	ग्रा.भू.रो.गा. का	स्वीकृत राशि रा.ग्रा.रो.का,	ग्रा.भू.रो.गा. कार्यक्रम
1.	बाड़मेर	5	2	1,21,500/-	4,8,600/-
2.	बायतू	8	–	1,94,400/-	–
3.	बालोतरा	15	12	3,64,500/-	2,77,800/-
4.	चौहटन	69	83	19,76,700/-	20,16,900-/
5.	धोरीमन्ना	62	44	15,06,600/-	10,69,200/-
6.	सिणधरी	28	44	6,80,400/-	10,69,200/-
7.	सिवाना	43	45	10,43,960/-	9,70,500/-
		230	230	55,88,060/-	4,42,200/-

क्षेत्र मंडावा में जी. एस. एस.

461. **श्रीमती सुधा देवी** (मण्डावा) : क्या मुख्य (ऊर्जा) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मन्डावा में 33 के. बी. के जी. एस. एस. स्वीकृत है ? यदि हां, तो कहां व कौन से स्थान पर ? नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या जी. एस. एस. का निर्माण कार्य करवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मंडावा के ग्राम मलसीसर और बिसाऊ में 23/11 के. बी. सब स्टेशन निर्माण हेतु स्वीकृत हैं।

(2) जी हां। चालू वित्त वर्ष में कार्य पूरा करना प्रस्तावित है।

(3) उक्त दोनों ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण वर्ष 1988–89 के फेज प्रोग्राम में सम्मिलित था लेकिन वर्ष 1988–89 में लाइन व सब स्टेशन के लिए उपयुक्त सामन उपलब्ध नहीं होने तथा बसाऊ सब स्टेशन के लिए भूमि आवंटन में देरी के कारण यह कार्य वर्ष 1988–89 में पूर्ण नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या 648 की अधिसूचना

राजस्थान सरकार

राजस्थान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : एफ 12 (8) राज/ग्रुप–1/88 जयपुर, दिनांक 28 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 3.10.88 में संशोधन कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 20 की उपधारा (बी) (111) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक, बूंदी का न्यायालय दिनांक 30.11.1988 के स्थान पर 31.1.1989 से समाप्त करती है तथा सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक, उनियारा जिला टौंक का न्यायालय अन्तिम आदेश तक यथावत रखने के आदेश प्रदान करती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह./

(तेज कुमार)
राजस्व सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राज्यपाल/ मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मन्त्रीगण/ उप मन्त्रीगण ।
3. समस्त शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव, कार्मिक (क–1,2,3-4 एवं 5) विभाग ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त ।
5. समस्त जिलाधीश ।
6. आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. निदेशक, जनगणना विभाग, राजस्थान जयपुर ।

Page No. 225

225

9. मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर ।
10. समस्त सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक (जिला बूंदी एवं टोंक)
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी (जिला बूंदी एवं टोंक)
13. मन्त्रिमन्डल सचिवालय जयपुर ।
14. गृह विभाग, राजस्थान जयपुर ।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के अंक में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु ।
16. राजस्व विभाग के समस्त प्रकोष्ठ ।
17. सम्पादक, राविरा राजस्व मण्डल, अजमेर ।

ह./

उप शासन सचिव

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 649 की सूची

झुन्झुनूं जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद		रिक्त पद		रिक्ती की दिनांक
		II ग्रेड	III ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड	
1.	राउप्रावि सोथली	01	07	–	01	10/88
2.	,, बीरोल	01	09	01	–	,,
3.	,, टोडपुरा	01	07	01	02	,,
4.	,, सोहरडा	01	06	01	–	,,
5.	,, कैक	01	07	–	01	,,
6.	,, पुजारी की ढाणी	01	06	01	01	,,
7.	,, बारवा	01	05	–	01	,,
8.	,, गुसाइयों की ढाणी	01	03	01	01	,,
9.	,, मोहनवाडी	01	–	01	–	,,
10.	राबाउप्रावि परसरामपुरा	01	03	01	–	5/88
11.	चिराना	01	05	–	03	8/88, 10/88 11/88
12.	,, धोलकिया	01	03	–	01	4/88
13.	,, ढिगाल	01	–	01	–	,,

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 664 की सूची

जयपुर शहर में चल रही सरकारी शिक्षण संस्थाओं के सरकारी भवनों व उनकी स्थिति की सूची :—

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्थिति
	रा. उ. मा. विद्यालय	
1.	पोद्दार, गांधीनगर	उपयुक्त
2.	दरबार (तोपखाना)	तीन प्रयोगशाला कक्षों की मांग
3.	खातीपुरा	जीर्णशीर्ण दो कमरों की मरम्मत व चारदिवारी
4.	गणपतिनगर	उपयुक्त
5.	नाहरी का नाका	,,
	रा. मा. विद्यालय	
1.	रथखाना	उपयुक्त
2.	रेजीडेन्सी	,,
3.	दुर्गापुरा	20 × 30 के 5 कमरों की मांग निर्माण
4.	दरबार, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग	उपयुक्त
5.	मोदीखाना	,,
6.	सरस्वती कुण्ड	,,
7.	रामपुरा रूपा	,,
	रा. उ. प्रा. विद्यालय	
1.	वाटर वर्क्स	उपयुक्त
2.	गेटोर	भवन मरम्मत
3.	लेबर कॉलोनी	उपयुक्त
4.	हाथीबाबू का बाग	,,
5.	घेर साईवाड	,,
6.	मान सरोवर कॉलोनी	,,
7.	गांधी नगर	4 कमरों के निर्माण की मांग

क. सं.	नाम विद्यालय	स्थिति
8.	राम मन्दिर क. ब.	उपयुक्त
9.	नाहरी का नाका	भवन मरम्मत
10.	बेसिक मॉडल	उपयुक्त
11.	सोडाला	,,
12.	हसनपुरा न्यू	भवन मरम्मत
13.	गोपालपुरा	उपयुक्त
14.	बडोदिया बस्ती	जीर्ण शीर्ण भवन की मरम्मत
15.	बाईस गोदाम	उपयुक्त
16.	द्वारिकापुरी	क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत व दरवाजे लगाने
17.	हथरोई	उपयुक्त
18.	पुलिस अकादमी	,,
19.	सी-स्कीम	भवन मरम्मत
20.	शीतल निवास	,,
21.	विद्याधर नगर	,,
22.	मुरलीपुरा स्कीम	,,
23.	लालकोठी	,,
24.	सुशीलपुरा	,,
	रा. उ. प्रा. विद्यालय	
25.	करतारपुरा	उपयुक्त
26.	हसनपुरा ओल्ड	जीर्ण शीर्ण भवन की मरम्मत
27.	मुरलीपुरा (सीकर रोड)	उपयुक्त
	रा. प्रा. विद्यालय	
1.	न्यू मोदीखाना	उपयुक्त
2.	बिनोदीलाल जी	,,
3.	चावलान लोकल	भवन मरम्मत (कक्षा कक्षों की पट्टियां क्षतिग्रस्त)
4.	चावलान सिन्धि	उपयुक्त

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्थिति
5.	सांभरियान	उपयुक्त
6.	तोपखाना देश	,,
7.	कायम खानियां	,,
8.	वार्ड नं. 1	,,
9.	जुगलजोडी	,,
10.	छीपीवाड़ा	,,
11.	नुमाईश कैम्प	,,
12.	रेल्वे स्टेशन	,,
13.	रेजीडेन्सी	तीन कमरों की मरम्मत
14.	साहिबा लाईन्स	उपयुक्त
15.	शास्त्री नगर (भोपजी का डेरा)	,,
16.	व्यापारियान	,,
17.	विनोबा बस्ती	,,
18.	बापूनगर	,,
19.	जवाहर नगर बस्ती श्यामियान	दो कमरों व बरामदे का निर्माण
20.	देवरी गोपालपुरा	भवन मरम्मत
21.	केवेलरी लाईन्स	उपयुक्त
22.	गणपति नगर	तीन कमरों व शौचालय की मरम्मत
23.	हसनपुरा बनजारा	उपयुक्त
24.	जालूपुरा	पांच कमरों का निर्माण
25.	मानसिंहपुरा	पांच कमरों का निर्माण
26.	नदी	उपयुक्त
27.	बालानन्दजी	,,
28.	बाढ देवरी	तीन कमरों की मरम्मत
29.	झोटवाड़ा	पांच कमरों का निर्माण
30.	रामपुरा रूपा	उपयुक्त
31.	वैशाली नगर	भवन तैयार कराया जा रहा है
32.	बाबा रामदेव नगर	नवीन प्रा. वि. भवन उपलब्ध है

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्थिति
33.	संजय नगर क. ब.	भवन मरम्मत
34.	केशव कॉलोनी	नवीन प्रा.वि. भवन उपलब्ध है
35.	रेगरों की बस्ती दुर्गापुरा	,,
36.	चौकड़ी मोदी खाना	उपयुक्त
37.	रामनगर कॉलोनी सोडाला	दो कमरे व बरामदे का निर्माण
38.	राय कॉलोनी	पांच कमरों की मरम्मत
39.	बजाज नगर न्यू	उपयुक्त
40.	नया खेड़ा जगदम्बा कॉलोनी	दो कमरों की मरम्मत
41.	खातीपुरा	उपयुक्त
42.	दुर्गापुरा	दो कमरों व बरामदे का निर्माण
43.	बस्ती सीतारामपुरा	उपयुक्त
44.	कच्ची बस्ती हटवाड़ा रोड	भवन निर्माण की मांग (दो कमरे)
45.	हरिजन बस्ती	उपयुक्त
46.	सिन्धि प्रा. वि. (शास्त्री नगर)	,,
47.	चक हसनपुरा (झोटवाड़ा)	तीन कमरों का निर्माण

किराये के भवनों में चल रही शिक्षण संस्थाओं की सूची

1. रा.मा. विद्यालय, झोटवाड़ा, जयपुर
2. रा. उ. प्रा. विद्यालय, सिन्धि नादरजी जयपुर
3. ,, ,, ,, चांदपोल गेट जयपुर
4. रा. प्रा. विद्यालय, चौकड़ी तोपखाना, जयपुर
5. ,, ,, ,, पुरन्दरजी की गली, जयपुर
6. ,, ,, ,, सूरखुडी, जयपुर
7. ,, ,, ,, एयरपोर्ट, जयपुर
8. ,, ,, ,, बजाज नगर, जयपुर

जयपुर नगर में स्थित शिक्षण संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	नाम सरकारी विद्यालय	अभाव
1.	रा.सी.बा.उ.मा.वि. महाराजा, जयपुर	—
2.	रा.बा.सी.उ.मा.वि. बनीपार्क, जयपुर	8 कमरे व 2 प्रयोगशाला 1 कमरे की पट्टी टूटी हुयी है।
3.	रा.बा.सी.उ.मा.वि. गणगौरी बाजार, जयपुर।	1 कमरे की पट्टी टूटी हुई
4.	रा.बा.सी.उ.मा.वि. गांधीनगर, जयपुर	5 कमरे की कमी।
5.	राबासीउमावि. आदर्शनगर जयपुर।	3 कमरे की कमी।
6.	राबामावि. चौड़ारास्ता, जयपुर	–
7.	राबामावि. घाटगेट, जयपुर	देवस्थान विभाग द्वारा
8.	राबामावि. गंगापोल जयपुर	–
9.	राबामावि. तेलीपाड़ा जयपुर	–
10.	राबामावि. झोटवाड़ा जयपुर	–
11.	राबामावि. पानों का दरीबा, जयपुर	2 कमरों की कमी।
12.	शिक्षक प्रशिक्षण महिला विद्यालय जयपुर।	4 कमरों की कमी।
13.	एन.वी.डी. बालमन्दिर, जयपुर	–
14.	राबाउप्रावि. चान्दपोल प्रथम	–
15.	राबाउप्रावि, चान्दपोल द्वितीय	–
16.	राबाउप्रावि—गणगौरी बाजार, जयपुर	–
17.	राबाउप्रावि—दुर्गापुरा, जयपुर	–
18.	राबाउप्रावि—गांधीनगर, जयपुर	–
19.	राबाउप्रावि—तोपखाना, जयपुर	–
20.	राबाउप्रावि—हरिजन बस्ती, जयपुर	–
21.	राबाउप्रावि—अम्बेडकर नगर, जयपुर	–
22.	राबाउप्रावि—बाबू का टीबा, जयपुर	–
23.	राबाउप्रावि—घाटगेट, जयपुर	–
24.	राबाप्रावि—पुरानी बस्ती, जयपुर	बाउन्ड्रीवाल की कमी
25.	राबाप्रावि—झोटवाड़ा, जयपुर	–

232

1	2	3
26.	राबाप्रावि—धानक्या बस्ती, जयपुर	2 कमरों की कमी।
27.	राबाप्रावि—माली कालोनी, जयपुर	1 कमरे की कमी।
28.	राबाप्रावि—न्यू हसनपुरा, जयपुर	शौचालय की कमी।
29.	राबाप्रावि—अवधपुरी, जयपुर	–
30.	राबाप्रावि—ज्योतिनगर जयपुर	–
31.	गांधीनगर, जयपुर	–
32.	राबाप्रावि—पानों का दरीबा, जयपुर	–
33.	राबाप्रावि—मोतीकटला, जयपुर	–
34.	राबाप्रावि—तेलीपाड़ा, जयपुर	–
35.	राबाप्रावि—विद्याधर नगर, जयपुर	(जे.डी.ए. क्वाटर में)
36.	राबाप्रावि—जवाहर नगर, जयपुर	2 कमरे।
37.	राबाप्रावि—मालवीय नगर सैक्टर नं. 2	नवीन विद्यालय
38.	राबाप्रावि—मालवीय नगर सैक्टर नं. 7	,, ,,
39.	राबाप्रावि—जवाहर नगर, जयपुर आवासन कार्यालय के पास	,, ,, ,, ,,
40.	राबाप्रावि—गेटोर एशिया सर्किल के पास	,, ,,
41.	राबाप्रावि—गोविन्दनगर, जयपुर	,, ,,
42.	राबाप्रावि—घाटगेट, जयपुर	,, ,,
43.	राबाप्रावि—गालवनगर, जयपुर	,, ,,
44.	राबाप्रावि—मुरलीपुरा, जयपुर	,, ,,
45.	राबाप्रावि पानों का दरीबा; जयपुर	,, ,,
46.	राबाप्रावि—विधाधर नगर, जयपुर	,, ,,
47.	राबाप्रावि—मानसरोवर सैक्टर नं. 2	,, ,,
48.	राबाप्रावि—गणपति नगर, जयपुर	,, ,,
49.	वसुन्धरा कॉलोनी, जयपुर	,, ,,
50.	सोडाला थाना, जयपुर	,, ,,
51.	महेशनगर टोंक फाटक, जयपुर	,, ,,
52.	राबाप्रावि–मुरलीपुरा, जयपुर	,, ,,

1	2	3
53–	राबाप्रावि–ज्योतिनगर, जयपुर	नवीन विद्यालय
54–	राबाप्रावि–सी-स्कीम, जयपुर	,, ,,
55–	नाहरी का नाका, जयपुर	,, ,,
56–	राबाप्रावि. सैनी कॉलोनी, जयपुर	,, ,,
57–	राबाप्रावि. बालूराम की बावड़ी, जयपुर	,, ,,
58–	राबाप्रावि. शास्त्री नगर, जयपुर	,, ,,
59–	राबाप्रावि. जवाहर नगर कच्ची बस्ती, जयपुर	,, ,,

किराये के भवनों में चल रही शिक्षण संस्थाओं की सूची

60–	राबासीउमावि. कमला नेहरू, जयपुर	(देवस्थान विभाग)
61–	राबामावि. रेल्वे स्टेशन, जयपुर	(बाप्रावि रेल्वे स्टेशन के भवन में)
62–	राबाउप्रावि. सी-स्कीम, जयपुर	
63–	राबाउप्रावि. ब्रह्मपुरी, जयपुर	
64–	राबाउप्रावि. त्रिपोलिया, जयपुर	
65–	राबाप्रावि. आदर्श नगर, जयपुर	
66–	राबाप्रावि. पेन्टर कॉलोनी जयपुर	
67–	राबाप्रावि. शिवाजी नगर, जयपुर।	

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाऐं) जयपुर खण्ड प्रथम जयपुर

सरकारी भवन, विद्यालय भवनों की स्थिति

जयपुर शहर के रा. सी. उ. मा. वि./ मा. वि./ उ. प्रा. वि/. प्रा. वि. की सूची :–

नाम विद्यालय	स्थिति
1. रा. उ. मा. वि. आदर्शनगर	उपयुक्त
2. रा. मा. वि. घाटगेट	उपयुक्त
3. ,, ,, पालडीमीना	उपयुक्त

1	2
4. रा. मा. वि. हरमाडा	उपयुक्त
5. राउप्रावि लक्ष्मण डूंगरी	मरम्मत योग्य
6. ,, ,, महाराजा आदर्श	उपयुक्त
7. ,, ,, बांदरी का नासिक	उपयुक्त
8. ,, ,, लही वालों की बगीची	उपयुक्त
9. ,, ,, दवाबखाना	उपयुक्त
10. ,, ,, खानिया	मरम्मत योग्य
11. ,, ,, मुरलीमनोहरजी	उपयुक्त
12. ,, ,, जवाहर नगर सिंधी	उपयुक्त
13. ,, ,, जामडोली	मरम्मत योग्य
14. ,, ,, मालवीय नगर	,,
15. ,, ,, रामगंल	,,
16. ,, ,, खोनागोरियान	,,
17. ,, ,, पुराना घाट	,,
18. ,, ,, अनाज मन्डी लोकल	उपयुक्त
19. ,, ,, कोठी कोलियान	उपयुक्त
20. ,, ,, जवाहर नगर लोकल	,,
21. ,, ,, आर. ए. सी. बटा.	,,
22. रा.प्रा.वि. पन्नीगरान	,,
23. ,, ,, नाहरवाहा	मरम्मत योग्य
24. ,, ,, मेहरान	,,
25. ,, ,, मौलाना साहब	,,
26. ,, ,, बास बदनपुरा	,,
27. ,, ,, कंवर नगर सिंधी	,,
28. ,, ,, बांसखो गोहकीमोरी	,,
29. ,, ,, तिलक नगर	,,
30. ,, ,, कवंर नगर लोकल	,,
31. ,, ,, परशुराम द्वारा	उपयुक्त

1			2
32,	रा.प्रा.वि.	सीतारामपुरी	उपयुक्त
33.	,, ,,	बृह्मपुरी न. 2	मरम्मत योग्य
34.	,, ,,	नीलगरान	,,
35.	,, ,,	रेगरों की कोठी	उपयुक्त
36.	,, ,,	पातालेश्वर	,,
37.	,, ,,	मेलोपाडा	,,
38.	,, ,,	बाजरे बालों की बगीची	,,
39.	,, ,,	झालाना डूंगरी	मरम्मत योग्य
40.	,, ,,	मालवीय नगर इंजिनियरिंग कालेज	उपयुक्त
41.	,, ,,	हरिजन बस्ती	मरम्मत योग्य
42.	,, ,,	कागदी छीपीवाडी	,,
43.	,, ,,	बृह्मपुरीसिंधी	,,
44.	,, ,,	मन्दिर गोपालजी	,,
45.	,, ,,	कली का कोठा	,,
46.	,, ,,	मठ का कुआ	,,
47.	,, ,,	घाटगेट	मरम्मत योग्य
48.	,, ,,	देवणीजी का मन्दिर	,,
49.	,, ,,	घाटो करोलान	,,
50.	,, ,,	बाई जी का मन्दिर	,,
51.	,, ,,	बामेश्वर नाथ	,,
52.	,, ,,	सोमेश्वरपुरी	,,
53.	,, ,,	मोती डूंगरी	,,
54.	,, ,,	खण्डा बस्ती	,,
55.	,, ,,	सिलाबटान	,,
56.	,, ,,	गोविन्द नगर	,,
57.	,, ,,	मालवीय नगर	,,
58.	,, ,,	मालवीय नगर सै. 10, 11, 12,	भवन नहीं है

236

1	2
59. रा.प्रा.वि. कंवर नगर	मरम्मत योग्य
60. ,, ,, धानक्या बस्ती	उपयुक्त
61 ,, ,, अनाज मण्डी सिंधी	उपयुक्त

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें) जयपुर खण्ड प्रथम जयपुर

विद्यालयों के भवनों की स्थिति (किराये के भवन)

1. एस. टी सी. परशुराम द्वारा (देवस्थान विभाग)	उपयुक्त
2. रा. सी. उ. मा. वि. माणक चौक ,,	कमरों में प्लास्टर कार्य
3. रा. मा. वि. फतेह टीबा (किराये का)	उपयुक्त
4. रा. मा. वि. बृह्मपुरी (किराया)	भवन जीर्णशीर्ण है परिवर्तन की आवश्यकता
5. रा. मा. वि. पहाडगंज (किराया)	उपयुक्त
रा. उ. प्रा. वि.	
1. रा. उ. प्रा. वि. महावतान	उपयुक्त
2. ,, ,, मन्डी खटिकान	,,
3. ,, ,, सेठी कॉलोनी (किराये)	,,
4. ,, ,, खोखाबटियों का घेर	,,
रा. प्रा. वि.	
1. रा. प्रा. वि. मौलानासहाब.	प्लास्टर कार्य
2. ,, ,, गंगापोल	,,
3. ,, ,, कमनीगरान	मरम्मत योग्य
4. ,, ,, जाली का महादेव	जीर्णशीर्ण
5. ,, ,, हीदा की मोरी	जीर्णशीर्ण
6. ,, ,, बिहारीजी रामगंज	उपयुक्त
7. ,, ,, जनता कॉलोनी	उपयुक्त
8. , ,, बृजराज बिहारीजी (देवस्थान)	मरम्मत योग्य
9. ,, ,, मन्दिर रतन बिहारीजी (देवस्थान)	,,
10. ,, ,, देवड़ीजी का मन्दिर	,,
11. ,, ,, बाई जी का मन्दिर	,,

हरीश शर्मा
जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 668 की सूची

पाली जिले में रिक्त पदों का विवरण

रिक्त पद प्रधानाध्यापक—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्त रहने का कारण	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	रामावि सारण	1	1	स्थानान्तरण	14–7–89
2.	,, बालराई	1	1	,,	12–7–89
3.	,, भीमाणा	1	1	सेवानिवृति	31–5–89
4.	,, सरदारसमंद	1	1	,,	1–7–89
5.	,, जैतपुर	1	1	स्थानान्तरण	12–7–89
6.	राबामावि सोजतसिटी	1	1	प्रतिबन्ध के कारण	3/89
7.	,, तख्तगढ़	1	1	,,	3/89

रिक्त पद व्याख्याता :—

1.	रासीउमावि तख्तगढ़	11	1	स्थानान्तरण	4/89
2.	,, सोजतरोड़	18	1	पदोन्नति	2/89
3.	,, सादड़ी	17	1	स्थानान्तरण	4/89
4.	,, देसूरी	12	2	स्था./पदस्थापन	5,6/89
5.	,, रोहट	12	2	स्थानान्तरण	4, 7/89
6.	,, बगड़ीनगर	14	1	सेवा समाप्त	4/89
7.	,, बेड़ा	12	2	स्था./सेवास.	10/88, 4/89
8.	,, मारवाड़ ज.	14	3	स्था/से.स.	4, 5, 7/89
9.	,, सेवाड़ी	7	1	स्थानान्तरण	3/89
10.	,, निम्बाज	11	1	,,	,,
11.	,, खोड़	11	2	,,	8/86, 11/88
12.	,, बागड़, पाली	27	3	पदस्थापन होना	4/89, 7/88
13.	,, रानी	10	1	पदो. होना	1/89

238

1	2	3	4	5	6
	रिक्त पद वरिष्ठ अध्यापक				
1.	रासीउमावि तखतगढ़	7	1	सेवानिवृत	10/88
2.	,, बाली	9	1	पदोन्नति	5/89
3.	,, सुमेरपुर	3	1	,,	12/88
4.	,, बड़ा	8	1	सेवा. निवृत	2/89
5.	,, निमाज	4	1	पदोन्नति	5/89
6.	रामावि फुलाद	7	1	स्था.	12/88
7.	,, भीमाणा	5	2	स्थानान्तरण	8, 11/88
8.	,, बामेनेरा	5	1	,,	5/89
9.	,, गुंडाबीजा	5	1	पदोन्नति	1/89
10.	,, बाकली	6	1	,,	5/89
11.	,, कुशालपुरा	7	1	स्थानान्तरण	4/89
12.	,, दादाई	5	1	पदोन्नति	4/89
13.	,, लाम्बिया	5	1	,,	,,
14.	,, देवलीकला	6	1	,,	,,
15.	,, बालराई	6	1	स्थानान्तरण	5/89
16.	,, पावा	7	1	,,	1/89
17.	,, बीजापुर	9	1	,,	5/89
18.	,, ढाबर	6	1	,,	6/89
19.	,, नाणा	5	2	स्था./सेवानि.	10/88, 2/89
20.	,, सिन्दरली	6	1	स्थानान्तरण	4/89
21.	,, रास	5	1	,,	11/88
22,	,, नारलाई	7	2	पदोन्नति	2/89
23.	,, माण्डावास	6	1	स्थानान्तरण	10/88
24.	,, खिवान्दी	6	1	स्थानान्तरण	,,
25.	,, मारवाड़ जं.	7	1	,,	4/89
26.	,, कोट किराधा	6	1	,,	10/88
27.	,, सान्डिया	6	1	पदोन्नति	5/89

1	2	3	4	5	6
	प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय				
1.	घनेरीया	1	1	स्थानान्तरण	4/89
2.	सांवलताखुर्द	1	1	,,	5/89
3.	दिवान्दी	1	1	,,	12/88
4.	इन्द्रकोकी ढाणी	1	1	कार्यग्रहण न करना	11/88
5.	कराड़ी	1	1	स्थानान्तरण	5/89
6.	कायलवाव	1	1	स्थानान्तरण	12/88
7.	दानवरली	1	1	पदस्थापन न होना	1/89
8.	रानीगांव	2	1	पदो. होना	5/89
9.	श्राखण्डी	1	1	सेवा निवृति	7/89
10.	वोमादड़ा	1	1	स्थानान्तरण	12/88

पाली जिले में रिक्त पदों का विवरण

व्याख्याता के रिक्त पद

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद	कारण	दिनांक
1.	रा.सी.बा.उ.मा.वि., पाली	3	नियुक्ति प्रतिबन्ध	3/89
	वरिष्ठ श्रध्यापक के रिक्त पद			
1.	रासीबाउमावि पाली	1	,,	,,
2.	राबाउमावि सुमेरपुर	1	,,	,,
3.	राबामावि सादड़ी	2	,,	,,
4.	राबामावि रानी	1	,,	,,
5.	राबामावि मारवाड़ जं.	1	,,	,,
6.	राबाउप्रावि राहिट	1	,,	,,
7.	राबाउप्रावि पांवा	1	,,	,,
8.	राबाउप्रावि बिसलपुर	1	,,	,,

(2.40)

1	2	3	4	5
	लेबबॉय के रिक्त पद			
1.	राबामावि जैतारण	1	,,	,,
2.	रासीबाउमावि पाली	4	,,	,,
3.	राबाउमावि सुमेरपुर	1	,,	,,
4.	राबामावि सादड़ी	1	,,	,,
5.	राबामावि रानी	1	,,	,,
6.	राबामावि मारवाड़ जं.	1	,,	,,
7.	राबामावि पाली	1	,,	,,
8.	राबामावि रायपुर	1	,,	,,
	पी.टी.आई. के रिक्त पद			
1.	राबामावि तखतगढ़	1	,,	,,
2.	राबामावि पाली	1	,,	,,
	चपरासी के रिक्त पद			
1.	राबामावि तखतगढ़	1	,,	,,
2.	राबामावि रानी	1	,,	,,

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 674 की सूची

राजकीय महाविद्यालय, करौली में तीन सत्र से अधिक कार्यरत व्याख्याताओं की सूची :—

क्र. सं.	व्याख्याता का नाम	विषय	करौली में कब से कार्य कर रहे हैं।
1.	श्री भीमसिंह	अर्थशास्त्र	2–7–85
2.	श्री रामरतन मीना	,,	7–7–86
3.	श्री महेश चन्द	भूगोल	7–7–86
4.	श्री आर. एस. शर्मा	हिन्दी	6–7–67
5.	श्री एस. के. गुप्ता	हिन्दी	7–7–86
6.	श्री एम. सी. मीना	समाज शास्त्र	26–7–86
7.	श्री कुमारी रचना	,,	23–12–86
8.	श्री जे. एस. मीना	इतिहास	7–7–84
9.	श्री एस. सी. अग्रवाल	,,	7–7–84
10.	श्री जगराम मीना	,,	7–7–86
11.	श्री पूरनसिंह राठौर	,,	7–7–86
12.	श्री चेतन प्रकाश	,,	7–7–86
13.	कुमारी राजकुमारी जैन	दर्शन शास्त्र	2–4–85
14.	श्री. डी. एच. एस. मीना	राजनीति शास्त्र	4–9–76
15.	श्री चिरमौली लाल	,,	26–11–81
16.	श्री बाबूसहाय मीना	,,	27–5–82
17.	श्री सांवलराम मीना	बोटनी	7–4–84
18.	श्री सुरेन्द्रसिंह	,,	7–7–85
19.	श्री इदुदुल्ला खां	रसायन शास्त्र	8–7–86
20.	श्री के. एस. रावत	,,	7–7–86
21.	श्री सतीशचन्द	भौतिक शास्त्र	7–7–86
22.	श्री आर. बी. शर्मा	,,	7–7–86

1	2	3	4
23.	श्री बच्चूसिंह	गणित शास्त्र	7–7–86
24.	श्री उदयसिंह मीना	लेखा एवं सांख्यिकी	9–4–82
25.	श्री भगवान सहाय शर्मा	,,	7–7–86
26.	श्री बाबूलाल मीना	व्या. प्रशा.	1–6–83
27.	श्री बी. एस. गोयल	,,	17–7–84
28.	श्री बी. आर. मीना	,,	7–7–86
29.	श्री आलोक	,,	13–9–84
30.	श्री आर. आर. मीना	,,	10–12–86
31.	श्री जी. पी. वर्मा	आर्थिक प्रशासन	16–8–82
32.	श्री ओमप्रकाश	,,	7–7–86
33.	श्री रविन्द्रसिंह	,,	7–7–86

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 681 की सूची

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि.,
(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)
"हाथकर्घा भवन" चौमूं हाऊस, जयपुर–302001

एजेन्टों के माध्यम से बेचे गये माल का विवरण

क्र. सं.	एजेन्ट का नाम	बेचे गये माल का विवरण 1984–85 (रुपये)	बेचे गये माल का विवरण 1985–86 (रुपये)	विशेष विवरण
1.	मै. प्रहलाद राय वैंवटा, चौमूं	153513.62	107368.87	निगम द्वारा उत्पादित निम्न हाथकर्घा वस्त्रों की बिक्री एजेन्टों द्वारा मुख्य रूप से की गई है :—
2.	,, चन्द्रा इण्डस्ट्रियल एण्ड कॉमर्शियल कार्पोरेशन, जोधपुर	478521.85	1526513.03	टेरीकॉट शूटिंग, शर्टिंग, धोती, साड़ी, गमछा, तौलिये, खेस, चद्दर, शॉल,
3.	,, श्रोमप्रकाश शर्मा, जयपुर	16657.60	4793.15	कम्बल एवं प्रिन्टेड तथा ग्रे रनिंग क्लॉथ।
4.	,, धन्नालाल चांदमल कोठारी, बूंदी	3888527.62	22607.47	

Page No. 244

1	2	3	4	5
5.	मैं. स्वास्तिक हैण्डलूम, जयपुर	909561.40	855199.18	
6.	,, देवेन्द्र क्लॉथ स्टोर्स, जयपुर	393693.18	62215.78	
7.	,, बी. आर. टैक्सटाइल्स, जयपुर	2188695.50	564800.86	
8.	,, सोनिया एजेन्सी, जयपुर	639136.33	83907.56	
9.	,, पवन हैण्डलूम, कोटा	41535.00	198071.52	
10.	,, सूरजमल जैन टोडारायसिंह	15114.05	57609.86	
11.	,, उधाराम महेश कुमार, जयपुर	2878.75	—	
12.	,, उपहार एजेन्सी, सूरतगढ़	10841.95	—	
13.	,, रामविलास रामचन्द्र कोठारी, भीलवाड़ा	458988.99	521651.09	
14.	,, पारीक हैण्डलूम, कोटा	—	281856.56	
15.	,, सर्वोदय सेवा सस्थान	—	214011.45	
16.	,, गुप्ता क्लॉथ स्टोर, जयपुर	—	65199.00	
17.	,, अमरनाथ जोशी बहरोड, अलवर	—	184826.88	

1	2	3	4	5
18.	मैं. मयंक एन्टरप्राइजेज, जयपुर	—	288442.25	
19.	,, मुरारीलाल सत्यनारायण, मण्डला	—	89521.34	
20.	,, सुरेश चन्द शर्मा	—	—	
21.	,, होशियारसिंह यादव, जयपुर	—	115310.98	
22.	,, जैन क्लॉथ तिजारा, अलवर	—	—	
23.	,, किसान क्लॉथ स्टोर्स टपूकड़ा, अलवर	—	36298.61	
24.	,, प्रकाश एण्ड कम्पनी, अलवर	—	—	
25.	,, सनराज मार्केटिंग, बीकानेर	—	78196.00	
26.	,, राजस्थान हैण्डलूम, जयपुर	—	209337.50	

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 683 की सूची

कृषि उपज मण्डी समितियों की सूची

क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
	विशिष्ठ श्रेणी :–		
1.	जयपुर "अनाज"	2.	जोधपुर
3.	श्रीगंगानगर	4.	हनुमानगढ़
5.	बीकानेर	6.	कोटा
	"अ" श्रेणी		
1.	जयपुर (फल सब्जी)	2.	अजमेर
3.	ब्यावर	4.	भरतपुर
5.	अलवर	6.	बांरा
7.	रामगंजमण्डी	8.	गंगापुर सिटी
9.	उदयपुर	10.	सुमेरपुर
	"ब" श्रेणी :–		
1.	चौमू	2.	लालसोट
3.	मदनगंज किशनगढ़	4.	बिजयनगर
5.	केकडी	6.	भीलवाड़ा
7.	नदबई	8.	डीग
9.	खैरथल	10.	खेडली
11.	सीकर	12.	श्रीमाधोपुर
13.	नागौर	14.	मेडता सिटी
15.	कुचामनसिटी	16.	रायसिंहनगर
17.	श्रीविजय नगर	18.	श्रीकरणपुर
19.	पदमपुर	20.	गजसिंहपुर
21.	अनूपगढ	22.	घड़साना

1	2	1	2
23.	केसरीसिंहपुर	24.	सांगरिया
25.	शादुल शहर	26.	पीलीबंगा
27.	नोहर	28.	सूरतगढ
29.	लूणकरणसर	30.	भवानीमन्डी
31.	सवाई माधोपुर	32.	हिन्डौन
33.	महुम्रा मण्डावर	34.	निवाई
35.	बूंदी	36.	फतेहनगर
37,	निम्बाहेडा	38.	प्रतापगढ़
39.	बाड़मेर	40.	पाली
41.	सोजतरोड़		

"स" श्रेणी :–

1.	दौसा	2.	कोटपूतली
3.	बांदीकुई	4.	चाकसू
5.	किशनगढ रेनवाल	6.	बयाना
7.	कामां	8.	नगर
9.	धौलपुर	10.	झुन्झुनू
11.	चिड़ावा	12.	नवलगढ
13.	डीडवाना	14.	भादरा
15.	रावतसर	16.	मौलूवाला
17.	नौखा	18.	तारानगर
19.	चूरू	20.	सरदारशहर
21.	सुजानगढ़	22.	अन्ता
23.	इटावा	24.	छबड़ा
25.	झालरापाटन	26.	टौंक
27.	मालपुरा	28.	देवली
29.	बांसवाड़ा	30.	चित्तौडगढ़
31.	बालोतरा	32.	जैतारण

1	2	1	2
33.	रानी	34.	आबूरोड़
35.	शिवगंज	36.	जालौर
37.	भीनमाल		

"द" श्रेणी :–

1	2	1	2
1.	नरायना	2.	गुलाबपुरा
3.	माण्डलगढ	4.	आसीन्द
5.	शाहपुरा	6.	जहाजपुर
7.	धनेड़ा	8.	गंगापुर
9.	राजगढ	10.	गोविन्दगढ़
11.	बाडी	12.	बहरोड़
13.	नीम का थाना	14.	फतेहपुर
15.	सूरतगढ़	16.	डेगाना
17.	जैतसर	18.	रिडमलसर
19.	शादुलपुर	20.	रतनगढ़
21.	डूंगरगढ	22.	सांगोद
23.	चौमहला	24.	खानपुर
25.	अकलेरा	26.	अटरू
27.	उनियारा	28.	टोडारायसिंह
29.	केशोरायपाटन	30.	सुमेरगंज
31.	नाथद्वारा	32.	भीण्डर
33.	आमेट	34.	देवगढ़
35,	डूंगरपुर	36.	कपासन
37.	बेगूं	38.	बडीसादडी
39.	बिलाड़ा	40.	पीपाडसिटी
41.	जैसलमेर	42.	सांचौर

249

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 686 की सूची

अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के गत पांच वर्षों का भौतिक प्रगति का विवरण—

क्र. सं.	वर्ष	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण		अनुसूचित जाति वर्ग के कुओं का ऊर्जीकरण	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	1684–85	2000	2093	1500	1626
2.	1985–86	1000	1094	1500	1505
3.	1986–87	1000	1157	1500	1785
4.	1987–88	1000	1049	1500	1537
5.	1988–89	1000	1041	3000	2635

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 689 की सूची

भींवराज शर्मा
महामन्त्री
नावां तहसील, भारतीय जनता पार्टी

पोस्ट—चोसला
तहसील नावां (नागौर)

जन./203/88 दिनांक 7-12-88

श्रीमान राजस्व मंत्रीजी श्री नरपतरामजी साहिब,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :—श्री नरेन्द्र देव शुक्ला आर.ए.एस. तत्कालीन ए. सी. एम. नावां द्वारा गरीब अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों की जमीनों में भारी रिश्वत प्राप्त कर स्वर्ण जाति के लोगों के नाम कर दिये जाने के राजस्व निर्णयों की जांच कराने हेतु।

———

महोदय,

मैंने परिवाद दिनांक 25-9-1985 को माननीय मुख्यमंत्रीजी के नाम इसी आशय को भेजकर जांच कराने का निवेदन किया था। जिस पर श्री जे. एन. कल्ला अतिरिक्त जिलाधीश नागौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया जिनके समक्ष मैंने मेरे परिवाद की पुष्टि में काफी प्रमाणित सबूत व गवाहान पेश कर दिये। यह जांच अक्टूबर, 1987 में पूर्ण हो गई। जांच अधिकारी के समक्ष भ्रष्टाचार स्पष्ट प्रमाणित हो चुका था लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से अब ज्ञात हुआ है कि जांच अधिकारी श्री कल्ला ने अपनी जांच रिपोर्ट भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कर दी।

ए. सी. एम. न्यायालय नावां के भ्रष्टाचार में सम्मिलित रेवेन्यू क्लर्क श्री बजरंगलाल पारीक निवासी नावां जिसके माध्यम से दोनों हाथों से ए. सी. एम. नरेन्द्र देव रिश्वत बटोरता था। वह बाबू यहां पर उसी पद पर अब तक सेवारत है। जिसकी भ्रष्ट कारगुजारियों की जांच कराई जाकर अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को संभलाई जाने की आज्ञा करें तथा नावां ए.सी.एम. न्यायालय के निर्णय शुदा मुकदमों की निम्न पत्रावलियों की जांच कराई जावे।

(1) राजस्व वाद संख्या 274/85 जयराम बनाम कानाराम मीणा, नावां फैसला दिनांक 21-9-1985 अनुसूचित जाति, जनजाति की जमीन हड़प ली गई।

(2) राजस्व वाद संख्या 385/85 फैसला दिनॉक 24-9-1985 शंकरसिंह मिलापचन्द बनाम नारंगी पत्नि दुर्गा राणा, गुढ़ा।

(3) राजस्व वाद संख्या 267/84 फैसला दिनांक 29-8-1985 रामदेव बनाम सुवालाल अग्रवाल, नावां।

(4) राजस्व वाद संख्या 253/85 फैसला दिनांक 13-9-1985 नन्दलाल राम प्रसाद बनाम मोहन कंवर घीसाराम।

(5) राजस्व वाद संख्या 267/83 फैसला दिनांक नहीं रामदेव बनाम सुवालाल पुत्र पीरामल नांवा को 1-3/4 बीघा से बेदखल करना बताया।

(6) राजस्व वाद संख्या 598/84 फैसला दिनांक 12-12-1984 राजस्व वाद संख्या 599/84 फैसला दिनांक 12-12-1984 नोरंगलाल, गुढ़ा बनाम पूरणमल रामावतार, गुढ़ा।

(7) राजस्व वाद संख्या 600/84 फैसला दिनांक 7-1-1985 कमल कुमार बनाम पूसाराम जाट।

(8) राजस्व वाद संख्या 39/85 फैसला दिनांक 27-6-1985 सुखाराम बनाम रामपाल, नावां (खसरा नं. 498 में से 12 बीघा वादी को दी)

(9) राजस्व वाद संख्या 205/85 भूराराम पुत्र दयाला जाट, नाथू पुत्र बिसना जाट, जाबदीनगर बनाम रामेश्वर खटीक पुत्र नाथूराम (32 बीघा) के खाते रामेश्वर का नाम हटाकर जाट के नाम कर दी गई।

(10) राजस्व वाद संख्या 337/84 नेनाराम जाट बनाम लालराम कुमावत निवासी नावां की 3 बीघा भूमि को 30 बीघा बनाकर 20 बीघा नेनाराम जाट निवासी खैरवा तहसील डेगाना व 10 बीघा सत्यनारायण अग्रवाल नावां के नाम कर दी गई।

उपरोक्त राजस्व निर्णीत मिसलों के अन्दर काफी रिश्वत खाने के प्रमाण स्वत: ही मिल जायेंगे तथा उक्त मिसलों के निर्णयों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की जमीनों का स्वर्ण जाति के नाम परिवर्तन कर दिये जाने के प्रमाण मिल जावेंगे।

यदि जांच रिपोर्ट 1986-87 ए.डी.एम., नागौर मूल फाइल को यदि किसी योग्य ईमानदार अधिकारी से जांच कराई जावेगी तो भूमि घोटालों के सैकड़ों मामले उजागर हो जावेंगे।

पवित्र जांच की आशा में यह निवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

विनम्र
ह./
6-12-88
(भींवराज शर्मा)

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 692 की सूची

कृष्णा मिल्स लि., ब्यावर के पुर्नचालन वास्ते गत एक वर्ष में की गई कार्यवाही का विवरण।

1. सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट 1985 के तहत गठित बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंसियल रिकन्सट्रक्शन (बी. आई. एफ. आर.) नई दिल्ली में प्रवर्तकों द्वारा किये गये रेफरेंस पर दिनांक 3–11–87 को इस संस्थान का पंजीयन हुआ।

2. बी.आई.एफ.आर. द्वारा दिनांक 6–1–88 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये।

   (क) मैसर्स कृष्णा मिल्स लि., को रुग्ण इकाई घोषित किया गया।

   (ख) श्री अनूपम धर, नई दिल्ली को कम्पनी के वित्तीय एवं अन्य हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए विशेष संचालक नियुक्त किया।

   (ग) इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया (आई.डी.बी.आई.) को सम्बन्धित पार्टियों के परामर्श से पुर्नसंस्थापन/समामेलन योजना की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। समामेलन का प्रस्ताव 6–1–88 की सुनवाई पर जयपुर मैटल्स द्वारा रखा गया था।

3. 22–2–88 तक आई. डी. बी. आई. अपनी जांच पूरी न कर सका। लेकिन उन्होंने समामेलन की प्रक्रिया के लिए अपनी अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। पूर्ण सुनवाई के पश्चात् बोर्ड ने पुनः उक्त इकाई की पूर्ण विवेचना करने व समस्त उपचारण भागीदारों (नर्सिग पार्टनर्स) से एक मत निर्णय लेने के लिए आई.डी.बी.आई. को परिपालन संस्था (ओपरेटिंग एजेंसी) के रूप में नियुक्त किया। यह भी निर्देश दिये गये कि आई.डी.बी.आई. अपनी रिपोर्ट 20–5–88 तक बोर्ड एवं अन्य समस्त सम्बन्धित पक्षों को प्रस्तुत कर दे जिससे अन्य संस्थायें भी अपनी टिप्पणियों सहित (यदि कोई हो) बोर्ड को 31–5–88 तक प्रेषित कर सकें।

4. मार्च, 1988 के विधान सभा बजट सत्र के दौरान दिये गये आश्वासन की अनुपालना से राज्य सरकार द्वारा इस संस्थान के पुर्नचालन सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने हेतु श्रम मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10–5–88 को तदर्थ समिति का गठन किया गया, जिसमें विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिह शेखावत को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया।

5. उक्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 28–7–88 को आयोजित की गई। बैठक में विचार-विमर्श कर तय किया गया कि आई. डी. बी. आई. मिल की जीव्यक्षमता का आंकलन कर अपना प्रतिवेदन एक माह की अवधि में बी. आई. एफ. आर. को दे दें, इस हेतु प्रयास किये जावें व इस विषय में आई.डी.बी.आई. जो भी जानकारी चाहे वह राज्य सरकार तुरन्त उपलब्ध करावें।

6. उक्त निर्णय की अनुपालना में उद्योग सचिव, द्वारा आई. डी. बी. आई. के अधिकारियों से सम्पर्क किया गया एवं सितम्बर, 1988 में ही पत्र द्वारा भी आई.डी.बी.आई. को निवेदन किया गया कि वे एक माह में अपनी रिपोर्ट बी. आई.एफ.आर. को प्रस्तुत करदें। जिसके परिणाम स्वरूप आई. डी. बी. आई. द्वारा 13–9–88 को एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में समस्त उपचारण भागीदारों, जिसमें राज्य सरकार व जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि., भी शामिल थे, से विस्तृत रूप से विचार–विमर्श के बाद निम्न कारणों से मिल्स के लिए तैयार की गई योजना को मिल के पुर्नचालन हेतु अनुपयुक्त पाया गया :—

(1) 25000 स्पिण्डल्स (तकुए) की मिल्स के लिए 1396 लाख रुपये का विनियोजन अत्यधिक है।

(2) वर्तमान परिस्थिति में जबकि नई व अच्छी चलने वाली सूती मिलें भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं ऐसी दशा में यदि इस मिल को लगभग 50% राशि ब्याज रहित व पुर्नभुगतान न करने के लिए, नहीं मिले तो वर्तमान दशाओं में मिल की जीव्यता पूर्ण रूप से संदिग्ध है।

7. इसी दौरान श्रम मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की पुन: दिनांक 9–3–89 को बैठक आयोजित की गई। जिसमें विचार-विमर्श के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आई.डी.बी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार इस कम्पनी से 7 करोड़ रुपये की धनराशि का विनियोजन करना कठिन होगा। इसके अतिरिक्त जयपुर मैटल्स भी अपने बैंकों की राय के अनुसार इस मिल में 58 लाख से अधिक का विनियोजन करने की स्थिति में नहीं है तथापि नियोजित श्रमिक वर्ग द्वारा श्रमिक सहकारी समिति का गठन कर इस मिल को चलाने का प्रस्ताव बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत किया जावेगा तो राज्य सरकार, यदि सभी पक्ष सहमत हों तो, ऐसे प्रस्ताव पर उचित समर्थन देने में तत्पर रहेगी।

8. दिनांक 14–3–89 को नियत सुनवाई पर बी. आई. एफ. आर. द्वारा आई. डी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत योजना के समस्त पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श कर उक्त कम्पनी के अवसायन के प्रारम्भिक आदेश जारी करने का

Page No. 254

(254)

निर्णय लिया गया एवं सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 27–6–89 नियत की गई ।

9. श्रम मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार श्रमिक सहकारी समिति का मॉडल प्रारूप तैयार करने के लिये दिनांक 31–5–89 को सचिव, श्रम विभाग, को निवेदन किया गया एवं इसी के साथ 31–5–89 को ही पंजीयक, सहकारी समितियों को भी इस हेतु लिखा गया ।

10. बी. आई. एफ. आर. द्वारा 27–6–89 को नियत सुनवाई पर सम्बन्धित श्रमिक संगठन सहित सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् इस संस्थान को अवसायन में ले जावे का अंतिम निर्णय ले लिया गया है ।

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 693 की सूची

कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर

क्रमांक : प. 1 (174) राजस्व/87/6037–40 दिनांक 3–12–88

आदेश

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प. 4 (6) राजस्व/ ग्रुप–4/88 दिनांक 2–5–88 कस्बा नागौर ने सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन स्थापित करने, परेड करवाने एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने, अधिकारियों व जवानों के रहवास हेतु, भवनों आदि के निर्माण हेतु निम्न विवरण के खसरान की कुल भूमि 228 बीघा 08 बिस्वा राजकीय भूमि कीमत एवं राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6 (219) राजस्व/ग्रुप–3/79/राज–4 दिनांक 24–4–1980 में वर्णित शर्तों पर सीमा सुरक्षा बल को आवंटित किये जाने की स्वीकृति दी है ।

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि
1.	514	18 बीघा 8 बिस्वा	गै. मु. अंगोर
2.	595	10 बीघा 5 बिस्वा	गै. मु. आड़
3.	596	25 बीघा 8 बिस्वा	गै. मु. अंगोर
4.	597	1 बीघा 13 बिस्वा	गै. मु. रास्ता
5	598	28 बीघा 11 बिस्वा	गै. मु. अंगोर
6.	599	2 बीघा 18 बिस्वा	गै. मु. रास्ता
7.	594:907	47 बीघा — —	गै. मु. अंगोर
8.	601	14 बीघा 5 बिस्वा	गै. मु. अंगोर
	कुल (आठ)	228 बीघा 8 बिस्वा	

और यत: तहसीलदार नागौर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/88/1379 दिनांक 29–11–88 से सूचित किया है कि कमाण्डेन्ट 12 बी. बटालियन सीमा सुरक्षा बल नागौर ने भूमि आवंटन के लिये राशि रुपये 66,39,131=00 जरिये चलान संख्या 735 दिनांक 3–11–88 के द्वारा जमा करवा दिये हैं ।

अत: कस्बा नागौर में सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन स्थापित करने, परेड करवाने एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने, अधिकारियों व जवानों के रहवास

(258)

हेतु भवनों आदि के निर्माण हेतु राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक 4 (6) राजस्व/ ग्रुप–4/88 दिनांक 2–5–88 के अनुसरण में निम्न शर्तों पर आवंटन की जाती है :–

1. भारत सरकार इस भूमि का राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी ।

2. भूमि का उपयोग केवल सुरक्षा प्रयोजनार्थ किया जावेगा, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भूमि का उपयोग नहीं हो सकेगा ।

3. जब इस भूमि की आवश्यकता सुरक्षा विभाग को न रहे तो यह भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर राज्य सरकार को वापस हस्तान्तरित कर दी जावेगी, एवं ऐसा करते समय भूमि की कीमत का निर्धारण उसी आधार पर होगा जिस आधार पर भूमि केन्द्रीय सरकार को दी जाती है ।

ह./–

कलक्टर, नागौर

क. सं.	नाम सार्वजनिक संख्या राज्य उपयोग जिनको भूमि आवंटित की गई	भूमि का विवरण ख. नं.	रकबा	आवंटन तिथि	कब्जा सुपुर्द कर्ता	कब्जा तिथि	कब्जा प्राप्त कर्ता	वि. वि.
1.	आरएसईबी 132 केवी नागौर	594/943	58 बी.	19-9-81	तहसीलदार नागौर	22-2-82	आरएसईबी नागौर	
2.	नगर पालिका मण्डल नागौर	233	9.15				नगर पालिका मण्डल नागौर	
		247	6.08					
		239	4.01					
		255	27.10					
		240	2.08					
		241	2.08	31-12-81		28-2-82		
		136	29.04					
		248	5.15					
		8	87.09					
3.	महात्मा गांधी छात्रावास, नागौर	34/916	2.00	31-1-73	"	8-2-73	महात्मा गांधी छात्रावास नागौर	
4.	नगर पालिका मण्डल, नागौर	53	29.17	7-10-76	"	6-5.83	नगर पालिका मण्डल नागौर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	कब्रिस्तान	540/931	5.00	18-1-84	,,	13-3-84	— —	
		542/932	8.05					
6.	नगरपालिका मण्डल नागौर	259	5.08					
		534	5.19					
		436	17.02					
		542	130.09					
		559	1.09	29-3-85	,,	16-4-85	नगरपालिका मण्डल नागौर	
		253	0.08					
		443	33.14					
		7	194.09					
7.	जलदाय विभाग, नागौर	385/977	4.02	29-10-85	,,	6-12-85	जलदाय विभाग, नागौर	
8.	जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर	95/919	2.00	14-3-86	,,	2-5-86	जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर	
9.	रा.उ.प्रा.वि. सं. 5 खत्रीपुरा, नागौर	481/990	12.10	4-2-87	,,	19-3-87	रा.उ.प्रा.वि सं. 5	
10.	आकाशवाणी, नागौर	381/993	2.10	5-8-88	,,	5-10-88	आकाशवाणी, नागौर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), नागौर	95		37.10	7-7-89	—	—	पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 12(173)राजस्व 87/3916 दिनांक 24.12.87 से इस संस्थान को ख. नं. 125 127 130 एवं 95 कुल रकबा 10 एकड़ आवंटित किये जाने के आदेश जारी किये गये। परन्तु इस कार्यालय के आदेश सं. सम/6720 दिनांक 7.7.89 द्वारा पूर्व आदेश में भूमि के संबंध में आंशिक संशोधन कर मात्र ख. नं. 95 की 37 बीघा 10 बिस्वा आवंटित किया गया।
12.	राजकीय हरिजन छात्रावास के भवन निर्माण हेतु।	138		3400 वर्गगज	20.3.89	—		—

परिशिष्ट— 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 694 का विवरण

अधिशासी अभियन्ता (ग्रांवि) सोजत सिटी के अधीन उपखण्ड पिपलिया कलां, सोजत सिटी, मारवाड़ जंक्शन तथा जैतारण में पिछले 8 वर्ष 1980 के कृषि कनेक्शनों के बकाया आवेदन पत्रों की सूचना।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	प्रार्थना पत्रों की तिथि	लम्बित होने का कारण
	जैतारण (पवस)			
1.	श्री हुकम सिंह/देवी सिंह	लोटोती	8–10–79	डिमाण्ड राशि जमा है मार्च, 89 में 11 के.वी. कार्य प्रगति पर है
2.	,, बक्ता राम/लक्माराम	लितरिया	3–5–79	—,,—
	सोजत (पवस)			
1.	श्री बल्लु राम/रुगाराम	करमावास	26–9–78	वित्तीय भार अधिक होने के कारण अस्थाई रोका गया
	खारची (ग्रावि) मारवाड़ जंक्शन			
1.	श्री भारत सिंह/मोहब्बत सिंह	दुदोड़	मार्च, 80 के पूर्व	,, ,,
2.	,, भोला राम/सवाई राम	सारन	,,	,, ,,

1	2	3	4	5
3.	श्री मोहन लाल चैनजी	भोमालिया	मार्च, 80 के पूर्व	वित्तीय भार अधिक होने के कारण अस्थाई रोका गया ।
4.	,, मेघाराम	जेतपुरा	,,	डिमाण्ड राशि जमा है 11 के. वी. कार्य प्रगति पर है
5.	,, जेठाराम	,,	,,	,, ,,
6.	,, कूपाजी	,,	,,	,, ,,
7.	,, नारायण लाल	चिरपटिया	,,	,, ,,
8.	,, भवानी सिंह	चैलावास	,,	,, ,,
9.	,, पुकनाथ	माण्डा	,,	,, ,,

(262)

परिशिष्ट "क"

सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.), राराविमं, पीपलिया कलां के अधीनस्थ रायपुर तहसील में वर्ष 1980 से अब तक (30-6-89 तक) दिए गए कृषि कनेक्शनों के काश्तकारों की सूची।

क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
1	2	1	2
1.	श्री पन्नाराम/चोलाराम	2.	श्री मूलाराम/सुखाराम
3.	,, छगाराम/किशनाराम	4.	,, पंकज/अशोक कुमार
5.	,, चिमनाराम/दूदाराम	6.	,, चेलाराम/नेनाराम
7.	,, कालूराम/भूराराम	8.	,, देवाराम/नेनाराम
9.	,, " घेवरराम	10.	,, चेलाराम/नेनाराम
11.	,, पोकरराम/पनिया	12.	,, ऊर्जाराम/बिरदाराम
13.	,, मंगासिंह/चन्दनसिंह	14.	,, मंगासिंह/चन्दनसिंह
15.	,, देवा/काना	16.	,, चेना/कालू
17.	,, पेमा/भूरा	18.	,, पूना/चौथा
19.	,, चोथाराम/बुद्धाराम	20.	,, सुखाराम/खींयाराम
21.	,, तिलोकराम/उमेदराम	22.	,, गोमाराम/उमेदराम
23.	,, लिकमाराम/धन्नाराम	24.	,, सुमेरसिंह/जसवीरसिंह
25.	,, उमेदसिंह/दुलेसिंह	26.	,, बिरदाराम/खरताराम
27.	,, नाथाराम/राणा जी	28.	,, रतिया/बेराराम
29.	,, चिमनाराम/पन्नालाल	30.	,, हीरा/जेठा
31.	,, भवानीसिंह/मोहनसिंह	32.	,, कालूराम/रूपाराम
33.	,, नरसिंह/पन्नाराम	34.	,, धुलाराम/राय चन्द
35.	,, नन्दा राम/देदा राम	36.	,, प्रभूराम/उमेद
37.	,, नारा राम/ऊर्जा राम	38.	,, लाबू राम/अन्ना राम
39.	,, कालू राम/घीसा राम	40.	,, मंगला राम/भीखा राम
41.	,, नथूलाल/मंगना जी	42.	,, मंगलसिंह/किशोरसिंह
43.	,, मंगला/जीता	44.	,, भगवानसिंह/कल्याणसिंह

1	2	1	2
45.	श्री धूला राम/अमर जी	46.	श्री बालू राम/जोगा
47.	,, दूदा/हीरा	48.	,, हीरा/हजारी
49.	,, रतन लाल/जालू राम	50.	,, माधोसिंह/मोहनसिंह
51.	,, ओटा राम/नवला जी	52.	,, डगला राम/राय चन्द
53.	,, सूरा राम/रावत राम	54.	,, बीका राम/धन्ना राम
55.	,, लादूसिंह	56.	,, रामा/निना
57.	,, कालू राम/नारायण	58.	,, सज्जन लाल
59.	,, ऊर्जा/मोडा	60.	,, पूखाराम/रूपा राम
61.	,, शेजा राम/किशना राम	62.	,, रंगलाल/सीताराम
63.	,, केशाराम/कानाराम	64.	,, भीयाराम/हरी राम
65.	,, डगला राम/नन्दा राम	66.	,, राणा/रामा चन्द
67.	,, रामा राम/पन्नाराम	68.	,, सोहनलाल/कुन्नाराम
69.	,, भूरा राम	70.	,, रमजान बक्ष/उमराव बक्ष
71.	,, धन्ना राम/हरीराम	72.	,, सोना राम/हेमर राम
73.	,, बेना राम/बालू राम	74.	,, पन्ना/धोला
75.	,, जस्सा/कुन्ना	76.	,, पूरा राम/आइदान
77.	,, सुखाराम/हजारी	78.	,, लालूराम/प्रभू
79.	श्रीमती दरियाव कंवर	80.	,, देवीसिंह
81.	श्री मुरारी दान/फतेह दान	82.	,, केशा राम/छोटूराम
83.	,, सांवलराम	84.	,, पाबू/करमा
85.	,, जस्सा/नीमा, रूपा	86.	,, डूंगिया/किशना
87.	,, शक्तिसिंह/अशोकसिंह	88.	,, दुर्गाराम/भोलाराम
89.	,, रूपाराम/ऊर्जाराम	90.	,, केशाराम/ऊमा जी
91.	,, घीसाराम/मंगला	92.	,, केशवेन्द्रसिंह
93.	,, दल्लासिंह	94.	,, बाबूदास
95	,, बंशीलाल/धन्नाराम	96.	,, मेगनाथ/ओगड़नाथ
97.	,, अन्ना राम/फाबू राम	98.	,, भूरा राम/ऊर्जा राम
99.	,, अन्नाराम/धूलाराम	100.	,, गेनाराम/धुलाराम

1	2	1	2
101.	श्री नारायण/प्रभू	102.	श्री भाना राम/बिरदा राम
103.	,, मोटाराम/लच्छा राम	104.	,, जस्सा राम
105.	,, ओगढराम/कुन्ना राम	106.	,, चामुण्डसिंह/मोड़सिंह
107.	,, बीकाराम/चन्दा राम	108.	,, नाथूलाल/गंगाराम
109.	,, धन्नाराम/पन्नाराम	110.	,, हेमर/गणेश
111.	,, जोगाराम/छोटूराम	112.	,, प्रभूराम/सुरताराम
113.	,, जोगाराम/रूपाराम	114.	,, बंशीलाल/घेवरचन्द
115.	,, डावरराम/हेमाराम	116.	,, हकीम खां/हुसैन खां
117.	,, मग्गाराम/बींजाराम	118.	,, समन्दरसिंह/किशोरसिंह
119.	,, अशोकसिंह/उगमसिंह	120.	,, भवरू/रावत
121.	,, थाननाथ/शिवनाथ	122.	,, चोलाराम/शिवनाथ
123.	,, अमरनाथ/भंवरनाथ	124.	,, नारायणसिंह/गोरधनसिंह
125.	,, खोटाराम/पूराराम	126.	,, रूगा/करमी
127.	,, दुर्गाराम/जालाराम	128.	,, मोहनलाल/पूनाराम
129.	,, राम/सुरता	130.	,, श्यामलाल/गंगाराम
131.	,, वीजा/नवला	132.	,, हीराराम/रायचन्द
133.	,, कानाराम/मांगीलाल	134.	,, दुर्गाराम/घीसाराम
135.	,, बचनाराम/छोटूराम	136.	,, मोटाराम/पन्ना
137.	,, करमी/नैना	138.	,, कुन्ना/केशा
139.	,, पुकीया/गोमला	140.	,, भूराराम/ऊमाराम
141.	,, पुखराम/पूनाराम	142.	,, भगवानराम/बीकाराम
143.	,, नारायणलाल/पूनाराम	144.	,, करमीराम
145.	,, कालूराम/दल्लाराम	146.	,, बाना/मूला
147.	,, गीदा/ऊदा	148.	,, करमीराम/बिरदा जी
149.	,, अन्नाराम/किशना जी	150.	,, भूराराम/रामचन्द
151.	" सूरा/खंगार	152.	" मिश्रीलाल/छगनलाल
153.	" दूदा/मूला	154.	" रघुवीरसिंह/विजयदान
155.	" धोकल/केना	156.	" मिश्रीलाल/नवला जी

1	2	1	2
157.	श्री दुर्गाराम/किशनाराम	158.	श्री पोकर/बींजा
159.	" गणेश/रूपा	160.	" ओमप्रकाश/पूनाराम
161.	" लूम्बाराम/खुंमाराम	162.	" पोकर/रहीम
163.	" ईश्वरचन्द/दयाशंकर	164.	" देवाराम/नरसिंह
165.	" विजयसिंह/गोपालसिंह	166.	" जस्साराम/घीसाराम
167.	" भंवरलाल/केशाराम	168.	" चन्दाराम/मंगाराम
169.	" शिवनाथसिंह	170.	" जोगाराम/गोमाराम
171.	" भोलाराम	172.	" ऊर्जाराम/हीराराम
173.	" किशनसिंह/भगवतसिंह	174.	" भीकाराम/लुम्बाराम
175.	" हीराराम/मुकनाराम	176.	" रणवीरसिंह/रघुनाथसिंह
177.	" मिश्रीलाल/मग्गा जी	178.	" केशाराम/सहदेव
179.	" गोपाराम/गणेशराम	180.	" लालूराम/गंगाराम
181.	" घीसू/मुल्ला	182.	" बालू/गुल्ला
183.	" रूपाराम/हजारी	184.	" पूखराज/जेठाराम
185.	" अनाराम/रूपा	186.	" कन्हैयालाल/गुमना
187.	" भंवरलाल/गुमना	188.	" छोटाराम/वीराराम
189.	" भंवरलाल/मांगीलाल	190.	श्रीमती चुन्नी बाई/भीकम चन्द
191.	" नारायण/मना	192.	श्री मोहन/हापू
193.	" शेशू/निना	194.	" भानाराम/करमा
195.	" उम्मेद/मगा	196.	" मनोहरलाल/चांदमल
197.	" हरजी/बालू	198.	" सुखाराम/पूरा जी
199.	" भीकाराम/अनाराम	200.	" मांगीलाल/हजारी
201.	" लाल मोह.	202.	" टींकू/जाला
203.	" भंवरसिंह/भूरसिंह	204.	" श्रीमती छोटी/हजारी
205.	" भंवरलाल/रूपाराम	206.	श्री मोटाराम/केशाराम
207.	,, नारायणलाल/गुमनाराम	208.	,, सुखा/भीमा
209.	,, नेना/गणेश	210.	,, गनीलाल/हरदेव

1	2	1	2
211.	श्री पन्ना/भभूत	212.	श्री तुलसीराम/खेवाराम
213.	,, घीसू/बुद्धा	214.	,, बीजा/हरजी
215.	,, बाबू/पूरा	216.	, पूखाराम/बालूराम
217.	,, शिवलाल/शादुल जी	218.	,, बंशीलाल/देवाराम
219.	,, पुखीया/दुधा	220.	,, चिमनाराम
221.	,, हीरा/चोला	222.	,, रेखाराम/मांगीलाल
223.	,, ढगला/पुरखा	224.	,, मांगी/देवा
225.	,, ओमप्रकाश/रामचन्द्र	226.	,, मंगाराम/भीकाराम
227.	,, गुमना/स्वंरूप	228.	,, सुराराम/घीसू
229.	,, रामकिशन/अलाराम	230.	,, रूगाराम/सांवल जी
231.	,, मंगाकिशन/बंशीलाल	232.	,, ढगलाराम/धुलाराम
233.	,, रामा/अमरा	234.	,, मदनदान/पृथ्वीदान
235.	,, पांचू/मंगाराम	236.	,, पेमाराम/चन्दराम
237.	,, गटटूजी/छोगाराम	238.	,, नीलू/लालू, मंगा
239.	,, भगवान/गोमा	240.	,, सुखा/किशना
241.	" मांगीलाल/पूनाराम	242.	" भंवर/धुला
243.	" पुखराज	244.	श्रीमती सुगन कंवर/मदन दान
245.	" मुकना/हरजी	246.	श्री ढगलीराम/घीसूराम
247.	" मिश्रीलाल/हेमराज	248.	" बाबूलाल/केवलराम
249.	" ओगड़सिंह/घीसूसिंह	250.	" मगाराम/घीसा
251.	,, ओमप्रकाश/जगदीश	252.	,, घीसालाल/सूजा
253.	,, भंवरिया/ओगड़	254.	,, रावतराम/धूला
255.	,, किशनलाल/ताराचन्द	256.	,, बचना राम/गाजी
257.	,, केला राम/छोटूराम	258.	,, रावतराम
259.	,, पूना राम/दला राम	260.	,, जोगा राम केश जी
261.	,, छगा राम/उम्मेद राम	262.	,, शुभ सिंह/दई जी
263.	,, दरियाव सिंह अर्जुन सिंह	264.	,, केवलिया उदिया

1	2	1	2
265.	श्री पूना राम/भोलाराम	266.	श्री मिश्रू राम/पूनाराम
267.	,, चांदसिंह/सरदार सिंह	268.	,, मेना राम/चोथा राम
269.	,, जोगाराम/ओम प्रकाश	270.	,, मांगू/सरदार
271.	,, चन्दा राम/बिरदा राम	272.	,, गोपाल सिंह/तेज सिंह
273.	,, मांगी लाल/कालूजी	274.	,, भेरू सिंह/फतेह सिंह
275.	,, गुलाब सिंह/सज्जन सिंह	276.	,, तेज सिंह/सवाई सिंह
277.	,, भोला/हीरा	278.	,, मगा सिंह/नवल सिंह
279.	,, सरपंच ग्राम पंचायत	280.	,, लादू राम/हुपजी
281.	,, कनिया/जोरा राम	282.	,, लादू राम/दोला
283.	,, मंगला राम/दोला	284.	,, नारायण लाल/भूरा राम
285.	,, नानक चन्द/अनाराम	286.	,, मांगी लाल/धूलाराम
287.	,, लक्ष्मण सिंह	288.	,, सूजाराम
289.	,, भेवर राम/ढगलाराम	290.	,, चोथा राम/नवला राम
291.	,, गोपूदास/चन्दूदास	292.	,, गोकुल/ढगला
293.	,, ढगला राम/जेठा राम	294.	श्रीमती गोपी देवी/चेना राम
295.	श्रीमती गजरा देवी/जोग नाथ	296.	श्री प्रभू/दोला
297.	श्री मोहनलाल/रावत राम	298.	,, पोकर नाथ/प्रेम नाथ
299.	,, हापू राम/दोला राम	300.	,, ढगलाराम
301.	,, कनिया/भवरियो	302.	,, रघुनाथ सिंह/देवीसिंह
303.	,, कानसिंह/गुलाब सिंह	304.	,, चैनसिंह/गुलाब सिंह
305.	,, तेजा राम/नेना जी	306.	,, उम्मेद सिंह/रणजीत सिंह
307.	,, उम्मेद सिंह/नाहर सिंह	308.	,, भीम सिंह/नारायण सिंह
309.	,, नरपत सिंह/सुख सिंह	310.	,, मनोहर सिंह/नरपत सिंह
311.	,, आनन्दसिंह/पाबू सिंह	312.	,, गणपत सिंह/बाग सिंह
313.	,, चम्पालाल/मांगीलाल	314.	,, अना राम/नाथू राम
315.	,, खंगारराम/डंगाराम	316.	,, हजारी लाल
317.	,, हेम सिंह/अजब सिंह	318.	,, मंगला राम/ऊदा राम
319.	,, नारायण सिंह/नन्द सिंह	320.	,, गुमना राम एण्ड ब्रदर्स

Page No. 268

1	2	1	2
321.	श्री हीरा लाल/नेना राम	322.	श्री मोहन सिंह/हेम सिंह
323.	,, उदय सिंह उदावत	324.	,, नारायण लाल एण्ड पार्टी
325.	,, श्री राम/शिव बक्ष शर्मा	326.	,, भंवर सिंह/कान सिंह
327.	,, कालू सिंह/मोड़ सिंह	328.	,, भूर सिंह/सवाई सिंह
329.	,, चांद खां/पीरू खां	330.	,, चन्दा लाल/लुम्बा राम
331.	,, ऊंकार/गेपर	332.	,, सत्यनारायण/बंशी लाल
333.	,, हरि किशन/लालू	334.	,, रूगाराम एन्ड कम्पनी
335.	,, भीका राम एन्ड कम्पनी	336.	,, पेमा राम एन्ड कम्पनी
337.	,, मंगला राम/भोमा राम	338.	,, प्रमोद कुमार/कल्याण सिंह
339.	,, मांगी लाल/पूना राम	340.	,, चन्दू राम/धूलाराम
341.	,, जवरी लाल/हजारी	342.	, यादव सिंह/जबरसिंह
343.	; कालू राम/रामा जी	344.	,, त्रिलोक, हरिदेव एण्ड पार्टी
345.	,, धन्ना/हरजी	346.	,, मांगी लाल/भारमल
347.	,, जवाना राम/लालू जी	348.	,, कल्याण सिंह/हनुमान सिंह
349.	,, बचना राम/पूना राम	350.	,, सूरजा राम/ढोकल राम
351.	,; पेमा राम/चोथा राम	352.	,, भीका राम मूलाराम
353.	,, लादूराम/देवा राम	354.	,, हरजी राम/लच्छा राम
355.	,, बुध्दाराम/गेनाराम	356.	" जड़राम/चन्दराम
357.	" गोमो/किशना	358.	" पेमा/रावलराम
359.	" गुमनाराम/मूलाराम	360.	" छोलाराम/जग्गाराम
361.	" धीसाराम/सादुल जी	362.	" देदाराम/सुगनाराम
363.	" भंवरलाल/प्रभू	364.	" मोहनलाल/धुलाराम
365.	" चेलाराम/दुर्गाराम	366.	" दामोदर लाल/हजारीलाल
367.	" मोहन लाल/किशना राम	368.	" आदूराम/मुकना राम
369.	" नैना/किशना	370.	" कन्नाराम/बुद्धाराम
371.	" श्रवण/तारा	372.	" मंगला/हरदेव
373.	" जोगाराम/धीसाराम	374.	" पारस मल/कजोड़मल
375.	श्रीमती अणची/जसाराम	376.	,, खुमाराम/नवलाराम

1	2	1	2
377.	श्री रुपाराम/श्री शिवदान	378.	श्री गरणपत लाल/रूपाराम
379.	,, गोविन्द लाल/बंशीलाल	380.	,, गिरधारीलाल/दिवाराम
381.	,, बलिया/पूरा	382.	,, बींजा/हरजी
383.	,, मग्गा/लम्बा	384.	,, अम्बादान/सोहनदान
385.	,, रूपाराम/बन्नाराम	386.	,, नरपतसिंह/सुरेन्द्रसिंह
387.	,, मांगूराम/पेमाराम	388.	,, सुवा/करना
389.	,, भंवरसिंह/कानसिंह	390.	,, रमाशंकर/रावतराम
391.	,, सुरजभान सिंह/धोल सिंह	392.	,, राम/प्रताप
393.	,, रघुवीर सिंह/गोविन्द सिंह	394.	,, उदाराम/रावतराम
395.	,, दोपाराम/नारूराम	396.	,, रामदीन/धुलाराम
397.	,, पन्नाराम/बन्नाराम	398.	,, रामेश्वर/खींवराज
399.	,, बुद्धि प्रकाश/शंकरलाल	400.	,, मोहन/पूना
401.	,, भंवरराम/मोडाराम	402.	,, ओंकारसिंह/हरिसिंह
403.	,, घेवरराम/नारायण राम	404.	,, सूजाराम/गणेशराम
405.	" घीसा/गुन्नाराम	406.	" घीसा/माना
407.	" रूपेन्द्रसिंह/उम्मेद सिंह	408.	" कल्याणसिंह/कालूसिंह
409.	श्रीमती कानोदेवी/तुलसी राम	410.	" मुकना/मगा
411.	श्री लच्छा/मगा	412.	" चांदराम/जोगाराम
413.	" जोगाराम/दुर्गा	414.	" छोगाराम/बच्चाराम
415.	" पाबूराम/दुर्गाराम	416.	" वीरसिंह/मानसिंह
417.	" मूसा/जमाल	418.	" जीवाराम/हीरजी
419.	" भराराम/केवल राम	420.	" मेगासिंह/पहाड़सिंह
421.	" दाउदहसन/मोहम्मद सलीम	422.	" संजय/चांददान
423.	" जसाराम/कालूराम	424.	श्रीमती कल्याण कंवर/भेरुसिंह
425.	" गोपूराम/धन्नीराम	426.	श्री शम्भूसिंह/मदनसिंह
427.	" अली खां/नाहर खां	428.	,, कानाराम/गोमाराम
429.	" श्रीमती राम देवी/लालूराम	430.	,, केसाराम/रूपाराम
431.	श्री मांगीलाल/चिमनी राम	432.	,, वसुराम/मादुराम
433.	,, पेमा भूरा/चोला	434.	,, दयाराम/गेनाराम

1	2	1	2
435.	श्री नरसिंह/प्रभूदेवा	436.	श्री चेलाराम/गुमनाराम
437.	" गनी खां/बादर खां	438.	,, गणेश जयरुप/राम
439.	" कुनाराम/नवलाजी	440.	" मांगीलाल/दलीचन्द
441.	" मिश्रीराम/घीसाराम	442.	" अमराराम/रूपाराम
443.	" भाना, पुका/मोती	444.	" चेलाराम/पेमाराम
445.	" भूराराम/रामजी	446.	" पूनम चन्द/रावतमल
447.	,, रामा,हीरा/पूना	448.	,, पन्नाराम/मुकना जी
449.	,, घीसाराम/नवला जी	450.	" उर्जाराम/मूलाराम
451.	" बंशीलाल/मगाराम	452.	" मंगाराम/हीराराम
453.	" रावतराम/भियाराम	454.	,, दुर्गाराम/बाबूराम
455.	" अमराराम/मोती	466.	" देवा/भूरा
457.	" गेना/नन्दा	458.	" घीसू/मल्ला
459.	" मांगीलाल/गुल्ला जी	460.	,, जगाराम/बालू जी
461.	" भंवरू/अमरू	462.	" श्रवणसिंह/मोहन सिंह
463.	" रूपाराम/पुखाराम	464.	" भवानीसिंह/विजयसिंह
465.	" सोहन लाल/बींजाराम	466.	" गोतमचन्द/देवाराम
467.	श्रीमती बजी/श्री पूनाराम	468.	" देवीसिंह/मगलसिंह
469.	श्री रामसिंह/मोती सिंह	470.	" अनिल/उमाराम
471.	" रतनलाल/पोकर राम	472.	" लच्छाराम/लूमाराम
473.	" उर्जाराम/ताराराम	474.	" उमेदराम/छोगाराम
475.	" रूपाराम/शिवदान	476.	" केवलराम/सहदेवराम
477.	" सोहनलाल/जीताराम	478.	" रामस्नेही/रामद्वारा
479.	,, सिरदार/चोलाराम	480.	,, डूंगाराम/सेवाराम
481.	,, गेनाराम/भानाराम	482.	" जिया/लम्बा
483.	" भीखाराम/जेठाराम	484.	,, लुम्बाराम/हीराराम
485.	,, नारायण/हीराराम		

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 696 की सूची

लाभान्वित परिवारों की सूची ग्राम व कार्यवार निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम मय पिता का नाम व जाति	ग्राम का नाम
	नलकूप निर्माण	
1.	श्री लक्ष्मणसिंह/श्री धूंकलसिंह राजपूत	सडू
2.	" दूलसिंह/भीमसिंह राजपूत	तेहनदेसर
3.	" मोहनराम/भेजराराम जाट	" "
4.	" मांगीलाल/शेराराम जाट	सेडू
5.	" तखाराम/जालूराम जाट	तेहनदेसर
6.	" तिलोकाराम/मेवाराम जाट	तेहनदेसर
7.	" आसूराम/कानाराम जाट	" "
8.	" रिधाराम/रूपाराम जाट	उड़वाला
9.	" धन्नाराम/उदाराम जाट	"
10.	" बेगाराम/पुरखाराम जाट	"
11.	" भंवराराम/फूसाराम जाट	"
12.	" हीराराम/तुलछाराम	"
	पम्प सैट	
1.	श्री रूपसिंह/गणपतसिंह राजपूत	आवेसर

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 137 (स्थगित) की सूची

खसरा नम्बर	रकबा	काबिज व्यक्ति का नाम, पिता का नाम/आयु	किस तिथि से काबिज है.	क्या निर्माण किया हुआ है.	कब्जा रिहायशी है या व्यवसायिक	व्यवसायिक है तो कब से
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
221	1–03 गै. पु.	ग्राम रास्ता पुल्ता सड़क	—	सड़क पुल्ता		
223	1–09 "	"	—	"	—	—
228	1–08 "	कब्रस्तान व मन्दिर (जैन) 11)4 11)4	—	कब्रस्तान II 4 मन्दिर II 4		
229	1–09 "	गै. मु. कब्रस्तान	—	कब्रस्तान		
230	8 07 "	जैन मन्दिर, महादेव जी व गोपाल जी ट्रस्ट 0.1	—	जैन मन्दिर महादेवजी का मन्दिर गोपाल जी का मन्दिर	जैन मन्दिर मन्दिर मन्दिर	—
		राजस्थान कोटेज एण्ड ब्लाक प्रिन्टिग फैक्ट्री शोरूम मालिक नौरत जी (2)	1979 से	शोरूम	व्यवसायिक	1979

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		जयपुर ब्ल्यू प्रोट्री आर्ट सेंटर शोरूम मदन पुत्र सीताराम कुमावत (2)	1980 से	शोरूम	व्यवसायिक	1980
		बी. जी. हैण्डी क्राफ्ट छपाई कारखाना		छपाई कारखाना	”	1980
		महेन्द्रसिंह भण्डारी/दौलत सुभाष कुमार भण्डारी II)	”			
		सीमेन्द्र वर्कसे व चाय की दुकान राधेश्याम पन्नालाल माली (3)	1979	कमरा छप्पर	”	1979
		आबादी 6), बंजडपड़ेत 1)2, वाविडी) 1, स्कूल) 2	1980 से पूर्व	पुख्ता मकान	रिहायशी	1980 से पूर्व से
233	1–03 गै. मु.	सड़क पुख्ता व पड़त		सड़क पुख्ता	पुरातन आबादी	
247	6–05 गै. मु. आ.	फकीरों की डूंगरी पुरानी आबादी जेडीए आवंटन व पुराने कब्जे		पुख्ता व खाम मकानात, पुख्ता सड़क	रिहायशी	
249	0–01 गै. पु. रा.					
263	0–01 ”					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
264	1–05 बाग	कब्रस्तान फकीरान सड़क पुख्ता III), I) आबादी फकीरों की तथा प्लाट अन्य व्यक्तियों को गो. गृह-समिति	—		पुरानी आबादी व कब्रस्तान	
266	2–09 गै. मु. नला	सड़क पुख्ता रोड पड़त आबादी III) I) I)4				
		रउफ शाह/बुन्दूशाह फकीर) 1	45	1981	खाम मकान एक रिहायशी	
		इशाक मोहम्मद/रसूल खां फकीर) 4	35	”	कमरे पुख्ता, खाम व चौक (4	
		अब्दुल रहमान/ईदू फकीर (1	45	”	खाम मकान	
		बाबू खां/सकरू फकीर (1	36	1985	” ”	
		फखरू/छैलू (1	40	1980	”	
		मन्दिर श्री शंकर जी (1				
267	0–07 गै. मु. रास्ता	गै. मु. सड़क रास्ता आम रपत रास्ता			सड़क पुख्ता	

ह./-

वास्ते कलक्टर, जयपुर।

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 238 (स्थगित) की सूची

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/एल.आर. 24/81/उदयपुर

श्री उदा पुत्र हरचन्द कुम्हार निवासी बलनाखुर्द तहसील मावली, उदयपुर

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार, जये तहसीलदार, मावली

2. प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल बलनाखुर्द तहसील मावली, उदयपुर

—अप्रार्थीगण

एस. जी.

श्री चन्द्र प्रकाश, सदस्य

उपस्थिति :—

श्री पी. एस. दशोरा अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।

श्री जे. के. पुरोहित उप राजकीय अभिभाषक, वि. नं. एक की ओर से।

श्री एन. एस. चोरडिया अभिभाषक वि. नं. दो की ओर से।

दिनांक 10-8-87

निर्णय

प्रार्थी उदा पुत्र हरचन्द कुम्हार ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के आदेश क्रमांक 25/2/81 के विरुद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं। उक्त आदेश द्वारा विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1255 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ग्राम बलानाखुर्द तहसील मावली जिला उदयपुर से प्रार्थी अपीलान्ट उदा पुत्र हरचन्द की बेदखली यथावत रखी थी।

(2) सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कहा की तहसीलदार मावली ने आराजी मुतनाजा से प्रार्थी को बेदखल करने के लिए दिनांक 2-8-79 को नोटिस जारी किया और दिनांक 9-8-79 को सुनवाई की तारीख नियत की और बहुत जल्दी ही दिनांक 20-8-79 को निर्णय पारित कर दिया। जिससे प्रार्थी अपना सबूत आदि भी प्रस्तुत नहीं कर सका इसी सम्बन्ध

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कहा कि तहसीलदार, मावली के समक्ष प्रार्थी ने केस का ट्रांसफर कराने हेतु ही प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई । मामला स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने 1974 आर. आर. डी. पृष्ठ 50 का उदाहरण प्रस्तुत किया । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने रिकार्ड की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रधानाध्यापक पलानाखुर्द को खसरा नम्बर 1243–1 में से दो बीघा भूमि आवंटित की गई थी । परन्तु उक्त प्रधानाध्यापक ने स्कूल के लिये खसरा नम्बर 1255 की दो बीघा 12 बिस्वा भूमि स्कूल के नाम दर्ज करवा ली । जब स्कूल का नाम बहैसियत खातेदार जमाबन्दी में दर्ज है तब उन्हें अतिक्रमी को बेदखल कराने के लिए धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करना चाहिये । अपने उत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या दो ने कहा कि इस समय आराजी नम्बर 1255 रकवा दो बीघा 13 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2035–38 के आधार पर राजकीय प्रा. विद्यालय पलानाखुर्द के नाम दर्ज हैं । जो म्यूटेशन दिनांक 30–9–75 के आधार पर दर्ज हुई हैं । विद्वान अभिभापक अप्रार्थी ने यह भी कहा कि स्कूलों में खेल के मैदान के बारे में अनुचित हस्तक्षेप किये जाने पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है जो एक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर भी हो सकती है ।

(3) जमाबन्दी स. 3035–38 ग्राम पलाना खुर्द के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी मुतनाजा रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा प्रा. स्कूल पलानाखुर्द के नाम दर्ज है । अभी हमारे समक्ष प्रश्न यही नहीं है कि प्राथमिक स्कूल को कौनसी भूमि आवंटित हुई थी बल्कि प्रश्न यह है कि जो भूमि रेकार्ड में स्कूल के नाम दर्ज है उस पर प्रार्थी का कब्जा अनाधिकृत है या नहीं । जब भूमि जमाबन्दी में स्कूल के नाम दर्ज है तो स्वाभाविक है प्रार्थी इस पर किसी प्रकार अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता । प्रार्थी ने गांव में कुम्हार होने के कारण अपना बाड़ा आदि बनाने सम्बन्धी प्रार्थना की, परन्तु किसी भी व्यक्ति को स्कूल की भूमि पर बाडा निर्मित करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है । स्कूल एक सार्वजनिक संस्था हैं जिसे खेल आदि मैदान के लिये भूमि दिया जाना पूर्णतया न्याय संगत है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है ।

(4) लिहाजा प्रार्थी उदा पुत्र हरचन्द कुम्हार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह./-

(चन्द्र प्रकाश)
सदस्य

श्रीमान् विकास अधिकारी जी सा.
कार्यालय पंचायत समिति, मावली।

विषय :— प्रा. वि. पलानाखुर्द के खेल के मैदान की भूमि पर से राजस्व मण्डल–राजस्थान, अजमेर के फैसले के अनुसार श्री उदा पुत्र हरचन्द कुम्हार निवासी पलानाखुर्द का नाजायज कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उपयुक्त विषय में इस प्रकार निवेदन है कि प्रा. वि. पलाना खुर्द के खेल के मैदान की भूमि पर श्री उदा कुम्हार ने पूर्व में नाजायज कब्जा कर लिया था जिसकी कार्यवाही श्रीमान तहसीलदार सा. मावली के द्वारा की जाकर श्री उदा कुम्हार का नाजायज कब्जा हटवा दिया था।

किन्तु श्री उदा कुम्हार ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील दायर की थी।

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा श्री उदा कुम्हार की अपील खारिज कर फैसला प्रा. वि. पलाना खुर्द के हक में दिया है।

फैसले की नकल साथ में संलग्न है।

अतः श्रीमानजी से अनुरोध है कि विद्यालय की भूमि पर से श्री उदा कुम्हार निवासी पलाना खुर्द का नाजायज कब्जा हटाने हेतु उचित कार्यवाही फरमाने का कष्ट करायें।

दिनांक 5-10-87

ह./-

(पूर्व प्रधानाध्यापक)
प्रा. वि. पलाना खुर्द, पं. सं.
मावली।

असल पत्र श्री तहसीलदार सा. मावली को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्व

मण्डल, अजमेर के निर्णयानुसार श्री उदा पिता हरचन्द कुम्हार निवासी पलाना खुर्द द्वारा विद्यालय के मैदान पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही आपके स्तर से करवाने का कष्ट करें ।

राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की प्रति संलग्न है ।

ह./

विकास अधिकारी

पं. सं. मावली

मूल ही श्रीमान विकास अधिकारी महोदय, मावली को भेजकर निवेदन है कि विद्यालय नियमानुसार सक्षम न्यायालय से बेदखली दण्ड करें ।

ह./-

तहसीलदार, मावली

कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मावली जिला-उदयपुर

असल मूल पत्र श्री सरपंच ग्राम पंचायत पलाना खुर्द के पास भेज कर लेख है कि इस सम्बन्ध में आप अपने स्तर पर उचित कार्यवाही करायें ।

ह./-

विकास अधिकारी,

पंचायत समिति, मावली ।

"श्री रामजी"

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार,

तहसील, मावली,

विषय :- निःशुल्क आवासीय भूखण्ड बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि मैं प्रार्थी श्री उदा पिता श्री हरचन्द कुम्हार निवासी पलाना खुर्द का मकान एवं बाडा प्राथमिक विद्यालय पलानाखुर्द की सीमा में मेरे द्वारा आराजी नम्बर 1255 में बनाया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा मामला रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में चला जिसमें मैं हार गया । अब मेरा निवेदन है कि

मैं नाजायज कब्जा को छोड़ना चाहता हूं परन्तु मेरे पास रहने के लिये एवं कुम्हारी कार्य के लिये स्थान नहीं है। अतः मुझे पंचायत से मेरे रहने एवं कार्य करने के लिये निःशुल्क भूमि दिलाने की कृपा करावें ।

ह./-

द. उदेराम

कार्यालय तहसीलदार, मावली, कैम्प पलाना खुर्द

क्रमांक राजस्व–89 दिनांक 7-6-89

सरपंच,
ग्राम पंचायत,
पलाना खुर्द ।

विषय :– भूमि का पट्टा आबादी भूमि में देने के सम्बन्ध में ।

श्री उदेराम पिता श्री हरचन्द कुम्हार निवासी पलाना खुर्द ने प्रार्थनापत्र पेश किया कि भूमि उसे ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में पट्टा दिया जाता है तो मैं प्रा. वि. पलानाखुर्द की सीमा में बने अपने मकान को स्वयं ही हटा लूंगा। अतः आप श्री उदेराम को आबादी भूमि में मकान बनाने के लिये पट्टा देने की आवश्यक कार्यवाही करें ।

ह./

तहसीलदार,
मावली, जि. उदयपुर

प्रतिलिपि :–

श्री उदेराम पिता श्री हरचन्द कुम्हार निवासी पलाना खुर्द पास भेज लेख है कि पंचायत द्वारा आबादी भूमि में मकान बनाने हेतु पट्टा प्राप्त करें एवं प्राथमिक विद्यालय पलाना खुर्द की भूमि पर आप द्वारा बनाया मकान अविलम्ब हटायें ।

ह./

तहसीलदार,
मावली, जि. उदयपुर

(279)

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	53	5	सूची विस्तृत होने के विधान कारण सभा पुस्तकालय में रखी गयी।	सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।
2.	95	14	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
3.	113	1	ग्यारीलाल	श्री ग्यारसी लाल
4.	201	11	श्री उपाध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
5.	238	13	श्री उपायध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
6.	239	2	जयधुर	जयपुर
7.	275	18	श्री भैरोंसिंह शैखावत	श्री भैरोंसिंह शेखावत
8.	369	फुटनोट	माननीय उपाध्यक्ष	माननीय अध्यक्ष
9.	399	फुटनोट	माननीय उपाध्यक्ष	माननीय अध्यक्ष